खण्ड-403, अंक-7
सोमवार, 5 फाल्गुन, शक संवत् 1913
(24 फरवरी, 1992 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 403 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	
समाजवादी जनता पार्टी द्वारा आयोजित होने वाली रैली में वैरिकेटिंग के फलस्वरूप होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत को उठाने का प्रयास	1-5
प्रश्नोत्तर	6-107
विधान सभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के स्थगन की घोषणा	107
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	108-109
विधान सभा उपाध्यक्ष का चुनाव कराये जाने का सुझाव	109
प्रदेश में डीजल एवं पेट्रोल की अनुपलब्धता की सूचना	109-112
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	112-113
जल निगम द्वारा इंडिया मार्का-2 हैण्ड पम्प लगाए जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
गढ़वाल जनपद में सस्ते गल्ले की दुकानों पर खाद्यान्न, चीनी तथा मिट्टी के तेल के अभाव से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113-114
जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में मुंसिफ न्यायालय स्थापित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	114
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में छात्रों के प्रवेश में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114
जनपद गाऊ से विल्थरा रोड पर सोनाडीह और अहिरपुर के मध्य हाहा नाले पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	114
गाजीपुर जिलान्तर्गत विकास खण्ड बाराचौर, मांटा एवं जहूराबाद मार्ग को पक्का बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	115
देवरिया कलेक्ट्रेट में रिक्त पदों पर जनगणना लिपिकों को समायोजित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	115
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	116

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री अतीक अहमद, सदस्य, विधान सभा से गनर एवं शेडो वापस लेने से खतरा उत्पन्न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (जारी) .. .	116-117
श्री अतीक अहमद द्वारा आपत्तिजनक शब्द कहे जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	117-119
श्री अतीक अहमद, सदस्य, विधान सभा से गनर एवं शेडो वापस लेने से खतरा उत्पन्न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	120-132
प्रथम सत्र, 1992 के दूसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0-10 का उत्तर गलत दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	132-134
ग्राम बवेरू थाना-बरमारीकला की जनसभा में विधायकों पर पथराव व मारपीट होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	134-136
विदेशी राजदूत से शिष्टाचार वार्ता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	136-137
दीक्षित शिक्षा आन्दोलनकारियों को जेल में बंद किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	137
शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा सत्रकाल में नीतिगत मामलों की सदन से बाहर घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	138-139
नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचना का उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	139-140
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें	140
उ0प्र0 निर्यात निगम लिमिटेड का 22 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, 1987-88 (पटल पर रखा गया)	141
दि उ0प्र0 स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, 1987-88 एवं 88-89 (पटल पर रखा गया) ..	141
उ0प्र0 राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, 1989-90 (पटल पर रखा गया)	141
श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर, वाराणसी की प्रशासनिक आख्या वर्ष 1985-86, 86-87, 87-88, एवं 88-89 (पटल पर रखा गया) ..	141
लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1983-84, 84-85 एवं 86-87 (पटल पर रखा गया)	141
उ0 प्र0 नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन 1985-86 (पटल पर रखा गया) ..	141

विषय	पृष्ठ-संख्या
शासन द्वारा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति ..	142
श्री रमाकान्त यादव, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना ..	142
उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1992 (पुरःस्थापित)	142-143
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	143-158
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	158-159
वित्तीय वर्ष 1991-92 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण ..	159
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	159
प्रदेश में पी0ए0सी0 की भर्ती में पिछड़ी जाति के अभ्यार्थियों को आयु सीमा में छूट न दिये जाने तथा यू0पी0 स्टेट हार्टिको के कर्मचारियों की छटनी के उपरान्त उनका समायोजन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकृत वक्तव्यों का स्थगन ..	159
प्रदेश के गन्ना किसानों का चीनी मिलों द्वारा किये जा रहे शोषण एवं अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	160-161
प्रदेश के गन्ना किसानों का चीनी मिलों द्वारा किये जा रहे शोषण एवं अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा कराये जाने की मांग	161
विशेषाधिकार हनन की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	161
श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा राजस्व मंत्री श्री ब्रह्म दत्त-द्विवेदी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	161-162
श्री भोला शंकर मौर्य, सदस्य, विधान सभा तथा अन्य सदस्यगण द्वारा जिलाधिकारी, बदायूं के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	162-163
श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा की भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री, श्री माता प्रसाद पाण्डेय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	163-164
श्री गामा राम शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की श्री सुरेन्द्र राय, थानाध्यक्ष, थाना-खानपुर, जनपद-गाजीपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	164
नोटिसों	165-172

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

अखिलेश श्री,	महराजगंज	नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
अनवर लाल, श्री	बहराइच	पतिराज श्री,	आजमगढ़
अजय प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	पूरन चन्द्र शर्मा, श्री	अल्मोड़ा
अफजाल अंसारी श्री	गाजीपुर	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
अब्दुल ए0 सलाम, श्री	आजमगढ़	प्रभा शंकर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
अरविन्द प्रताप सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	प्रेम प्रकाश, श्री	सिद्धार्थनगर
अवध पाल सिंह, श्री	एटा	बच्चा पाठक, श्री	बलिया
अशोक कुमार, श्री	लखनऊ	बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
इजहार आलम खां, श्री	फर्रुखाबाद	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
इन्द्र देव सिंह, श्री	बिजनौर	बाबूराम यादव, श्री	मैनपुरी
इस्लाम साबिर, श्री	बरेली	बी0के0गुप्ता, श्री	पीलीभीत
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	बृजभान यादव, डा0	इलाहाबाद
उम्मेद सिंह, श्री	आगरा	ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
ऊदल, श्री	वाराणसी	मथुरा प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	मदन भैया, श्री	मेरठ
ओम प्रकाश, श्री	फतेहपुर	मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
ओम प्रकाश दिवाकर, श्री	फिरोजाबाद	मन्नू लाल कुरील, श्री	बांदा
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	मयंकर सिंह, श्री	बहराइच
कप्तान सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	महक सिंह, श्री	मेरठ
किशन लाल, श्री	पीलीभीत	महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
कृष्ण कुमार, श्री	फतेहपुर	मामचन्द्र, श्री	सहारनपुर
कृष्ण चन्द्र, श्री	पिथौरागढ़	मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
कृष्ण वीर सिंह सिरोही, श्री	गाजियाबाद	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
केशव सिंह, श्री	जालौन	रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	देवरिया
गन्धर्व सिंह, श्री	मैनपुरी	रमेश पोखरियाल, श्री	गढ़वाल
छोटेलाल मिश्र, श्री	हमीरपुर	राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
जगदीश सिंह, श्री	सहारनपुर	राजेन्द्र, श्री	बिजनौर
जगराम सिंह यादव, श्री	कानपुर नगर	राजेन्द्र सिंह, श्री	एटा
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	राजेन्द्र सिंह, श्री	बिजनौर
ज्ञानेन्द्र, श्री	महराजगंज	राम औतार शाक्य, श्री	मैनपुरी
ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती	वाराणसी	राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
तीरथ राज, श्री	सोनभद्र	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
दुर्गा प्रसाद यादव श्री	आजमगढ़	राम चरित्तर, श्री	बस्ती
नरेन्द्र सिंह श्री	फर्रुखाबाद	रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई

राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़	श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर	सवेश कुमार, श्री	मुरादाबाद
राम सेवक, श्री	बदायूं	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री	मैनपुरी	हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
लाल चन्द्र, श्री	जौनपुर	हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
विजय पाल सिंह, श्री	आगरा	हरपाल, श्री	बुलन्दशहर
विजेन्द्र सिंह, श्री	मथुरा	हरिनारायण, श्री	बलिया
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 1992

(विधान सभा का कार्य सभा मण्डप लखनऊ मे दिन के ।। बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ)

समाजवादी जनता पार्टी द्वारा आयोजित होने वाली रेली में बैरिकेटिंग के फलस्वरूप होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में नियम 3।। के अन्तर्गत सूचना को उठाने का प्रयास

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, कल हमारी पार्टी की रेली है । पूरे प्रदेश में इस रेली को विफल करने के लिए सरकार ने षडयंत्र कर रखा है, जो कि लोकतांत्रिक मान्यताओं व परम्पराओं के विपरीत है । पूरे लखनऊ मे आपने देखा होगा कि जगह-जगह पर इस तरह से सरकार ने बैरिकेटिंग करवा रखी है जैसे किसी लड़ाई का मुकाबला करने के लिए यह सरकार जा रही है । हमारी बसों को तेल नहीं दिया जा रहा है, जो पूर्व में परमिट दिये गये थे, उनको कैन्सिल किया जा रहा है । हमारे कार्यकर्ताओं को यहां न पहुंचने देने के लिए 2-2 व 3-3 किलोमीटर की दूरी पर बैरिकेटिंग करवाई गई है और पुलिस को लगाया गया है । लोकतंत्र में किसी भी दल का यह अधिकार है कि वह जनसमस्याओं को सरकार के सामने रख सके । सरकार ने जो षडयंत्र कर रखा है, वह बिल्कुल लोकतंत्र के विरुद्ध है । इसलिए मान्यवर, हमारा आपसे निवेदन है कि नियम-3।। के अंतर्गत हमने जो आपको यह सूचना दी है, आज सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय । इस सरकार को सबसे बड़ा डर श्री मुलायम सिंह जी से लग रहा है । इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं माननीय श्री मुलायम सिंह जी दुबारा इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंककर सत्ता में अपना कब्जा न जमा लें इसलिए हम पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि इस पर आप चर्चा करायें और सरकार द्वारा जो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध षडयंत्र किया जा रहा है, उसके लिए आप सरकार को निर्देशित करें कि सरकार इस प्रकार की कार्यवाही न करे ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल के बाद आप अपनी बात कहें ।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)

मान्यवर, जनतंत्र में हर पार्टी को प्रदर्शन करने का, जुलूस निकालने का व रेली निकालने का अधिकार होता है । मान्यवर, जिस तरह की बात श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने कही है, यह ऐसा विषय है जो बहुत ही चिन्ता का है । पूरे प्रदेश में चाहे वह जिस दल के लोग हों, चाहे वे उधर बैठने वाले ही क्यों न हों, अगर रैलियों पर इस तरह से पाबंदी लगाई गई तो इससे जनतंत्र को खतरा पैदा होगा । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि स्वस्थ्य परम्परा बनाइये, इस तरह की परम्परा मत बनाइये कि रैलियों को विफल करने के लिये धरनों और जुलूसों पर लाठी चार्ज किया जाय और उन्हें नाकाम करने की कोशिश की जाय । यहां विधान सभा के सामने बहुत से धरने लगे हुये हैं । वहां पर पुलिस प्रताड़ित कर रही है और टेंट वगैरह उखाड़ने का काम लगातार कर रही है । मैं चाहूंगा कि इस प्रदेश की जो स्वस्थ परम्परायें रही हैं उनको चलने दीजिये और ऐसी कोई परम्परा न बनाइये जिनसे इनको रोका जाय क्योंकि जब कभी आप भी इधर बैठेंगे आपको भी इसका सामना करना पड़ेगा, आप भी अपनी रैलियां नहीं कर सकेंगे । इसलिए मैं चाहूंगा कि जनतंत्र में स्वस्थ परम्परा का निर्वहन करें । (व्यवधान)

श्री राम लखन-

मान्यवर, हमने भी 3।। में एक सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष-

पहले प्रश्नकाल प्रारम्भ हो जाय (व्यवधान) ।2.20 बजे प्रश्नकाल समाप्त होगा उसके बाद उठायें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया है बहुत गम्भीर है । लोकतंत्र का तकाजा यही है कि जहां सत्ता पक्ष को सरकार को चलाने का अधिकार है वहीं विपक्ष को अपना विरोध प्रदर्शित करने का अधिकार है । लोकतंत्र में प्रदर्शन करना, रैलियां निकालना अनसन करना विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार है । यह सरकार पुलिस बल पर चल रही है, बिलकुल फासिस्ट वाद की तरफ चल रही है। पिछली बार ही आपने देखा कि बाहर जो धरना दे रहे थे दलित वर्ग के छात्र धरना दे रहे थे उनके ऊपर लाठियां चलाई गयीं, उनके टेंट उखाड़ दिये गये । आज जो प्रश्न उठाया गया है समाजवादी जनता पार्टी के लोग रैलियां निकाल रहे हैं आप उसमें सहयोग न करें लेकिन ऐसी स्थिति पैदा न करें जिससे वह यहां प्रदर्शन करने से वंचित हो जायं । जनतंत्र में वह अपनी बात निष्पक्ष रूप से कह सकें । मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दिन गिने चुने रह गये हैं उन्हें लगने लगा कि उनके जाने के दिन आ गये हैं जिस तरह से अंत काल में क्षमता नहीं रह जाती है, कुछ ऐसा ही कर रहे हैं । मैं अनुरोध करूंगा आग्रह करूंगा और चेतावनी भी दूंगा जनतांत्रिक अधिकारों में कोई पाबंदी न लगाई जाय वर्ना इसके गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मेरा निवेदन है प्रश्न काल पहले प्रारम्भ होने दीजिये । (व्यवधान)

श्री राम लखन-

मान्यवर, हम लोगों ने भी 3।। में नोटिस दी है । (व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे लखनऊ में 10, 12 किलोमीटर बाहर ही बसों को रोका जा रहा है ताकि कोई कार्यक्रम लखनऊ में न हो सके और लोग यहां न आ सकें । माननीय मुलायम सिंह जी के समर्थन में लोग न आ सकें क्योंकि उत्तर प्रदेश के कोन-कोने से लोग आ रहे हैं । संविधान में व्यवस्था है कि लोकतांत्रिक तरीकों से आंदोलन करने का अधिकार है । आज बसों के परमिट कैंसिल कर दिये गये हैं ।

(व्यवधान)

सरकार अफवाह फैला रही है कि रैली में गोलियां चलेंगी आप लोग वहां न जायं । यह एक गम्भीर विषय है । पूरे उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से किसान, छात्र और मजदूर रैली में भाग लेने के लिये आ रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, शासन का दृष्टिकोण रखना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम लखन-

माननीय वर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं इस सरकार के लिये यह बड़े दुख की बात है, निंदनीय विषय है । प्रजातंत्र में इस तरह से किसी पार्टी को वंचित न किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

शासन का दृष्टिकोण भी सामने आने दें ।

(व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, इस तरह से कैसे चलेगा ? मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । श्याम देव राय चौधरी जी आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

कृपया शांति बनाये रखें । संसदीय कार्य मंत्री जी आप बोलें ।

(व्यवधान)

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी जाती हैं...। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शांत रहें । कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है । राम लखन वर्मा जी आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

यह तो अजीब बात है कि मैं खड़ा हुआ हूं और बोलने नहीं दिया जा रहा है । यदि इधर कोई बात प्रतिक्रियास्वरूप पैदा हो जाये तो वह ठीक नहीं होगी । इसलिए मैं नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा...।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने अपनी बात कह दिया तो आप लोग बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री रवींन्द्र शुक्ल-

व्यवस्था का प्रश्न है । नेता विरोधी दल का वक्तव्य आ गया है । (व्यवधान) मंत्री जी को जवाब देने दें । परम्पराओं से सदन चलता है, इसलिए परम्पराओं का पालन किया जाये और संसदीय कार्य मंत्री जी को जवाब देने दें।

श्री अध्यक्ष-

सभी माननीय सदस्य बोलने का प्रयास करेंगे तो सत्तारूढ़ दल के 20 सदस्य खड़े हो जायेंगे बोलने के लिये, तो कैसे काम चलेगा ? राणा जी आप बैठ जायं और श्री राम लखन वर्मा जी को अपनी बात कह लेने दें । संसदीय कार्य मंत्री जी आप बाद में एक साथ जवाब दे देंगे ।

(व्यवधान)

गृह राज्यमंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने नियम 311 में प्रस्ताव दिया । उन्होंने और नेता विरोधी दल एवं श्री प्रमोद तिवारी जी ने अपने-अपने विचार रखे । एक तो व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समय नष्ट हो रहा है जिससे उनके उत्तर नहीं आ पायेंगे (व्यवधान) दूसरे उधर के सदस्य इतना शोर मचा रहे हैं प्रश्नकाल को व्यवधानित कर रहे हैं (व्यवधान) क्या यह उचित है ?

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

(घोर व्यवधान के मध्य) माननीय सदस्यों को जनतांत्रिक अधिकार है कि वह जनता के अधिकारों के सम्बन्ध में उनके यहां उठायें । (व्यवधान) रैली सफल होगी जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हेतु इस पर आप यहां चर्चा करायें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मेरा निवेदन है कि माननीय नेताओं ने नियम 3।। में अपने विचार रखे हैं । आरोप लगाना आसान है लेकिन उन आरोपों की सफाई जानने सम्बन्धी बातों की सुनने की क्षमता विरोधी दल के सदस्यों को होना चाहिए ।

(घोर व्यवधान)

सरकार ने किसी भी प्रकार के ऐसे निर्देश नहीं दिये हैं । सरकार ने ऐसे कोई निर्देश नहीं दिये हैं कि बसों के परमिट न जारी किये जायं । हमारी सरकार ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले प्रदर्शनों पर कोई रोक नहीं लगाई है।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गईं)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, ऐसा है तब बसों के पैसे क्यों वापिस किये गये हैं ?

(व्यवधान)

श्री राम लखन-

मान्यवर, एक निवेदन था दो विधायकों . . .

श्री अध्यक्ष-

यह रैली से सम्बन्धित विषय नहीं है । मैंने दूसरे विषय की अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)

श्री राम लखन-

मान्यवर, कहा गया है कि मुलायम सिंह यादव की रैली को सफल नहीं होने देंगे । इस रैली को विफल करने का कुचक्र सरकार चला रही है । बसों के परमिट खत्म कर दिये हैं । मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा करा दें । मान्यवर, इसी के साथ हमारे विधायकों के साथ जो हुआ है . . .

श्री अध्यक्ष-

अभी यह विषय नहीं आया है । जब उसका प्रकरण आयेगा तब सुन लिया जायेगा । श्री राणा जी रैली के सम्बन्ध में कुछ कहेंगे ।

(घोर व्यवधान)

कृपया बैठ जायं । मैंने श्री राणा जी को अनुमति दे दी है ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने एक प्रश्न उठाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत इन रैलियों के प्रदर्शन का हर राजनैतिक दल को और प्रदेश की जनता को पूरा अधिकार है और मान्यवर आप भी इससे सहमत होंगे कि इसके लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त है । अब प्रश्न यह है कि रैली को विफल करने के लिये जिस तरह से सरकार कुचक्र कर रही है, यह संविधान के साथ खिलवाड़ है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया बैठ जायं ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, इन्होंने स्वयं अभी से एकता यात्रा के नाम पर जिस तरह से रैली निकाली उससे देश में साम्प्रदायिकता की आग फैल गयी । यह अपने आप चाहे जो करेंगे और दूसरी पार्टियों के लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा तथा अन्य नेताओं की बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी । प्रमोद तिवारी जी नहीं हैं । उनकी हर बात का सम्पुट हो गया है कि यह सरकार चन्द दिनों की है । यह इस समय सदन में नहीं है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि यह सरकार चन्द दिनों की नहीं है यह पांच साल धड़ल्ले से चलेगी और आगे फिर यह सरकार बनेगी । इस बात को माननीय तिवारी जी नोट कर लें । एक बात माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने कही, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि अगर उनकी रैली को विफल करने का कोई हमारा इरादा होता तो लखनऊ में हम अनुमति ही न देते । जिलाधिकारी, लखनऊ ने इस रैली को आयोजित करने की अनुमति दी है । किसी तरह का पूरे प्रदेश में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जा रहा है । बस के परमिट कैंसिल नहीं किये गये हैं और न ही किसी को आने से रोका ज़ा रहा है ।

(व्यवधान)

जब कोई मेला आदि इस तरह का कुछ होता है तो ट्रैफिक को कन्ट्रोल करने के रास्ते आदि चेन्ज किए जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं किया गया है । प्रजातांत्रिक व्यवस्था में और संसदीय लोकतंत्र में हमारी पूरी-पूरी आस्था है । हम चाहते हैं कि प्रतिपक्ष अपनी बात पर बल देने के लिए रैली करें इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है । अगर रैली विफल हो रही है, लोग नहीं आ रहे हैं तो न आने का बहाना हमारे ऊपर न लगायें । आप हमारे ऊपर दोषारोपण न करें ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

नेता विरोधी दल ने बहुत अच्छी बात कही कि स्वस्थ्य परम्परायें डाली जाएं। मैं उनसे इस बात का वायदा करता हूं कि जो गलत परम्परायें डाली गई थीं इससे पहले, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि बसों के परमिट कैंसिल किए गये, रास्ते रोके गये लेकिन हम उन परम्पराओं को ध्वस्त करना चाहते हैं । जनतंत्र को पुष्ट करने के लिए स्वस्थ्य परम्परायें डालना चाहते हैं । किसी व्यवधान का हमारा कोई इरादा नहीं है । कल एक रैली थी हमें उम्मीद थी कि काफी लोग आएंगे उनसे हमें मार्ग दर्शन मिलेगा, लेकिन कल की रैली कैसी हुई यह आप सब लोग जानते हैं । आप पूरे प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएं हम आपके मूल्यवान विचारों से अवगत होंगे । लेकिन अगर लोग नहीं आते हैं तो आप हमको लांछित न करें ।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्ति बनाए रखें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मैं इनके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करके चले गये)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, (* * *)

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि नियम 3।। के अंतर्गत नियमों को निलम्बित करके मेरी बात सुनने की कृपा करें ।

श्री अतीक अहमद-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी नियम 300 की सूचना है, प्रश्नकाल के बाद लूंगा । प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है ।

श्री अतीक अहमद-

मान्यवर, सदन में चर्चा होती है तो सारे नेताओं को माननीय नेता विरोधी दल सत्ता पक्ष के नेताओं को, संसदीय कार्य मंत्री जी को और अन्य नेताओं को बोलने के लिए समय मिल जाता है । मैं निर्दलीय विधायक पहले था और आज भी हूं, हमें समय नहीं मिल पाता, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

एक आवाज-

हमारे दल में आ जायें ।

श्री अतीक अहमद-

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं, हमसे कह रहे हैं कि हमारे दल में आ जाइये ।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठिये ।

प्रश्नोत्तर
अल्सूचित तारांकित प्रश्न

राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का प्रदेश सरकार को हस्तान्तरण और संचालन हेतु नीति का निर्धारण

**।-श्री सुरेश प्रताप गांधी-

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप कितनी और कौन-कौन सी केन्द्र प्रायोजित योजनायें प्रदेश सरकार को हस्तान्तरित की जा रही हैं ? क्या सरकार ने इन योजनाओं के सफल संचालन हेतु कोई नीति निर्धारित की है ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा चौहान)-

राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को प्रदेश सरकार को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में भारत सरकार से अभी औपचारिक शासनादेश प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए इनके विवरण इस समय देना सम्भव नहीं है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर नहीं दिया । कम से कम आप इतना अवश्य अवगत करायें कि मुख्य-मुख्य कौन सी योजनाओं पर विचार किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में और विचार करते समय किन-किन शर्तों को आधार माना गया । जिन योजनाओं को स्थानान्तरित करने की बात की गयी है उन शर्तों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नोट:- (* * *) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में आदरणीय सदन को जानकारी दी है कि अभी कोई औपचारिक आदेश इस सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए कौन-कौन योजना क्या है कदाचित इसकी घोषणा करना बहुत अच्छी बात नहीं होगी । माननीय सदस्य की जिज्ञासा को देखते हुए मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि एक नरसिंह राव कमेटी केन्द्र सरकार की है जिसकी रिपोर्ट के अनुसार तय होना है तथा कि सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स, केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के बारे में क्या नीति होनी चाहिये । इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ।।3 योजनाओं को ट्रान्सफर करने की बात है । इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री, हम और हमारे मंत्रियों ने उस बैठक में भाग लिया था । माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह दृष्टिकोण रखा था कि पापुलेशन के हिसाब से उसका पैसा ट्रांसफर किया जाय । इस माननीय सदन में कई बार यह बात उठ चुकी है, केन्द्र से जो योजनायें आती हैं उनमें कुछ में ऐसी अव्यवहारिकता होती है जिससे उनको लागू करने में दिक्कतें होती है, उनके जो मानक होते हैं उनसे ज्यादा लाभ नहीं हो पाता । हमने मांग की है कि योजनाओं के लिये अधिक पैसा दें और योजनाओं के मानक बनाने का काम हमें दे लेकिन अभी इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक आदेश नहीं आया है ।

लेकिन हमें योजना आयोग के उपाध्यक्ष माननीय प्रणव कुमार मुकर्जी का एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने हमारी बातें पूरी तरह से स्वीकार नहीं की हैं । हम फिर पत्राचार करेंगे, लेकिन इतना स्वीकार किया है कि जो स्कीमें मिलेंगी उसमें उदार होकर एडजेस्टमेंट कर सकेंगे । कितना कर सकेंगे, यह वार्ता से स्पष्ट होगा, इतनी सफलता मिली है । मैं इतनी जानकारी देना चाहूंगा कि ।।3 स्कीमों के बारे में नरसिंहराव कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें से 38 योजनाएं उत्तर प्रदेश की है । इसमें कुछ वाइन्ड अप हो चुकी है, और कुछ हो रही हैं । इन 38 में से 22 योजनाएं चल रही हैं, मैं जानकारी दे दूं इनमें से एक योजना इस वित्तीय वर्ष में ड्राप हो जाएंगीं । वह ग्रामीण गोदाम निर्माण योजना है । इस प्रकार मात्र 21 योजनाएं रह जाएंगी । उनकी शर्तें क्या होंगी, यह औपचारिक आदेश मिलने के बाद ही माननीय सदस्य जानना चाहें तो उचित होगा ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, इनमें संभवतः 50-50 परसेंट का अंशदान होता है, सेन्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम में, लेकिन जो केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव है राष्ट्रीय विकास परिषद् में, उसके तहत हमारी सरकार ने कितना अनुदान उन योजनाओं के लिये स्वीकार किया है । मानीटरिंग की क्या व्यवस्था होगी ? किस लेविल पर मानीटरिंग होगी ? इससे भी अवगत करा दें ।

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, इसमें विचार हो चुका है । मैं निर्णय नहीं पूछ रहा हूं, विचार पूछ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी सूचना हो तो दे दें । वैसे मूल प्रश्न में यह बात नहीं आती ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय गांधी जी हमारे सदन के एक वरिष्ठ पुराने साथी हैं । जो विचार हुआ है, अर्थात् राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विचार व्यक्त किया है, वहीं मार्ग दर्शक सिद्धान्त है । योजनाएं मिलना आगे की बात है । मैं यह बताना चाहता हूं कि, हमें इसमें पैसा मिलना चाहिए । अब मैं कुछ कहूंगा तो माननीय नरेश अग्रवाल जी आ जाएंगे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि कई में शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मिलती है कुछ में 50-50 का अनुपालन रहता है, लेकिन उसमें भी हमें शिकायत है । कागज में 50-50 का अनुपात लिखा है, लेकिन दो योजनाओं की जानकारी देना चाहता हूं, इसका पूरा हिसाब नहीं ले पाया हूं, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से एक उद्योग माजिनस्कीम है । कई माननीय सदस्य कहते हैं कि पैसा नहीं मिला, उसमें 50-50 का अनुपात है । लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से इसमें मात्र 30 फीसदी पैसा केन्द्र सरकार से मिला है, जबकि 50 परसेंट दी जानी थी । इसी प्रकार जिला उद्योग केन्द्र की स्कीम है, उसमें स्टाफ कंटीजेंसी में 50 परसेंट मिलना चाहिये जो कि 8.80 करोड़ होता है, लेकिन इसमें 50 परसेंट नहीं मिला है । हमने यह बात योजना आयोग के सामने रखी है कि केन्द्र सरकार द्वारा उन्हीं योजनाओं में हस्तक्षेप करना चाहिये जो 2-3 राज्यों से मिल कर बनी हैं । लेकिन जो योजनाएं केवल हमारे राज्य से संबंधित हैं उसमें हमें पैसा दें और उसका हिसाब लें तो हम अपने माननीय सदस्यों के परामर्श से उनके क्षेत्रों के लिए उपयोगी योजना बना सकेंगे और जनता को सही तरीके से राहत दिला सकेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से पता लगता है कि इसमें कितना धन मिलेगा । उन्होंने जो लिखित उत्तर दिया है उसके अनुसार तो अभी कुछ औपचारिक अहेताएं पूरी करना शेष है और औपचारिक स्वीकृति आनी है ।..

अब मान्यवर, केवल एक बात जानना चाहता हूं कि कुछ योजनाएं केन्द्र की ऐसी हैं जिनका हमारे प्रदेश में उपयोग सही सिद्ध नहीं हुआ है । क्या उन योजनाओं को लागू करने की छूट हमको होगी अथवा नहीं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, जो हमने बात कही थी, मैं अपनी बात माननीय सदस्य को समझा नहीं पाया हमने यह कहा था कि हमारे मुख्य मंत्री के भाषण में इसका उल्लेख है जो माननीय सदस्य की भावनाएं हैं जो योजनाएं आ रही हैं, उसके सम्बन्ध में जैसा कि मैंने कहा कि माननीय प्रणव मुखर्जी का पत्र हमको मिला है । यह पत्र अंग्रेजी में है, इसका अनुवाद हिन्दी में कर देंगे । लेकिन उसका एक वाक्य मैं पढ़ देता हूं "स्टेट वुड हैव फ्लेक्सिीलिटी इन दि मैटर आफ इम्वार्टेशन आफ दि ट्रांसफरेड स्कीम्स टू एचीव दि आब्जेक्टिव आफ दि स्कीम्स" अभी केवल इतना उनका संकेत है कि हमको इस बात की आजादी होगी कि हम थोड़ा फ्लेक्सेबुल हो जाएंगे " योजनाओं के कार्यान्वयन में, लेकिन माननीय सदस्य की भावना है कि उसको हम अपने टेस्ट के मुताबिक बनाएं तो हम भी उसी उम्मीद के हैं । और हमारी वार्ता हो रही है ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, इन योजनाओं के सिलसिले में 10 मिलियन बेल्स की योजना का जिक्र किया गया, मैं मान्यवर, जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से जब वह पूर्णतया सफल तो कौन सी नीति आपने निर्धारित किया है कि उत्तर प्रदेश की स्कीम सफल हो जाय ? क्या आपने कोई नीति निर्धारित करके भेजी है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत सही सवाल किया है । मान्यवर हमने पूरक प्रश्न में बताया था, उसका रूप क्या बनेगा ? उसका अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

कोई सजेशन पेश है?

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, सरकार को सेन्ट्रोफोनिया है, 38 योजनाएं इस प्रदेश में चल रही हैं, माननीय मंत्री जी ने दो योजनाओं का उल्लेख किया है, एक मार्जिन मनी उद्योग की है और दूसरी योजना उद्योग केन्द्रों की है । इसमें 8 करोड़ रुपये खर्च कर लिया है । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसमें केन्द्र का अंशदान क्या था, कितना प्राप्त हो गया है ? मान्यवर, यह केन्द्र पर स्पष्ट आरोप है । दो आरोप हैं केन्द्र पर, लेकिन बाकी 36 योजनाओं को तो आप स्पष्ट कर दें ।

श्री अध्यक्ष-

यह बहुत लम्बा ब्योरा है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, जैसा कि अग्रवाल साहब ने पूछा, केन्द्र का यह वजन भी है कि निर्धारित समय से योजनाएं पूरी न करने, तथा पर्याप्त रुचि न लेने के कारण उसका कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है । मान्यवर, 18 के बारे में जो बताया है, क्या उनका कार्यान्वयन आगे सम्भव है और उसकी उपलब्धि कितने प्रतिशत है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने फैसला किया है कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन और अनुश्रवण की सतत प्रक्रिया है, जिससे मेरा विश्वास है कि निर्धारित समय में हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे, लेकिन एक-एक योजना के बारे में सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, बिलकुल साफ सवाल है । माननीय मंत्री जी उत्तर देना नहीं चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सूचना की आवश्यकता होगी ।

डा0 जी0एस0 विनोद-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने बताया कि प्रदेश में 38 योजनायें हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार दलित वर्ग के लिये, अनुसूचित जाति के लोगों के लिये और दुर्बल वर्ग के लोगों के लिये तथा गांव के विकास के लिये कौन-कौन सी योजनायें कार्यान्वित करने जा रही है और उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अध्यक्ष-

यह एक स्वतंत्र प्रश्न है । आपने मूल प्रश्न देखा होगा, वह है कि केन्द्र कौन-कौन सी योजनाओं को हस्तान्तरित कर रहा है ?

प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता की योजना

**2-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी खर्च घटाने और मितव्ययिता बरतने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं

श्रीमती शारदा चौहान-

प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता बरतने हेतु शासनोदश संख्या-2163/दस-सं0वि0-3(1)/91, दिनांक 18-12-91 में व्यवस्था की गई है ।

शासनादेश की प्रति संलग्न है ।

(शासनादेश देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 165-168 पर)

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि .....

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी जी मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है । अब आप बैठ जायें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जो उत्तर लिखित रुप में दिया गया है, वह बहुत विस्तृत है, इसलिए हमारा पूरक प्रश्न लम्बा हो सकता है । मैंने प्रश्न किया था कि सरकारी खर्चों में कमी करने के लिये सरकार क्या कर रही है । माननीय मंत्रीगण अनावश्यक रूप से भारी खर्च कर रहे हैं, उनके साथ स्क्वेड की गाड़ी नहीं चलती थी, लेकिन अब वह चलेगी और उसका जो व्यय होगा सम्बन्धित विभाग को वहन करना पड़ेगा और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश भर में खासतौर से बी0जे0पी0 के सांसद जिलाधिकारियों से वाहन लेते हैं, नियम में है कि वह 10 दिन अपने पास रख सकेंगे, लेकिन हो क्या रहा है, वह वाहन उनके पास पूरे महीने रहता है और उसी वाहन से वह शादी ब्याह भी अटेंड करते हैं । मान्यवर, इसी प्रकार से विज्ञापन की नीति के बारे में है, उसमें कहा गया है कि मंत्रीगण चाहें तो दे सकते हैं, तो इस प्रकार से अखबार मंत्रियों के हाथ में हो गये ।

संस्थागत वित्त राज्यमंत्री (श्री हरद्वार दुबे)-

आप किस अखबार के हाथ में हैं ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

माननीय मंत्री जी डिस्टर्व कर रहे हैं, और जब हम लोग करेंगे तो आप न कहें ।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न कर लें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या सरकार ने जो माननीय मंत्री जी खर्च कर रहे हैं उसको कम करने के लिये कोई संकल्प किया है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, आपने प्रश्न ग्राह्य किया, मुझे उत्तर देना है, मैं इस पर टिप्पणी तो नहीं कर सकता और इसे अन्यथा न लें कि मंत्रिमंडल पर कितना खर्च किया है, अगर इसका उल्लेख किया होता तो मैं पूरे आंकड़े लेकर आता क्योंकि किसी चीज को छुपाने का मेरा इरादा नहीं है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मैंने आंकड़े नहीं पूछे हैं, सरकार ने अगर कोई संकल्प किया है तो मैं जानना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल-

यह सरकार आकड़े देने के लिए तैयार हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से सीखता हूं, पिछली तीन विधान सभा से मैं सीख रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दो बिन्दुओं पर जानकारी चाही है । एक तो आरोप लगाया है बी0जे0पी0 के सांसदों पर, उसका प्रतिवाद करता हूं । एक-एक सांसद को किस निर्धारित अवधि के लिए जीप दी जायेगी, यह निदेश बहुत पुराने हैं और उसी आदेश के तहत एक यह लाभ सांसदों को मिल रहा है । हमारे प्रदेश में जो योजनाएं चलायी जा रही हैं, उनका वे अनुश्रवण करें, निरीक्षण करें और उनके कामों को राज्य सरकार को अवगत करायें । उसमें किसी तरह का कोई विभेद, चाहे कांग्रेस दल के सांसद हों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों या किसी दल के हों, नहीं किया जा रहा है । लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर इनके पास कोई निश्चित जानकारी है विभेद की, उसको लिखकर देंगे तो मैं जानकारी प्राप्त करूंगा ।

(शोर)

मान्यवर, मैं तो खुद ही जानकारी मांग रहा हूं । एक तो उन्होंने मंत्रिपरिषद् की मितव्ययिता के लिए जानना चाहा है, मंत्रिपरिषद् के द्वारा मितव्ययिता का जो भी मानक बनाया गया है वह सब पर लागू होता है, चाहे मंत्री हों या कोई हो ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में कि सांसदों को जो जीप या गाड़ी दी जाती है योजनाओं के निरीक्षण के लिए और उस रिपोर्ट को वे प्रदेश सरकार को भेजते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि अब तक प्रदेश कि कितने सांसदों की ओर से प्रदेश सरकार के पास निरीक्षण की रिपोर्ट भेजी गयी है ?

श्री अध्यक्ष-

यह तो बहुत विस्तीर्ण है ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, आपने अपने उत्तर के साथ जो शासनादेश की कापी संलग्न की है उसमें निगमों और उपक्रमों के बहुत सारे खर्चों का जिक्र है । मगर आपने स्वयं देखा होगा कि निगमों में जो आई0ए0एस0 अधिकारी बैठे हुए हैं उनका दफ्तर तो ऐसा है जैसे इन्द्रासन हो । दीवाल का प्लास्टर, प्लास्टर के ऊपर लकड़ी और उसके ऊपर सनमाइका और न जाने क्या-क्या है और नीचे की फर्श पर देखते हैं तो पता नहीं क्या-क्या बिछा है इस पर पता नहीं कितना खर्च लग जाता है मैंने एक दफ्तर में पूछ लिया तो पता लगा कि 27 लाख रुपये खर्च हुआ है कमरे को सजाने में ।

(शोर)

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि यह जो खर्च है, इसको कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है, दूसरा मेरा कहना है कि इन निगमों में अतिरिक्त भर्तियां कर ली गयी हैं और अतिरिक्त भर्तियां इतनी कर ली गयी हैं कि जहां आवश्यकता नहीं है, एक ही निगम के अन्दर 25-25, 30-30 चपरासी अनावश्यक भर्ती कर लिये गये हैं ।

(किसी सदस्य द्वारा टोकने पर)

मान्यवर, प्रश्न पूछने का अधिकार मेरा है और आज्ञा देने का अधिकार आपका है, बीच में यह दुमछल्ले नहीं आते हैं ।

यह जो अतिरिक्त भर्तियां कर ली गयीं, उन्हें क्या समय अन्य विभागों में समायोजित करने का प्रयास करेंगे, उस भार को कम करने का प्रयास करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय राणा जी की जो चिन्ता है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । पिछले आदेशों से फिजूलखर्ची निगमों में बढ़ा है । अब जो शासनादेश जारी किया गया है उसे देखने की कृपा करें । मान्यवर, उसकी कंडिका-17 है, सार्वजनिक उपक्रमों, प्राधिकरणों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि द्वारा नये अतिथि गृह न खोले जायं और वर्तमान में चल रहे अतिथि गृहों को भविष्य में चलाये जाने के संबंध में अति शीघ्र मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाये । नये अतिथि गृहों को, यदि वे अत्यन्त आवश्यक हैं, मुख्यमंत्री जी के पूर्वानुमोदन के पश्चात् ही स्थापित किया जाय । इसी तरह के तमाम निर्देश नयी कालीन आदि के क्रय के सम्बन्ध में, एस0टी0डी0 के सम्बन्ध में टेलीफोन कनेक्शन के सम्बन्ध में फर्नीचर खरीदने के सम्बन्ध में दिये गये हैं यह निर्देश भी दिये गये हैं कि मात्र अधिकारी बदल जाने से नया फर्नीचर न खरीदा जाय । यह जो भर्तियां अनाप-शनाप निगमों में की गयीं उसके आंकड़े इकट्ठे होने का कार्य हो रहा है । यह जो भर्तियां की गयीं, बड़े से बड़े अधिकारी के खिलाफ यह सरकार कार्यवाही कर रही है ।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, यह जो शासनादेश का जिक्र माननीय वित्त मंत्री जी ने किया । जहां तक मुझे जानकारी है जो शासनादेश जारी हुआ था उसमें जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि फर्नीचर न खरीदा जाय, मात्र अधिकारी बदल जाने से फर्नीचर न खरीदा जाय और भी तमाम बातें बतायीं । संभवतः उसमें यह भी था कि निगमों में आवश्यकता से अधिक वाहन न खरीदे जायं जो अतिरिक्त वाहन हैं उन्हें वापस किया जाय । मान्यवर, प्रदेश में बहुत सारे निगम हैं ..

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करें ।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, मैं सहमत हूं कि हर निगम की स्थिति बता पाना संभव नहीं होगा। लेकिन टेस्ट केस के रूप में किसी विशिष्ट निगम की आप जानकारी उपलब्ध करा देंगे जिसकी सूचना आयी हो कि उसके पास इतने अतिरिक्त वाहन थे और इतने हटा लिये गये हैं ? इसके पहले कि मैं कोई जानकारी दूं कि कौन से निगम में अतिरिक्त वाहन हैं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय वित्त मंत्री जी ने पहले ही कहा कि यदि कोई विशेष जानकारी माननीय सदस्यों के पास हो तो वे दे देंगे । यह 18 दिसम्बर, 1991 का शासनादेश है अभी इसे जारी हुए 2 ही माह हुआ है, इसके क्रियान्वयन की बात है ।

माननीय वित्त मंत्री जी किसी निगम विशेष का परीक्षण हुआ हो और उसकी जानकारी आपके पास हो तो वह आपके सामने रखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, दो-एक बातें माननीय सदस्य ने जाननी चाही है इससे पहले माननीय राणा जी का प्रश्न था नियुक्तियों के सम्बन्ध में । जो कर्मचारी नियुक्त कर लिये गये हैं उनसे हमारा कोई बैर नहीं है, गलती तो उस अधिकारी की है जिन्होंने अनियमितता की है गलत नियुक्ति की उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं । जो लोग रख लिये गये हैं उनके साथ हमारा रवैया सहानुभूति का है । मान्यवर मेरे पास एक-एक निगम की जानकारी तो अभी नहीं जो शासनादेश जारी किया गया उसका बराबर अनुश्रवण हो रहा है । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य यदि किसी निगम के बारे में जानना चाहेंगे तो उनका समाधान कर देंगे ।

लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वर्तमान सरकार बनने के बाद उसी हिसाब से नये वाहन खरीदे गये है ।

श्री राम लखन-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकारी खर्च घटाने के सम्बन्ध मे जो बिन्दु तय हुआ है उसमे शासन के अधिकारियो द्वारा जो वाहनों का दुरूपयोग होता है, उस खर्च को घटाने के सम्बन्ध मे यह सरकार विचार कर रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य उसको पढ़ लेते तो संभवतः प्रश्न करने की जरूरत ही न पड़ती । हमने इसके बारे में सुनिश्चित और कड़े आदेश जारी किये है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । एक माननीय सदस्य सदन में बेहोश हो गये है, कृपया कोई व्यवस्था करने का कष्ट करें ।

डा0 जी0एस0 विनोद-

वह बेहोश नहीं हुए हैं उन्होंने दवाई ले रखी है, उन्हें दर्द हो रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, शायद वह कोई गम्भीर चिन्तन कर रहे हों ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो शासनादेश का 13 भाग है, उसके सम्बन्ध में क्या माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे और अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि यदि किसी संसद सदस्य के बारे में कोई जानकारी हो तो बतायें तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, मोहन लाल गंज के सांसद सदस्य हैं, उनके पास गाड़ी है और वह महीनों से उनके पास पड़ी है वे उसमें लाल बत्ती लगाकर घूमा करते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है मुझे नहीं है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, कार तो आपको भी मिला होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मैं इसको दिखवा लूंगा ।

डा0 जी0एस0 विनोद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी समिति बनायी गयी है जो यह देखे करे कि रोजाना कितने किलोमीटर गाड़ी चल रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

इस प्रकार की कोई समिति नहीं बनायी गयी है ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने शासनादेश संख्या-10 में कहा है कि सरकारी वाहनों में पेट्रोल व डीजल की खपत वर्ष 1991-92 में वर्ष 1989-90 की अपेक्षा 20 प्रतिशत कम की जाये, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने का सरकारी खर्चे कम हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष-

मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता, आप बैठें ।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

भूकम्प की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र के अविष्कार की जानकारी

*।-श्री हृदय नारायण दीक्षित तथा श्री अरविन्द प्रताप सिंह-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उत्तर काशी, गढ़वाल में आये भूकम्प को पूर्व सूचना सीसमोग्राफ (भूकम्प की पूर्व सूचना देने वाला यंत्र) से ज्ञात हुई थी ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि रुड़की विश्वविद्यलाय द्वारा उक्त क्षेत्रों में स्थापित जोशीमठ स्थित सीसमोग्राफ काम ही नहीं कर रहे थे ? विनाशकारी भूकम्पों की ठीक-ठीक पूर्व सूचना पाने हेतु राज्य सरकार की अग्रिम तैयारी क्या है ?

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रोद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)-

रूड़की विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार भूकम्प की पूर्व सूचना दे सकने वाले यंत्रों का अभी विश्व में कदाचित आविष्कार नहीं हुआ है । अतः भूकम्प की पूर्व सूचना प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

रूड़की विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित जोशीमठ स्थित तत्संबंधी यंत्र कार्य कर रहे थे ।

भूकम्प की पूर्व सूचना प्राप्त करना अभी सम्भव न होने के कारण अग्रिम तैयारी किये जाने का फिलहाल प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जोशी मठ स्थित सीसमोग्राफ जब काम कर रहा था तो उससे शासन को क्या सूचना प्राप्त हुयी थी ?

श्री राजनाथ सिंह-

मान्यवर, यह जो सीसमोग्राफ जोशीमठ में लगा हुआ है, वह भूकम्प आने की पूर्व में कोई सूचना नहीं देता । इसका काम केवल यह होता है कि जो भूकम्प आया हुआ है, उसका वाइब्रेशन क्या है, उसकी फ्रिकवेंसी क्या है ?

डा0 दिनेश जौहरी-

।9 अक्टूबर की रात को जो भूकम्प आयाथा, उसकी वेलासिटी क्या थी तथा सीसमोग्राफ पर रीडिंग क्या थी ?

श्री राजनाथ सिंह-

मान्यवर, जो ।9 तारीख की रात भूकम्प आया था, उसकी वेलासिटी तथा रीडिंग क्रमशः 0.404 सेकेन्ड तथा 0.034 थी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, जोशीमठ में जो सीसमोग्राफ लगा हुआ है, उसके आधार पर भूकम्प का केन्द्र बिन्दु क्या था और रिचर्ड स्केल पर उसका मानक क्या था ?

श्री राजनाथ सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य, पहले जो मैंने उत्तर दिया है, उसे संभवतः समझ नहीं पाये हैं । मैंने पहले ही बताया कि भूकम्प आने की पूर्व सूचना सीसमोग्राफ नहीं देता ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, मैं उसका केन्द्र बिन्दु जानना चाहता हूं तथा उसका मानक क्या था, यह जानना चाहता हूं ?

श्री राजनाथ सिंह -

केन्द्र विन्दु अगोड़ा था ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह -

मान्यवर, उस समय जितना भी अखबारों में छपा, सबमें अल्मोड़ा को केन्द्र बिन्दु बताया गया था । मैं यही जानना चाहता हूं कि आपका यंत्र अल्मोड़ा कैसे रिपोर्ट करता रहा ?

श्री अध्यक्ष -

इसकी जानकारी मंत्री जी के पास नहीं है ।

श्री लाखी राम जोशी -

मान्यवर, भूकम्प केवल 19 अक्टूबर की रात ही नहीं आया, उसके बाद भी लगातार भूकम्प के झटके आ रहे हैं, जिससे लोगों में आतंक व दहशत व्याप्त है । मैं जानना चाहता हूं कि लोगों की भूकम्प से सुरक्षा के लिये केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है ?

श्री राजनाथ सिंह -

मान्यवर, मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया कि भूकम्प आने की पूर्व सूचना प्राप्त करने वाला कोई भी संयंत्र विश्व स्तर पर अभी तक नहीं है । जिन स्थानों पर भूकम्प आ जाते हैं, वहां पर शासन द्वारा व्यवस्था की जाती है । उत्तरकाशी में भूकम्प आया है, इसलिए वहां पर राहत कार्य की विशेष व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है ।

सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 1992 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न
निदेशक ट्रेजरी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जानकारी

*1 - श्री राम स्वरूप वर्मा -

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 20-8-91 का पत्र मय संलग्नकों के प्राप्त हुआ है जिसमें वर्तमान निदेशक ट्रेजरीज के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां तो मुख्य आरोप क्या हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त) -

जी हां । दिनांक 20-8-91 का पत्र तो प्राप्त हुआ है, परन्तु उसके साथ कोई संलग्नक नहीं है ।

उक्त पत्र में उल्लिखित दिनांक 14-7-91 के पत्र तथा उसके संलग्नक में उक्त सेवा-निवृत्त निदेशक, कोषागार के विरुद्ध मुख्य रूप से निम्नलिखित आरोप लगाये गये थे: -

(1)इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वित्त लेखाधिकारी के कार्यकाल में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही न करना ।

(2)बिना अनुमति के लखनऊ विकास प्राधिकरण से भूखण्ड क्रय किया जाना।

(3)श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी, वरिष्ठ संपरीक्षक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को नियमों के विरुद्ध भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत करना, मानदेय देना व उन्हें अनियमित रूप से प्रतिनियुक्ति पर भेजना ।

(4)वार्डर्स परीक्षक के आरक्षित पदो पर सामान्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति करना ।

(5)तृतीय एव चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दूर-दूर स्थानान्तरित करना ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अनियमितताओं के सम्बन्ध मे शिक्षा विभाग द्वारा जांच हेतु श्री जी0डी0 श्रीवास्तव की अध्यक्षता मे जांच आयोग गठित किया गया था जिसमे विश्वविद्यालय सम्बन्धी अन्य मामलों के साथ आरोप सख्या (1) भी निहित था । जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उनको दोषी नहीं पाया गया है ।

आरोप संख्या (2) से (5) उनके उस कार्यकाल से सम्बन्धित है जब वे निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश के पद पर तैनात थे । इन आरोपो के सम्बन्ध मे प्रारम्भिक जांच कराई जा चुकी है । जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्यवाही पर निर्णय लिये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

(श्री राम आसरे वर्मा जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकर्ता श्री राम स्वरूप वर्मा जी उपस्थित है ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मैं उनकी ही अनुमति से प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं । वह मुझे ही अनुमति देने के लिए खड़े हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री राम स्वरूप वर्मा जी आपने श्री राम आसरे वर्मा जी को इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी है ?

श्री राम स्वरूप वर्मा-

जी हा ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसके अन्त में यह कहा है कि " इन आरोपों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच कराई जा चुकी है ।" इसका तात्पर्य यह है कि जांच जारी है । मेरा पहला प्रश्न यह है कि जांच अधिकारी कौन है ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत पराना प्रकरण है । दो साल से बराबर इस पर प्रश्न हो रहे हैं । अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आ पा रहा है । दूसरा, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर मे यह भी कहा है कि " जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्यवाही पर निर्णय लिये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।" इस पर मेरा प्रश्न यह है कि यह शासन के विचाराधीन कब से है और कब तक इसका निपटारा कर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

जांच अधिकारी का नाम तो ऊपर के पैराग्राफ मे दिया गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, जांच अधिकारी का जो नाम उत्तर मे अंकित किया गया है, वह दूसरे प्रकरण पर है । जिस प्रकरण पर मैं जानना चाहता हूं, वह दूसरा प्रकरण है

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, विभागीय कार्यवाही के आदेश जारी किये जा रहे है ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मैंने जानना चाहा है कि जांच अधिकारी कौन है ? दूसरा, यह कि जिस अधिकारी के खिलाफ यह भ्रष्टाचार के आरोप है, क्या जांच के परिणाम आने तक उसकी पेंशन आदि को रोकने हेतु सरकार कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो अवकाश ग्रहण करते वक्त उसे अदेयता प्रमाण-पत्र दिया जाता है । इस अधिकारी का अदेयता प्रमाण-पत्र रोक दिया गया है ।

डा0 जी0एस0 विनोद-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह भूकम्प आया

श्री अध्यक्ष-

यह अगला प्रश्न है, भूकम्प वाला नहीं है ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है इसमें आरोप संख्या 2 से 5 तक जो निदेशक के कार्यकाल से संबंधित हैं । मैं जानना चाहता हूं कि 19 अप्रैल 86 को यह रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई और करीब 5, 6 महीने के बाद सितम्बर 86 में उनको प्रमोशन देकर डायरेक्टर लोकल फण्ड एण्ड एकाउन्ट्स के पद पर कर दिया गया । जब आलरेडी सवाल आ चुका और जांच हो चुकी और जांच शासन को प्राप्त भी हो गयी उसके बाद भी उनका प्रमोशन किया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

प्रमोशन कब किया गया ?

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

सितम्बर 86 में एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि 44 लाख रुपये अधिक के वाउचर उसमें नहीं थे और उस प्रकरण की जांच हो रही थी और उस संस्था का आडिट स्वयं उन्हीं के द्वारा होना है तो अगले व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बना दिया जाय और जांच उन्हीं के अन्तर्गत हो तो उस व्यक्ति से निष्पक्ष होने की कैसे आशा की जा सकती है । तो जो जांच विचाराधीन है क्या उसकी निश्चित अवधि बतायेंगे कि जांच की प्रक्रिया कब समाप्त होगी और उसमें यदि जो कोई दोषी पाया जाय तो उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय यादव जी ने कहा कि 86 का प्रकरण है । तो हम खुद चिंतित हैं भ्रष्टाचार के बहुत बड़े मामले को दबाने का प्रयास किया गया था । जब से हमारा शासन आया है तभी से हमारी जिम्मेदारी होती है ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

सरकार तो शाश्वत होती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

हमसे कहने में कोई गलती हो गयी हो तो क्षमा मांगता हूं लेकिन भाव यही है कि 86 में जो मंत्री या अधिकारी थे वह जानें, हम तो जब से आये हैं तभी से जिम्मेदार होंगे । तो मैं बताना चाहता हूं कि पहले प्राथमिक जांच होती है उसमें प्राइमाफेसाई आरोप सही पाये गये हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही कर दी गयी है और हमारा प्रयास यही है कि जल्दी कार्यवाही पूरी हो जाय । दो बातें हमारे सामने हैं । 31 तारीख को इनको रिटायर होना था जो हो गये । आपको यह सुनकर संतोष होगा कि 30 तारीख को मैंने उसमें दस्तखत किये हैं उसमें किंचित भी हमारी कोई मंशा होती तो एक दिन फाइल को दबा जाते कोई उससे फर्क नहीं पड़ता । आप तो मंत्री रहे हैं फाइल में किस तरह से कार्यवाही होती है । मैं क्या करता हूं कि जितनी फाइलें बाक्स में आती हैं उनको सोने से पहले निपटा देता हूं।

तो 30 तारीख को मैंने आदेश कर दिये । उसमें अब विभागीय कार्यवाही होनी है जल्दी ही इस पर निर्णय लिया जायेगा उसी दिन मैंने फाइल में कार्यवाही कर दी है और माननीय मुख्य मंत्री को सूचित कर दिया है । माननीय विधायक जानते हैं रिटायरमेंट से पहले जो हम कर सकते थे वह हमने किया है हमने रिटायरमेंट से पूर्व जो प्रमाण पत्र देना होता है वह रोक दिया है ।

श्री केलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है इससे एक और सवाल जुड़ा हुआ है जब विधान सभा में सवाल हुआ तब इसमें कार्यवाही हुई उस पर भी उनका एक और प्रमोशन कर दिया गया मामले को दबा दिया गया । आगे ऐसा न हो पिछली सरकार ने जो किया वैसा यह सरकार न करे हम आश्वासन चाहते हैं कि विधान सभा में सवाल आने के बाद जैसे हमने कई सवाल उठाये हैं कई डी0एम0, एस0पी0 के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है । हम चाहते हैं कि आपकी सरकार में तत्काल उन पर निर्णय लेकर कार्यवाही हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, इसका उत्तर तो यही हो सकता है कि यदि कोई बात सामने आने पर भी हम न करें तो तब बात आयेगी । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमने पत्रावली देखी उसमें रिटायरमेंट के चार साल पहले कोई कार्यवाही नहीं हुई जो हो जानी चाहिए थी । यह प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट बहुत दिनों तक गायब रही । मैंने इसकी खुद खोज की जिन-जिन विषयों पर जांच होनी है ।

श्री केलाश नाथ सिंह यादव-

इसमें संलग्नक भी गायब कर दिये गये हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

यह बात सही कह रहे हैं इसी लिए गंभीरता से देखा गया जो भी गायब किये गये हैं उनकी जांच करायेंगे और जो आरोप हैं जिनकी जांच 4 वर्ष पहले हो जानी चाहिए उसको हम लेप्स नहीं होने देंगे कोई आरोपों से बचने वाला नहीं है ।

श्री केलाश नाथ सिंह यादव-

बचाने की बात किसने की

श्री अध्यक्ष-

श्री राम आसरे वर्मा जी को बुलाया है ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि यह पत्रावली बहुत दिनों तक गायब रखी गयी । तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों की साजिश से यह पत्रावली गायब रखी गयी, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अब इसकी आवश्यकता नहीं है । मंत्री ने कह दिया है कि पत्रावली गायब रखी गयी है ।

श्री राम आसरे वर्मा-

जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही से पत्रावली गायब रखी गयी, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, पत्रावली गायब रखने के दो तरीके हैं एक अनजाने में फाइल मिक्स होकर गायब हो और दूसरे कभी-कभी ऐसे विषय आये हैं कि गलती से एक फाइल दूसरी फाइल में बंध गयी हो और न मिले । लेकिन जानबूझकर, कदाचार से ऐसा किया गया हो तो कार्यवाही जरूर की जायेगी ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

जिन लोगों ने फाइल दबाई और उन भ्रष्ट लोगों को प्रोमोशन दे दिये जाते हैं, ऐसे अधिकारी भी प्रकाश में आये हैं, यदि इसमें भी ऐसा ही हुआ है तो क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैं प्रार्थना करूंगा कि जानकारी उपलब्ध कराने में आप मेरी सहायता करें ।

गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डलों में राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापकों को सी0टी0 ग्रेड में समायोजित करने की मांग

*2-श्री भारत सिंह रावत-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय दीक्षा विद्यालय से सम्बद्ध राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापकों को प्रोन्नति के अवसर शून्य हैं ? यदि हां, तो पर्वतीय क्षेत्र के गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डलों में राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापकों को शासनादेश संख्या यू0ओ0 71/15-(2)-1976, दिनांक 8-7-76 के अन्तर्गत सी0टी0 ग्रेड में समायोजित किये जाने में क्या कठिनाई है ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भारत सिंह रावत-

मान्यवर, मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी, ने जवाब दिया है कि जी नहीं । तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर दिया "जी नहीं", तो क्या "जी हां" में उनकी प्रोन्नति के अवसर हैं और अवसर हैं तो किन-किन पदों में हैं, बतायेंगे ?

श्री राजनाथ सिंह -

मान्यवर, राजकीय दीक्षा विद्यालय में सम्बद्ध राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापकों को पदोन्नति के दो प्राविधान हैं। एक तो 50 प्रतिशत प्रशिक्षित अधिस्नातक वेतनक्रम के पदों पर प्रोन्नति और दूसरे शतप्रतिशत राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापक (हेड टीचर) पद पर प्रोन्नति होती है ।

श्री भारत सिंह रावत-

मान्यवर, उसी प्रश्न के आगे अंश है उसमें शासनादेश संख्या यू0ओ0-71/15-2-1976 दिनांक 8-7-76 के अनुसार सी0टी0ग्रेड में समायोजित हो जाते थे लेकिन यहां उत्तर दिया गया है कि "प्रश्न नहीं उठता" । सी0टी0 ग्रेड समाप्त होने के बाद, प्रोन्नति नहीं होती, तो किन पदों में उनकी प्रोन्नति होगी ? यह आप बता दें?

श्री राजनाथ सिंह -

मान्यवर, जो प्रश्न किया गया है वह सही है कि 1977 में इस प्रकार के आदर्श विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के पदों को अब राजकीय हाई स्कूल एवं इंटर कालेजों में काम करने वाले सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों की समकक्षता के बराबर कर दिया गया है । प्रोन्नति का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता है चूंकि सी0टी0 ग्रेड मृत घोषित कर दिया गया है । इसलिए इस पूरे मामले में शासन की तरफ परीक्षण कराया जा रहा है और हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, बी0टी0सी0/सी0टी0 ग्रेड समाप्त हो गया और एल0टी0 ग्रेड ही रह गया है, ऐसा मंत्री जी कहते हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे प्रदेश में, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में, एल0टी0 ग्रेड ही रखा जाये ऐसे आदेश क्या मंत्री जी करेंगे ?

श्री राजनाथ सिंह -

मान्यवर, उनकी सूचना के लिए बी0टी0सी0 ग्रेड समाप्त नहीं हुआ है । मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया है कि इस पूरे मामले का परीक्षण करा लेंगे और शासन इस संबंध में गम्भीरता से विचार कर रहा है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दीक्षा विद्यालय के समायन के कारण हर जगह लाखों रुपये के भवन खाली पड़े हुए हैं उसके साथ में चूंकि जूनियर स्कूल लगे हैं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न काल का समय समाप्त हो गया है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

वह इन विद्यालयों को दीक्षा विद्यालयों के साथ संलग्न थे, उनका उच्चीकरण करने का कष्ट करें ।

श्री राजनाथ सिंह -

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से संबंधित प्रश्न नहीं है । फिर भी मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि इस संबंध में वह अपने सुझाव दे दें ताकि उन पर विचार किया जाय ।

नोट:-नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न सं0 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

श्री नरेश अग्रवाल-
मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।
श्री अध्यक्ष-
प्रश्नकाल का समय समाप्त हो गया है ।
*3-श्री जय प्रताप सिंह तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह-
विस्तीर्णता एवं अस्पष्टता के आधार पर निरस्त ।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनियुक्ति पर आये सदस्य सचिव को मूल विभाग में वापस किया जाना

*4-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-
क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री के0बी0 शुक्ला की बोर्ड में प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 7-7-1991 को समाप्त होने के बाद नियमानुसार मूल विभाग में वापस भेजा गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो प्रश्नगत सदस्य सचिव को बोर्ड से पदमुक्त करने के निर्णय पर सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के बाद प्रश्नगत सदस्य सचिव ने प्रशासनिक निर्णय लिये हैं ? यदि हां, तो किस आधार/नियमों के अन्तर्गत ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-
शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार श्री के0बी0 शुक्ला की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव पद की प्रतिनियुक्ति समाप्त करके दिनांक 21-9-91 को उनके मूल विभाग में वापस कर दिया गया है ।
प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद श्री शुक्ला द्वारा कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं लिए गए ।

नवयुग कन्या इण्टर कालेज, लखनऊ की वर्ष 1989 में उत्तीर्ण छात्राओं को राज्य स्तरीय स्वीकृत छात्रवृत्ति के भुगतान की जानकारी

*5-श्री तेज नारायण त्रिवेदी-
क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 13 मार्च, 1990 द्वारा वर्ष 1989 के हाई स्कूल के कुछ उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकार किये जाने की सूचना जारी की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त छात्रवृत्ति हेतु नवयुग कन्या इण्टर कालेज, लखनऊ की कितनी छात्राएं पात्र थीं । क्या उनमें से किसी छात्रा को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि वर्ष 1989 की उक्त छात्राएं उक्त कालेज से इण्टर की परीक्षा पास करके वहां से जा चुकी हैं और उन्हें छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में इस बारे में कोई समय सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-
जी हां ।
29 छात्राएं पात्र थीं ।
जी, नहीं । परन्तु कालातीत धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ।
प्रकरण में विस्तृत जांच के आदेश दिये गये हैं ।
नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
जी हां ।
समय सीमा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च पूर्व से ही निर्धारित है ।

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित किया जाना

*6- श्री विशुन दयाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ स्थित कार्यशालाओं मे कितने चतुर्थ श्रेणी एवं तकनीकी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ऐसे है जिनका नाम प्रतीक्षा सूची में तीन वर्षों या उससे अधिक समय से चला आ रहा है एव उन्हें अभी तक नियमित (रेगुलर) नहीं किया गया है ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के नाम एवं प्रतीक्षा सूची में समय का उल्लेख्व करेगी ? क्या सरकार ऐसे सभी कर्मचारियों को तत्काल रेगुलर सेवा में लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों यदि हां, तो कब तक ?

आबकारी, परिवहन एवं पूर्तधमस्व मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)-

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ स्थित कार्यशालाओं में तकनीकी अथवा गैर तकनीकी चतर्थ श्रेणी का कोइ भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो तीन वर्षों या उससे अधिक समय से प्रतीक्षा सूची मे चला आ रहा हो तथा जिन्हें नियमित न किया गया हो ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी महानगर में वृद्धावस्था पेंशन आवेदकों की एवं स्वीकृत पेंशन धारियों की संख्या का विवरण

*7- श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी की वाराणसी महानगर में अब तक वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदकों की संख्या कितनी है ? जनवरी, 1990 से अब तक वहां कुल कितने लोगों को पेंशन स्वीकृत की गयी ? क्या यह सत्य है कि पुराने आवेदन-पत्रों पर आवेदन करने के कारण हजारों लोगों के आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये गये ? क्या यह भी सत्य है कि लोगों के फार्म अब कार्यालय में जमा नहीं किये जाते हैं ? यदि हां, तो नगर मे अब तक वैकल्पिक व्यवस्था कर कितने शिविर लगाकर कितने लोगों के फार्म जमा कर उसमें पेंशन स्वीकृत की गयी ?

उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

वाराणसी महानगर में जनवरी, 1990 से नवम्बर, 1991 तक वृद्धावस्था पेंशन आवेदकों की कुल संख्या 5272 है ।

जनवरी, 90 से जनवरी 92 तक कुल 4619 लोगों को पेंशन स्वीकृत की गयी ।

यह कथन सही नहीं है कि पुराने आवेदन-पत्रों पर आवेदन करने के कारण उन्हें निरस्त कर दिया गया है ।

आवेदकों की सुविधा हेतु यह भी आदेश है कि वे सादे कागज पर भी वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन पत्र दे सकते हैं । यह कहना भी सही नहीं है कि वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होगा उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा । प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी, 1992 तक वाराणसी महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक सात शिविर लगाकर 4619 लोगों को पेंशन स्वीकृत की गई है ।

जनपद गोण्डा से बस्ती गोरखपुर, वाया बभनान राजमार्ग पर परिवहन निगम की बस सेवा उपलब्ध कराने की मांग

*८-श्री पवन कुमार पांडेय, श्री शिवा कान्त ओझा तथा श्री अरजुन-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि गोण्डा से बस्ती गोरखपुर वाया बभनान (गोण्डा) पक्की सड़क होते हुए भी परिवहन सेवा से पूर्ण रूप से वंचित है ?यदि हां, तो क्या वहां की जनता को प्राइवेट बस मालिकों के शोषण से बचाने हेतु बस सेवा का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? क्या उक्त प्राइवेट बस सेवायें केवल सुबह आठ बजे से सायंकाल 6 बजे तक ही उपलब्ध होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग (गोण्डा से बस्ती वाया बभनान) पर निरन्तर बस सेवा उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी नहीं, गोण्डा से दर्जी कुआं, मनकापुर, बभनान, हर्रैया तथा बस्ती होते हुए गोरखपुर तक पक्की सड़क है जिसके गोण्डा से दर्जीकुआं तथा हर्रैया से गोरखपुर तक के भाग राष्ट्रीयकृत हैं । इन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम की सेवायें उपलब्ध हैं ।

दर्जीकुआं से मनकापुर व बभनान होते हुए हर्रैया तक का भाग अराष्ट्रीयकृत है, जिसमें दर्जीकुआं से बभनान तक ।। प्राइवेट बसें तथा दर्जीकुआं से मनकापुर तक 33 प्राइवेट बसें संचालित हो रही है । बभनान से हर्रैया तक के भाग पर 2 प्राईवेट बसें संचालित हैं इनके अलावा गोण्डा से दर्जीकुआं भाग पर भी 33 प्राइवेट बसें कारीडोर प्रतिबन्ध के अन्तर्गत संचालित हो रही हैं । इस प्रकार प्रश्नगत मार्ग परिवहन सेवा से वंचित नहीं है । अराष्ट्रीयकृत मार्ग होने के कारण इन मार्गों पर निगम की बस सेवा चलाना विचाराधीन नहीं है ।

जी नहीं । गोण्डा-दर्जीकुआं-मनकापुर-बभनान मार्ग पर संचालित प्राइवेट बसें प्रातः 6 बजे से सायं 5.00 बजे तक गन्तव्य के लिए प्रस्थान करती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मार्ग अराष्ट्रीयकृत होने के कारण ।

जनपद हरदोई के तहसील संडीला में भूमि एवं भवनों के विक्रय मूल्य की मालियत बढ़ाये जाने का औचित्य

*९-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी हरदोई के आदेशानुसार दिनांक 19-9-1990 को तहसील संण्डीला में भूमि एवं भवनों के विक्रय मूल्य की मालियत 20 प्रतिशत बढ़ायी गयी थी और दिनांक 11-3-1991 को पुनः 20 प्रतिशत मालियत बढ़ा दी गयी ? यदि हां, तो इस 6 माह की अवधि के अन्तराल में भूमि एवं भवनों के दो बार मालियत बढ़ाने का क्या औचित्य है तथा दुबारा विक्रय मूल्य की मालियत किस अधिकारी के आदेश से बढ़ायी गयी ? क्या वे इस मूल्य वृद्धि करने के लिये सक्षम थे ? यदि नहीं, तो इसके लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? मूल्य वृद्धि कब तक वापस ले ली जायेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*१०-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

(सातवें गुरु में तारांकित प्रश्न सं० 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश में विक्रीकर अपवंचना रोकने के प्रयास एवं विक्री कर जांच दलों की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी

*।।-श्री सुरेन्द्र सिंह-

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में बिक्रीकर अपवंचना रोकने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या बिक्रीकर विभाग के जांच दस्तों को कोई सुरक्षा प्रदान की गयी है ? क्या लखनऊ में किसी व्यापारी द्वारा माह, अक्टूबर 1991 में एक बिक्रीकर अधिकारी को पीटने के आरोप की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या निकला और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

प्रदेश में बिक्रीकर अपवंचना रोकने हेतु बिक्रीकर विभाग अपनी पूर्ण सामर्थ्य एवं क्षमता के आधार पर निरन्तर प्रयासरत है ।

बिक्रीकर जांच दलों के साथ शासन द्वारा अनुमन्य जनशक्ति के अनुरूप सशस्त्र पुलिस बल सुरक्षा हेतु जांच के समय रहता है ।

दिनांक 6-10-91 को उत्तर प्रदेश व्यापार मण्डल के महामंत्री श्री बनवारी लाल कंछल व उनके साथी व्यापारियों द्वारा कार्यालय के अन्दर श्री ए0के0 त्रिपाठी बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2, सचल दल, लखनऊ को मारा पीटा गया तथा गालियां दी गईं जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री त्रिपाठी द्वारा लिखाये जाने पर अभियुक्तों के विरुद्ध भा0 दं0 स0 की धारा 332/504/506 के अन्तर्गत थाना हजरतगंज, लखनऊ में अपराध संख्या-1039/91 पंजीकृत हुआ । इस पंजीकृत मुकदमें में पुलिस ने जांचोपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 11-11-91 को आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया है ।

*12-श्री कृष्ण किंकर सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री राम चन्द-

(दूसरे सोमवार के लिए स्थगित)

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, गोण्डा की गोदाम में गेहूं सड़ जाने के विरुद्ध कृत कार्यवाही

*13-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड गोण्डा के गोदाम में 10 लाख रुपये का गेहूं पड़ा हुआ था, जो सड़ गया है? क्या इस संदर्भ में उच्च स्तरीय पूछ-तांछ की गयी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोन-कोन लोग दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड गोण्डा के गोदाम में 288 कुन्तल गेहूं जिसका मूल्य रु0 164/ रुपये प्रति कुन्तल की दर से 0.472 लाख रुपये होता है, सड़ा हुआ पाया गया । इस सम्बन्ध में उच्च स्तरीय पूछतांछ करने पर ज्ञात हुआ कि आदेशों की अवहेलना करते हुए स्टोर में खाद्यान्न का चार्ज श्री सुधीर कुमार सिंह, अवर अभियन्ता द्वारा न दिये जाने से बंद स्टोर में गेहूं सड़ गया था । इसके लिए श्री सुधीर कुमार सिंह, तत्कालीन अवर अभियन्ता को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया गया । अतः श्री सुधीर कुमार सिंह, अवर अभियन्ता को निलम्बित करके उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा विकास खण्ड स्तरीय प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित कमेटी की संस्तुतियां

*14-श्री हरिशंकर तिवारी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम्य विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0 552/38-1-12 पी0एम0/87, दिनांक 27 जुलाई, 1990 द्वारा विकास खण्ड स्तरीय प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा 15 जून, 1961 के शासनादेश को वापस करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कोई कमेटी गठित की गई थी ? यदि हां, तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अब तक समिति की कितनी बैठकें हो चुकी हैं ? क्या समिति ने इस प्रसंग में अन्तिम निर्णय ले लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि निर्णय लेगी, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

अब तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हो चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में कटावदार चूड़ी पर लगाये जाने वाले टैक्स को माफ किये जाने की मांग

*15-श्री राम किशन ददाजू-

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि फिरोजाबाद की कांच की कटावदार चूड़ी पर सी फार्म (प्रमाण-पत्र) लिया जाता है ? जबकि अन्य प्रदेशों में कटावदार कांच की चूड़ी पर टैक्स माफ है ? यदि हां, तो यहां पर टैक्स माफ क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

कांच की कटावदार चूड़ी अंतर्प्रान्तीय बिक्री करने पर रियायती दर/करमुक्त की सुविधा प्राप्त करने हेतु 'सी फार्म' प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

सभी राज्यों में कटावदार चूड़ियों को करमुक्त नहीं किया गया है । प्राप्त सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में चूड़ियों को करमुक्त किया गया है जबकि पंजाब में इन पर 4 प्रतिशत, हिमांचल में 7 प्रतिशत तथा दिल्ली में 7 प्रतिशत की दर से करदेयता है ।

प्रदेश में कटावदार कांच की चूड़ियों पर इस शर्त के साथ करमुक्ति है कि इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सादी चूड़ियों पर उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम के अंतर्गत कर अदा कर दिया गया है ।

प्रदेश में चलने वाली वृद्धावस्था पेंशन योजना को जिला सेक्टर में रखा जाना

*16-श्री भगवती सिंह विशारद-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में चलने वाली वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत व्यय होने वाली धनराशि को वर्ष 1992-93 से जिला योजना के अन्तर्गत लाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां ।

योजना का कार्यान्वयन जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है । उनके स्तर पर ही वृद्धावस्था पेंशनरों के लक्ष्य आदि का वर्षवार निर्धारण कर जिला योजना में धन की तदनुसार व्यवस्था कराना अधिक सार्थक एवं व्यावहारिक है । अतएव इसे जिला सेक्टर में रखना उचित है ।

राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ से संबंधित पदों पर शिशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण

*17-श्री सुरेन्द्र नाथ-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ के लाइनो आपरेटर/बुक बाइण्डर पद पर प्रशिक्षण हेतु बालकों का 88-91 में आई0टी0आई0 से रजिस्ट्रेशन हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक होगा ?यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किये गये हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी ? क्या दोषी अधिकारी को दंडित किया जायगा ?

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ में नहीं अपितु राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ से संबंधित पदों पर, शिशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु रजिस्ट्रेशन हो चुका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से की जाने वाली यात्रा में विकलांगों को पूर्ण रूप से छूट दिये जाने की मांग

*18-श्री लीला राम शर्मा-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि देश की अन्य राज्य सड़क परिवहन निगमों की बसों में विकलांगों को पूर्ण रूप से यात्रा में छूट प्रदान की जा रही है जबकि उ0प्र0 परिवहन निगम कुछ विशेष श्रेणी के विकलांगों को मात्र सामान्य किराये में 50 प्रतिशत छूट प्रदान कर रही है एवं शासन की देय अन्य कर वसूल कर रही है ? क्या उ0प्र0 सरकार भी अन्य राज्यों की भांति अन्य करों से विकलांगों को छूट प्रदान करने हेतु विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

अन्य प्रदेशों से जानकारी एकत्र की जा रही है ।
वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

*19-श्री पूरन प्रकाश तथा श्री सुन्दर लाल-

(पांचवें गुरुवार में तारांकित प्रश्न सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद हरदोई की शुगर फैक्ट्री द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को निष्प्रभावी बनाने की योजना

*20-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शुगर फैक्ट्री, हरदोई द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को निष्प्रभावी बनाने के लिए क्या-क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री कल्याण सिंह-

उद्योग को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रश्नगत उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना हेतु योजना तैयार करा ली गयी है और संयंत्र के निर्माण/स्थापना हेतु मेसर्स जार्ड इंजीनियर्स (इण्डिया) लि0, नई दिल्ली को दिनांक 26-6-90 को आदेश दे दिये गये हैं । शुद्धिकरण संयंत्र निर्माणाधीन है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बलिया के बलिया-उजियार मार्ग पर बक्सर (बिहार) स्टेशन तक बसों को भेजने की मांग

1-श्री सुधीर-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया में राज्य सड़क परिवहन निगम की कुल कितनी बसें हैं ? बलिया-उजियार मार्ग पर प्रतिदिन कितनी बसें निर्धारित हैं ? वे प्रतिदिन कितने ट्रिप करती है ? क्या राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें बक्सर (बिहार) स्टेशन तक जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्या बसों को बक्सर (बिहार) स्टेशन भेजने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितनी बसें बक्सर को जाती हैं ? क्या बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच इस आशय का कोई समझौता है ? यदि हां, तो निर्धारित संख्या उत्तर प्रदेश के लिए क्या है और कितनी बसें चल रही है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जनपद बलिया के डिपो में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कुल 111 बसें हैं ।

बलिया-उजियार घाट मार्ग पर यातायात की आवश्यकता को देखते हुए समय-समय पर संचालित ट्रिपों की संख्या में परिवर्तन किया जाता रहा है । फरवरी, 1992 में इस मार्ग पर 6 बसें निर्धारित जो प्रतिदिन 13 ट्रिपें करती हैं ।

जी नहीं । बक्सर तक परिवहन निगम की कोई बस नहीं जाती है ।

बिहार-उत्तर प्रदेश का आपसी समझौता अभी अन्तिम नहीं हुआ है । बक्सर तक परिवहन निगम की बस चलाना समझौते के लिए प्रस्तावित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड घोरावल के ग्राम पुरखास स्थित तालाब में मत्स्य पालन की योजना

2-श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह-

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड घोरावल के ग्राम पुरखास स्थित 75 एकड़ के तालाब को मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन हेतु विगत 40 वर्ष से लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त तालाब में विगत 5 वर्ष से सेवार आदि उग आई है ? यदि हां, तो उसे नष्ट करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं और इसके फलस्वरूप अब तक कुल कितने रुपये की हानि सरकार को हो चुकी है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध कार्य कार्यवाही की गयी है ?

पशुधन दुग्ध विकास तथा मत्स्य राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह)-

जी हां ।

जी हां ।

जलाशय को 5 वर्ष हेतु ठेके पर दिया जाता है, ठेकेदार द्वारा जलकुम्भी, सेवार आदि की सफाई शिकारमाही करते समय की जाती है । इससे सरकार को कोई हानि नहीं हुई है ।

इसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं हैं । अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं है ।

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया जाना

3-श्री रामस्वरूप वर्मा-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में रखने का सरकार का संकल्प कब तक पूरा हो जायगा ?इस संबंध में अनुदान प्राप्त करने वाले माध्यमिक विद्यालयों की जो सूची सरकार ने प्रकाशित की है उसमें किस सन् तक के माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान दिये जाने का आदेश दिया गया है ? क्या इससे भिन्न कोई आधार रखा गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राजनाथ सिंह-

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया जा सकेगा ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा दिनांक 7 जून, 1982 तक के मान्यता प्राप्त संचालित अशासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं दिनांक 22-4-1988 तक के मान्यता प्राप्त बालिका विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया गया है ।

जी नहीं ।

श्री लक्ष्मी चन्द्र धवन, अवकाश प्राप्त अध्यापक, 3,अध्यापक निवास, कान्यकुब्ज कालेज, लखनऊ के सेवानिवृत्तिक लाभों का निस्तारण

4-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पेंशन के निर्धारण एवं उसके भुगतान के संबंध में श्री लक्ष्मी चन्द्र धवन, अवकाश प्राप्त अध्यापक, 3, अध्यापक निवास, कान्यकुब्ज कालेज, लखनऊ का पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-4-90 जिला विद्यालय निरीक्षक, षष्ठ मण्डल, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजनाथ सिंह-

उल्लिखित पत्र प्राप्त नहीं हुआ । श्री लक्ष्मी चन्द्र धवन को दिनांक 1-7-88 से तदर्थ पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है । सम्बन्धित मण्डलीय शिक्षा उप निदेशक को श्री धवन के सेवा निवृत्तिक लाभों को अन्तिम रूप से निस्तारित करने के निर्देश दे दिए गए हैं ।

5-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि भविष्य निधि के ब्याज के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी चन्द्र धवन, अवकाश प्राप्त अध्यापक, अध्यापक निवास, कान्यकुब्ज कालेज, लखनऊ का प्रार्थना पत्र दिनांक 7-6-90 एवं 9-7-90 प्रबन्धक, श्री जय नारायण इण्टर कालेज, लखनऊ तथा दिनांक 13-7-90, 23-7-90 का पत्र क्रमशः जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ व उप शिक्षा निदेशक षष्ठ मण्डल, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजनाथ सिंह-

दिनांक 7-6-90 का पत्र प्रबन्धक, जयनारायण इण्टर कालेज, लखनऊ तथा दिनांक 13-7-90 का पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हुआ । प्रबन्धक

जयनारायण इण्टर कालेज, लखनऊ को लिखा गया है कि श्री लक्ष्मी चन्द्र धवन के भविष्य निधि के भुगतान में उनके स्तर पर विलम्ब हुआ है । अतः वे विलम्ब अवधि के ब्याज का भुगतान श्री धवन को तत्काल करें ।

सब रजिस्ट्रार कार्यालय निचलौल, जनपद महराजगंज के विरुद्ध अनियमितता के संबंध में प्रेषित शिकायती पत्र पर कार्यवाही

6-श्री बच्चा पाठक-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29-8-91 को उन्हें कोई शिकायती पत्र सब रजिस्ट्रार कार्यालय निचलौल, जनपद महराजगंज के विरुद्ध भवन अग्रिम के संबंध में भवन को बन्धक बनाये जाने हेतु फीस लिये जाने सम्बन्धी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकारी कर्मचारी द्वारा भवन को बन्धक कराने हेतु फीस ली जाती है ? यदि नहीं, तो सब रजिस्ट्रार कार्यालय, निचलौल जनपद महराजगंज द्वारा किन नियमों के अधीन रु0 257 लिया गया है ? उक्त फीस लिये जाने हेतु अनियमितता करने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रथम दृष्टया सब-रजिस्ट्रार कार्यालय निचलौल द्वारा अनियमितता की गई है ।

सम्पूर्ण प्रकरण की जांच हेतु महानिरीक्षक, निबन्धन को पत्र लिख दिया गया है ।

जांच के पश्चात् समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

7-श्री नरेश अग्रवाल-

(तीसरे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

आल इण्डिया डिस्टीलर्स एसोसियेशन नई दिल्ली द्वारा अल्कोहल निर्यात की नीति की जानकारी

8-श्री ऊदल-

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि चार करोड़ लीटर एलकोहल के निर्यात का आदेश केसर इण्टर प्राइजेज, हेडी सरदार नगर डिस्टीलरी और डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसियेशन को सचिव, आबकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा दे दिया गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन से नियंत्रण इसलिए हटाया था कि उद्योग सीधे एल्कोहल का निर्यात कर सकते हैं ? यदि हां, तो इसको समाप्त करके तीन निजी कम्पनियों को आदेश देने का कारण क्या है ? क्या मद्य निषेद्य नीति की वजह से उद्योगपतियों को विदेशी मदिरा बनाने की अनुमति नहीं है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में केसर इण्टर प्राइजेज को विदेशी मदिरा बनाने का लाइसेंस दे दिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

भारत सरकार द्वारा देश से बाहर अल्कोहल के निर्यात के आवंटनादेश के अंतर्गत तथा उसके द्वारा नामित इकाई आल इण्डिया डिस्टिलर्स एसोसियेशन, नई दिल्ली के तीन हैण्डलिंग एजेंट्स यथा मेसर्स केसर इण्टर प्राइजेज, मेसर्स सराया इस्ट्रीज तथा मे0 बौराला डिस्टीलरी के पक्ष में, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा देश के बाहर निर्माण हेतु 4 (चार) करोड़ लीटर अल्कोहल का निर्यात अनुमन्य किये जाने के आदेश दिये गये । भारत सरकार द्वारा देश के बाहर अल्कोहल निर्यात पर नियंत्रण की अपनी नई निर्यात नीति, जो दिनांक 13-8-91 को जारी हुई, के अधीन हटाया गया है, जबकि उक्त निर्यात उससे पूर्व अनुमन्य कर दिया गया था । भारत सरकार ने अल्कोहल के देश के बाहर निर्यात के मामले में प्रतिबन्ध हटा दिये जाने पर भी यही सलाह दी है कि फिलहाल यह निर्यात अधिकृत एजेन्सी अर्थात् आल इण्डिया डिस्टिलर्स एसोसियेशन के माध्यम से ही कराया जाय । निर्यात नीति के अन्तर्गत भारत सरकार उक्त प्रयोजनार्थ निर्यातक इकाई का निर्धारण करती रही है तथा उसके द्वारा नामांकित/निर्धारित इकाई-"आल इण्डिया डिस्टिलर्स एसोसियेशन नई दिल्ली" द्वारा अधिकृत उक्त तीन कम्पनियों के पक्ष में शासन द्वारा निर्गत किया गया अल्कोहल निर्यात सम्बन्धी आवंटनादेश भारत सरकार की नीति के अनुरूप एवं सही है । उक्त अधिकृत निर्यातक एजेंसियों द्वारा केवल स्वयं द्वारा उत्पादित अल्कोहल का ही निर्यात नहीं किया जाता, बल्कि उत्तर प्रदेश डिस्टिलर्स एसोसियेशन द्वारा प्रदेश की प्रत्येक इच्छुक आसवनी को आवंटित कोटे के अनुसार उनसे अल्कोहल प्राप्त कर ही सम्पूर्ण मात्रा का निर्यात किया जाता है ।

मद्य निषेध नीति के अधीन उद्योगपतियों को विदेशी मदिरा बनाने की अनुमति नहीं दिये जाने की नीति शासन की जानकारी में नहीं है । विदेशी मदिरा का उत्पादन पी0डी0-2 अनुज्ञापन प्राप्त आसवनियों द्वारा शासन की स्वीकृति के अधीन नियमानुसार किया जा सकता है । मेसर्स केसर इण्टरप्राइजेज को अनुमन्य सीमा तक पेय मदिरा उत्पादन हेतु स्वीकृति पूर्व में प्रदत्त पी0डी0-2 अनुज्ञापन के आधार पर नियमानुसार दी गयी है । अतः किसी प्रकार की जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपार रानी, देवरिया के प्राचार्य के विरुद्ध कथित गबन के आरोप की जांच

9-श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपार रानी, जिला देवरिया के प्राचार्य के विरुद्ध गबन का आरोप है तथा कितने रुपये का गबन दिनांक 30-9-91 तक साबित हो चुका है ? उक्त धन की वसूली की कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां ।

प्राचार्य ने वास्तव में कितनी धनराशि का गबन किया है इसकी पुष्टि कालेज के लेखों का आडिट होने पर ही हो सकेगी ।

गबन सिद्ध होने तक प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय, आगरा की अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण की मांग

10-श्री किशन गोपाल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय, आगरा में कार्यरत अध्यापिकाओं के ऊपर सरकारी कर्मचारियों की भांति स्थानान्तरण के नियम लागू हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त विद्यालय में 10-15 वर्षों से कार्यरत अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राजनाथ सिंह-

शिक्षक/शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें सामान्यतः किसी अवधि के आधार पर स्थानान्तरित न किया जाय और केवल स्वयं के निवेदन करने पर, गुणावगुण के आधार पर अथवा प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण पर विचार किया जाय ।

श्री बी0आर0 मेहरोत्रा, भूतपूर्व सदस्य, बिक्रीकर अधिकरण के सेवा सम्बन्धी प्रत्यावेदन का निस्तारण

11-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्त बिक्रीकर अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-वि0क-1-4154/11-4ए/91, दिनांक 8-8-89 द्वारा श्री बी0आर0 मेहरोत्रा, भूतपूर्व सदस्य, बिक्रीकर अधिकरण के सेवा सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिनांक 23-6-79 का निस्तारण 12 वर्षों के पश्चात् किया गया ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में हुए 12 वर्षों के विलम्ब के सम्बन्ध में कौन-कौन अधिकारी दोषी है ? क्या शासन दोषी अधिकारियों के प्रति दण्डात्मक कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जी हां ।

चूंकि श्री मेहरोत्रा दिनांक 31-10-1984 को सेवावृद्धि के बाद सेवानिवृत्त हो गये थे । उनके प्रत्यावेदन के निस्तारण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी थी इसी कारण उनके प्रत्यावेदन दिनांक 23-6-79 का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर दिनांक 8-8-91 द्वारा कर दिया गया जिसमें किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया गया । फलतः किसी अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

परिक्षेत्रीय कार्यालय बिक्री कर, लखनऊ के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

12-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि परिक्षेत्रीय कार्यालय बिक्री कर लखनऊ क्षेत्र में कितने ऐसे तृतीय श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं ? जो कि पिछले 11 व 13 वर्षों से दो महत्वपूर्ण पटलों पर लगातार कार्यरत हैं ? ऐसे वरिष्ठ लिपिकों के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या शासन दोषी अधिकारियों के प्रति दण्डात्मक कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त वरिष्ठ लिपिकों का दो महत्वपूर्ण पटलों से अन्य परिक्षेत्र में वर्तमान सत्र में स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

परिक्षेत्रीय कार्यालय बिक्री कर, लखनऊ परिक्षेत्र में कोई ऐसा तृतीय श्रेणी कर्मचारी नहीं है, जो पिछले 11 व 13 वर्षों से दो महत्वपूर्ण पटलों पर लगातार कार्यरत हो ।

शासन की स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन नहीं हुआ है ऐसी दशा में किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

वार्षिक स्थानान्तरण के समय विचार किया जा सकता है ।

श्री आर0 बी0मेहरोत्रा, भूतपूर्व सदस्य बिक्रीकर अधिकरण कानुपर को रिइम्बर्समेंट हेतु शासनादेश के अन्तर्गत भुगतान

13-श्री यदुनाथ सिंह-

दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-15 के क्रम में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0-सा-3-1776/दस-971/80, दिनांक 30-11-84 में सेवा निवृत्त के पश्चात् ग्रेच्युटी की धनराशि विलम्ब से भुगतान कराये जाने पर शासन द्वारा ब्याज दिये जाने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश के ही क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त ए0आई0आर0 1985 पृष्ठ 356 में उल्लिखित शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान संबंधित अधिकारी को लगभग 5 वर्ष पश्चात् करवाये जाने पर चालू बाजार दस से ब्याज दिये जाने के संबंध में क्या शासन न्याय विभाग के सलाह से विचार करेगा ? यदि हां तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त प्रकरण में 5 वर्ष के पश्चात् भुगतान करवाये जाने के संबंध में दोषी अधिकारियों के प्रति दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जी हां ।

ए0आई0आर0 1985 पृष्ठ 356 में उल्लिखित याचिका के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब होने के संबंध में है जो चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के मामले में लागू नहीं है । चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति ग्रेच्युटी से भिन्न प्रकृति की है । राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य है। चिकित्सा परिषद् एवं विशेषज्ञों की संस्तुति पर प्रदेश के बाहर विशेषज्ञ चिकित्सा प्राप्त करने की अनुमति कतिपय विशेष

एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। विशेषज्ञ चिकित्सा प्राप्त करने के लिये अग्रिम दिये जाने का प्राविधान नियमों में है। अतः अग्रिम के प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए यदि किसी मामले विशेष में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के भुगतान में विलम्ब हो जाता है तो उस पर ब्याज दिये जाने का औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दशम विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न के उत्तर में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है । संदर्भित प्रकरण में किसी अधिकारी का दोष नहीं था । चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित बैंक ड्राफ्ट डाक में खो गया था । अतः किसी भी अधिकारी को दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर के वर्ष 1984 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमाप पत्र/ डिग्री उपलब्ध कराने की मांग

14-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर विश्वविद्यालय के वर्ष 1984 में एम0ए0 व्यक्तिगत परीक्षा में उत्तीर्ण समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र/डिग्री भेज दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? क्या उस परीक्षा में सम्मिलित कु0 अंजुली मेहरोत्रा सुपुत्री श्री बी0आर0 मेहरोत्रा, अनुक्रमांक 28416 ने वर्ष 1984 में उक्त परीक्षा कानपुर विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है ? यदि हां, तो उक्त परीक्षार्थी की परीक्षा उत्तीर्ण डिग्री अभी तक उसे न उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त विश्वविद्यालय के कौन-कौन अधिकारी दोषी है ? क्या शासन उक्त प्रकरण में 7 वर्ष तक निरन्तर लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के प्रति दण्डात्मक कार्यवाही करेगा ? यदि हां,, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? सम्बन्धित परीक्षार्थी की परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र/डिग्री कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा कब तक उपलब्ध करवा दिया जायेगा ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार जिन छात्रों द्वारा निर्धारित प्रपत्र भरकर शुल्क जमा करके विश्वविद्यालय से उपाधि की मांग की जाती है, उन्हें ही उपाधि निर्गत की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विश्वविद्यालय के नियमानुसार कु0 अंजुली मेहरोत्रा द्वारा निर्धारित प्रपत्र पूर्ण करके निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही उपाधि निर्गत की जा सकती है ।

प्रपत्र पूर्ण करके निर्धारित शुल्क जमा करने पर ।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज मुख्यालय पर बरेली डिपो एवं मुरादाबाद डिपो की बसों को रुकने के आदेश पुनः जारी

15-कुंवर सुरेन्द्र प्रताप-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि तहसील मीरगंज जनपद बरेली से गुजरने वाली बरेली डिपो व मुरादाबाद डिपो की बसें सरकारी आदेशों के बावजूद

तहसील मुख्यालयों पर नहीं रुकती हैं, चालकों व परिचालकों द्वारा सरकारी आदेशों की अवहेलना करने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और इस स्थान पर बसें रुकवाने के आदेश पुनः जारी किये जायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

प्रश्नगत स्थानों पर बसें रुकती हैं ।
आदेश पुनः जारी कर दिये गये हैं ।
प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के कतिपय ग्रामों के निर्माण कार्यों में बरती गयी अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट

16-श्री सुरेन्द्र सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गिरधारी लाल, सदस्य, विधान सभा का दिनांक 20-8-91 का पत्र जो सचिव, ग्राम्य विकास को पत्रांक 302/वी0एस0/आर0डी0/91, दिनांक 29-8-91 द्वारा भेजा गया था और ग्राम्य विकास अनुभाग-1 पत्र संख्या एम-715/38-1-3534/91, दिनांक 28-8-91 जनपद गाजीपुर के जिलाधिकारी को आवश्यक जांच हेतु भेजा गया था, में उल्लिखित शिकायतों की जांच सरकार द्वारा करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

ग्राम सभा बाकी खुर्द, कटरिया तथा अमहट में निर्मित कुओं के निर्माण एवं तत्संबंधी भुगतान में वित्तीय अनियमितताएं तथा प्रक्रियात्मक त्रुटियां प्रकाश में आयी हैं, जिसके लिए संबंधित खण्ड विकास अधिकारी को प्रथम दृष्ट्या दोषी बताया गया है । ग्रामीण शौचालयों के निर्माण एवं उसके आवंटन तथा एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अधीन भी कुछ अनियमितताओं के लिए खण्ड विकास अधिकारी प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये हैं ।

सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है ।
प्रश्न नहीं उठता ।

17-श्री श्याम देव राय चौधरी-

(तीसरे सोमवार के लिए स्थगित)

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, वाराणसी की सेवा निवृत्त अध्यापिका श्रीमती कृष्णा गौड़ के लम्बित समस्त देयों के भुगतान की जानकारी

18-श्री राम सेवक सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, वाराणसी से दिनांक 30-6-87 को सेवा निवृत्त हुयी अध्यापिका श्रीमती कृष्णा गौड़ के जीवन बीमा, नये वेतनमान में पे-फिक्सेशन संबंधी एरियर आदि कौन-कौन से भुगतान अभी लंबित हैं और क्यों ? उक्त समस्त लम्बित राशि एरियर आदि का भुगतान उन्हें पूर्णरूपेण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह-

केवल जीवन बीमा का भुगतान होना शेष है, जिस पर सामूहिक बीमा निदेशालय की स्वीकृति मांगी गई है। शेष भुगतान कर दिया गया है ।

सामूहिक बीमा निदेशालय से स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायगा ।

गोरखपुर कोषागार के वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं मुख्य रोकड़िया के विरुद्ध गबन के आरोप के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी

19-श्री राज नारायण बिन्द-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1990 में गोरखपुर कोषागार में 22 लाख 49 हजार रूपये की चोरी हुयी थी ? यदि हां तो क्या कोषाधिकारी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर उनके ऊपर अभी तक कोई कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्या रिपोर्ट न होने पर भी मुख्य रोकड़िया को इसी गबन में लापरवाही बरतने के इल्जाम में निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इनके ऊपर कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके आरोप-पत्र में कोई आरोप लगाया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

प्राप्त सूचना के अनुसार जून,1990 में गोरखपुर कोषागार में रू0 20,48,777.00 (रुपये बीस लाख अड़तालिस हजार सात सौ सतहत्तर मात्र) के स्टाम्प की कमी होने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में किसी के नाम से प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज करायी गयी है, अपितु मामले का पूर्ण विवरण प्रभारी अधिकारी थाना कैण्ट, गोरखपुर को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज करा दिया गया है। इस मामले में विभागीय जांच भी करायी गयी है। विभागीय जांच के अन्तर्गत तत्कालीन वरिष्ठ कोषाधिकारी व मुख्य रोकड़िया को निलम्बित करके आरोप-पत्र दिये जा चुके हैं ।

जनपद सिद्धार्थनगर के कतिपय विकास खण्डों में कूप योजना के अन्तर्गत आवंटित धन का विवरण

20-श्री शिव लाल मित्तल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र बढ़नी, जोगिया, नौगढ़, बर्डपुर, शोहरतगढ़ एवं उस्का में दस लाख कूप योजना का कितना धन वर्ष 1990-91 में किन-किन ब्लाकों को आवंटित एवं अवमुक्त किया गया है? उस धन में से किन-किन गांवों में कौन-कौन कार्य कराये गये ? क्या मंत्री जी किसी तकनीकी विशेषज्ञ से उक्त कार्यों की जांच करायेंगे एवंउक्त कार्य में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को दंडित करेंगे? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में विकास खण्ड बढ़नी, जोगिया, नौगढ़, बर्डपुर एवं उस्का में मु0 17,11,000/- धन आवंटित किया गया है। विकास खण्ड शोहरतगढ़ में कोई धनराशि नहीं दी गयी ।

सूचना संलग्न है ।

निश्चित शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई जा सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 169-170 पर)

21-श्री बलराम यादव-

(दिनांक 13-2-92 को अता0 प्र0 सं0 110 द्वारा उत्तरित)

उ0प्र0 वन विभाग में उप वन संरक्षक स्तर के स्वीकृत एवं आरक्षित पदों की जानकारी

22-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग में उप वन संरक्षक स्तर के कितने स्वीकृत हैं तथा इनमें से कितने पद प्रान्तीय वन सेवा के अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा भरे जाने हैं ? इसमें से कितने पद अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित हैं और इन आरक्षित पदों में कितने रिक्त हैं ? सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने की क्या प्रक्रिया चल रही है ।

श्री कल्याण सिंह-

वन विभाग में उप वन संरक्षक स्तर के कुल 14। पद स्वीकृत हैं। भारतीय बन सेवा में राज्य वन सेवा से प्रोन्नति का कोटा 66 पदों का हैं जिनमें से 3। पद वर्तमान में रिक्त हैं । भारतीय वन सेवा में प्रोन्नति द्वारा चयन में आरक्षण का प्राविधान नहीं है । राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में प्रोन्नति के सम्बन्ध में राज्य वन सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

बांदा जनपद के विकास खण्ड तिंदवारी के ग्राम सभा सादी मदनपुर को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि एवं व्यय की जानकारी

23-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम सभा सादी मदनपुर में फरवरी, 1989 से अब तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि दी गयी है ? योजनानुसार किन-किन मदों में कितनी धनराशि व्यय की गयी है व कितनी शेष है ? क्या निर्माण कार्यों पर हुए व्यय की जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम सभा सादी मदनपुर को फरवरी, 1989 से अब तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल मु0 6,63,700.30 की धनराशि प्राप्त करायी गयी है ।

योजनानुसार वर्ष 1989-90 से अब तक निम्न धनराशि निम्न विवरण अनुसार व्यय की गयी है:-

वर्ष 1989-90

1- प्रशासनिक व्यय	13,623.00
2- निर्बल वर्ग आवासों हेतु हस्तान्तरित	15,600.00
3- तालाब खुदायी	14,994.00
4- पुन: खडंजा निर्माण	13,046.00
5- पुलिया निर्माण	22,807.00
6- पंचायत भवन निर्माण	47,883.00
7- वनीकरण कार्य	39,738.00

8- कूप मरम्मत कार्य	4,146.00
9- कूप मरम्मत कार्य	8,773.00
10- सम्पर्क मार्ग	12,042.00
11- खड़ंजा निर्माण सामान्य	76,008.00
12- खड़ंजा निर्माण (हरि0)	20,394.00
	2,89,054.00

वर्ष 1990-91

1- खड़ंजा निर्माण	1,37,896.00
2- नाली निर्माण	29,406.00
3- तालाब खुदायी	15,003.00
4- हैण्ड पम्प 3 नग	44,918.00
5- सम्पर्क मार्ग	31,863.50
6- बंधी निर्माण	17,783.00
	2,76,869.50

वर्ष 1991-92

1- सम्पर्क मार्ग मरम्मत	1,512.00
2- हैण्ड पम्म 3 नग	47,800.00
3- खड़ंजा निर्माण	48,190.00
	97,502.00
शेष धनराशि	274.80

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेंदहर के ग्राम सभा- गोगावां को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि का विवरण

24-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेंहदर के अन्तर्गत ग्राम सभा गोगावां को वर्ष 1989-90 में कितना धन जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दिया गया ? क्या यह सही है कि उक्त धन योजनान्तर्गत न खर्च कर गबन कर लिया गया है ? क्या इस संबंध में 1990 से अब तक जनता/ब्लाक प्रमुख बेंहदर, जनपद हरदोई द्वारा की गई शिकायतों के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4 जनवरी, 1991 पर पूर्व ग्राम विकास मंत्री ने जांच के आदेश भी दिये थे? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी तथा क्या तथ्य प्रकाश में आये ? क्या सरकार दोषी प्रधान के विरुद्ध अपराधिक मुकदमा दर्ज कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेंहदर के अन्तर्गत ग्राम सभा गोगावां को वर्ष 1989-90 में रू0 42,654.00 की धनराशि जवाहर रोजगार योजना के अनतर्गत दी गयी है ।

जी नहीं ।

जी नहीं, 4-1-91 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ प्रतीत होता। किन्तु इस संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ है जो कि मार्च, 1991 का है जिस पर पूर्व ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा जांच के आदेश दिये गये थे ।

इसकी जांच तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तकनीकी जांच सहायक अभियन्ता (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा) हरदोई के माध्यम से करायी गयी । जांच में प्रधान द्वारा कराये गये कार्य संतोषजनक हैं ।

जी नहीं प्रधान दोषी नहीं पाये गये इस कारण प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जनपद में माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न प्राइमरी विद्यालयों की संख्या एवं उन्हें अनुदान सूची में लिया जाना

25-श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न कितने कहां-कहां प्राइमरी पाठशाला वर्ष 1970 से चल रही हैं? इनमें से कितने विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया गया है ? जिन विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया गया है क्या वे सन् 1970 से चालू हैं ? कितने ऐसे विद्यालय हैं जिन्हें अनुदान सूची पर नहीं लाया गया है ?

श्री राजनाथ सिंह -

27 प्राइमरी विद्यालय ।

27 सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालय ।

जी हां ।

शून्य ।

जनता इण्टर कालेज कछोना हरदोई में नियुक्त एल0टी0एवं प्रवक्ता वेतन क्रम के शिक्षकों के वेतन भुगतान की मांग

26-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के जनता इण्टर कालेज, कछोना में जनवरी, 1986 में सर्वश्री रामनरेश कनौजिया एवं सुरेश कुमार अवस्थी की नियुक्ति ए0टी0 वेतन-क्रम में तथा श्री नरेन्द्र बहादुर की नियुक्ति प्रवक्ता वेतन-क्रम में प्रबन्ध समिति द्वारा की गयी जिसका अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा न किये जाने पर उच्च न्यायालय ने 26-10-89 को अपने आदेश में डेढ़ माह के अन्दर उक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान हेतु जि0 वि0 निरीक्षक को निर्देशित किया? यदि हां, तो अब तक वेतन भुगतान न किये जाने के क्या कारण है और भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री एस0के0 शर्मा, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, फतेहपुर पर किये गये प्राणघातक हमले के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

27-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस0के0 शर्मा, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्तण सेवा, फतेहपुर पर दिनांक 24-7-91 को प्रखण्ड के दो अवर अभियन्ताओं द्वारा प्राणघातक हमला किया गया था ? यदि हां, तो आक्रमणकारी अभियन्ताओं के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि दिनांक 7-6-91, 15-6-91 तथा 8-7-91 को संबंधित अधिशासी अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता को श्री एस0के0 शर्मा द्वारा सम्भावित हमले की पूर्व सूचना के रूप में लिखा गया किन्तु अधिकारियों द्वारा ध्यान न दिये जाने पर श्री शर्मा पर हमला हुआ ? यदि हां, तो अधिकारियों द्वारा उदासीनता बरते जाने पर क्या कारण रहे तथा क्या इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

श्री एस0के0 शर्मा सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा फतेहपुर द्वारा दिनांक 24-7-91 को हमला होने की एफ0आई0आर0 लिखाई गई है । पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है। न्यायालय द्वारा दोष स्थापित होने पर ही संबंधित अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

श्री शर्मा के कथित पत्र प्रखण्डीय कार्यालय में प्राप्त हुए थे उनमें से दिनांक 8-7-91 के पत्र में उल्लेख किया गया था बार-बार धमकी दी गयी कि भौतिक सत्यापन व चार्ज एज्यूम की कार्यवाही न करें । श्री विजय सिंह जन-धन हानि पहुंचाने के प्रयास में हैं । कार्यालय के बाहर प्राय: असामाजिक तत्वों के साथ भयाक्रान्त वातावरण बनाये रखते हैं। ताकि इनके डर से मैं वास्तविकता से विचलित हो जाऊं उनका यह उल्लेख मात्र था जिसके आधार पर उन्होंने विभाग अथवा शासन से सुरक्षा की कोई प्रार्थना नहीं थी । और न यह उल्लेख किया गया कि उनके ऊपर हमले की सम्भावना है। अत: शेष का प्रश्न नहीं उठता । अधिकारियों द्वारा कोई उदासीनता नहीं बरती गयी है । अत: उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गबन के संबंध में श्री एस0के0 शर्मा, सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा फतेहपुर के लिखित पत्र पर विभागीय कार्यवाही

28-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, फतेहपुर में श्री एस0के0शर्मा0 सहायक, अभियन्ता द्वारा दिनांक 7-6-91, 15-6-91 8-7-91 तथा 7-8-91 को संबंधित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, थानाध्यक्ष (जहानाबादा) महालेखाकार, सचिव आदि को भ्रष्टाचार एवं गबन के विरोध में किये गये पत्राचार तथा उसमें उठाये गये घपलों एवं गबन के मामलों में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

श्री एस0के0 शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, फतेहपुर द्वारा लिखे गये पत्र दिनांक 7-6-91, 15-6-91, 8-7-91 तथा 7-8-91 प्रखण्ड कार्यालय में प्राप्त हुए थे और अधिशासी अभियन्ता फतेहपुर प्रखण्ड द्वारा इन पत्रों पर कार्यवाही के रूप में दो सहायक अभियन्ताओं की एक जांच कमेटी दि0 18-6-91 को गठित कर दी गयी थी, परन्तु गठित कमेटी के किसी निष्कर्ष से पूर्व ही अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 27-1-92 से अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा फतेहपुर को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

दिल्ली-तिकुनियां वाया निघासन मार्ग पर परिवहन निगम की सीधी बस सेवा के संचालन की मांग

29-श्री निरवेन्द्र कुमार-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि दिल्ली से निघासन होते हुए तिकुनिया जनपद खीरी मार्ग पर कोई रोडवेज बस का संचालन न होने के कारण वहां की जनता को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के निरंतर प्रयास के बाद भी अब तक बस का संचालन न किये जाने के क्या कारण हैं ? उसका संचालन कब तक करा दिया जायेगा ।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

दिल्ली-तिकुनिया वाया निघासन मार्ग पर परिवहन निगम की सीधी सेवा संचालित नहीं है। वर्णित मांग में मैलानी से तिकुनिया 69 कि0मी0 का भाग अराष्ट्रीयकृत है। इस पर निजी बसों का संचालन है ।

निगम के वर्तमान वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम द्वारा प्रश्नगत सेवा संचालित किया जाना संभव नहीं है ।

30- श्री अंगद सिंह यादव, श्री राम सेवक सिंह तथा श्री राम लखन-

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

ग्राम विकास इण्टर कालेज बुधौली, कानपुर देहात के इण्टरमीडिएट परीक्षा के कतिपय विद्यार्थियों के अंकपत्रों की प्राप्ति में विलम्ब की शिकायत

31-श्री राम स्वरूप वर्मा-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के 5वें सोम के अता0 प्रश्न संख्या-85 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस अधिकारी एवं कर्मचारी की वजह से जिन छात्रों/छात्राओं के दो वर्ष बरबाद हुए हैं उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

संबंधित तीनों परीक्षार्थियां की साहित्यिक हिन्दी प्रथम प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिकायें केन्द्र व्यवस्थापक के द्वारा संकलन केन्द्र/मूल्यांकन केन्द्र को बण्डल में प्राप्त न होने के कारण इनका परीक्षाफल अपूर्ण रहा ।

अपूर्ण परीक्षाफलों को पूर्ण करने हेतु केन्द्र व्यवस्थापकों से निर्धारित प्रपत्र पर छात्राओं की उपस्थिति की पुष्टि कराने की व्यवस्था है। तद्नुसार संबंधित केन्द्र व्यवस्थापक से कार्यालय के पत्रांक 497, दिनांक 4-11-89 तत्पश्चात् 545, दिनांक

3-2-90 द्वारा स्मरण कराते हुए वांछित सत्यापन पत्र मांगने हेतु लिखा गया परन्तु केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा वांछित सत्यापन पत्र नहीं भेजा गया। प्रधानाचार्य द्वारा वांछित सत्यापन पत्र उपलब्ध न कराने की पूर्ण संभावना को दृष्टिगत रखते हुए अन्ततोगत्वा छात्राओं के हित में माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने अनुपातिक अंक देकर संदर्भगत परीक्षाफल पूर्ण कराने का निर्णय लिया । तदनुसार छात्राओं का परीक्षाफल पुर्ण कर दिनांक 3-7-90 को विशेष वाहक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को संबंधित विद्यालय में भेजने हेतु दिनांक 5-7-90 को प्राप्त करा दिया गया। इस प्रकार छात्राओं के परीक्षाफल पूर्ण करने में विलम्ब के लिये केन्द्र व्यवस्थापक उत्तरदायी हैं। इस हेतु प्रधानाचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अन्तिम कारण बताओ नोटिस दिनांक 6-2-92 को भेजी गयी ।

जनपद सिद्धार्थनगर में जिला विद्यालय निरीक्षक के रिक्त पद पर नियुक्ति न होना

32-श्री शिव लाल मित्तल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में जिला विद्यालय निरीक्षक के रिक्त पद पर किसी की पोस्टिंग की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हां, जनपद सिद्धार्थनगर में जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर तैनाती की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत नीति निर्देशक सिद्धान्तों में संशोधन की मांग

33-श्री लीला राम शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन हेतु प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया जाना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रस्ताव कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्धारित नीति निर्देशक सिद्धान्तों में संशोधन की मांग भारत सरकार से की जा रही है ।

34- श्री लीला राम शर्मा-

(1ले मंगल में अता0 प्र0 सं0 186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद आगरा में शराब के ठेकेदारों द्वारा राजस्थान से शराब खरीदकर बेचे जाने से प्रदेश को आर्थिक क्षति पहुंचाया जाना

35-श्री किशन गोपाल-

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि आगरा में पिछले 5 साल से किस-किस शराब के ठेकेदार को कितने रूपयों में शराब के ठेके के लिये प्रति वर्ष कितनी शराब उ0प्र0 शासन से खरीदी गयी ? क्या यह सही है कि उ0प्र0 सरकार में एक्साइज ड्यूटी अधिक होने के कारण ठेकेदारों द्वारा प्रदेश को क्षति पहुंचाकर अधिकांश शराब राजस्थान से खरीदकर आगरा में बेची गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इन शराब के ठेकेदारों द्वारा शराब राजस्थान सरकार से खरीदकर अवैध रूप से आगरा में बिक्री से हुई क्षति को पेनाल्टी लगाकर वसूल करेगी ? क्या पेनाल्टी न देने वाले को रासुका में बन्द करके इनके लाइसेंस को सरकार समाप्त करेगी ? क्या वर्ष 91-92 में भी यही नियम लागू करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर के कतिपय ब्लाकों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों की जांच

36-श्री गामा राम शास्त्री-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र जिलाधिकारी गाजीपुर को कुछ दिन बाद जनपद गाजीपुर के देवकली ब्लाक के बी.डी.ओ. तथा सादात विकास खण्ड के बी.डी.ओ. द्वारा नौ लाख कुएं की येाजना राजेगार योजना के अन्तर्गत तथा इन्दिरा आवास तथा जवाहर रोजगार योजना आदि में धन का दुरुपयोग तथा वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिया गया था? यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच करायी गयी तथा दोषी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

मा0 विधायक का पत्र दिनांक 16-8-91 को प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु उनका दूसरा पत्र दिनांक 28-8-91 प्राप्त हुआ था जो विकास खण्ड सादात के अन्तर्गत कुछ ग्रामों में की गई अनियमितता के बारे में था। शिकायती-पत्र में ईंगित शिकायतों की जांच अपर परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गाजीपुर के माध्यम से करायी गई । जांच आख्या के आधार पर अनियमितता करने के लिये संबंधित सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विकास खण्ड सादात को दोषी पाया गया और उन्हें दिनांक 17-12-1991 को निलंबित कर दिया गया। संदर्भित शिकायती-पत्र दिनांक 28-8-91 में देवकली विकास खण्ड का उल्लेख नहीं किया गया है ।

आर0पी0एस0 इण्टर कालेज, रूरा, जनपद कानपुर देहात की दो प्रबन्ध समितियों का प्रकरण मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक के यहां विचाराधीन

37-श्री लाखन सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर0पी0एस0 इण्टर कालेज, रूरा, जनपद कानपुर देहात की प्रबन्ध समिति और उसके मैनेजर को ट्रस्ट कालिकाप्रसाद शुक्ल, रूरा द्वारा नामित/चयनित किया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो बिना उस ट्रस्ट के अनुमोदन के किस आधार पर शिक्षा विभाग किसी व्यक्ति को मैनेजर हेतु मान्यता दे रहा है ? इस सम्बन्ध में क्या ट्रस्ट द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर सरकार ध्यान दे रही है ? शिक्षा विभाग द्वारा ट्रस्ट की आपत्तियों पर ध्यान न देने के परिणाम-स्वरूप बाहरी व्यक्तियों को मान्यता देने के कारण जो विद्यालय को क्षति हो रही है, उसका उत्तरदायित्व किस पर है ? उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

विद्यालय के लिये स्वीकृत प्रशासन योजना के अनुसार प्रबन्ध समिति का चुनाव होना आवश्यक है ।

विद्यालय में दिसम्बर, 1990 को हुये चुनाव को लेकर विवाद है । दो प्रबन्ध समितियां अपना दावा पेश कर रही हैं । प्रकरण मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक के यहां माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा-16 क (7) के अधीन विचाराधीन है ।

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड राबर्ट्सगंज की बढ़ौली-बहुभार राजपुर मार्ग के निर्माण कार्य की जानकारी

38-श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड राबर्टसगंज के अन्तर्गत बढ़ौली बहुभार राजपुर मार्ग डी0आर0डी0ए0 (आर0ई0एस0) के अन्तर्गत स्वीकृत है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कितना कार्य कराया गया हे और कितना बाकी है ? उक्त कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद सोनभद्र विकास खण्ड राबर्टसगंज के अंतर्गत उक्त मार्ग जिलाधिकारी मिर्जापुर द्वारा स्वीकृत है । ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड मिर्जापुर द्वारा उक्त मार्ग पर 5.00 किमी0 मिट्टी का कार्य 5,00 किमी0 सोलिंग (40×90) का कार्य कराया गया था । मात्र 4 पुलियों का कार्य 40×63 इन्टरक्रोट, 25-50 टाप कोट एवं पेंटिग का कार्य बाकी है । बाकी कार्य शीघ्र ही पूर्ण करा दिया जायेगा ।

39-श्री उदय प्रताप सिंह-

(दिनांक 21-2-92 को अता0 प्र0सं0 18। द्वारा उत्तरित)

40-श्री राम सेवक सिंह, श्री लाल चन्द तथा पवन कुमार पाण्डेय-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

41-श्री शिव चरण प्रजापति-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद खीरी उत्तर वन प्रभाग-लखीमपुर खीरी तथा गोण्डा उत्तर वन प्रभाग-गोण्डा में आय-व्यय का निरीक्षण तथा धन का गबन पाया जाना

42-श्री बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी उत्तर वन प्रभाग, लखीमपुर खीरी, गोण्डा उत्तर वन प्रभाग, गोण्डा में दिनांक । जनवरी, 1990 से अक्टूबर, 91तक महालेखाकार ने आय तथा व्यय का निरीक्षण कराया है ? यदि हां, तो क्या दोनों वन प्रभाग में धन का गबन भी पाया गया है ?यदि हां, तो वह कितने धनराशि तक का है और गबन में दोषी कौन-कौन है ? सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड गोण्डा की सील गोदाम का निरीक्षण एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

43-श्री घनश्याम शुक्ला-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 5-4-1991 को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड गोदाम जो गोण्डा मुख्यालय पर है सील किया गया था ? यदि हां, तो गोदाम में कितनी बोरी सीमेंट का स्टाक कम पाया गया था ? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

47 बोरी सीमेंट गोदाम में कम पायी गई ।

अवर अभियन्ता (भण्डार) द्वारा विभागीय कार्यों हेतु दिनांक 31-3-91 को निर्गत 47 बोरी सीमेंट का डी0टी0आर0 में अंकन समय से न किये जाने के फलस्वरूप 47 बोरी सीमेंट की कमी दिनांक 8-4-1991 को जांच के समय पायी गई । समय से डी0टी0आर0 में 47 बोरी सीमेंट का अंकन न करने के लिए सम्बन्धित अवर अभियन्ता को कठोर चेतावनी देकर दण्डित किया जा चुका है ।

रायबरेली डिपो के क्लीनर स्व0 श्री महंगू प्रसाद की विधवा पत्नी की चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमित नियुक्ति करने की मांग

44-श्री अकबर हुसैन-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री महंगू प्रसाद, क्लीनर, रायबेरली डिपो की वर्ष 1981 में सेवाकाल में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उसकी विधवा पत्नी श्रीमती मनभावती देवी को मृतक कर्मचारी आश्रित सेवा नियमावली के अन्तर्गत नियमित नियुक्ति न प्रदान करके उन्हें अंशकालिक वाटर ब्वाय के पद पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो लगभग 10 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी इन्हें नियमित नियुक्ति प्रदान न करने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी उक्त नियमावली के तहत वर्ष 1981 से पूर्व सेवा का लाभ देते हुए श्रीमती मनभावती देवी को नियमित नियुक्ति प्रदान करने के आदेश पारित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी भविष्य में इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही भी करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जब स्व0 श्री महंगू प्रसाद क्लीनर की मृत्यु 1981 में हुई तब मृतकों के आश्रितों को सेवा में रखने के सम्बन्ध में कोई नियमावली, संकल्प अथवा निर्देश नियमान्तर्गत नहीं थे । मानवीय आधार पर श्री महंगू प्रसाद की विधवा पत्नी श्रीमती मनभावती देवी को अंशकालिक रूप से पानी पिलाने हेतु रख लिया गया था ।

दिनांक 5-2-92 से श्रीमती मनभावती को चतुर्थ श्रेणी पद पर नियमित कर दिया गया है ।

अंशकालिक पूर्व सेवा का लाभ नियमानुसार नियमित सेवा के रूप में नहीं दिया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 ग्राम्य विकास विभाग हरदोई में कार्यरत लिपिक श्रीमती रोशन जहां की मां को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से पेसमेकर की सुविधा हेतु अनियमित रूप से धन दिये जाने का आरोप

45-श्री चरन सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रोशन जहां जो विकास विभाग में लिपिक के पद पर हरदोई में कार्यरत हैं, की माता के पेसमेकर

की सुविधा हेतु जिलाग्राम्य विकास अभिकरण से लगभग 11,000 रु0 (ग्यारह हजार रुपया) का भुगतान पिछले सितम्बर के प्रथम सप्ताह में किया गया है जब उनके पिता व बड़े भाई आदि सभी मौजूद हैं और पैतृक सम्पत्ति भी शाहाबाद नगर में पर्याप्त रूप से उपलब्ध है ? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब श्रीमतीरोशन जहां की माता के पेसमेकर लगाया गया उस समय वे जिला ग्राम्य विकास अधिकरण में नियुक्त थी ? यदि नहीं, तो अभिकरण की धनराशि का अपव्यय क्यों व किस अधिकारी द्वारा किया गया और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कीजायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-
सूचना एकत्र की जा रही है ।

46-47-श्री चरन सिंह-
(मा0 सदस्य द्वारा वापस लिए गये)

गोण्डा जनपद के कतिपय विकास खण्डों में इन्दिरा हरिजन आवास निर्माण

48-श्री घनश्याम शुक्ल-
क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे अक्टूबर, 1989 से 30 जून, 1991 तक विकास खण्ड मुजहना/झिटियाथौक/पड़री कृपाल/रूपईडीह, जनपद गोण्डा में इन्दिरा हरिजन आवास का निर्माण कराया गया ? उनमें से कितने हरिजन आवास गिर गये हैं और कितने हरिजन आवासों में लाभार्थी रह रहे हैं ? क्या सरकार शासन स्तर से जांच करायेगी कि इन्दिरा हरिजन आवास का निर्माण घटिया सामग्री से हुआ था ? यदि हां, तो सरकार सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह-
जी हां ।
कोई भी निर्मित आवास गिरा नहीं है । सभी 158 निर्मित आवासों में लाभार्थी रह रहे हैं ।
इन्दिरा आवासों के निर्माण में निर्धारित मानक के अनुसार ही सामग्री का प्रयोग किया गया है ।
प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा हरदोई में कार्यरत वर्क चार्ज कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एवं भुगतान की व्यवस्था

49-श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राम लखन-
क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, हरदोई में कार्यरत वर्क चार्ज कर्मचारियों को अन्य जनपदों के वर्कचार्ज कर्मचारियों से कम वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो एक ही विभाग में भिन्न-भिन्न जनपदों के लिये अलग-अलग वेतन दरों के निर्धारण का औचित्य क्या है ? यदि नहीं, तो क्या जांच कराकर कर्मचारियों को एरियर भुगतान की व्यवस्था एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर मंत्री जी विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-
हरदोई तथा अन्य जनपदों में वर्कचार्ज कर्मचारियों के श्रम की दरों में कोई

अन्तर नहीं है । ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अधिकारियों को वर्कचार्ज अधिष्ठान में कर्मचारियों को रखने हेतु शासनादेश संख्या-1०368/38-4-904(940)/74 दिनांक 27 सितम्बर, 1987 द्वारा वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है। उस अधिकार के अनुसार विभाग के हर अधिकारी अपनी सीमा के अंतर्गत वर्कचार्ज कर्मचारी रख सकते हैं ।

अधिशासी अभियन्ता हरदोई ने अपनी अधिकार सीमा में दिनांक 1-4-90 से 30 नवम्बर 90, तक 250/- रुपये प्रतिमाह की दर से । दिसम्बर, 90 से 31 मार्च, 91 तक तथा उसके आगे 31 दिसम्बर, 1991 तक 300/-रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता । जनपदीय आधार पर भुगतान की दरों में कोई अन्तर नहीं है ।

50-श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

(दो विभागों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त)

विधान सभा क्षेत्र, राजपुर, कानपुर देहात में उ0प्र0 वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन वितरण के व्यवस्था की जानकारी

51-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र-राजपुर, जिला-कानपुर देहात के अन्तर्गत आने वाले गांवों में वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले लोगों को गत कई महीने से पेंशन प्राप्त नहीं हुई है ? यदि हां, तो इनको महीनेवार पेंशन न दिये जाने का कारण क्या है और क्या सरकार ऐसा कोई प्रबन्ध करने की सोच रही है कि ऐसी पेंशन पाने वाले लोगों का खाता नजदीक के बैंक में खोल दिया जाये और उसमें हर महीने सरकार पेंशन का रुपया भुगतान कर दे ? यदि हां, तो ऐसा कब तक होगा ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना संशोधित नियमावली 1981 के नियम 17 (1) के अनुसार त्रैमासिक आधार पर पेंशन वितरित किये जाने की व्यवस्था है । शासनादेश दिनांक 9 दिसम्बर, 1991 में पेंशनर्स के विकल्प के आधार पर ही पेंशन का वितरण धनादेश या डाकघर में बचत खाता के अतिरिक्त राष्ट्रीय बैंकों या उनकी शाखाओं में अथवा ग्रामीण बैंकों में खाता खोलकर भी कराया जा सकता है।

प्रदेश में जिला विकास अभिकरणों में कम्प्यूटर संचालन हेतु डेटा इंट्री आपरेटरों की सेवाएं संविदा के आधार पर प्राप्त करने हेतु निर्देश

52-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग में किन्हीं जनपदों में दो, किन्हीं जनपदों में एक कार्यरत कंप्यूटरों पर कार्य करने हेतु

दैनिक भत्ते पर तीन चार वर्ष से, नियुक्त किये गये कर्मचारियों की सेवाओं का विनियमितीकरण करके उनकी नियुक्ति स्थाई रूप से करके एक मासिक वेतन का निर्धारण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें शासन द्वारा देयों के अनुसार बोनस का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वर्तमान सरकार उनको बोनस का भुगतान भविष्य में करने के लिए विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कम्प्यूटर संचालन हेतु डेटा इंट्री आपरेटर की सेवायें संविदा के आधार पर प्राप्त करने हेतु निर्देश दिये गये हैं, तथा संविदा पत्र का प्रारूप भी समस्त जनपदों को भेजा गया है । संविदा एक निश्चित अवधि के लिए होती है । अवधि समाप्त होने पर संविदा स्वतः समाप्त हो जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई सुरसा ब्लाक में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत घोटाले की जांच की मांग

53-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने जिलाधिकारी हरदोई को ब्लाक सुरसा की ग्राम सभा सिकन्दरपुर, कसरावां सुरसा आदि के प्रधानों द्वारा जवाहर रोजगार योजना में लाखों रूपये घपले की शिकायत माह अगस्त, 1991 में की थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जिलाधिकारी हरदोई ने जांच हेतु आर0ई0एस0, हरदोई को पत्र भेज दिया था ? यदि हां, तो जांच के उपरान्त दोषी प्रधानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई के ग्राम बम्हटापुर के किसानों की फसल को नील गायों से बचाव की मांग

54-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के ग्राम बम्हटापुर, थाना साण्डी में सैकड़ों एकड़ भूमि पर जंगल लगाया गया था ? क्या यह सत्य है कि जंगल में स्थित नील गायें वहां के निवासियों की हजारों एकड़ जमीन पर खड़ी फसल को प्रति वर्ष नष्ट कर देती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन नील गायों को वहां से पकड़ने के आदेश देगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

हरदोई जनपद के ग्राम बम्हटापुर थाना साण्डी के आस-पास 97 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र में एवं 14 हेक्टेयर ग्राम समाज भूमि में वृक्षारोपण किया गया है।

जी हां, उक्त जंगल में रहने वाले वनरोज (नील गाय) वहां के निवासियों के कृषि फसलों को क्षति पहुंचा रहे हैं ।

जी नहीं, वनरोजों को पकड़ना अत्यन्त कठिन, खर्चीला एवं अव्यवहारिक कार्य होने के साथ-साथ समस्या का समाधान न होकर मात्र समस्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने जैसा है । कृषि फसलों को हानि पहुंचाने वाले वनरोजों को नष्ट करने के लिए परमिट जारी करने हेतु अधिकारों को प्रतिनिधानित किये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

जनपद इलाहाबाद के कतिपय ब्लाकों में इन्दिरा आवास योजना एवं निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना के तहत निर्मित आवासों का विवरण

55-श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड चायल, नेवादा एवं मूरतगंज में कहां-कहां किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत हरिजन आवासों एवं इन्दिरा आवासों का निर्माण किया गया है ? कुल कितने आवासों का निर्माण प्रस्तावित था ? क्या सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं ?

श्री कल्याण सिंह-

इलाहाबाद जनपद के विकास खण्ड चायल, नेवादा एवं मूरतगंज में हरिजनों के लिये इन्दिरा आवास योजना एवं निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण किया गया है ।

प्रस्तावित आवासों का विवरण निम्न प्रकार है :-

निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना-

विकास खण्ड का नाम	प्रस्तावित आवासों का वर्षवार संख्या				
	88-89	89-90	90-91	91-92	योग
1- चायल	228	262	151	151	792
2- मूरतगंज	228	255	150	150	783
3- मूरतगंज	228	201	120	120	669
योग:-	684	718	421	421	2244

इन्दिरा आवास योजना-

1- चायल	24	44	44	30	142
2- नेवादा	12	44	42	24	122
3- मूरतगंज	18	39	32	24	113
योग:-	54	127	118	78	377

तीनों विकास खण्डों में निर्माण कार्यों की प्रगति की स्थिति निम्न प्रकार है:-

निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना

विकास खण्ड का नाम	कुल प्रस्तावित आवास	पूर्ण आवास	निर्माणाधीन आवास
1- चायल	792	601	191
2- नेवादा	783	633	15
3- मूरतगंज	669	544	125
योग:-	2244	1778	466

इन्दिरा आवास योजना-

1- चायल	192	103	39
2-नेवादा	122	98	24
3-मूरतगंज	113	89	24
योग:-	377	290	87

विकास खण्ड चायल, नेवादा एवं मूरतगंज की ग्राम सभा वार सूची मा0 राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विभाग के कार्यालय में मा0 सदस्य द्वारा देखी जा सकती है ।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आगरा की अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण की मांग

56-श्री किशन गोपाल-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आगरा की अध्यापिकाओं के ऊपर स्थानान्तरण सम्बन्धी सामान्य नियम लागू होते हैं ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त विद्यालय में कुछ अध्यापिकायें 10 से 15 वर्ष से कार्यरत हैं ? क्या इन अध्यापिकाओं के तुरन्त स्थानान्तरण की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

शिक्षक/शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें सामान्यत: किसी अवधि के आधार पर स्थानान्तरित न किया जाय और केवल स्वयं के निवेदन करने पर गुणा व गुण के आधार पर अथवा प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण पर विचार किया जाय ।

जी हां ।
जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के पैलानी रेंज को उपलब्ध कराये गये एवं चोरी गए कटिदार तार एवं एँगिल की जानकारी

57-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में पैलानी वन प्रभाग को

कितना कांटेदार तार वर्ष 1988-89, 90-91 में शासन द्वारा दिया गया है और इस समय वहां उपलब्ध तार कितना है ? कितने कांटेदार तार व ऐंगिल की चोरी अब तक वहां हुई है ? क्या उक्त चोरी की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

बांदा जनपद में पैलानी वन प्रभाग नहीं है, बल्कि पैलानी रेंज है । वर्ष 1988-89 में कुछ भी तार उपलब्ध नहीं कराया गया तथा वर्ष 1989-90 में 7 बण्डल तार तथा वर्ष 1990-91 में 10 बंडल तार अर्थात् कुल 80 बंडल तार विभाग द्वारा दिया गया ।

सभी का प्रयोग फेन्सिंग में हो चुका है, अतः अवशेष शून्य है ।
350 मीटर कांटेदार तार व 250 ऐंगिल की चोरी हुई है ।

जी हां, चोरी की रिपोर्ट पुलिस में नियमानुसार दर्ज करायी गयी है ।
प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग बांदा द्वारा प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बांदा को स्थानान्तरित सम्पर्क मार्गों पर व्यय की गयी धनराशि और स्थिति का विवरण

58-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद -

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बांदा द्वारा जनवरी 1989 से जून 1991 तक कौन-कौन से मार्ग के किलोमीटर किस स्थिति में बांदा प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित किये गये है ? इन मार्गों में कितना-कितना धन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा व्यय करके किस स्थिति में दिये गये ?

श्री कल्याण सिंह -

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, बांदा द्वारा जनवरी, 1989 से जून 1991 तक कोई भी सम्पर्क मार्ग प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बांदा को स्थानान्तरित नहीं किया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यक्ष बिक्रीकर, अधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा कथित पद का दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितता करने की शिकायत

59-श्री यदुनाथ सिंह -

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान अध्यक्ष बिक्रीकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ सरकारी कार नं0 यू0ए0एम0 2771 का प्रयोग अपने व्यक्तिगत कार्य के अतिरिक्त हर कार्य दिवस में दो बार अपने निवास से कार्यालय आने व जाने हेतु करते हैं ? यदि हां, तो क्या वे रु0 600 प्रतिमाह सरकारी भत्ते के रूप में, अपने वेतन के साथ लखनऊ कोषागार से भी आहरित करते हैं ? यदि हां, तो उक्त पद का दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में शासन कोई जांच आयोग नियुक्त करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए शासन दण्डात्मक कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

अध्यक्ष, बिक्रीकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ विभागाध्यक्ष हैं । उन्हें स्टाफ कार सं0-यू0ए0सी0एम0 2771 आवंटित है । शासन के वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष को कार्यालय आने-जाने के प्रयोगार्थ स्टाफ कार के निःशुल्क प्रयोग करने की अनुमति दी गयी है ।

चूंकि अध्यक्ष, बिक्रीकर अधिकरण को स्टाफ कार की सुविधा प्राप्त है, इस कारण अब तक किसी भी अध्यक्ष, जिसमें निवर्तमान अध्यक्ष श्री ए0एन0गुप्ता सम्मिलित हैं, द्वारा परिवहन भत्ता नहीं लिया गया है । अतः पद के दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितता इत्यादि का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अनुराग मेहरोत्रा आत्मज श्री बी0आर0 मेहरोत्रा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद् कार्यालय द्वारा विलम्ब से जारी किये जाने की शिकायत की जांच की मांग

60-श्री यदुनाथ सिंह-

ग्यारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न सं0-4 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित परीक्षार्थी का परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र 13 वर्षों तक परिषद् कार्यालय, इलाहाबाद द्वारा न जारी किये जाने के सम्बन्ध में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या उक्त प्रकरण में लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में छानबीन पूर्ण करवा ली गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारी को दण्डित किये जाने हेतु शासन कब तक निर्देश देगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

जांच करायी जा रही है ।

जांच में दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

परिक्षेत्रीय कार्यालय बिक्रीकर, लखनऊ में कार्यरत विभिन्न श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

61-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि परिक्षेत्रीय कार्यालय, बिक्रीकर लखनऊ के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों, वरिष्ठ लिपिक/कार्यालय अधीक्षक श्रेणी-2 के पद पर, 5 या 5 वर्ष से ऊपर की अवधि से एक ही पटल पर कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत हैं ? कर्मचारियों से किस विशेष उपयोगिता के कारण एक ही कार्यालय में 5 या 5 वर्ष से अधिक समय तक महत्वपूर्ण पटलों पर कार्य करवाया गया ? उक्त विभाग में स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेशों की अवहेलना की गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या शासन उक्त कर्मचारियों को उक्त कार्यालय में किसी अन्य परिक्षेत्र में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

परिक्षेत्रीय कार्यालय, बिक्रीकर, लखनऊ में प्रश्न में उल्लिखित श्रेणी का कोई कर्मचारी एक ही पटल पर 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि से कार्यरत नहीं है ।

परिक्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में श्री टी0बी0सिंह, कार्यालय अधीक्षक, श्री प्रेम चन्द्र शर्मा, वरिष्ठ लिपिक एवं श्री शिव लाल, वरिष्ठ लिपिक 5 वर्ष से अधिक समय से विभिन्न पटलों पर कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वार्षिक स्थानान्तरण के समय विचार किया जा सकता है ।

लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क वाया ठकेरबा चौराहा निघासन मार्ग जनपद खीरी में परिवहन निगम की बंद बस सेवा के संचालन की मांग

62-श्री निरवेन्द्र कुमार-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क वाया ठकेरबा चौराहा निघासन मार्ग, जनपद खीरी में रोडवेज की बसों का संचालन कितने समय से बन्द है तथा क्यों ? उक्त मार्ग पर बसों का संचालन पुनः कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

प्रश्नगत मार्ग पर परिवहन निगम की बस का संचालन दिनांक 16-2-91 से बंद है । वर्णित मार्ग का लखीमपुर से दुधवा तक का भाग अराष्ट्रीयकृत है । इस मार्ग पर अस्थायी परमिट प्राप्त करके संचालन प्रारम्भ किया गया था । परिवहन निगम की बस का संचालन लाभप्रद न होने के कारण सेवा बंद करनी पड़ी ।

उपरोक्त कारणों से बस सेवा का संचालन किया जाना संभव नहीं है ।

63-श्री निरवेन्द्र कुमार-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि लखनऊ से ठकेरबा चौराहा, निघासन होते हुए खजुरिया मार्ग पर अभी तक एक भी रोडवेज बस न चलाये जाने से वहां की जनता को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर रोडवेज बस की व्यवस्था न कराये जाने के क्या कारण हैं ? कब तक उक्त मार्ग पर रोडवेज बस की व्यवस्था कर दी जायेगी ? क्या उक्त मार्ग पर प्राइवेट बसों द्वारा आवागमन में निर्धारित दर से अधिक किराया रसीद द्वारा जनता से वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो इसे रोकने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

प्रश्नगत मार्ग पूर्णतः अराष्ट्रीयकृत है तथा इस पर परिवहन निगम की बस सेवा संचालित नहीं है ।

अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर सेवाओं के संचालन की नीति न होने के कारण उक्त सेवाओं के संचालन पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

मेसर्स हिन्द लैम्प्स लिमिटेड, शिकोहाबाद के श्रमिकों के शोषण एवं उत्पीड़न का आरोप

64-श्री झाऊ लाल यादव-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि हिन्द लैम्प्स लिमिटेड, शिकोहाबाद में श्रमिकों का शोषण तथा उत्पीड़न हो रहा है और क्या वहां के श्रमिक नेता गत 13 माह से निराधार आरोपों के आधार पर निलम्बित हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर श्रमिकों को न्याय दिलायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

प्राप्त सूचना के अनुसार मेसर्स हिन्द लैम्प्स लिमिटेड, शिकोहाबाद में नियोजित 21 श्रमिकों को दिनांक 19-2-1990 को प्रतिष्ठान के महाप्रबन्धक एवं सहायक महाप्रबन्धक के साथ हुई अभद्रता एवं हड़ताल के प्रकरण पर आरोप पत्र दिये गये थे जिनमें से दस श्रमिकों के विरुद्ध आरोप सिद्ध न होने पर उन्हें कार्य पर वापस ले लिया गया था, दो श्रमिकों ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली थी और नौ श्रमिक अभी भी निलम्बित हैं । निलम्बित श्रमिकों पर लगाये गये आरोपों की प्रबन्ध-पक्ष द्वारा जांच अभी प्रचलित है । इसके साथ-साथ श्रम विभाग द्वारा भी बातचीत के माध्यम से मामले को सुलझाने की कोशिश की है।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी की ग्राम सभा पंच मोहनी का मत्स्य विभाग द्वारा लिये गये पोखरा के पुनर्ग्रहण एवं मालगुजारी का भुगतान

65-श्री जय प्रताप सिंह-

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम पंचमोहनी का कोई पोखरा वर्ष 1977-78 अथवा 78-79 में मत्स्य विभाग के लिये ग्राम समाज से ले लिया गया था ? यदि हां, तो इसके बदले मे ग्राम समाज पंचमोहनी को भुगतान कब दिया गया ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह-

जी हां ।

ग्राम सभा पंचमोहनी को पुनर्ग्रहण एवं मालगुजारी का चालीस गुना पंजीकृत मूल्य रु0 29,594.30 पैसे (उन्तीस हजार पांच सौ चौरान्नबे रुपये अस्सी पैसे मात्र) चालान नं0 46 दिनांक 21-3-77 द्वारा लखनऊ कोषागार में लेखा शीर्षक-029-ख-अन्य प्राप्तियां (50) अन्य प्राप्तियां-9-ख-मालिकाना-राजस्व-(6) भूमि और मकानों की बिक्री के अन्तर्गत किया गया है।

जनपद हमीरपुर में विकास विभाग में स्वीकृत एवं आरक्षित पदों की जानकारी

66-श्री शिव चरण प्रजापति-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में विकास विभाग में लिपिकीय संवर्ग में कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या उक्त संवर्ग में पिछड़े वर्गों के लिये 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित 18 प्रतिशत पद आरक्षित श्रेणियों से भरे जा चुके हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जिला विकास कार्यालय में कुल 77 पद स्वीकृत हैं जिसमें 15 प्रतिशत पिछड़ी जाति तथा 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति के कर्मियों से भरे गये । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मुरारी लाल, अवर अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा कानपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

67-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 21-2-91 व 16-3-91 को भेजे गये दो पत्र जिलाधिकारी, कानपुर देहात को, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो पत्र में श्री मुरारी लाल, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा कानपुर के विरुद्ध कौन-कौन से गम्भीर आरोप लगाये गये हैं और श्री मुरारी लाल के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

उक्त पत्रों में श्री मुरारी लाल, अवर अभियन्ता के ऊपर निम्नलिखित आरोप लगाये गये हैं :-

(1)विकास खण्ड में श्री मुरारी लाल द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों के न तो प्राक्कलन बनाये गये और न ही कार्य का प्रस्ताव किया गया है ।

(2)उनके द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो धनराशि दी गई है उसके उपभोग के फर्जी बाउचर्स लगाये गये हैं ।

(3)श्री मुरारी लाल, अवर अभियन्ता के ऊपर सरकारी धनराशि के गबन का आरोप लगाया गया, परन्तु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उन्हें दबा दिया गया है ।

(4) वह एक चरित्रहीन कर्मचारी हैं ।

उपरोक्त शिकायतों की जांच की जा रही है ।

68-श्री लीला राम शर्मा-

(दूसरे मंगल में अता0 प्र0सं0 201 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जिला पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय इण्टर कालेजों में रिक्त पदों का विवरण

69-श्री लीला राम शर्मा-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय इण्टर कालेजों में कितने प्रवक्ता, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, सी0टी0 ग्रेड व एल0टी0 ग्रेड के अध्यापकों के पर रिक्त पड़े हैं ?

श्री राजनाथ सिंह -

प्रधानाचार्य के 29, प्रधानाध्यापक के 4, प्रवक्ता के 70, एल0टी0 ग्रेड के 97 तथा सी0टी0 ग्रेड के 87 पद रिक्त हैं ।

देवरिया जनपद के कतिपय ब्लाकों में दस लाख कूप योजनान्तर्गत स्वीकृत योजनाओं का विवरण

70-श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत ब्लाक भाटपार रानी, बनकटी तथा भटनी में 10 लाख कूप योजना के अन्तर्गत कौन-कौन योजनायें वर्ष 1990-1991 तथा वर्ष 1991-92 में स्वीकृत की गई हैं ।

श्री कल्याण सिंह -

देवरिया जिलान्तर्गत विकास खण्ड भाटपार रानी बनकटा तथा भटनी में दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में निम्न योजनायें स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	वर्ष	स्वीकृत योजनायें	संख्या
1	भाटपार रानी	1990-91	ड्रेन निर्माण एवं पुलिया गूल निर्माण	13
			जल निकासी पुलिया	1
		1991-92	ड्रेन/पुलिया	2
2	बनकटा	1991-92	ड्रेन	8
			जल निकासी पुलिया	3
			सिंचाई कुआं	8
		1991-92	-	-
3	भटनी	1990-91	सिंचाई कुआं	7
			ड्रेन/पुलिया	4
			नाला	2
			जल निकासी पुलिया	14
		1991-92	बंधा रेगुलेटर	1
			जल निकासी पुलिया	4

देवरिया जनपद के कतिपय ब्लाकों में आई0आर0डी0 योजना के तहत स्वीकृत योजनाओं की जानकारी

71-श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत ब्लाक भाटपार रानी, बनकटा तथा भटनी में आई0आर0डी0 योजना के तहत वर्ष 1990-91 तथा वर्ष 1991-92 के सितम्बर, 1991 तक कितनी योजनायें किन-किन लोगों को स्वीकृत की गई ?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद देवरिया के विकास खण्ड भाटपाररानी, बनकटा एवं भटनी में आई0आर0डी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 90-91 तथा वर्ष 91-92 के सितम्बर, 91 तक निम्न विवरण के अनुसार योजनायें स्वीकृत की गई:-

विकास खण्ड	वर्ष	सं0	स्वीकृत योजनायें
भाटपार रानी	90-91	450	पम्पसेट, बोरिंग, आटा चक्की, इंजन, टायर, बैल, कपड़ा फेरी, जनरेटर सेट, दुकान, सिलाई, उद्योग, इक्का घोड़ा, कुक्कुट पालन, सूकर, भैंस, खच्चर, दरीकालीन उद्योग इत्यादि ।
	91-92	151	पम्पसेट, बोरिंग, इंजन हालर, इंजन, थ्रेसर, आटा चक्की, इंजन, भैंस, जनरेटर, सिलाइ मशीन कपड़ा, साइकिल, कपड़ा रेडीमेड उद्योग, दुकान, मुर्गीपालन, टायर बैल, इक्का घोड़ा इत्यादि ।
बनकटा	90-91	30	पम्पसेट, बोरिंग, भैंस पालन, बकरीपालन, सूकर पालन, टायर बैल, किराना दुकान बांस टोकरी जनरेटर, आटा चक्की, खच्चर,फनीचर उद्योग इत्यादि ।
	91-92	23	पम्पसेट, परचून की दुकान, जनरेटर, कोल्हू, बैंडबाजा, टोकरी निर्माण, खच्चर, आटा चक्की, किराना दुकान, जनरल स्टोर, मनिहारी बीज की दुकान इत्यादि।
भटनी	90-91	415	पम्पसेट बोरिंग, बैल, भैंस, सूकर यूनिट, बकरी यूनिट, सिलाई उद्योग, रैक्सीन उद्योग दुकान, टायर, शामियाना इत्यादि ।
	91-92	58	पम्पसेट बोरिंग, भैंस, सूकर यूनिट, बकरी यूनिट, दुकान फनीचर उद्योग, इक्का घोड़ा, शामियाना इत्यादि ।

जिन लाभार्थियों को उपर्युक्त योजना स्वीकृत की गई है उनका विवरण विस्तृत होने के कारण मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है ।

जनपद फैजाबाद के गोसाईंगंज नामक स्थान पर बसों को रोकने एवं केयर चार्ट उपलब्ध कराने हेतु दिये गये आदेश का अनुपालन

72-श्री संत बक्श रावत-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रधान प्रबन्धक,उ0प्र0 सं0प0 निगम, लखनऊ की पत्रांक 529(1) डीवीएमओ/79/दिनांक 23 मार्च, 1979 द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक लखनऊ/आजमगढ़/फैजाबाद को सुल्तानपुर मार्ग पर गोसाईंगंज नामक स्थान पर बसें रोकने एवं केयर चार्ट उपलब्ध कराने हेतु आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या उस आदेश का अनुपालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

73-श्री संत बक्श रावत-

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-3-81 का प्रधान प्रबंधक उ0प्र0रा0स0प0 निगम को थाना गोसाईगंज बस स्टाप पर बसों के रुकवाने के संबंध में मिला था जिसकी प्राप्ति उन्होंने अपने पत्र संख्या जस/वि0प0-102/81, दिनांक 14 अप्रेल, 1981 द्वारा की थी, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी हां ।

गोसाईगंज में बस रुकवाने तथा यात्रियों को इस स्थान से बस सुविधा उपलब्ध कराने व टिकट जारी करने के निर्देश दे दिये गये हैं । यहां पर निगम का चेकपोस्ट भी बना हुआ है जहां सभी बसें रुकती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

74-श्री संत बक्श रावत-

क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उप प्रधान प्रबंधक (संचालन) ने पत्र सं0 2024 रा0डी/87, दिनांक 21 मई, 1987 द्वारा डाक्टर मो0 रफीक गोसाईगंज सदरपुर करोरा, लखनऊ को दिये गये पत्र पर आदेश किया गया था कि जिन बसों के रुकने के आदेश गोसाई गंज के लिए हो उन बसों को उस स्थान पर रोकना सुनिश्चित करने हेतु आदेश दिया था ? यदि हां, तो उसका अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी हां ।

गोसाईगंज में बसें रोकी जा रही हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेवानिवृत्त प्रोफेसर, स्व0 नारायण शास्त्री खिस्ते, गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, वाराणसी के परिवार को पारिवारिक पेंशन उपलब्ध कराने की मांग

75- श्री फरीद महफूज किदवई-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती इन्दिराबाई खिस्ते पत्नी स्व0 नारायण शास्त्री खिस्ते, सेवानिवृत्त प्रोफेसर गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, वाराणसी का पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने का प्रकरण कार्यालय महालेखाकर, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र सं0-एस0पी0आर0 सेल0I/5323, दिनांक 17-1-91 द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या श्रीमती खिस्ते को शीघ्र पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हां ।

आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

शाहजहांपुर जनपद के परिवहन विभाग के परिचालक श्री वीरेन्द्र बहादुर की वरिष्ठता एवं अभिलेखीय त्रुटि के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी

76-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के परिवहन विभाग द्वारा परिचालकों की वरिष्ठता सूची में श्री वीरेन्द्र बहादुर परिचालक की सेवाओं को स्थायी की जगह अस्थायी दिनांक 1-6-65 की नियुक्ति तिथि की जगह दिनांक 1-6-64 दर्शाकर क्रम संख्या 41 की जगह 93 पर रखने का गम्भीर अपराध किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या जांच कर कर्मचारी के साथ हुई ज्यादती दूर की जायेगी और दोषी को दण्डित किया जायेगा ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

श्री वीरेन्द्र बहादुर परिचालक को वरिष्ठता सूची में गलत तौर से अस्थायी दिखाया गया है तथा इनकी नियुक्ति तिथि भी प्रश्न में इंगित प्रकार से गलत अंकित है । इस त्रुटि के लिए संबंधित कार्मिक को प्रतिकूल प्रविष्टि द्वारा दंडित कर दिया गया है ।

श्री वीरेन्द्र बहादुर की वरिष्ठता एवं अभिलेखीय त्रुटि के दूर किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्दिष्ट कर दिया गया है ।

77-श्री राम आसरे वर्मा-

(दूसरे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न सं0 200 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जिला बांदा के कतिपय विकास खण्डों को निर्बल वर्ग एवं इन्दिरा आवास योजना के तहत वर्षवार आवंटित धनराशि निर्मित कालोनियों की जानकारी

78-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द, जसपुरा, तिन्दवारी के किन-किन ग्रामों में कितनी धनराशि वर्ष 1989-90 से अब तक इन्दिरा आवास योजना व निर्बल आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित की गई एवं कितने ग्रामों में लागत के अनुसार कालोनियों का निर्माण कर कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि निर्माण होगा, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द, तिन्दवारी एवं जसपुरा के वर्ष 1989-90 से अब तक निर्बल वर्ग आवासों एवं इन्दिरा आवासों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:-

		बड़ोखर खुर्द	तिन्दवारी	जसपुरा
निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना वर्ष 1989-90				
1	ग्रामों की संख्या जहां आवास निर्मित कराये गये	60	50	43
2	स्वीकृत आवासों की संख्या	251	243	188
3	पूर्ण एवं कब्जा दिये गये आवासों की संख्या	168	232	146
4	शेष आवासों की संख्या	43	11	42
5	स्वीकृत धनराशि (लाख रूपये में)	21.808	19.769	16.26

इन्दिरा आवास योजना वर्ष 1989-90

		बड़ोखर खुर्द	तिन्दवारी	जसपुरा
1	ग्रामों की संख्या जहां आवास निर्मित कराये गये ।	6	4	6
2	स्वीकृत आवासों की संख्या	56	45	60
3	पूर्ण एवं कब्जा दिये गये आवासों की संख्या	54	45	60
4	अपूर्ण आवासों की संख्या	2	–	–
5	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में)	4.38040	3.15000	4.3180

निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना वर्ष 1990-91

1	ग्रामों की संख्या जहां आवास निर्मित कराये गये ।	23	24	21
2	स्वीकृत आवासों की संख्या	71	81	51
3	पूर्ण एवं लाभार्थियों को कब्जा दिये गये आवासों की संख्या ।	71	81	15
4	शेष आवासों की संख्या	–	–	–
5	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में)	6.763	7.743	4.807

इन्दिरा आवास योजना वर्ष 1990-91

1	ग्रामों की संख्या जहां आवास निर्मित कराये गये ।	5	3	5
2	स्वीकृत आवासों की संख्या	52	30	48
3	पूर्ण एवं कब्जा दिये गये आवासों की संख्या	46	30	48
4	अपूर्ण आवासों की संख्या	6		—
5	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में) इन्दिरा आवासों को दिनांक	4.480	2.940	4.020

31-3-92 तक पूर्ण करा दिया जायेगा ।

निर्वल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना वर्ष 1991-92

1	स्वीकृत आवासों की संख्या	41	81	61
2	पूर्ण आवासों की संख्या	–	–	–
3	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में)	2.378	4.698	4.148

इन्दिरा आवास योजना वर्ष 1991-92

1	स्वीकृत आवास की संख्या	25	35	30
2	पूर्ण एवं कब्जा दिये गये आवासों की संख्या	15	9	10
3	शेष आवासों की संख्या	10	26	20
4	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में)	3.355	4.985	3.970

वर्ष 1989-90 के अपूर्ण निर्बल वर्ग आवासों में से विकास खण्ड बड़ोग्वर खुर्द के 61 आवास विवादग्रस्त हैं । शेष सभी विकास खण्डों के अपूर्ण आवासों को दिनांक 31-3-92 तक पूर्ण करा दिया जायेगा ।

अलग-अलग विकास खण्ड की ग्रामवार वर्षवार आवासों की आवंटित धनराशि का विवरण माननीय सदस्य द्वारा माननीय राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विभाग के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा के ग्राम सभा शेखपुर को जवाहर रोजगार योजना के तहत आवंटित एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण

79-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में विकास खण्ड जसपुरा के ग्राम सभा शेखपुर को जवाहर रोजगार योजना द्वारा कितनी धनराशि फरवरी, सन 1989 से अक्टूबर 91 तक दी गयी है ? योजनानुसार किन-किन मदों में कितनी धनराशि व्यय की गयी है व कितनी धनराशि अवशेष हैं ? क्या कराये गये कार्यों की जांच की गयी ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा की ग्राम सभा शेखपुर को जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत वर्ष फरवरी 89 से अक्टूबर तक कुल गुश्त 90007.95 की धनराशि दी गयी ।

योजनानुसार मदवार व्यय की गई धनराशि एवं अवशेष धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

	वर्ष 89-90	धनराशि
1-तालाब की खुदाई		1530.00
2-पंचायत भवन निर्माण		5963.00
3-बंधी निर्माण		8298.00
4-वृक्षारोपण एवं बंधी कार्य		7601.00
5-कूप मरम्मत दो अदद		5979.00
6-खड़ंजा निर्माण		18060.00
7-प्रशासनिक व्यय		58.50
	योग	47489.50

	वर्ष 90-91	
1-पंचायत भवन के अवशेष कार्य पर व्यय।		10252.00
2-निर्बल वर्ग आवास को स्थानान्तरित		5400.00
3-खड़ंजा निर्माण		4400.00
4-प्रशासनिक व्यय		35.00
	योग	20087.00

वर्ष 91-92

1-खड़ंजा एवं नाली निर्माण हेतु ईंटा क्रय	8700.00
2-प्रशासनिक व्यय	100.00
योग	8800.00
अवशेष धनराशि	13631.45

जांच कराई गई है। कराये गये कार्य संतोषजनक पाये गये हैं ।

प्रदेश में शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालयों में प्रवक्ताओं के आरक्षित पदों की संख्या

80-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0प्र0 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रवक्ताओं (टीचरों) का विश्वविद्यालयों में आरक्षण कोटा क्या है ? अब तक आरक्षण कोटे के आधार पर कितने लोगों को रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह कोटा कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के पदों पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर में निबन्धन विभाग में प्रोन्नति में वरिष्ठता का अतिक्रमण करके श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, निबन्धन लिपिक को प्रोन्नति किया जाना

81-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर में निबंधन विभाग के श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, निबन्धन लिपिक को कई वरिष्ठ निबंधन लिपिकों की वरिष्ठता का अतिक्रमण करके प्रभारी उप निबंधक के पद पर प्रोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राजपत्रित अधिकारियों को गृह जनपद में नियुक्त न किये जाने वाले शासनादेश के विरुद्ध भी श्री श्रीवास्तव को उनके गृह जनपद की तहसील धौरहरा, लखीमपुर में ही तैनात किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जी हां ।

प्रोन्नति में प्रथम दृष्ट्या अनियमितता प्रतीत होती है, जिसकी जांच की जा रही है ।

जी हां ।

जांच की जा रही है ।

प्राणि उद्यान लखनऊ के तत्कालीन निदेशक के विरुद्ध आरोपों की जांच

82-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राणि उद्यान, लखनऊ के विरुद्ध तत्कालीन निदेशक के खिलाफ आरोपों की छान-बीन के विरुद्ध जांच आख्या दिनांक 17-7-1990 के आधार पर दिनांक 25-10-1990 को उन्हें स्थानान्तरित कर

दिया गया था ? यदि हां, तो वे आरोप क्या थे, और उनमें कितने सही पाये गये ? सही पाये जाने पर क्या दण्डात्मक कार्यवाही उक्त निदेशक के खिलाफ की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

आरोप निम्नवत थे :-

प्राणि उद्यान में कर्मचारियों से ठीक कार्य न लिया जाना, उनसे निजी कार्य कराना, कर्मचारियों के प्रति ठीक व्यवहार न कर उनका उत्पीड़न करना, उन्हें अनुमन्य वेतन, सुविधायें आदि न देना आदि ।

जांच रिपोर्ट परीक्षणाधीन है ।

लैंसडाउन वन प्रभाग, रेंज कोटद्वार के ग्रामसभा बाला सौड़ पर लकड़ी के दुरुपयोग एवं जुर्माने की वसूली

83-श्री कृष्ण चन्द्र -

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि लैंसडोन वन प्रभाग, कोटद्वार रेंज के अंतर्गत प्रधान ग्राम सभा बालासौड़ पर पन्द्रह घन फुट साल की लकड़ी का दुरुपयोग वर्ष 1987 में किये जाने का आरोप है, ? क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा अट्ठाइस सौ रुपये साल की लकड़ी की कीमत तथा जुर्माना प्रधान ग्राम-सभा बालासौड़ से वसूल करने के लिये प्रभागीय वनाधिकारी लैंसडोन के माध्यम से नोटिस जारी किया गया था ? यदि हां तो उसका पत्रांक और दिनांक क्या थे ? क्या यह सत्य है कि भारतीय स्टेट बैंक, पदमपुर, खुसरो, कोटद्वार गढ़वाल में प्रधान ग्राम सभा बालासौड़ के खाते में पांच हजार रुपये की धनराशि जमा है और प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडोन द्वारा जिलाधिकारी, पौड़ी से अट्ठाइस सौ रुपये की वसूली बैंक के खाते से दिलाने की मांग की गई है? यदि नहीं, तो उक्त धनराशि जनहित में कब तक वसूल की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडोन द्वारा उनके पत्रांक 68/23-4, दिनांक 9-8-89 एवं पत्रांक 854/23-4 दिनांक 19-8-89 में वसूली हेतु परगनाधिकारी कोटद्वार को लिखा गया है ।

प्रश्नगत धनराशि भारतीय स्टेट बैंक में जमा होने की जानकारी विभाग को नहीं है और प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी से अठ्ठाइस सौ रुपये बैंक के खाते से दिलाने की मांग भी नहीं की गई है प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वसूली के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध जिला प्रशासन से किया गया है ।

श्री घनश्याम राय अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड बलिया का स्थानान्तरण विशेष परिस्थितियों में किया जाना

84-श्री सुधीर -

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में उसी जनपद के निवासी श्री घनश्याम राय, जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति उसी बलिया जनपद के बलिया तहसील में हुई है ? यदि हां, तो क्या यह वैधानिक है ? यदि नहीं, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध क्या उचित कार्यवाही हो रही है और श्री घनश्याम राय, जूनियर इंजीनियर का स्थानान्तरण कब तक सरकार करेगी ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां, श्री घनश्याम राय, अवर अभियन्ता, ग्रामीण

अभियन्त्रण सेवा, प्रखण्ड गाजीपुर का स्थानान्तरण प्रखण्ड बलिया में विशेष परिस्थितियों में किया गया था ।

उक्त स्थानान्तरण असंवैधानिक तो नहीं, किन्तु स्थानान्तरण नीति के विपरीत अवश्य है ।

श्री घनश्याम राय का स्थानान्तरण प्रखण्ड बलिया से प्रखण्ड सुल्तानपुर को कर दिया गया है । अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद लखीमपुर खीरी में भीरा-किशनपुर मार्ग पर चलने वाले वाहनों से वन मार्ग सुधारक शुल्क की वसूली

85-श्री राम सरन-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में भीरा किशनपुर मार्ग के मध्य लगभग दस हजार की आबादी के ग्राम किशनपुर कोषा, महराजगंज, टंडा, बंगाली कालोनी आदि लगभग 25 किमी0 जंगल के मार्ग पर पड़ते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि उक्त मार्ग पर आने जाने वाले ग्रामीणों से वन विभाग द्वारा टैक्स की वसूली की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में जांच के लिये कोई आदेश जारी करेगी? यदि नहीं तो क्या सरकार ग्रामीणों को आने जाने के लिये जंगल के रास्ते से सुविधा प्रदान करेगी? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद लखीमपुर खीरी में किशनपुर कोषा, महराजगंज, टांडा बंगाली कालोनी आदि भीरा से किशनपुर मार्ग के मध्य न होकर आस पास से है ।

जी नहीं । पैदल तथा साइकिल से चलने वालों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता है । वाहनो पर नियमानुसार वन मार्ग सुधारक शुल्क वसूल कर राजकीय कोष में जमा किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किशनपुर पशु बिहार में पड़ने वाले किशनपुर कटैया वन मार्ग से सूर्योदय से सूर्यास्त तक आवागमन की सुविधा पहले से ही अनुमन्य है ।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा अधिगृहीत भूमि की जानकारी एवं प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सेवा में लिये जाने की मांग

86- श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के पूर्वांचल विश्व-विद्यालय हेतु जिनकी भूमि अधिगृहीत की गयी है क्या उनके परिवार के सदस्यों को विश्वविद्यालय में स्थायी/अस्थायी अथवा दैनिक वेतन मजदूरी पर कार्य दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि कार्य नहीं दिया गया है, तो क्यों ? प्रश्नगत परिवार के सदस्यों को कार्य कब तक दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हाँ । ऐसे कतिपय सदस्यों को कार्य दिया गया है ।

जौनपुर स्थित पूर्वांचल विश्वविद्यालय के भवनों के निर्माण हेतु ग्राम देवकली एवं जासोपुर में कुल 104 व्यक्तियों की जमीन अधिगृहीत की गयी है । इसमें 41 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी पूरी जमीन अधिगृहीत हुई है। 25 ऐसे व्यक्ति हैं

जिनकी आधी अथवा आधी से अधिक जमीन ली गयी है । शेष 38 व्यक्तियों की जमीन आंशिक रूप से ली गयी है। भूमि अधिगृहीत किये जाने वाले व्यक्तियों में से कुल 57 व्यक्तियों ने नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र दिया है। वर्तमान में कोई रिक्ति न होने के कारण ।

विश्वविद्यालय में रिक्त पद सुलभ होने पर ।
प्रश्न नहीं उठता ।

87- श्री श्याम देव राय चौधरी-
(ले मंगल में अता0 प्र0 सं0 165 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 के अधीनस्थ वाराणसी मण्डल के राजकीय विद्यालयों/ कार्यालयों में कार्यरत वरिष्ठ/कनिष्ठ लिपिकों का स्थायीकरण किया जाना

88- श्री श्यामदेव राय चौधरी-
क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 के अधीनस्थ वाराणसी मण्डल में कितने ऐसे राजकीय विद्यालय/कार्यालय हैं जहां तीन वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत कनिष्ठ/वरिष्ठ लिपिकों का स्थायीकरण शासनादेशों के बावजूद तथा पद रिक्त होते हुए भी आज तक नहीं किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1976 के पश्चात अब तक नियुक्त कितने कनिष्ठ/वरिष्ठ लिपिकों का स्थायीकरण कर दिया गया है ? स्थायीकरण के लिये आवश्यक अभिलेखों के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है एवं विभाग ने उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं तो क्यों ? ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनके पद रिक्त रहते हुए स्थायीकरण के लिये उपयुक्त वरिष्ठ लिपिक के स्थान पर उनसे कनिष्ठ का स्थायीकरण कर दिया गया है ?

श्री राजनाथ सिंह-
समस्त स्थायी रिक्त पदों के विरुद्ध प्रश्नगत लिपिकों का स्थायीकरण किया जा चुका है।

61 कनिष्ठ लिपिकों का 50 वरिष्ठ लिपिकों का स्थायीकरण किया गया है।
प्रश्न नहीं उठता ।
वर्तमान में कोई नहीं ।

89- श्री यदुनाथ सिंह-
(3 सरे सोमवार के लिये स्थगित)

जनपद लखनऊ के बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा करदाताओं से अतिरिक्त जमानत मांगने के कथित आरोपों की जांच

90- श्री यदुनाथ सिंह-
क्या संस्थागत वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बिक्रीकर अधिनियमों की धारा 8 सी (2) के अंतर्गत लखनऊ के बिक्रीकर अधिकारियों ने मनमाने ढंग से अतिरिक्त जमानत करदाताओं से मांगी है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-17 आयुक्त, बिक्रीकर कार्यालय में ता0 18-2-91 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में मांगी गयी जानकारी सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-
उक्त विषय पर माननीय सदस्य विधान सभा का पत्र संख्या-17 दिनांक 18-2-91 आयुक्त बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था, उक्त के संबंध में जांच करायी जा रही है । परिणाम से माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा ।

बिक्रीकर विभाग में तखतों की खरीद-फरोख्त के बारे के उच्च स्तरीय जांच परिणाम की जानकारी की मांग

91.-श्री यदुनाथ सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पहले मंगल के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या- 129 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या 599 में किन-किन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी थी तथा उक्त जानकारी सदन के पटल पर रखी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

प्रश्न में संदर्भित श्री अब्दुल बदूद खां का पत्र संख्या 599 उपलब्ध नहीं हुआ था जिसकी प्रति मा0 विधायक महोदय को उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध पर भी उपलब्ध नहीं हुई है। अतएव उसकी प्रति उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध है जिसकी प्रति उपलब्ध हो जाने पर कार्यवाही कर दी जायेगी ।

92- श्री यदुनाथ सिंह-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद फिरोजाबाद (नगर) में कारखानों को चलाने हेतु सायरन व्यवस्था

93-श्री राम किशन ददाजू-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद के फिरोजाबाद नगर में कारखानों को चलाने के लिये सायरन की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो कहां-कहां व किन-किन कारखानों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

श्रम अधिनियमों में ऐसी व्यवस्था कराने का प्राविधान नहीं है ।

उत्तर गोण्डा/दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग के विभिन्न रेन्जों में प्रजातिवार अवैध रूप से पेड़ों के कटान का विवरण एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

94-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा उत्तरी वन प्रभाग/दक्षिणी गोण्डा वन प्रभाग के रेंजों में अक्टूबर, 89 से 30 अक्टूबर, 91 तक किस-किस परिजात के कितने पेड़ अवैध रूप से काटे गये हैं और विभाग द्वारा कितना जुर्माना वसूल किया गया ? कितने अवैध कटान के मुकदमें न्यायालय में भेजे गये तथा इस अवैध कटान में कौन-कौन लोग दोषी पाये गये ? उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

उत्तर गोण्डा/दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग में अक्टूबर, 1989 से 30 अक्टूबर, 1991 तक विभिन्न रेन्जों में प्रजातिवार अवैध रूप से काटे गये पेड़ों का विवरण निम्न है :-

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग

1- भावंर रेंज- 36 शीशम, 17 साखू, 10 खैर, 19 सागौन, 1 जामुन, 1 हल्दू, 1 भुरकुल, 1 कुकाठ ।

2- रामपुर रेंज- 33 शीशम, 25 साखू, 24 खैर, 35 सागौन, 33 जामुन, । धमिना, 77 कुकाठ ।

3- तुलसीपुर रेंज- 61 शीशम, 5 साखू, ।। खैर, 33 सागौन, 2 कुकाठ ।

4- बरहवा रेंज- 74 शीशम, 3 साखू, 25 खैर, 30 सागौन, 2 हल्दू, । फल्दू, । सकसाल, । आमला ।

5- बनकटवा रेंज- 46 शीशम, 13 साखू, 7 खैर, 18 सागौन, । गुलेर, । धो, 2 जामुन, । अमलतास, 27 कुकाठ ।

6- गोण्डा रेंज- 2 यूकलिप्टस, । नीम ।

दक्षिणी गोण्डा वन प्रभाग

1- कुआना रेंज- 7 शीशम, 18 सागौन 66 साखू 3असना, 17 जामुन ।

2- उतरौला रेंज- 26 शीशम, 13 सागौन, 67 साखू, 4 असना, 15 जामुन 11 यूकलिप्टस, 4 महुआ, 15 कुकाठ ।

3- टिकरी रेंज- 4 शीशम, 180 सागौन, 58 साखू, । जामुन, । महुआ ।

4-सादुल्लानगर इकाई- 2 शीशम, 86 सागौन, 4 साखू, 14 असना, 353 जामुन, 3 खैर 49 कुकाठ ।

विभाग द्वारा वसूल किया गया जुर्माना:-

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग-	रु0 1,61,592-00
दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग-	रु0 1,30,075-00
योग:	रु0 2,91,667-00

न्यायालय में भेजे गये मामलों की संख्या:-

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग-	44
दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग-	82
योग-	126

अवैध कटान में 766 लोग दोषी पाये गये हैं जिनकी सूची मेरे कार्यालय कक्ष में है जिसको माननीय सदस्य किसी भी कार्यालय दिवस में देख सकते हैं । दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मिर्जापुर डिपो के कतिपय बस सेवाओं के संचालन की जानकारी

95-श्री गोपी नाथ दीक्षित-

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि उ0प्र0रा0स0प0नि0 मिर्जापुर डिपो की माण्डा, बरौधा, बरकछ, बड़ोखर वाया बरौधा दोहथा, बस सेवा संचालन का आदेश निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो उक्त बसें कब से चलाई जायेंगी ? क्या माण्डा, बरौधा, दोहथा, मनिगढ़ा हलिया की बसों को चलाये जाने वावत् भारतीय जनता पार्टी, उ0प्र0 के प्रादेशिक उपाध्यक्ष श्री ज्ञान चन्द्र द्विवेदी (एम0 एल0 सी0) का पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 1991 उनको मिला है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

समय-समय पर लिये गये निर्णयों के अनुकूल इन स्थानों के लिये वर्तमान में संचालन की स्थिति निम्नवत् है :-

1- मिर्जापुर-बरकछा (वाया लालगंज) सेवा संचालित है।
2- मिर्जापुर-बड़ोखर (वाया माण्डा रोड) सेवा संचालित है।
3- बड़ोखर से बरोधा होते हुए कोई सेवा संचालित नहीं है।
4- मिर्जापुर से दोहथा कोई सेवा संचालित नहीं है। क्रमांक 3 व 4 के मार्गों पर निगम की सेवायें चलाना विचाराधीन नहीं है।
जी हां।

परीक्षणोंपरान्त पाया गया कि वाराणसी मनिगढ़ा मार्ग पर सेवायें संचालित हैं। वाराणसी दोहथा वाया बरोसा मार्ग का हाटा से दोहथा तक का अंश अराष्ट्रीयकृत है। निगम की वर्तमान में ऐसे मार्गों पर नई बस सेवा चलाने की नीति नहीं है।

श्री दया शंकर दुबे, सहायक लिपिक, सिविल लाइन्स डिपो, इलाहाबाद के देय अवशेषों के भुगतान एवं कथित पत्रों पर कार्यवाही किये जाने की जानकारी

96- श्री गापी नाथ दीक्षित-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दयाशंकर दुबे, सहायक लिपिक, सिविल लाइन डिपो (इलाहाबाद) का अपने जबरन सेवावकाश पर भेजे जाने एवं बकाये धनराशि के भुगतान अब तक न किये जाने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 21-5-1990 एवं स्मरण पत्र दिनांक 18-7-1991 तथा 29-9-1991 उनके मंत्रालय/विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उनके प्रार्थना-पत्रों पर बिन्दुवार अब तक क्या कार्यवाही हुई है? दोषी क्षेत्रीय प्रबन्धक (इलाहाबाद) के विरुद्ध आरोपों की किस सक्षम अधिकारी से जांच कराई गई है और इसकी जांच रिपोर्ट क्या है? क्या सरकार इस सेवा मुक्त कर्मचारी के बकाये धनों का भुगतान समय से न किये जाने पर दोषी एवं जिम्मेदार अधिकारी को दण्डित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

प्रश्नगत पत्र दिनांक 21-5-90 एवं 18-7-91 प्राप्त हुए हैं। दिनांक 29-9-91 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त पत्रों पर की गयी कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है :-

मण्डलीय प्रधान प्रबन्धक, वाराणसी द्वारा जांच कराई गयी जिसमें यह पाया गया कि श्री दुबे को 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त नियमानुसार दिनांक 31-3-1990 को सेवा निवृत्त किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11-4-88 के अनुपालन में श्री दुबे को दिनांक 1-4-87 से एरियर धनराशि रुपये 11,359.20 का भुगतान दिनांक 23-9-88 को किया जा चुका है। अवशेष भुगतानों के बारे में श्री दुबे को औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु सूचित किया गया किन्तु औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। श्री दुबे के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित अन्य बातें निराधार हैं। उनके प्रकरण में की गयी कार्यवाही विभागीय नियमों एवं प्राविधानों के अनुरूप है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक इलाहाबाद के विरुद्ध आरोपों की जांच मण्डलीय प्रधान प्रबन्धक (पूर्वी जोन) वाराणसी से करायी गयी जो सिद्ध नहीं पाये गये।

वर्णित स्थिति में किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

97- श्री कृपी नाथ दीक्षित-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा सदस्य, श्री तीरथ राज का पत्र दिनांक 28 सितम्बर, 1991 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में श्री दया शंकर दुबे, लिपिक, सिविल लाइन डिपो, इलाहाबाद के साथ इलाहाबाद क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा बदले की भावना से कार्यवाही किये जाने का आरोप सत्य है ? क्या इस संबंध में लो0 नि0 मंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 द्वारा विधायक की हैसियत से उक्त कार्यवाही को प्रबन्ध निदेशक को पत्र लिखकर गलत ठहराया गया था ? यदि हां, तो उनके पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

प्रश्नगत पत्र दिनांक 28 सितम्बर, 1991 प्राप्त हुआ था, उसके साथ प्राप्त श्री दया शंकर दुबे के पत्र दिनांक 26-9-1991 पर जांच करायी जा रही है। डा0 एस0एस0 डंग, मा0 लोक निर्माण मंत्री (तत्कालीन सदस्य, विधान सभा, उ0प्र0) के पत्र दिनांक 23-5-90 व श्री राजनाथ सिंह, मा0 माध्यमिक शिक्षा मंत्री (तत्कालीन सदस्य, विधान परिषद्) के पत्र दिनांक 3-6-90 पर मण्डलीय प्रधान प्रबन्धक (पू0जो0) वाराणसी से जांच करायी गयी और जांच में श्री दया शंकर दुबे के प्रकरण में की गयी कार्यवाही नियमानुकूल पायी गयी ।

रियासती अंजुमन तरक्की उर्दू उ0प्र0 को गंभीर अनियमितताओं के कारण अनुदान अवमुक्त करने पर रोक

98- श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि रियासती अंजुमन तरक्की उर्दू, उ0प्र0 को वार्षिक मिलने वाला शिक्षा अनुदान गत कितने वर्षों से नहीं दिया जा रहा है और इसे न देने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि 6 जनपदों में उर्दू मीडियम गाडल्स स्कूल और दस जनपदों में उर्दू लिटरेसी केन्द्र चलाने के लिये 1975-76 में इन्हें वार्षिक शिक्षा अनुदान राष्ट्रीय एकीकरण विभाग से दिया जाता रहा है और अब उक्त अनुदान न मिलने से 8 जनपदों के उर्दू मीडियम स्कूल और 20 जनपदों के उर्दू लिटरेसी केन्द्र बन्द होने की नौबत आ गयी है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सारा अनुदान कब तक उन्हें दे देगी ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

रियासती अंजुमन तरक्की उर्दू, उ0प्र0 द्वारा वर्ष 1989-90 के पूर्व वर्षों में स्वीकृत अनुदान के उपयोग में बरती गयी गंभीर अनियमितताओं के कारण उक्त संस्था को अग्रेतर अनुदान अवमुक्त नहीं किया जा सका है ।

इस संस्था के कार्य-कलापों एवं गतिविधियों तथा बरती गयी अनियमितताओं की पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 द्वारा जांच की जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथास्थिति वर्ष 1989-90 तथा उसके आगे के वर्षों के संबंध में अनुदान अवमुक्त किये जाने पर विचार करना संभव होगा ।

जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील इटवा की ग्राम सभा बबुरहा को जवाहर रोजगार योजना के तहत आवंटित धनराशि के गबन के संबंध में कृत कार्यवाही

99- श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के

तहसील व ब्लाक इटवा, न्याय पंचायत-मुडिया बक्शी के अन्तर्गत ग्राम सभा बबुरहा के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के समस्त धनराशि गबन करने के आरोप में एस0डी0एम0 (पी) सिद्धार्थनगर द्वारा जांचोपरान्त आरोप सही पाये जाने पर एस0 डी0 एम0, इटवा को बरखास्तगी के लिये संस्तुति भेजी थी, जिसकी जबाबदेही भी प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या ग्राम सभा बबुरहा के प्रधान को निलम्बित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक निलम्बित किया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां, किन्तु जबाबदेही प्राप्त नहीं हुई है ।

जी नहीं ।

प्रधान द्वारा मण्डलायुक्त के न्यायालय में रिवीजन दायर किया गया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ।

हाई स्कूल परीक्षा (इलाहाबाद बोर्ड) के परीक्षा केन्द्र सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज सिकन्दरा जिला कानपुर देहात के परीक्षार्थियों के परीक्षा फल का निस्तारण करने की मांग

100-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1990 की हाई स्कूल परीक्षा (इलाहाबाद बोर्ड) में परीक्षा केन्द्र सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, सिकन्दरा जिला कानपुर देहात में परीक्षा देने वाले श्री नेहरू इण्टर कालेज, रसधान, जिला कानपुर देहात के कितने छात्र एवं छात्राओं का परीक्षाफल रोका गया है ? क्या उक्त छात्रों एवं छात्राओं का साल खराब न होने देने के लिये सरकार उनका परीक्षाफल शीघ्रातिशीघ्र घोषित करायेगी ? यदि हो, तो कब तक ?

श्री राजनाथ सिंह-

37 परीक्षार्थियों का जो सभी छात्र हैं, जिनका परीक्षाफल रोका गया था सभी रोके गये परीक्षाफलों का निस्तारण हो चुका है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाचार्य/परीक्षार्थियों को भेज दी गयी है ।

101-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

(पहले मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

स्वस्थ्य मनोरंजन वाली फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त करने हेतु बनायी गयी नीति

102-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिनेमाघरों की गिरती आर्थिक स्थिति और

बंद हो रहे सिनेमा गृहों को राहत देने के उद्देश्य से स्वस्थ्य मनोरंजन वाली फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्ति देने व सभी फिल्मों को मनोरंजन करों की भारी दरों में रियायत देने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? किसी फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त करते समय, फिल्म की कथावस्तु में कौन-कौन मुद्दे देखे जाते हैं ? मनोरंजन कर से छूट का अंतिम फैसला किसके द्वारा होता है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

स्वस्थ्य मनोरंजन वाली फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्ति देने की नीति शासन द्वारा बनायी जा चुकी है, जो वर्तमान में प्रभावी है । मनोरंजन कर की दरों में रियायत देने की कोई योजना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है । वर्ष 1989 में मनोरंजन कर की दरों मे पहले ही रियायत दी जा चुकी है ।

किसी फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त करते समय विशेष रूप से फिल्म की कथावस्तु में यह बात देखी जाती है कि फिल्म का व्यापक प्रदर्शन जनहित में होगा अथवा नहीं ।

मनोरंजन कर से छूट का अंतिम फैसला मंत्रि-परिषद् के द्वारा किया जाता है।

उ0प्र0 परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच रिपोर्ट

103-श्री गोपी नाथ दीक्षित-

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि श्री दया शंकर दुबे का एक प्रार्थना पत्र निदेशक, उ0प्र0, परिवहन निगम, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रार्थना पत्र में आरोपित बिन्दुओं की जांच कराई गयी और उसमें क्या क्या आरोप थे ? दोषी क्षेत्रीय प्रबन्धक (इलाहाबाद) श्री ए0एन0 यादव के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही हुई है और श्री दुबे के प्रकरण में क्या निर्णय किया गया है ? क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जाचं रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

श्री दया शंकर दुबे द्वारा दिनांक 21-5-90 को क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद द्वारा अत्याचार एवं उत्पीड़न किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । उक्त प्रार्थना-पत्र में मुख्य रूप से पुलिस के माध्यम से उत्पीड़न किये जाने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है । उक्त प्रार्थना-पत्र में मुख्य रूप से पुलिस के माध्यम से उत्पीड़न किये जाने बदले की भावना, वेतन निर्धारण न किये जाने, अनुचित रूप से उनके भाई को वेतन का भुगतान न किये जाने, स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये जाने, सेवा पुस्तिका न दिखाने, गैर कानूनी ढंग से सेवा से पृथक करने, पत्रावली गायब करने के झूठे आरोप लगाने, अनुचित रूप से अवकाश प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये जाने तथा जन्म तिथि में फोर्ज करके असमय सेवानिवृत्त करने के आरोप लगाये गये थे, जिनकी जांच कराई गयी । जांच आख्या के अनुसार क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्य नहीं पाये गये । विभिन्न आरोपों के सम्बन्ध में श्री दुबे के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमानुसार की गई । श्री दुबे 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हुए हैं । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में दिनांक 1-4-87 से एरियर धनराशि रु0 11359-20 का भुगतान दिनांक 23-9-88 को किया जा चुका है । अवशेष भुगतान अपेक्षानुसार औपचारिकतायें पूर्ण करके श्री दुबे प्राप्त कर सकते हैं । जांच रिपोर्ट की फोटो प्रति संलग्न है । †

जनपद फिरोजाबाद में राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज खोले जाने की मांग

104-श्री राम किशन ददाजू-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद में कोई इण्टर मीडिएट कालेज है ? यदि नहीं, तो क्या उसे खुलवाने की व्यवस्था शासन द्वारा की जायेगी ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में स्नातक उच्च शिक्षा की व्यवस्था

105-श्री विजय पाल सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र फतेहाबाद, जिला आगरा के अंतर्गत छात्र एवं छात्राओं को स्नातक की शिक्षा हेतु सरकार की तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो कहां पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी नहीं ।

फतेहाबाद से 35 किमी0 की दूरी पर जनपदीय मुख्यालय आगरा में छः अशासकीय महाविद्यालय एवं एक डीम्ड विश्वविद्यालय पूर्व संचालित है । अतएव स्नातक स्तर की उच्च शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है ।

सम्प्रति औचित्य नहीं है ।

उ0प्र0 परिवहन निगम में विभिन्न पदों पर प्रोन्नति विषयक जानकारी

106-सैयद कासिम हसन-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों की वरिष्ठता क्रम से यात्री कर/माल-कर अधीक्षक के पदों पर प्रोन्नत करने का प्राविधान पूर्ववत् जारी है ? यदि हां, तो उपरोक्त से संबंधित रिक्त पदों पर प्रोन्नति न किये जाने का क्या कारण है? कब तक उक्त प्रोन्नति देकर रिक्त पद भर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† छापी नहीं गयी ।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी हां ।

वर्तमान समय में प्रोन्नति कोटे के कोई पद रिक्त नहीं हैं । माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के अनुपालन में, रिक्त यात्री-कर अधीक्षक के पद समयोजित हो गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड गोण्डा के गोदाम में सीमेंट के घोटाले की जांच

107-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, गोण्डा के गोदाम के निकट 125 बोरी सीमेंट त्रिपाल से ढकी हुई तथा 125 बोरी सीमेंट ट्रैक्टर पर लदी हुई गैराज में पायी गयी थी, जिसकी जांच दिनांक 8-4-91 को की गयी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

दिनांक 8-4-91 को जांच के समय ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, गोण्डा के स्टोरें प्रांगण में 125 बोरी सीमेंट त्रिपाल से ढकी हुई पायी गयी थी तथा 125 बोरी सीमेंट गोदाम परिसर स्थित ट्रैक्टर पर लदी हुई नहीं, अपितु ट्रैक्टर गैराज में रखी हुई पायी गयी थी ।

उक्त प्रकरण की अधिशासी अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, गोण्डा द्वारा जांच पूरी हो चुकी है, जिसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया ।

108-श्री सुरेश प्रताप गांधी-

(दिनांक 20-2-92 को अता0 प्र0 सं0 193 द्वारा उत्तरित)

जिला लखनऊ के मोहनलालगंज के दस लाख कुआं योजनान्तर्गत तालाब खुदाई हेतु स्वीकृत धनराशि एवं सृजित मानव दिवसों का विवरण

109-श्री संत बक्स सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड मोहनलालगंज जनपद लखनऊ में हजार कुआं योजना के अन्तर्गत किन-किन ग्राम सभाओं में तालाब के खुदाई का कार्य करने के लिए कितने रुपये स्वीकृत किये गये थे और कितने मानव दिवस सृजित किये गये ? क्या यह सही है कि उक्त विकास खण्ड में श्रमिकों से तालाब न खुदवाकर राजस्थानी ट्रैक्टरों से खुदाई का कार्य हुआ है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कर्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जनपद लखनऊ में हजार कुआं की कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है वरन् दस लाख कुआं योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत वर्ष 1990-91 में विकास खण्ड मोहनलालगंज में निम्न ग्राम सभाओं में तालाब खुदाई की स्वीकृति प्रदान की गई, स्वीकृत धनराशि एवं सृजित किये जाने वाले मानव दिवसों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	ग्राम सभा/स्थल का विवरण	स्वीकृत धनराशि	सृजित किये गये मानव दिवस
1	2	3	4
1	गढ़ी	1,64,122	8562
2	पलिहार (गढ़ी)	1,77,622	9867
3	डांडा सिकन्दरपुर	1,21,226	6734
4	डांडा सिकन्दरपुर	1,00,533	5585
5	गौतम खेड़ा	25,265	1403
6	परेहटा	1,69,164	9398
7	बघोना	84,172	4676
8	बघोना	53,223	2956
9	खक्षौली	1,81,476	10082
10	सलसामऊ	1,03,180	5732
11	[illegible]	1,00,919	5606
12	काटाकरौदी	35,139	1954
13	रायभान खेड़ा	47,449	2639
14	गौरा	1,98,882	11049

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्थगनादेश प्राप्त खण्ड विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी के स्थानान्तरण की जानकारी

110-श्री देवेन्द्र पाल सिंह -

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि रामेश्वर वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी सन् 1985 में निलम्बित हुए थे और उनके वित्तीय अधिकार छीन लिये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह ज्ञात है कि वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी ने अपने निलम्बन के आदेश का स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय से लिया था ? स्थानान्तरण होने के बाद भी श्री रामेश्वर वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी को लखीमपुर खीरी से शाहजहांपुर कैसे भेजा गया ? यदि हां, तो निलम्बित होने के बाद भी उनको नियमित खण्ड विकास अधिकारी कैसे बनाया गया ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

निलम्बन के फलस्वरूप वित्तीय अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं ।

जी हां ।

श्री रामेश्वर वर्मा ने निलम्बन आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय से दिनांक 27-6-85 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे और इन्हें शासनादेश दिनांक 5-8-85 द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में पदारूढ़ कर दिया गया था । निर्धारित अवधि से अधिक तक कार्यरत रहने के कारण इन्हें दूसरे मण्डल में स्थानान्तरित किया गया था ।

जांच कराई जा रही है ।

जनपद बांदा के पैलानी रेंज में लघु सीमान्त कृषकों को पौध लगाने हेतु स्वीकृत धन एवं तैयार पौधों की संख्या की जानकारी

।।।-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के पैलानी वन प्रभाग में वर्ष 1989-90, 1990-91 में लघु सीमान्त कृषकों के लिए कितनी पौध दी गई व पौध लगाने हेतु उक्त वर्ष में कितनी धनराशि शासन द्वारा दी गई है ? कितनी पौध प्रति-वर्ष तैयार की गई है ? इस समय कितनी पौध उक्त वर्षों की है ?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद बांदा में पैलानी वन प्रभाग नहीं है, बल्कि बांदा वन प्रभाग की एक रेंज है । पैलानी रेंज में लघु सीमान्त कृषकों को वर्ष 1989-90 में 1,36,450 तथा 1990-91 में 1,60,000 रुपये स्वीकृत किये गये ।

वर्ष 1989-90 में कुल 4,49,500 पौध तैयार की गई, जिसमें 1,49,500 पुरानी पौध शामिल है । वर्ष 1990-91 में कुल 3,60,000 पौध तैयार की गई, जिसमें वर्ष 1989-90 में उगाई गई एक लाख अवशेष पौध भी शामिल है । वर्तमान में दिनांक 18-8-91 तक उक्त दोनों वर्षों की 3,16,648 पौध शेष है ।

बांदा जनपद के ब्लाक बड़ोखर खुर्द के ग्राम कनवारा को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित व्यय की गयी धनराशि की जांच की मांग

।।2-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के ग्राम सभा कनवारा को जवाहर रोजगार योजना द्वारा कितनी धनराशि फरवरी, 89 से अब तक आवंटित की गई ? किन-किन मदों में कितनी धनराशि उक्त योजना में व्यय की गयी है व कितनी धनराशि अभी शेष है ? क्या उक्त योजना में व्यय धनराशि की उच्च स्तरीय जांच करायी गयी ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के राजकीय इण्टर कालेजों में कार्यरत प्रवक्ताओं को पेंशन आगणन हेतु अशासकीय विद्यालय में कृत सेवा का लाभ दिये जाने की जानकारी

।।3-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय इण्टर कालेजों में वर्तमान में कार्यरत कितने और किन प्रवक्ताओं को अशासकीय विद्यालय में कृत सेवा का लाभ पेंशन आगणन हेतु दिया गया है और उनकी अशासकीय विद्यालय में कृत सेवा को राजकीय सेवा में जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

शासनादेश संख्या 3691/15-2-88-36(75)/77, दिनांक 16-9-88 के अनुसार दिनांक 13-6-79 और 10-1-86 के मध्य सेवा निवृत्त हुए उन्हीं राजकीय अध्यापकों को सेवा का लाभ दिया गया जिनकी अशासकीय शैक्षिक सेवा का प्रबन्धकीय अंशदान ब्याज सहित 31-12-88 तक कोषागार में जमा हो गया है । बाद में कोषागार में जमा करने की तिथि 30 जून, 1991 तक बढ़ाई गयी । इस अवधि के आद सेवानिवृत्त हुए राजकीय शिक्षकों को अशासकीय विद्यालय में कृत सेवा का लाभ पेंशन आगणन हेतु वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण नहीं दिया गया ।

वनाधारित उद्योगों को वन निगम द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले प्रकाष्ठ का मूल्य निर्धारण

114-श्री लीला राम शर्मा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वनाधारित उद्योगों को वन निगम द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले प्रकाष्ठ के मूल्य निर्धारण का आधार क्या है ? क्या प्रकाष्ठ की सभी प्रजातियों के मूल्य निर्धारण में सामान्य आधार अपनाया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

वनाधारित उद्योगों को वन निगम द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले प्रकाष्ठ के मूल्य निर्धारण का आधार राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार बाजार भाव है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 वन निगम के पास बांकली प्रकाष्ठ की उपलब्धता एवं बिक्री से प्राप्त धनराशि का विवरण

115-श्री लीला राम शर्मा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वन निगम, उ0प्र0 के पास वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में बांकली प्रकाष्ठ की कितनी घनमीटर लकड़ी उपलब्ध थी और उसमें से कितनी प्रकाष्ठ किस दर से वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में बेचा गया और उससे वन निगम को कुल कितना मूल्य प्राप्त हुआ ।

श्री कल्याण सिंह -

उ0प्र0 वन निगम के पास वर्ष 1988-89 तथा वर्ष 1989-90 में बांकली प्रकाष्ठ की उपलब्धता क्रमशः 4306.2253 घनमीटर व 1987.0829 घनमीटर थी वर्ष 1988-89 में 2385.63 घनमीटर रुपये 1213.39 प्रति घनमीटर की दर से तथा वर्ष 1989-90 में 3055.8566 घनमीटर रुपये 1372.56 प्रति घनमीटर की औसत दर से बिक्री किया गया । प्रश्नगत वर्षों में वन निगम को बांकली प्रकाष्ठ की बिक्री से क्रमशः रुपये 28.94, 703.08 तथा रुपये 41,94,345.80 मूल्य प्राप्त हुआ । इस प्रकार वन निगम को कुल 70,89,048.88 रुपया प्राप्त हुआ ।

उ0प्र0 वन निगम में खैर प्रकाष्ठ के मूल्यों में किये गये अवमूल्यन का आधार

116-श्री लीला राम शर्मा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वन निगम, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1989-90 में खैर प्रकाष्ठ के मूल्यों में किये गये 20 प्रतिशत अवमूल्यन का आधार क्या है ? इसमें सरकार को कुल कितने राजस्व की क्षति हुई ।

श्री कल्याण सिंह -

उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा वर्ष 1989-90 में खैर प्रकाष्ठ के मूल्यों में 20 प्रतिशत का अवमूल्यन नहीं किया गया, बल्कि जो मूल्य निर्धारित किया गया है वह वर्ष 1988-89 के सापेक्ष अधिक है ।

दरों में वस्तुतः वृद्धि की गयी है ? अतः शासकीय राजस्व की हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उ0प्र0 वन निगम बांकली प्रकाष्ठ के मूल्यों में की गयी वृद्धि को वापस किये जाने की मांग

117- श्री लीला राम शर्मा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ का मे0 सर्वोदय बुग्गी एण्ड कृषि यंत्र उद्योग, मिर्ची टोला, कबाड़ी बाजार, बुलन्दशहर को सम्बोधित और प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ को पृष्ठांकित पत्रांक उ0ब0/ल0उ0ब0/90-91, 56-38-39 दि0 3जुलाई, 1990, जिसमें लकड़ी की मूल्य वृद्धि पर वन निगम द्वारा कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस बारे में श्री दिवातन कुमार, प्रोपराइटर में सर्वोदय बुग्गी एण्ड कृषि यंत्र उद्योग बन्धु, लखनऊ को सम्बोधित और वन सचिव, उ0प्र0, वन उपयोग अधिकारी, उ0प्र0 को पृष्ठांकित दिनांक 1-10-90 का पत्र सरकार को मिल गया है ? यदि हां, तो वन निगम द्वारा बांकली प्रकाष्ठ के मूल्यों में की गयी वृद्धि को अभी तक वापस न लेने का कारण क्या है और यह कार्य कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

संदर्भित पत्र पर वन निगम द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 1989-90 में बांकली प्रकाष्ठ के लिये पूर्व निर्धारित मूल्यों में परिवर्तन करने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है ।

जी हां ।

उपरोक्त प्रकरण में वन निगम द्वारा समुचित विचारोपरान्त बांकली प्रकाष्ठ के मूल्यों में परिवर्तन करने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय इण्टर कालेज बहराइच के कतिपय प्रध्यापकों के विरुद्ध जिला अधिकारी बहराइच को सम्बोधित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही का विवरण

118- श्री विश्वनाथ-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री दिनेश गांधी, जिलाध्यक्ष, जिला युवक कांग्रेस (ई), बहराइच का राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच के दो प्रध्यापकों श्री राजकुमार सिंह (भौतिकी) एवं श्री ज्ञान नारायण दुबे, (जीव विज्ञान) के संबंध में जिला अधिकारी, बहराइच को सम्बोधित शिकायती-पत्र दिनांक 6-10-90 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर विभिन्न स्तरों से अब तक तिथिवार व बिन्दुवार कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ? क्या सरकार उसे सदन के पटल पर रखेगी ? क्या शासन इस तथ्य की भी जांच करवायेगा कि इस प्रकरण को किसी स्तर पर दबाने का भी प्रयास किया गया ? जांच में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हां ।

शिकायतकर्ता ने अपने उक्त पत्र दिनांक 6-5-91 द्वारा उक्त पत्र दिनांक 6-10-90 में लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए प्रकरण को समाप्त करने का अनुरोध किया । फलतः अग्रेतर कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

119- श्री राम किशन ददाजू-

(दिनांक 14-2-92 को अता0प्र0सं0 177 द्वारा उत्तरित)

जनपद फिरोजाबाद में बस डिपो बनाये जाने के प्रस्ताव की जानकारी

120-श्री राम किशन ददाजू-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद में बस डिपो बनाने की योजना शासन के तहत विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

परिवहन निगम में फिरोजाबाद में बस डिपो बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।
संसाधन के अभाव के कारण ।

राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया एवं शोध अधिकारी पद पर प्रोन्नति का प्राविधान

121-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है ? क्या विभागीय कर्मचारियों को उस पर प्रोन्नति किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? राज्य योजना आयोग के प्रवर वर्ग सहायकों जो शोध अधिकारी की शैक्षिक योग्यता व पांच वर्ष का अनुभव रखते हैं, उनका शोध अधिकारी के पद पर प्रोन्नति का क्या प्रतिशत है ? क्या प्रवर वर्ग सहायकों को शोध अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी/स्थायी प्रवर वर्ग सहायकों में से सेवा स्थानान्तरण के आधार पर की जाती है ।

विभाग में लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली अभी प्रख्यापित नहीं हुई है । इसके अतिरिक्त विभाग में अवर वर्ग सहायक के पद पर भी कोई स्थाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है ।

शोध अधिकारी का संवर्ग एक प्राविधिक संवर्ग है, जिसके लिए आयोग के प्रवर वर्ग सहायकों की प्रोन्नति का कोई प्राविधान शोध अधिकारी नियमावली में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

122-कुंवर रेवती रमण सिंह-

(तीसरे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न सं0 194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

उ0प्र0 बिक्री कर विभाग में राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य की जानकारी

123-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या संस्थागत वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 90-91 में बिक्री कर राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य बीस अरब रुपये रखने के बारे में तत्कालीन सदस्य, विधान परिषद् श्री खान अब्दुल बदूद खां का पत्र सं0-1440/90 मुख्य मंत्री कार्यालय में दिनांक 24-4-90 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या की गई कार्यवाही से माननीय सदस्य श्री खान साहब को अवगत कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जी हां, माननीय सदस्य, विधान परिषद् का उक्त पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में दिनांक 25-4-90 को प्राप्त हुआ है ।

उक्त सुझाव पर विभागाध्यक्ष की आख्या मांगी गयी थी । विभागाध्यक्ष द्वारा वर्णित परिस्थितियों में बिक्री कर राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 20 अरब रुपये रखना व्यवहारिक नहीं पाया गया है ।

जी हां, माननीय सदस्य, विधान परिषद को यह सूचित कर दिया गया था कि उनका पत्र विभागाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ।

उपरोक्त के प्रकाश में लागू नहीं है ।

फर्म इण्डिस्ट्रयल पैकिंग प्रोडक्ट्स ऐशबाग, लखनऊ की सम्पत्ति की नीलामी विषयक पत्र पर जांच

124-श्री यदुनाथ सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के सातवें मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0-47 के उत्तर के संदर्भ में क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या-263 में किन-किन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी थी ? क्या उक्त जानकारी सदन के पटल पर रखी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

प्रश्न में उल्लिखित पत्र सं0-268 में इंगित बिन्दुओं तथा उनके सम्बन्ध में सूचनायें संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 171-172 पर)

श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा का दिनांक 5-8-91 को मुख्य मंत्री को सम्बोधित कथित पत्र पर कृत कार्यवाही

125-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का अर्धशासकीय पत्र संख्या-540 दिनांक 5-8-91 मुख्य मंत्री कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर सूचना प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करवा दी गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त पत्र में कार्यवाही पूर्ण करवाकर सूचना कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? प्रश्नगत पत्र का अभी तक निस्तारण न किए जाने के संबंध में कौन अधिकारी दोषी है ? क्या शासन दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-
जी नहीं ।
पत्र के प्राप्त न होने की स्थिति में किसी कार्यवाही के करने को प्रश्न नहीं उठता ।

पटेल स्मारक इण्टर कालेज, पटेल नगर भटहट, जिला गोरखपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री राम करन की प्रोन्नति में हेरा-फेरी का आरोप

।26-कुंवर रेवती रमण सिंह-
दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र ।99। के पहले सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-76 के उत्तर के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सभी सूचनाएं अब तक प्राप्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजनाथ सिंह-
प्रश्न में उल्लिखित अतारांकित प्रश्न के संबंध में आख्या प्राप्त हो गई है और स्थिति इस प्रकार है:-

अभिलेखों की जांच से पाया गया है कि पटेल स्मारक इण्टर कालेज, भटहट, गोरखपुर में तृतीय श्रेणी के लिपिकीय दो पद रिक्त थे । उन पदों को दिनांक 31-1-79 तथा ।1-5-80 को विज्ञापित करके सीधी भर्ती से भर लिया गया और नियमानुसार 50 प्रतिशत पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति पर कोई विचार नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त दिनांक 22-8-80 को श्री राम देव सिंह, सहायक लिपिक की नियुक्ति सहायक अध्यापक के पद पर हो जाने से पुनः एक लिपिक का पद रिक्त हो गया । इस रिक्ति को भी संस्थाधिकारियों ने दिनांक ।1-5-80 को हुए चुनाव की प्रतीक्षा सूची से श्री झीनकू पाण्डेय से आवेदन-पत्र लेकर दिनांक 20-9-80 को तदर्थ नियुक्ति करके भर लिया, जिसकी सहमति जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इस शर्त पर दी गई कि 50 प्रतिशत पदोन्नति के कोटे की पूर्ति करके विधिवत् चुनाव किया जाये । संस्थाधिकारियों द्वारा कोटे की पूर्ति के संबंध में विचार न किए जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा श्री झीनकू पाण्डेय की नियुक्ति अवैधानिक होने के कारण दी गई अस्थायी सहमति को दिनांक 28-7-86 को निरस्त कर दी गयी और उक्त पद को 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत भरने के लिए निर्देश दिए गये जिसके विरुद्ध श्री झीनकू पाण्डेय ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या ।3640/86 योजित करके दिनांक ।0-8-86 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । प्रकरण माननीय न्यायालय के विचाराधीन है और झीनकू पाण्डेय अभी तक कार्यरत हैं ।

उल्लिखित रिट याचिका में दिनांक 22-6-88 को प्रतिशपथ-पत्र दायर किया जा चुका है । स्थगन आदेश वैकेट कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय प्रसार सेवा केन्द्र चावल मिल विषयक कुलपति की आख्या की जानकारी

।27-श्री सत्य देव पचौरी-
क्या नियोजन मंत्री को जानकारी है कि चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय प्रसार सेवा केन्द्र चावल मिल के विषय में निदेशक, राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा जनवरी, ।990 में कृषि विश्वविद्यालय कानपुर को भेजी गयी मूल्यांकन रिपोर्ट पर कुलपति

ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-176/आर0एम0-38/89-90, दिनांक 14-2-91 द्वारा आख्या उक्त निदेशक को भेजी है ? यदि हां, तो कुलपति की आख्या के तथ्य क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जी हां। परन्तु कुलपति के पत्र की सही तिथि दिनांक 14 फरवरी, 1990 है। कुलपति ने अपनी आख्या में लिखा है कि जब इस केन्द्र की स्थापना की गयी थी तब उससे कुछ शोध कार्य करने की अपेक्षा थी परन्तु इसका मुख्य कार्य कृषकों को छोटी चावल मिल इकाई लगाने हेतु अभिप्रेरित करना तथा इस निमित्त आवश्यक अनुदान व अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करना था। केन्द्र द्वारा इस सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार के कुछ प्रयास किये गये किन्तु उसका अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण इन छोटी चावल इकाइयों द्वारा धान कुटाई पर शासन द्वारा लगायी गयी लेवी थी।

चूंकि कुलपति की आख्या में प्रतिवेदन में प्रस्तुत तथ्य एवं निकाले गये निष्कर्षों का खंडन नहीं किया गया था अतः इस आख्या पर मूल्यांकन प्रभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

128-श्री सत्य देव पचौरी-

(दूसरे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश के डिग्री एवं पोस्टग्रेजुएट कालेज के प्रवक्तागणों को रीडर का पद दिये जाने की मांग

129-श्री अखिलेश-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के डिग्री एवं पोस्टग्रेजुएट कालेज के प्रवक्तागण को 3700 से 5700 का चयन वेतनमान चयनगति कर देने के बावजूद रीडर का पद क्यों नहीं दिया जा रहा है ? प्रवक्तागणों को उक्त रीडर का पद कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

राजाज्ञा संख्या 91जीआई/15-11-88-14(5)/87 दिनांक 7 जनवरी, 1989 में प्राविधानों के तहत रीडर पदनाम हेतु चयनित होने पर रीडर पदनाम अनुमन्य होगा।

चयन समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर।
प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्तमान सचिव को हटाए जाने की जानकारी

130-श्री अखिलेश -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्तमान सदस्य सचिव को हटाने के लिए दिनांक 24-7-91 को महासचिव, वसुन्धरा, 39, कैन्ट रोड, लखनऊ का कोई पत्र सचिव, पर्यावरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्य क्या हैं तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या संदर्भित पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां।

पत्र में श्री के0बी0 शुक्ला, सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रतिनियुक्ति अवधि न बढ़ाए जाने का मुख्य रूप से उल्लेख है।

श्री शुक्ला की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रतिनियुक्ति समाप्त करके दिनांक 21-9-91 को उनके पैतृक विभाग में वापस कर दिया गया है ।

गोण्डा उत्तर वन प्रभाग, गोण्डा में ग्रामीण वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत ट्रांजिट फीस की वसूली का विवरण

131-श्री घनश्याम शुक्ला-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से अक्टूबर, 91 तक गोण्डा उत्तर वन प्रभाग गोण्डा, में ग्रामीण वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत किन-किन रेंजों में किस-किस व्यक्ति को किस-किस प्रजाति के वृक्षों का पालन अनुमति के बाद अविवाहन अनुमति निर्गत किया है ? कितना ट्रांजिट फीस जनपद की सीमा के अन्दर लिया गया है कितना ट्रांजिट फीस जनपद से बाहर अविवाहन अनुमति देने पर लिया गया था ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

5 जून, 1990 से अक्टूबर, 91 तक उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कटान किये गये लकड़ियों के लिए 759 व्यक्तियों के नामं अभिवहन पास निर्गत किया गया है । विवरण माननीय राज्य मंत्री, गृह के कार्यालय में उपलब्ध है । माननीय सदस्य महोदय किसी भी कार्यालय दिवस में उक्त विवरण देख सकते हैं ।

निर्गत किये गये अभिवहन पास से ट्रांजिट फीस के रूप में रु0 48,065-00 जनपद की सीमा के अन्दर के लिए तथा रु0 14,000-00 जनपद से बाहर के लिए वसूला गया है ।

ट्रांजिट फीस नियमानुसार वसूली गयी है । अतः जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, वाराणसी द्वारा विधान सभा क्षेत्र कोल असला को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि की जानकारी

132-श्री ऊदल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि डी0आर0डी0ए0, वाराणसी द्वारा 90-91 व 91-92 में 245 कोल असला विधान सभा क्षेत्र वाराणसी के लिए कितने धन का आवंटन किया गया ? क्या यह सही है कि 91-92 के लिए सिर्फ एक मार्ग मसई से दिनदासपुर के एक किलोमीटर के लिए ही धन दिया है ? क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र में बरजी से बराई, खड़खड़ा से चरहुआं, बौलिया से बलुआ, दादपुर से सरौवा चिनियां घाट मार्ग, सरांय शेख लाड से छतांव मार्ग व पिंडरा बेलवा निंदनपुर मार्ग में आधा किलोमीटर तक खड़ंजा तक कार्य किया गया है ? संबंधित मार्गों के लिए कब तक धन उपलब्ध कराया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, वाराणसी द्वारा विधान सभा क्षेत्र 245 कोल असला के लिए जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 90-91 में रुपये 8.41 लाख अवमुक्त किया गया है तथा वर्ष 91-92 में रुपये 6.81 लाख स्वीकृत किया गया है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

संबंधित मार्गों पर शेष कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

अतः धन उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है ।

133- श्री रमा कान्त यादव-
(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

उ0प्र0 ग्राम्य विकास निदेशालय में माह नवम्बर, 1991 के मध्य आयोजित बैठकों में व्यय धन की जानकारी

134-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास निदेशालय में पिछले 8 माह में कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं ? उन बैठकों में भोजन, चाय इत्यादि पर कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह सम्पूर्ण व्यय शासनादेश के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो शासनोदश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह-

गाह मई, 1991 से माह नवम्बर, 1991 से मध्य नौ बैठकें आयोजित की गईं जिसमें भोजन, चाय आदि पर रु0 23, 935-85 (रुपये तेइस हजार नौ सौ पैंतीस पैसा पच्चासी मात्र) का व्यय हुआ । जलपान पर होने वाला व्यय शासकीय निर्देशों के अनुसार ही किया गया है । अतः शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय आर्केटेक्चर कालेज, लखनऊ में छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था

135-श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राम लखन-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आर्केटेक्चर कालेज, लखनऊ में छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो छात्राओं को उसमें न रहने देने एवं छात्रों को रखने का औचित्य क्या है ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हां ।

जिस भवन में छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, उसमें छात्रायें ही रह रही हैं ।

उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा विभाग में अभियांत्रिक व्याख्याताओं का विनियमितीकरण

136-श्री राम किशन ददाजू-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में दिनांक 1-1-77 के पूर्व कितने अभियांत्रिक व्याख्याताओं को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था ? उनमें से कितने लोगों को विनियमितीकरण नियमावली 1979 के अनुसार विनियमित किया गया और कितने लोगों को उसी नियमावली के तहत शासनादेश संख्या-4575 (1)/18-प्रा0शि0-2-167 (ई)/87, दिनांक 15 अक्टूबर, 1988 के द्वारा दिनांक 5-1-81 से विनियमित किया गया और उनमें से कितने को छोड़ दिया गया और क्यों ? क्या जिन्हें छोड़ दिया गया उनकी भर्ती/नियुक्ति व सेवा शर्तें संदर्भित शासनोदश दिनांक 15-10-88 से भिन्न थीं ?

श्री राज नाथ सिंह-

प्राविधिक शिक्षा विभाग में दिनांक 1-1-77 के पूर्व 32 अभियांत्रिक व्याख्याता तदर्थ आधार पर नियुक्त थे । उनमे से 15 को विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के अनुसार विनियमित किया गया । इसके अतिरिक्त निर्देश याचिका संख्या-195 (1)/1983 श्री होसिला सिंह बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के सम्बन्ध में माननीय लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या-4575(1)/18-प्रा0शि0-2-167 (ई)/87, दिनांक 15-10-88 व द्वारा उन 6 कार्मिकों का भी दिनांक 5-1-1981 से विनियमितीकरण किया गया

जिनकी नियुक्ति शासनादेश संख्या-2174 ई.डी./18-घ-126 (ई) ई.डी./74, दिनांक 2-6-76 द्वारा श्री हौसला सिंह के साथ हुई थी । इस प्रकार अवशेश ।। कार्मिक छोड़ गये क्योंकि वे विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के अनुसार विनियमित किये जाने के पात्र नहीं थे ।

जिन कार्मिकों को छोड़ा गया उनकी भर्ती/नियुक्ति उस शासनादेश के माध्यम से नहीं की गयी थी जिस शासनादेश के माध्यम से श्री हौसला सिंह को सम्मलित करते हुए उन 6 कार्मिकों की नियुक्ति की गयी थी जिनके सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 15-10-88 जारी किया गया था ।

137-श्री राम किशन ददाजू-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त छोड़े गये/बचे हुए व्याख्याताओं को प्रोन्नति नियमावली, 1988 के तहत 1990 में विनियमित किया गया है और वे उनसे कनिष्ठ हो गये हैं ? क्या इन कार्मिकों की भर्ती के समय सेवा नियमावली थी और उसके अनुसार सीधी भर्ती/प्रोन्नति का अलग-अलग कोटा था ?यदि नहीं, तो क्या इन कार्मिकों की सीधी भर्ती व प्रोन्नति विनियमितीकरण नियमावली के तहत दोहरा मापदण्ड अपनाया गया है ?

श्री राजनाथ सिंह-

बचे हुए ।। व्याख्याताओं में से 9 को प्रोन्नति नियमावली, 1988 के तहत वर्ष 1990 में तथा 2 को उसी नियमावली के तहत 1991 में विनियमित किया गया । विनियमितीकरण नियमावली तथा उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1990 के अनुसार उनकी वरिष्ठता निर्धारित की गयी है । इन कार्मिकों की भर्ती के समय सेवा नियमावली नहीं थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

138-कुंवर रेवती रमण सिंह-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

बापू-इण्टर कालेज, कोपागंज, जनपद मऊ में नियुक्तियों में आरक्षण व्यवस्था

139-श्री रमाकान्त यादव-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बापू इण्टर कालेज, कोपागंज जनपद-मऊ में वर्ष 1980 से अब तक कितनी नियुक्तियां की गयी हैं तथा क्या उनमें शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों एवं क्या आरक्षण कोटा पूरा कराने का आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फतेहपुर के मलवां ब्लाक में राजकीय हायर सेकेन्ड्री विद्यालय खोलने की मांग

140-श्री अभिमन्यु सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फतेहपुर के अन्तर्गत ब्लाक मलवां में राजकीय हायर सेकेण्ड्री विद्यालय खोले जाने की व्यवस्था ग्राम औंग में होना सुनिश्चित हुई थी ? यदि हां, तो उसे कब तक खोला जायेगा और उक्त विद्यालय को समय से न खोले जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

अलीगढ़ जनपद के सिकन्द्राराऊ में राजकीय डिग्री कालेज खोलने की मांग

141-श्री सुरेश प्रताप गांधी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिकन्द्राराऊ नगर, जनपद अलीगढ़ में राजकीय डिग्री कालेज खोलने के संबंध में सोशल सर्विसेज एण्ड इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में निर्णय लेने के बाद निदेशक, उच्च शिक्षा से अपेक्षा की गयी थी कि वह भूमि व भवन की व्यवस्था कर शासन से क्लियरेन्स लेकर डिग्री कालेज की स्थापना करायें ? यदि हां, तो क्या सिकन्द्राराऊ स्थित गौरी शंकर हिन्दू इण्टर कालेज की प्रबन्ध समिति ने डिग्री क्लास चलाने के लिए 6 कमरे तत्काल देने तथा भविष्य में डिग्री कालेज के भवन निर्माण हेतु भूमि कालेज फार्म से नि:शुल्क देने का प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो क्या यह प्रस्तावित भूमि आबादी के मध्य स्थित है तथा इसकी कीमत राजस्व विभाग ने एक करोड़ रुपया आंकी है ? यदि हां, तो उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा भूमि का निरीक्षण कर संस्तुति सहित आख्या शासन को भेजने के बाद अभी तक शासन द्वारा राजकीय डिग्री कालेज की स्वीकृत ने देने का कारण क्या है ? शासन द्वारा सिकन्द्राराऊ में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कब तक करा दी जायेगी ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां ।

17 जुलाई, 1989 को सोशल सर्विसेज एण्ड इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में संस्तुति की गई कि शिक्षा निदेशक भूमि एवं भवन की उपलब्धता सुनिश्चित कर अपनी आख्या शासन को प्रस्तुत करें तदुपरान्त शासन वित्तीय संसाधनों को समुचित व्यवस्था कर क्लियरेन्स प्रदान करने हेतु कार्यवाही करें ।

जी हां ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण ।

प्रस्तावित कालेज की स्थापना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

बापू इण्टर कालेज, कोपागंज, जनपद आजमगढ़ (मऊ) के अन्तर्गत संचालित बापू बाल विद्यालय को खुलवाने की मांग

142-श्री रमाकान्त यादव-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1990 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित श्री सुबाष यादव द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-182 के उत्तर के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक द्वारा संदर्भित प्रकरण की जांच आख्या शासन को प्राप्त हो चुकी है है ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासनादेश संख्या-3048/15-8-89/3054/87, दिनांक 7 सितम्बर, 1989 लागू करने का क्या औचित्य है?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अर्हता की निर्धारित शर्तों को पूरी करने के कारण ही यह विद्यालय शासनादेश संख्या-3048/15-8-89/3054/87, दिनांक 6-9-1989 द्वारा वेतन वितरण अधिनियम 1971 के अन्तर्गत लिया गया है ।

143-श्री सुरेश प्रताप गांधी-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

प्रदेश में दीनदयाल विकास योजनान्तर्गत सघन मिनी डेरी परियोजना प्रारम्भ किया जाना

श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु दीनदयाल विकास योजना के अन्तर्गत सघन मिनी डेयरी योजना सरकार लागू कर रही है? यदि हां, तो इस योजना का क्या स्वरूप है ? क्या इस योजना के द्वारा उत्पादकों को प्रोत्साहन हेतु अनुदान, ऋण आदि दिये जाने की भी व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह-

जी हां ।

प्रदेश के 17 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में चार दुधारू पशुओं की एक इकाई मानते हुये 16,219 मिनी डेरियां स्थापित कर 53,378 व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिये दीनदयाल रोजगार योजना के अन्तर्गत सघन मिनी डेरी परियोजना प्रारम्भ की गई है।

इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को नाबार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत मूल्य के अनुसार बैंक ऋण स्वीकृत कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थी को आर्थिक सहायता इकाई लागत मूल्य की 5 प्रतिशत धनराशि मार्जिन मनी के रूप में व्याज रहित ऋण के रूप में दी जायेगी, जिसके आधार पर उपरोक्त लाभार्थी बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे ।

इसके अतिरिक्त इन चयनित जनपदों में ऐसे लाभर्थियों को दुग्ध सहकारिताओं के माध्यम से गांव में ही उत्पादित दुग्ध विपणन की सुविधा तथा अन्य तकनीकी सुविधायें भी उपलब्ध करायी जायेंगी ।

नेशनल गर्ल्स इण्टरमीडिएट कालेज, बाराबंकी की (श्रीमती जुवेदा राशिद) प्रधानाचार्या को पेंशन न दिये जाने विषयक शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

145-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स इण्टर मीडिएट कालेज, बारांबंकी में दिनांक 30-6-90 को सेवा निवृत्त कर्मचारियों के संबंध में जिला जनता दल, बाराबंकी के कोषाध्यक्ष डा0 अजीज के शिकायती पत्र दिनांक 19-9-90 पर पूर्व शिक्षा मंत्री ने पत्र संख्या 2405 दिनांक 24-9-90 द्वारा मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, नवम् मंडल, फैजाबाद को आदेशित किया है? यदि हां, तो क्या इन आदेशों का कार्यान्वयन किया गया है ? यदि हां, तो कौन कर्मचारी दोषी पाये गये और इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह-

तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी द्वारा मामले में यथोचित कार्यवाही कर अवगत कराने के आदेश दिये गये थे। उल्लिखित डा0 अजीज के शिकायती पत्र में विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती जुवेदा राशिद के विरुद्ध कतिपय शिकायतें की गयी थी और उनको पेंशन न दिये जाने का अनुरोध किया गया था। श्रीमती राशिद पेंशन हेतु अर्ह नहीं थी । अतः उनको पेशन स्वीकृत नहीं की गयी ।

नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज, बाराबंकी में निलम्बित कर्मी के स्थान को प्रोन्नति द्वारा भरा जाना

146-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निलम्बित लिपिक के स्थान पर अन्य दूसरे व्यक्ति की निलम्बन तिथि से इसी पद पर नियमानुसार नियुक्ति की जा सकती है ? यदि नहीं

तो नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज, बाराबंकी में कितने व्यक्तियों की निलम्बन तिथि 24-11-83 से दूसरों की नियुक्ति की गई है ? क्या ऐसे नियुक्त कर्मचारी इसी आधार निलम्बन तिथि से अब तक इन पदों का पूरा वेतन वेतन वृद्धियों सहित निरंतर प्राप्त कर रहे हैं ? यह नियुक्तियां इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के किस धारा, अध्याय एवं विनियम के अंतर्गत की गई है ? क्या यह भी बतायेंगे कि दिनांक 24-11-83 से 22-8-87 तक इन पदों के वेतनों पर कुल कितना धन व्यय हुआ ? प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 31-8-91 पर उनके पत्र संख्या-1279/बी0आई0पी0/91 दिनांक 10-9-91 द्वारा शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को दिये गये आदेश पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

निलम्बित कर्मी के स्थान पर अन्य व्यक्ति की नियुक्ति किये जाने का प्राविधान नहीं है । नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज, बाराबंकी के लिपिक श्री जावेद हुसैन के विरुद्ध गंभीर आरोप थे जिसके कारण प्रबन्धतंत्र द्वारा उन्हें 24-11-83 को निलंबित किया गया । इनके स्थान पर विद्यालय में ही कार्यरत दफ्तरी की स्थानापन्न पदोन्नति 24-11-83 से कार्य संचालनार्थ कर ली गयी । इनको पद से संबधित अनुमन्य वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान किया जा रहा है जिसमें वेतन वृद्धियां भी सम्मिलित हैं ।

दिनांक 24-11-83 से लेकर 22-8-87 तक इनको रुपये 36,176.45 का है। वेतन के मद में अन्तर केवल रु0 4,186.85 का है ।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 31-8-91 पर शिक्षा निदेशालय द्वारा जांच करने हेतु मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को निर्देशित किया जा चुका है।

उ0प्र0 शासन के मंत्रिगणों द्वारा प्रदेश के सरकारी भ्रमणों/कार्यक्रमों की विधायकों एवं सांसदों को सूचित किये जाने की परम्परा

147-श्री सुरेन्द्र नाथ-

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंडल के सदस्यों द्वारा प्रदेश के सरकारी भ्रमणों/कार्यक्रमों में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि विधायक/ सांसद को आमंत्रित करने की पूर्व परम्परा को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है किन्तु माननीय मंत्रिगण अपनी सुविधानुसार विधायकों/सांसदों को अपने कार्यक्रम से अवगत कराते हैं ।

प्रदेश में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण/जिला योजना की बैठकों में सत्ता पक्ष के गैर नामित प्रतिनिधियों को न शामिल किया जाना

148-श्री सुरेन्द्र नाथ-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा क्या यह निर्देश दिये गये हैं कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण/जिला योजना की बैठकों में सत्ता दल के गैर नामित प्रतिनिधियों को भी शामिल होने दिया जाय ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

शासन द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण/जिला योजना की बैठकों में संबंधित जनपद के सभी लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा तथा विधान परिषद के मा0 सदस्य, सदस्य होते हैं । इसमें किसी गैर नामित सदस्य के शामिल होने का कोई प्राविधान नहीं है ।

जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ की विजयी हनुमान मन्दिर पर होने वाली प्राचीन दुर्गा पूजा को विखंडित किये जाने की शिकायत

149-श्री सुरेन्द्र नाथ-

क्या पूर्त धर्मस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ की विजयी हनुमान मंदिर पर होने वाली प्राचीन दुर्गा पूजा समाप्त करवाने तथा नई पूजा प्रारम्भ करवाने हेतु क्षेत्राधिकारी पुलिस तथा परगनाधिकारी को शासन द्वारा मौखिक निर्देश दिये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या क्षेत्राधिकारी/परगना अधिकारी ने स्थानीय नागरिकों से अवैध तरीके से धन वसूली की ? यदि हां, तो प्राचीन पूजा को विखंडित करने का क्या औचित्य है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्राचीन पूजा को विखंडित नहीं किया गया है ।

मोहल्ला खाईपार, शहर बांदा में मुख्य सड़क पर मन्दिर में निकट स्थित देशी शराब के ठेके को हटाने की मांग

150-श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी-

क्या आवकारी मंत्री को यह ज्ञात है कि मोहल्ला खाईंपार शहर बांदा में मुख्य सड़क पर जो देशी शराब का ठेका है उससे दस मीटर की दूरी पर एक मंदिर है और पचीस मीटर की दूरी पर एक हरिजन महिला छात्रावास है तथा पचास मीटर की दूरी पर नर्सेज ट्रेनिंग हाउस है एवं एक सौ मीटर की दूरी पर आदर्श ज्ञान भारती बालक व बालिका विद्यालय है व लगभग एक सौ मीटर की ही दूरी पर राजकीय महिला डिग्री कालेज है ? यदि हां, तो जनता की असुविधा को ध्यान में रख कर क्या यह ठेका चालू वित्तीय वर्ष पूरा होने पर किसी दूसरी जगह उपयुक्त स्थल पर ले जाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मोहल्ला खाई पार बांदा में देशी शराब की दुकान खाली छात्रावास की चहार दिवारी के पीछे व मंदिर इत्यादि तथा मुख्य सड़क से हटकर स्थित है। यह दुकान उस स्थान पर कई वर्षों से चलती आ रही है। देशी शराब दुकान से छात्रावास, स्कूल, मंदिर इत्यादि प्रभावित नहीं हैं । आपत्तिजनक स्थलों में स्थित आबकारी दुकानों के स्थल परिवर्तन के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित है, जो प्रत्येक वर्ष जनपद की आबकारी दुकानों के स्थलों की समीक्षा करती है। इस मामले मे भी उक्त समिति विचार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

महाराजा अग्रसेन बालिका विद्यालय, डालीगंज, लखनऊ में सेवारत लिपिक के विरुद्ध अनुशासनहीनता के आरोप की जांच की मांग

151-श्री प्रमोद तिवारी-

क्या शिक्षा मंत्री को प्रश्नकर्ता का महाराजा अग्रसेन बालिका विद्यालय, डालीगंज, लखनऊ में कार्यरत लिपिक के आयु तथा शैक्षिक योग्यता संबंधी फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त कर लेने व अनुशासनहीनता व उदंडता करने संबंधी पत्र दिनांक 22-2-1991 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र के आधार पर जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश की सभी डामर रोड स्थित लिंक ग्रामों तक परिवहन निगम की सेवाओं के विस्तार की मांग

152-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार की प्रदेश की सभी डामर रोड स्थित लिंक ग्रामों (डामर रोड के अन्तिम छोर पर स्थित) तक परिवहन निगम की नई बस सेवायें चलाने/उपलब्ध बस सेवाओं को ही विस्तार करने की नीति है ? यदि हां तो प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा, उन्नाव की मौरावां-गुलरिहा, गुरुवक्श गंज रोड पर ग्राम गोटरगंज तक, उन्नाव मोरावां की किसी बस सेवा को बढ़ा कर चलाने और हजारों यात्रियों को लाभान्वित करने, परिवहन निगम का राजस्व बढ़ाने में, सरकार को क्या कठिनाई है ? क्या यह सच है कि इसी मार्ग की लखनऊ-मवई बस सेवा अक्सर बन्द हो जाती है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सुदूर स्थानों की एक मात्र यह बस सेवायें क्यों बन्द कर दी गई हैं ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी नहीं ।

प्रयोगात्मक आधार पर एक बस सेवा का संचालन कोटरगंज तक प्रारम्भ कर दिया गया है ।

मौरावां-मवई के मध्य स्थित पुलिया टूट जाने के कारण यह सेवा बन्द कर दी गई थी । इसका संचालन पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में गंगा प्रदूषण निवारण की भांति अन्य नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की योजना

153-श्री सुरेश प्रताप गांधी-

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गंगाजल प्रदूषण निवारण की भांति प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण नदियों के जल प्रदूषण निवारण की योजनायें केन्द्र सरकार से स्वीकृति कराने हेतु प्रदेश सरकार ने अभी तक क्या प्रयास किये हैं? क्या सरकार को जानकारी है कि यमुना आदि इन नदियों की जल आपूर्ति पर आधारित प्रदेश के अनेक नगरों की पेयजल व्यवस्था जल प्रदूषण से संकटग्रस्त है ? क्या सरकार इन नदियों के प्रदूषण के केन्द्रीय जल प्रदूषण कन्ट्रोल से सर्वेक्षण कराकर प्रदूषण निवारण की योजनाओं को केन्द्र से स्वीकृत कराने की पहल करेगी?: क्या सरकार अपने स्तर से नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिये कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कल्याण सिंह-

गंगा प्रदूषण निवारण की भांति प्रदेश की निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों के जल प्रदूषण निवारण की योजनायें केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है:-

1	यमुना नदी	209.00 करोड़
2	गोमती नदी	45.00 करोड़

लखनऊ नगर की पेयजल आपूर्ति गोमती तथा आगरा व इलाहाबाद नगरों की जलापूर्ति यमुना नदी पर आधारित है तथा जलापूर्ति नदी के जल के सुदृढ़ीकरण के पश्चात् की जाती है ।

यमुना नदी के जल प्रदूषण का सर्वेक्षण केन्द्रीय जल प्रदूषण बोर्ड द्वारा किया गया है। अन्य नदियों का सर्वेक्षण उनके द्वारा किये जाने की जानकारी नहीं है।

जहां तक योजनाओं का समबन्ध है, योजनायें बनाकर केन्द्र सरकार से स्वीकृत कराने की पहल प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही उपरोक्तानुसार कर ली गई है ।

जी हां ।

गोमती नदी के प्रदूषण निवारण के लिये शासन ने प्रथमतः 4 करोड़ की योजना स्वीकृत करने का निर्णय लिया है ।

उ0प्र0 परिवहन निगम, मिर्जापुर डिपो की बस का वाराणसी से मनिगढ़ा मार्ग पर संचालन

154-श्री गोपीनाथ दीक्षित-

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि विधान परिषद् सदस्य श्री ज्ञान चन्द्र द्विवेदी का पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 91 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उ0प्र0 परिवहन मिर्जापुर डिपो की एक बस सेवा वाराणसी से मनिगढ़ा एवम् एक सेवा वाराणसी दौहथा वाया औराई चलाये जाने की मांग उक्त विधायक ने की है ? यदि हां, तो जनहित में उक्त बस सेवायें कब तक संचालित होगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी हां ।

जी हां ।

वाराणसी से मनिगढ़ा मार्ग पर दो बसें संचालित हैं ।

वाराणसी से दोहथा वाया औराई मार्ग का दोहथा में हाटा तक का भाग अराष्ट्रीयकृत है। निगम की नीति के अनुसार इस मार्ग पर बस चलाना सम्भव नहीं है ।

बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर और नगरा तथा टाउन एरिया बिल्थरा रोड में वर्षवार बिक्रीकर की वसूली

155-श्री रमाकान्त यादव-

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर और नगरा तथा टाउन एरिया बिल्थरा रोड में बिक्रीकर से वर्षवार 1985 से 1991 तक कितनी-कितनी बकायों के विरुद्ध कितनी-कितनी वसूली आर0 सी0 के जरिये कराई गयी तथा लोगों ने कितना-कितना भुगतान सीधे कर दिया है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

सूचना निम्नवत् है ।

वर्ष	बकाया बिक्रीकर	आर0सी0 के माध्यम से वसूली	सीधा किया गया भुगतान
1	2	3	4
1985-86	75,077-00	4,200-00	शून्य
1986-87	1,03,708-00	6,701-00	500-00
1987-88	88,270-85	14,040-66	9,700-00
1988-89	1,47,267-10	3,220-00	24,679-00
1989-90	4,53,715-35	54,811-00	40,581-20
1990-91	11,15,179-70	34,540-95	1,97,842-00
योग-	19,83,218-00	1,17,513-61	2,73,302-20

सेवा निवृत्त सहायक विकास अधिकारी (मो0 एहतिशाम अली खां) विकास खण्ड पट्टी, जिला प्रतापगढ़ के अवशेष वेतन के भुक्तान की जानकारी

156-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मो0 एहतिशाम अली खां जुबैरी, सहायक विकास अधिकारी विकास खण्ड पट्टी जिला-प्रतापगढ़ से 17 जनवरी, 1974 में सेवा निवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सेवा निवृत्ति के पूर्व 3-8-65 से 18-6-68 तक विकास खण्ड ईसानगर तथा 19-6-68 से 2-4-69 तक जनपद सीतापुर के ब्लाक गुदलामऊ में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर भी उनसे कार्य लिया गया है ? यदि हां, तो पत्र संख्या 180/स्था0-1/ख0वि0अ0/व्य-पत्रा0, दिनांक 25 मार्च, 1980 द्वारा निर्धारित वेतन का उक्त अवधि का भुगतान न किये जाने के लिये कौन अधिकारी दोषी है तथा बकाया भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जी हां ।

जनपद खीरी के कार्यकाल से संबंधित अवशेष वेतन रुपया 1530-00 के भुगतान के निर्देश दे दिये गये हैं । सीतापुर से सम्बन्धित अवशेष धनराशि रु0 348.00 का पूर्व समीक्षा काबिल जिला कार्यालय, सीतापुर से आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त प्राप्त होते ही भुगतान के निर्देश दे दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मिर्जापुर डिपो बस से कतिपय स्थानों के लिये संचालित बस सेवा की जानकारी

157-श्री गोपी नाथ दीक्षित-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 रा0 स0 प0, नि0 मिर्जापुर डिपो की मनिगढ़ा, गड़बड़ा, हलिया के लिये प्रातःकालीन (6 बजे से 11 बजे) के बीच कितनी बसें वर्तमान में चलती हैं ? यदि नहीं, तो मिर्जापुर से लालगंज तहसील, हड़िया विकास खण्ड एवं मनिगढ़ा जाने वाले यात्रियों के लिये कौन सी सुविधा मुहैय्या कराई गयी है ? यदि नहीं, तो यात्रियों के आवागमन के इस व्यवधान के लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या जिला कांग्रेस (ई) ग्राम्य विकास सेल के चेयरमैन श्री शशि भूषण दूबे का आरोप सच है कि इसी क्रम में सायंकाल मिर्जापुर कोर्ट के वादकारियों को आने जाने के लिये दीपनगर (15-30 बजे) मनिगढ़ा (15.00 बजे), हलिया (16.30 बजे) गड़बड़ा (16.00 बजे) माण्डा बरौधा (14.30 बजे) की सेवायें रद्द कर देने से असुविधा हो रही है ? यदि नही, तो कौन सी सुविधा मुहैय्या की गयी है ? यदि असुविधा है, तो उसका समाधान कब तक सम्भव है? यदि नहीं, तो कारण क्या है?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मनिगढ़ा से मिर्जापुर के लिये 7.00 बजे एक बस सेवा है। यही बस गड़बड़ा के यात्रियों को भी गड़बड़ा मोड़ से बस सुविधा उपलब्ध कराती है। हलिया के लिये भी एक बस सेवा है जो कि 7.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य दो अप व दो डाउन ट्रिप्स करती है।

उपर्युक्त सेवाओं से लालगंज, हलिया विकास खण्ड एवं मनिगढ़ा के यात्रियों को बस सुविधा मुहैय्या होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माण्डा बरौधा सेवा (14.30) बजे पूर्व में संचालित थी जो कि अलाभकारी होने के कारण बन्द करा दी गयी । शेष वर्णित मार्गों दीपनगर, मनिगढ़ा, हलिया तथा गड़बड़ा के लिये प्रश्न में दिये गये समय पर सेवायें न तो पूर्व में संचालित थीं न अब संचालित हैं। अपरान्ह में मिर्जापुर से 16.30 बजे व 17.00 बजे, गड़बड़ा मोड़, दीपनगर के लिये मनिगढ़ा के लिये 14.00 बजे, हलिया के लिये 17.00 बजे, बरोधा के लिये 16.00 बजे मिर्जापुर, हनुमना सेवा तथा माण्डा के लिये 14.00 बजे, मिर्जापुर व बडेखर सेवा उपलब्ध है । अतएव असुविधा की स्थिति नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

158- श्री विश्वनाथ-

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

खण्ड विकास अधिकारी, बड़ागांव, वाराणसी के विरुद्ध अभद्रता करने विषयक शिकायती पत्र पर जांच समिति का गठन

159- श्री ऊदल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य अभियंत्रण सेवा, वाराणसी के श्री एस0पी0 सिंह, अवर अभियन्ता, ब्लाक बड़ागांव जिला- वाराणसी ने एक प्रार्थना पत्र सी0डी0ओ0, वाराणसी को दिनांक 26-11-91 को दिया है, जिसकी प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, ग्राम अभि0 परिमंडल, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित की है कि खण्ड विकास अधिकारी, बड़ागांव, वाराणसी ने उनसे अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी, बड़ागांव, जिला- वाराणसी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री एस0 पी0 सिंह ने थाना बड़ागांव, वाराणसी में भी इस घटना की रिपोर्ट की है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी ने उपरोक्त दोनों अधिकारियों को अन्यत्र विकास खण्डों में स्थानान्तरित कर दिया है तथा घटना की जांच हेतु जांच समिति गठित कर दी है ।

जी हां ।

उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत लेखाकारों के वेतन-मान में संशोधन

160-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत सहायक लेखाकारों के वेतनमान संशोधित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो अब तक वेतनमान संशोधित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि उसी वेतनमान पर कार्यरत अन्य कर्मचारियों का जिनका पुराना वेतनमान 470-735 था, वर्तमान समय में रुपये 1350-2200 कर दिया गया है ? यदि वेतनमान कब तक संशोधित कर दिया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

जी हां, कतिपय कर्मचारियों का वेतनमान संशोधित कर दिया गया है ।

शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद जनपद के विकासखण्ड मोहनलाल गंज एवं गोसाईगंज को जिला अधिकरण द्वारा स्वीकृत धन एवं कृत कार्यवाही का विवरण

1161-श्री सन्त बख्श रावत-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के विकास खण्ड मोहनलाल गंज और गोसाईंगंज में वित्तीय वर्ष 1989-90, 1990-91, 1991-92 में कौन-कौन सा सम्पर्क मार्ग मिट्टी के कार्य हेतु जिला अधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये थे ? उनमें से कौन मार्ग कितना बन गया है ? मार्गों पर रुके हुये कार्यों को पूरा न करने का क्या कारण है ? क्या इनमें विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड, मोहनलाल गंज और गोसाईंगंज में वित्तीय वर्ष 1989-90, 1990-91, 1991-92 में जिला विकास अभिकरण द्वारा मिट्टी के कार्यों हेतु स्वीकृत सम्पर्क मार्गों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	स्वीकृत सम्पर्क मार्ग	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0)	निर्मित लम्बाई	कार्य की स्थिति	पूर्ण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6
1	वर्ष 1989-90 में कोई भी सम्पर्क मार्ग स्वीकृत नहीं किया गया है।				
2	वर्ष 1990-91 विकास खण्ड मोहनलाल गंज				
	1-नगराम रोड से असलम नगर	2.70	2.70	कार्य पूर्ण	
	2-इमिलिहा से सूर्यबली खेड़ा	1.60	1.60	,,	
	3-गौतमखेड़ा परसपुर ठट्ठा	1.40	1.40	,,	
	4-भदेसवा खड़ंजा मार्ग से त्रिलोकपुर	2.40	2.40	,,	
	5-गोविन्द पुर से कोराना	1.40	1.40	,,	
	6-गढ़ी से कसमिटा बखतौली खेड़ा कमालपुर	3.50	3.50	,,	
	7-कनकहा से मेंहदौली	2.25	2.25	,,	
	8-नगरराम रोड से पतौना	2.25	1.65 मुख्य मार्ग से ग्राम पतौना को 1.65 कि0मी0 मार्ग निर्मित कराकर जोड़ दिया गया है। शेष 0.60 कि0मी0 मार्ग ग्राम सभा के अन्य मजरे से जोड़ा जाना था जिसे ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना में पूर्ण करा दिया गया है ।		

विकास खण्ड गोसाईंगंज

1-निजामपुर से मेडई का पुरवा	2.00	2.00	कार्य पूर्ण
2-फजल अली का पुरवा से अमेठी	2.28	2.19	कार्य पूर्ण
3-केवली से हर्रई	1.85	1.732	कार्य पूर्ण
4-बहरौली से जवाहर सिंह का परवा	0.20	0.20	"
5-भट्ठी बरकत नगर (पासी के मोहल्ले से सिठौली कला मोहनलाल गंज मार्ग)	0.19	0.19	(कार्य प्रगति
6-मरखापुर से जहां-गीर पुर	1.98	0.60	कास्तकारों की फसल खड़ी होने
7-कोडरा से चमरही	2.65	1.10	के कारण मिट्टी
8-दाउदपुर से बस्तियां	1.14	0.60	उपलब्ध न हो सकी । कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है।

3-वर्ष 1991-92 में कोई मार्ग स्वीकृत नहीं हुआ।
प्रश्न नहीं उठता ।

गोण्डा उत्तर वन प्रभाग, गोण्डा के वनाधिकारी के आवासीय एवं निरीक्षण कक्ष पर व्यय होने का विववरण

162-घनश्याम शुक्ल-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा उत्तर वन प्रभाग, गोण्डा में प्रभागीय वनाधिकारी के आवास तथा उसमें मिला हुआ निरीक्षण कक्ष पर 5 जून, 1990 से आज तक कितना व्यय किया गया है ? क्या इस व्यय के लिये बजट में प्राविधान पहले से था ? यदि नहीं, तो क्या यह व्यय वित्तीय नियमों के विरुद्ध किया गया है ? यदि हां, तो इस वित्तीय अनियमितता के लिये दोषी अधिकारी कौन है ? सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह-

दिनांक 5 जून, 1990 से वर्ष 1990-91 व वर्ष 1991-92 में (दिनांक 10 नवम्बर, 1991 तक) रु0 74,631.10 पैसे मात्र व्यय किया गया।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

163-श्री घनश्याम शुक्ल-

(दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त)

जनपद गोण्डा वन प्रभाग के कतिपय रेंजों से अवैध रूप से ले जायी जा रही लकड़ी की कीमत की जानकारी एवं जालसाजी के आरोप की जांच

164-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा उत्तर वन प्रभाग,

गोण्डा में 5 जून, 1990 से 31-5-91 तक दक्षिणी गोण्डा वन प्रभाग के बन बैरियर को आना में दक्षिणी वन प्रभाग के अधिकारियों द्वारा तथा कोव्वापुर मार्ग पर, उप पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रकों पर ले जाते हुए कीमती लकड़ियों को पकड़ा गया था ? यदि हां, तो क्या बरामद लकड़ियों को जो रवन्ना/अभिवाहन/अनुमति पत्र पाया गया था उसमें रेन्ज अधिकारी बरहवा ने तथा यूनिट अधिकारी तुलसीपुर ने बन निगम के रवन्ने पर जालसाजी की थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि वन विभाग द्वारा न्यायालय में आपित्त न करने के कारण, अभियुक्तों के पक्ष में लकड़ियां छोड़ दी गयी हैं ? यदि हां, तो बरामद की हुई लकड़ियों की कीमत क्या थी और किस-किस रेन्ज के, किस-किस ब्लाक से अवैध कटान करके चोरी की गयी थी ? सरकार इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं । विभाग के सशक्त विरोध के बावजूद न्यायालय द्वारा लकड़ियों को अभियुक्तों की सुपुर्दगी में देने का आदेश दिया गया, जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोण्डा के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया, जो अभी न्यायालय के विचाराधीन है । बरामद की गयी लकड़ियों की कीमत लगभग रु0 1,04,000 जो तुलसीपुर, वनकटवा, रामपुर बरहवा रेन्जों तथा तुलसीपुर यूनिट से सम्बन्धित थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोण्डा उत्तर वन प्रभाग, गोण्डा के कतिपय रेन्जों में वृक्षारोपण का लक्ष्य

165- श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा उत्तर वन प्रभाग गोण्डा द्वारा वर्ष 1987-88/88-89/89-90/90-91/91-92 में रेंज वनकटवा/तुलसीपुर/रामपुर/भामर/गोण्डा/यूनिट गोण्डा/तुलसीपुर को वृक्षारोपण कार्य हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धन का आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो क्या लक्ष्य के विरुद्ध कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, वन विभाग, उत्तर प्रदेश को भेजकर सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां । लक्ष्य के अनुरूप ही कार्य कराया गया है ।

चूंकि कार्य लक्ष्य के अनुसार ही है, अतः विशेष सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

ग्रामसभा अहरोली शेख, विकास खण्ड अमरोधा, जिला कानपुर देहात के ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायत की जांच

166- श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम अहरोली शेख विकास खण्ड- अमरोधा, जिला कानपुर देहात के प्रधान के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20-9-1991 के द्वारा प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और किससे जांच करायी गयी तथा जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वाराणसी जनपद की श्रीमती शकुन्तला पत्नी स्व0 श्री शमशेर बहादुर सक्सेना के देय अवशेषों का भुक्तान

167-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती शकुन्तला पत्नी स्व0 श्री शमशेर बहादुर सक्सेना सी-27/27-ए, जगतगंज, वाराणसी का प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित दिनांक 2-8-1991 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री राजनाथ सिंह-

सदस्य महोदय का दिनांक 2-8-1991 का पत्र प्राप्त हुआ है परन्तु उसके साथ संलग्न किया गया श्रीमती शकुन्तला देवी का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

स्व0 शमशेर बहादुर सक्सेना की विधवा श्रीमती शकुन्तला को रु0 49000/- ग्रेच्युटी एवं पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन दिनांक 7-2-92 को स्वीकृत की जा चुकी है ।

श्री राम जानकी दिनकर इण्टर कालेज, जमालपुर (जौनपुर) के प्रवक्ता श्री शिवनाथ त्रिपाठी को दो वार्षिक वेतन वृद्धियों से वंचित करने की शिकायत

168-श्री किशोरी लाल यादव-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री राम जानकी दिनकर इण्टर कालेज, जमालपुर, जौनपुर के विद्यालय में श्री शिवनाथ त्रिपाठी प्रवक्ता ज्येष्ठ होते हुए भी दो वार्षिक वेतन वृद्धियों से वंचित हैं तथा उनसे कनिष्ठ अन्य लाभान्वित हो रहे हैं यदि हां, तो क्या इस अनियमितता को समाप्त कर तत्काल वार्षिक वृद्धियां दिलाये जाने का आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

प्रश्न में उल्लिखित प्रवक्ता का वास्तविक नाम विश्वनाथ त्रिपाठी है। यह कथन सही नहीं है कि श्री त्रिपाठी ज्येष्ठ होते हुए भी दो वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित हैं । श्री त्रिपाठी का चयन माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रवक्ता पद हेतु किया गया था । दिनांक 8-9-85 को उन्होंने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। इनका वेतन रु0 1650/-पर निर्धारित किया गया जबकि उसी विद्यालय में एल0टी0 ग्रेड में कार्यरत् श्री रण बहादुर सिंह का वेतन 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 1-1-86 को 1640-2765 के चयन वेतनमान में 1700 निर्धारित किया गया। श्री सिंह के प्रवक्ता पद पर चयनित होने पर उनका वेतन रु0 1900 के स्तर पर निर्धारित हुआ । इस प्रकार दोनों प्रवक्ताओं के वेतन निर्धारण में कोई अनियमितता नहीं की गयी है ।

जनपद मऊ के विकास खण्ड बड़रांव के न्याय पंचायत सुल्तानपुर को विकास खण्ड घोसी से सम्बद्ध न किये जाने का कारण

169-श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के सुल्तानपुर न्याय पंचायत में कितनी ग्राम सभायें आती हैं ? क्या यह सही है कि यह न्याय पंचायत बड़रांव ब्लाक के अंतर्गत आती है तथा इसकी ब्लाक बड़रांव से दूरी 22 कि0मी0 है ? जबकि घोसी ब्लाक की दूरी मात्र 5 कि0मी0 है, यदि हां, तो इस न्याय पंचायत को घोसी ब्लाक से सम्बद्ध न किये जाने का क्या कारण है ? कब तक इसे ब्लाक घोसी से सम्बद्ध कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

10 ग्राम सभायें हैं ।

जी हां ।

जी हां ।

विकास खण्ड बड़रांव की न्याय पंचायत सुल्तानपुर की किसी ग्राम सभा से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश वन विभाग में मध्यक्षेत्र लखनऊ के अन्तर्गत डी0डी0आर0/फारेस्ट रेंजरों/ वनविदों के स्थानान्तरण पर विचार

170- श्री बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश वन विभाग के मध्य क्षेत्र में कितने डी0डी0आर0/फारेस्ट रेंजर एक ही प्रभाग में और एक ही रेंज में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं और ऐसे कार्यरत वन रेंजरों का स्थानान्तरण किया गया कि नहीं ? क्या सरकार भविष्य में ऐसे वन रेंजरों का स्थानानतरण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

वन विभाग के मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत 21 डी0डी0आर/वन रेंजर ऐसे हैं जो एक प्रभाग/रेंज में 3 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत हैं । इनका स्थानान्तरण अभी नहीं किया गया है ।

वार्षिक स्थानान्तरण के समय ऐसे वन रेंजरों के स्थानान्तरण हेतु विचार किया जायेगा ।

171- श्री बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर वन प्रभाग के मध्य क्षेत्र लखनऊ के अंतर्गत किस-किस वन प्रभाग ने वन विद से लेकर उप रेंजर /वन रेंजर 1966 से आज तक एक ही वन प्रभाग में कार्यरत हैं ? ऐसे वन रेंजर कौन-कौन हैं और उनके स्थानान्तरण कितने बार किये गये और बार-बार क्यों रोके गये ? क्या सरकार ऐसे वन रेंजरों को मध्य क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

कोई नहीं ।

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

गोण्डा उत्तरी वन प्रभाग, गोण्डा के स्थानान्तरित वन रेंजरों के कार्यभार ग्रहण कराने के संबंध में शिकायती पत्र

172- श्री बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको श्री घनश्याम शुक्ल विधायक ने दिनांक 6-8-91 को एक पत्र इस आशय का लिखा था कि गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा में करोड़ों रु0 का अवैध कटान हुआ है ? क्या दिनांक 9-8-91 को शासन स्तर के आदेश से ही दिनेश कुमार यादव/श्री अशोक कुमार सिंह वन रेंजर का स्थानान्तरण सुल्तानपुर किया गया था ? यदि हां, तो उन्हें आज तक कार्यभार से मुक्त क्यों नहीं किया गया और गोण्डा उत्तरी वन प्रभाग में नये आये हुए वन रेंजरों को रेंज का कार्यभार क्यों नहीं सौपा गया ? क्या सरकार शासन के आदेशों का अनुपालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

जी हां ।

दोनों वन रेंजरों ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थानान्तरण आदेश पर स्थगन प्राप्त कर लिया है। इसलिये नये आये हुए वन रेंजरों को रेंज का कार्यभार नहीं दिया गया है ।

मामला अभी उच्च न्यायालय में लम्बित है ।

मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र लखनऊ के स्तर से वन रेंजरों के स्थानान्तरण की जानकारी

173- श्री बाला प्रसाद -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र लखनऊ ने 1 जुलाई, 1991 से आज तक किन वन रेंजरों का स्थानान्तरण किस-किस प्रभाग ने किया है और इसमें से किन-किन वन रेंजरों का स्थानान्तरण आदेश मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र ने स्थगित तथा निरस्त कर दिया ? किन-किन रेंजरों को कार्यभार से मुक्त नहीं किया गया ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि मुख्य वन संरक्षक ने स्थानान्तरण क्यों स्थगित और निरस्त किया ? शासन स्तर से मध्य क्षेत्र में जो स्थानान्तरण किये गये थे उसका अनुपालन किया गया कि नहीं ?

श्री कल्याण सिंह -

मुख्य वन संरक्षक (मध्य क्षेत्र) के स्तर से 1 जुलाई, 1991 से आज तक निम्नलिखित वन रेंजरों का स्थानान्तरण किया गया:-

1- श्री आर0के0 दुबे (सरजू क्षेत्र में)
2- श्री हरवंश मणि त्रिपाठी (कानपुर क्षेत्र में)
3- श्री आर0 के0 तिवारी (अवध क्षेत्र में)
4- श्री के0 पी0 सिंह0 (अवध क्षेत्र में)
5- श्री सैयद मुईद अहमद (अवध क्षेत्र में)
6- श्री जे0 एन0 सिंह (सरजू क्षेत्र में)

श्री आर0 के0 त्रिपाठी का स्थानान्तरण निरस्त किया गया और सर्वश्री के0पी0 सिंह तथा सैयद मुईद अहमद का स्थानान्तरण स्थगित किया गया। इन तीनों वन रेंजरों की पारिवारिक स्थिति के दृष्टिगत उनके अनुरोध पर विचार करके मुख्य वन संरक्षक (मध्य क्षेत्र) द्वारा स्थानान्तरण आदेश निरस्त एवं स्थगित किये गये और उनको कार्यभार से मुक्त नहीं किया गया ।

जी नहीं ।

ऐसा कोई मामला नहीं है ।

आरोपित खण्ड विकास अधिकारी, बनी कोंडर, बाराबंकी के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच रिपोर्ट

174- श्री तीरथ राज -

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित उनके कार्यालय में अंकित पत्रांक संख्या 1299 बी0आई0पी0 दिनांकित 30-8-91 का विषय वस्तु क्या है पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? जांच के दौरान कौन-कौन से तथ्य सत्य पाये गये ? आरोपित खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड बनी कोंडर, जनपद बाराबंकी के विरुद्ध क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

प्रश्नगत पत्र तो मा0 कृषि मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु प्रश्नगत खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य का एक

शिकायती पत्र दिनांक 27-8-91 प्राप्त हुआ है जिसका विषय उर्वरक विक्रेता श्री राम प्यारे ग्राम बहरेलाडीह के अवैध रूप से बरामद उर्वरक पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्यवाही न किये जाने का है ।

परिवाद की जांच विकास खण्ड के लिंक अधिकारी, सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई) से करायी गई ।'

जांचोपरान्त खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध उर्वरक विक्रेता से उत्कोच लेने का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ । लेकिन संबंधित उर्वरक विक्रेता द्वारा अभिलेख अपूर्ण रखने व खण्ड विकास अधिकारी को अपने ही स्तर से संबंधित उर्वरक विक्रेता को यथोचित निर्देश दे दिये जाने की बातें प्रकाश में आयीं ।

संबंधित खण्ड विकास अधिकारी को अपने उच्चाधिकारी के संज्ञान में इस तथ्य को लाये बिना उर्वरक विक्रेता के लिये यथोचित निर्देश जारी कर दिये जाने हेतु जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी के पत्रांक 720/आर0के0/शि0/91-92, दिनांक 3। जनवरी, 1992 द्वारा कड़ी चेतावनी दे दी गयी है । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में आई0 आर0 डी0 योजना तथा किसानों को खाद एवं बीज हेतु ऋणों पर बैंकों द्वारा कमीशन खोरी के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही की मांग

175-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 8-1-91 को तत्कालीन मुख्य मंत्री को आई0 आर0 डी0 योजना तथा किसानों के खाद बीज हेतु ऋणों पर बैंकों द्वारा खुले रूप में कमीशन खोरी के संबंध में पत्र दिया है जिस पर तत्कालीन मुख्य मंत्री ने सचिव, ग्राम विकास को आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बांदा जनपद के स्वीकृत कालींजर से मसौनी भरतपुर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

176-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद बांदा के अंतर्गत कालींजर से मसौनी भरतपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण शासन में स्वीकृत है? यदि हां, तो अब तक कितना निर्माण किया गया है तथा शेष कब तक पूरा किया जायेगा ? क्या यह सही है कि इस मार्ग के निर्माण के लिये आर0ई0 एस0 बांदा को मार्च, 1991 में धन स्वीकृत करके दिया जा चुका है ? यदि हां, तो निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं, कालींजर से मसौनी भरतपुर सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति शासन द्वारा नहीं अपितु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बांदा की गवर्निंग बाडी के द्वारा प्रदान की गयी थी ।

अब तक 400 मीटर निर्माण कार्य किया जा चुका है तथा शेष कार्य मार्च, 1992 तक पूर्ण कराये जाने की संभावना है ।

जी हां, परन्तु मार्ग की संशोधित स्वीकृति अक्टूबर, 1991 में प्राप्त हुई ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 रा0 सड़क परिवहन निगम के मिर्जापुर डिपो की कतिपय बस सेवाओं के बन्द करने का औचित्य

177-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर डिपो की माँड़ा बरौधा मनिगढ़ा, हलिया, गड़बड़ा, बरकदर की बसों को विगत अप्रैल, 1991 से रद्द कर दिया गया है यदि हां, तो गड़्बड़ा बरकदर एवं दीपनगर तथा माण्डा बरौधा मार्ग पर मिर्जापुर डिपो द्वारा यात्रियों के आवागमन के लिये कौन सी सुविधायें मुहैय्या करायी गयी हैं ? क्या सरकार मिर्जापुर माण्डा रोड वाया, बरौधा गड़बड़ा बरकदर दीपनगर पर प्राथमिकता के आधार पर बसें चलवायेगी ? उक्त बसों को बन्द करने का औचित्य क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

21 अप्रैल, 1991 से माण्डा वाया बरौधा तथा गड़बड़ा सेवायें कम आय देने व वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण रद्द कर दी गयी है। मनिगढ़ा हलिया,व बरकछ मार्ग पर सेवायें उपलब्ध हैं । मिर्जापुर से बकरछ सेवा संचालित है। गड़बड़ा के यात्री मिर्जापुर मनिगढ़ा सेवा से लाभान्वित होते हैं। दीपनगर के यात्री मिर्जापुर से सिरसी व ददरी की सेवाओं से यात्रा लाभ प्राप्त करते हैं । बरौधा मार्ग पर पर्याप्त सेवायें उपलब्ध हैं । मिर्जापुर से माण्डा के लिये बरौधा पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम व मध्य प्रदेश परिवहन निगम की सेवाओं का लाभ यात्री लिंक सेवा के रूप में उठाते हैं । इन मार्गों पर बस सुविधा उपलब्ध है ।

गोण्डा उत्तरी वन प्रभाग, गोण्डा के कतिपय रेंज अधिकारियों का स्थानान्तरण के संबंध में न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगनादेश

178-श्री बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6-8-91 को श्री धनश्याम शुक्ला, विधायक की शिकायत पर शासन स्तर से गोण्डा उत्तरी वन प्रभाग, गोण्डा से श्री दिनेश कुमार यादव रेंज अधिकारी तुलसीपुर/श्री अशोक कुमार सिंह, रेंज अधिकारी, भ्रामर का स्थानान्तरण जनपद सुल्तानपुर किया गया था और उन्हें 31-8-91 को कार्यभार से मुक्त भी कर दिया गया था? यदि हां तो उन्हें दिनांक 1-1-91 को पुन: रेंज का प्रभार, प्रभागीय वनाधिकारियों ने क्यों दे दिया ? क्या मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जो प्राप्त किया गया था उसमें रेंज का प्रभार देने का आदेश दिया था ? यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों में रेंज का प्रभार दिया गया ? क्या सरकार आदेशों का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशानुसार उन्हें पूर्व स्थान पर वापस किया गया है ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वयन का स्थगन था अतएव उन्हें पूर्व स्थान पर वापिस किया गया है ।

अत: शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

179- श्री बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा उत्तर वन प्रभाग गोण्डा में दिनांक 6-8-91 को शासन स्तर से रेंज अधिकारी तुलसीपुर/भागर का स्थानान्तरण वन संरक्षक/क्षेत्रीय सामाजिक निदेशक फैजाबाद के आदेश दि0 9-8-91

द्वारा जनपद सुल्तानपुर के लिये किया गया था और दिनांक 31-3-91 को एक तरफा कार्यभार से मुक्त भी कर दिये गये थे ? यदि हां तो किन परिस्थितियों में उन्हें । अक्टूबर, 1991 से पुनः रेंजों का जार्च दिया गया ? क्या एक माह 22 दिन तक स्थानान्तरित वन रेंजर अवकाश पर भी थे ? यदि हां, तो उन्हें नियमित करके पुनःरेंजर का चार्ज देने के क्या कारण थे ? क्या सरकार उन दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी जिन्होंने शासन के आदेशों का अनुपालन नहीं किया ? यदि हां तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के आधार पर उन्हें पूर्व स्थान पर वापिस किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

180- श्री बाला प्रसाद -

(दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त)

अलीगढ़ जनपद के अगसौली नामक स्थान पर नया पशु चिकित्सालय की स्थापना का प्रस्ताव

181- श्री सुरेश प्रताप गांधी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद के जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के प्रस्ताव के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में अगसौली मंदिर स्थान पर नये पशु चिकित्सालय की स्थापना कब तक करा दी जावेगी ? क्या अगसौली मंदिर से वर्तमान पशु चिकित्सालय सिकन्दरामऊ 16 कि0मी0 तथा अलीगढ़ 52 किमी की दूरी पर स्थित है ? यदि हां, तो क्या पशुपालकों की कठिनाई को दूर करने के लिये अगसौली मंदिर पर पशु चिकित्सालय की स्थापना शीघ्र करायेंगे ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह-

जनपद अलीगढ़ के अगसौली नामक स्थान पर नये पशु चिकित्सालय की स्थापना चालू वित्तीय वर्ष में किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

जी हां ।

पशु पालकों की कठिनाई दूर करने के लिये अगसौली मंदिर पर पशु चिकित्सालय की स्थापना के संबंध में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। वित्तीय संशाधनों की उपलब्धता होने पर ही स्थापना सम्भव होगी ।

पीलीभीत जनपद में वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान

182-श्री रमापति-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के कितने ऐसे वृद्ध जन हैं जिनकी माह नवम्बर, 1990 से अब तक स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली है ? क्या यह सही है कि श्री कृष्ण बिहारी दीक्षित निवासी मो0 खैरुल्ला शाह, पीलीभीत जिनका रजि0 नं0 16 ख 3070 है, को माह सितम्बर, 1990 व अक्टूबर, 1990 में वृद्धावस्था पेंशन 100 रुपये प्रतिमाह के दर से मिली है परन्तु नवम्बर, 1990 से आज तक की उक्त पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। यदि हां, तो उन्हें उक्त अवधि की पेंशन की धनराशि का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार पेंशन का भुगतान अविलम्ब कराये जाने का कष्ट करेगी यदि हां, तो कब तक ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-
कोई नहीं ।
श्री कृष्ण विहारी दीक्षित को भी 31-12-91 तक की पेंशन की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ।

183-श्री विक्रमादित्य पाण्डेय-
(3रे सोमवार के लिये स्थगित)

गोविन्द शुगर मिल ऐरा, लखीमपुर के मृतकाश्रितों को सेवा में लिया जाना

134- श्री बाला प्रसाद-
क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 से अब तक गोविन्द शुगर मिल ऐरा जनपद लखीमपुर खीरी में कितने स्थाई कर्मचारियों की मृत्यु हुयी है ? क्या मृतक कर्मचारियों के स्थान पर उनके आश्रितों को नौकरी पर रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार कब तक मृतक आश्रितों की नियुक्ति कर देगी ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-
वर्ष 1980 से अब तक गोविन्द शुगर मिल ऐरा लखीमपुर में 9 स्थाई कर्मचारियों की मृत्यु सेवाकाल में हुई है ।
इनमें से चार कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी पर रख लिया गया है । तीन कर्मचारियों के किसी आश्रित द्वारा नौकरी के लिये कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया । शासनादेश दिनांक 15-7-82 में मृतकों के आश्रितों को सेवा में रखे जाने का प्राविधान है। दो कर्मचारियों की मृत्यु वर्ष 1980 में हुई थी इसलिये यह आदेश शेष इन दो श्रमिकों के आश्रितों पर लागू नहीं होते ।
प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के राजकीय इण्टर कालेज के प्राचार्य एवं प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध आरोपों की जांच एवं कृत कार्यवाही का विवरण

185-श्री राम आसरे वर्मा-
क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बहराइच के राजकीय इण्टर कालेज के प्राचार्य एवं प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध कई जनप्रतिनिधियों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों के शिकायती पत्र शिक्षा सत्र 1990-91 में शासन को प्राप्त हुए हैं ? इन पत्रों पर अब तक तिथिवार कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ? इतने गम्भीर आरोपों के बावजूद उक्त अधिकारी को स्थानान्तरित न करने का क्या औचित्य है ? क्या शासन उक्त अधिकारी को तुरन्त स्थानान्तरित कर आरोपों की जांच सतर्कता अधिष्ठान से करवायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?
श्री राजनाथ सिंह-
जी हां ।
कुल पांच पत्र शिक्षा सत्र 1990-91 में शासन को प्राप्त हुए । पहले प्राप्त तीन पत्रों को शिक्षा निदेशक को जांच कराकर आख्या भेजने हेतु दिनांक 24-4-91 को भेजा गया । तदनन्तर प्राप्त एक पत्र पूर्व पत्र के क्रम में स्मरण कराते हुए दिनांक 10-5-91 को तथा तत्पश्चात् प्राप्त एक पत्र को भी पूर्व पत्रों के अनुक्रम में भेजते हुए जांच आख्या शीघ्र भेजने हेतु दिनांक 27-5-91 को शिक्षा निदेशक को स्मरण कराया गया ।

शिक्षा निदेशक से जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है ।

शिक्षा निदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक फैजाबाद से दिनाक 28-10-91 को आख्या एवं संस्तुति मांगी । मंडलीय उप शिक्षा निदेशक ने दिनांक 5-2-92 को उन्हें अवगत कराया है कि विभिन्न शिकायती पत्रों पर जांच वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक से करायी जा रही है जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर आख्या/संस्तुति शीघ्र उपलब्ध करायी जायगी । शिक्षा निदेशक को आख्या शीघ्र भेजने के लिए स्मरण कराया गया ।

उक्त अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक बहराइच के पद पर दिनांक 31-3-91 तक कार्यरत रहे । उनके अन्यत्र स्थानान्तरण के संबंध में जांच आख्या प्राप्त होने पर यथा आवश्यकता विचार किया जायेगा ।

विभागीय जांच आख्या प्राप्त होने पर उसके परिक्षेत्र में विचार कर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बांदा के कतिपय मार्गों पर बस सेवा उपलब्ध कराने की मांग

186-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या परिवहन मंत्री जनपद बांदा के यात्रियों की बढ़ती हुयी भीड़ व परेशानियों को दूर करने हेतु बांदा से खपटिया कला, सांडी ग्राम तक, बांदा से गड़रिया ग्राम तक, बांदा से रामपुर ग्राम तक, बांदा से झंझरीपुरवा गलौली ग्राम तक तथा बांदा से फतपुरवा, सैमरी, तिन्दवारी तक राजकीय बस चलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

वर्णित मार्गों पर परिवहन निगम द्वारा सीधी बस सेवा संचालित किया जाना संभव नहीं है । इसका मार्गवार कारण निम्न है :-

बांदा से खपटिया कलां, सांडी ग्राम तक

प्रश्नगत मार्ग का बांदा से खपटिया तक का भाग राष्ट्रीयकृत है तथा इस पर निगम की बसें संचालित हैं । खपटिया से सांडी तक का मार्ग अराष्ट्रीयकृत है ।

बांदा से गड़रिया ग्राम तक

इस मार्ग का बांदा से जसपुरा तक का भाग राष्ट्रीयकृत है तथा इस पर निगम की बसें सचालित हैं जसपुरा से गड़रिया ग्राम तक का मार्ग अराष्ट्रीयकृत है ।

बांदा से रामपुर मार्ग

इस मार्ग का बांदा से जसपुरा तक का भाग राष्ट्रीयकृत है तथा इस पर निगम बसें संचालित हैं । जसपुरा से रामपुर तक का मार्ग अराष्ट्रीयकृत है ।

बांदा से झंझरीपुरवा, गलौली ग्राम का मार्ग

बांदा से झंझरीपुरवा मार्ग का बांदा से पैलानीडेरा तक का भाग राष्ट्रीयकृत है तथा पैलानी डेरा से झंझरी पुरवा मार्ग का भाग अराष्ट्रीयकृत है । इसी प्रकार बांदा से गतौली मार्ग का बांदा से पैलानीडेरा तक का भाग राष्ट्रीयकृत है तथा पैलानीडेरा से गलौली ग्राम तक का भाग अराष्ट्रीयकृत है ।

परिवहन निगम की पैलानीडेरा होते हुए बसें संचालित हैं । इसके अतिरिक्त बांदा के इछावर के लिए संचालित सेवा से झंझरीपुरवा तथा गलौली के यात्री भी कानाखेड़ा पहुंचकर इस बस सेवा से लाभान्वित होते हैं ।

बांदा से फतेहपुरवा-सैमरी व तिन्दवारी मार्ग

वर्णित मार्ग पूर्णतः अराष्ट्रीयकृत है । बांदा से तिन्दवारी होते हुए कानपुर तथा फतेहपुर तक निगम की सेवायें संचालित हैं । अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर सेवा विस्तार करने की नीति नहीं है ।

समता समिति द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रमों/निगमों सरकारी एवं गैर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं आदि के कर्मचारियों को नया वेतनमान दिया जाना

187-श्री सरेन्द्र सिंह-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समता समिति द्वारा उ0प्र0 सरकार के उपक्रमों, निगमों परिषदों निकायों एवं गैरसरकारी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं विद्यालयों तथा सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संस्थाओं के कार्यरत कर्मचारियों को नये वेतनमान देने की संस्तुति वर्ष 1986 से की गई थी? क्या फिर भी कुछ ऐसी संस्थायें, निगम, सरकारी उपक्रम, परिषदें, निकाय हैं जहां नये वेतनमान नहीं दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? शासन की नीति न मानने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन लोगों को कब तक नये वेतनमान उपलब्ध करवाये जायेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

दिनांक 1-1-86 से राजकीय कर्मचारियों एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों, जिला परिषदों स्थानीय निकायों, तथा सार्वजनिक निगमों / उपक्रमों के कर्मचारियों के संबंध में समता समिति की रिपोर्ट का कार्यान्वयन किया जा चुका है । इसी प्रकार सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के संबंध में वेतन पुनरीक्षण समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन भी किया जा चुका है ।

गैर सरकारी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं अर्द्धसरकारी संस्थाओं का मामला समिति की रिपोर्ट से आच्छादित नहीं होता है ।

स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण अलग से शासन स्तर पर विचार कर निर्णीत होते हैं । जितने मामले संदर्भित हुए थे उतने मामलों का निस्तारण किया जा चुका है ।

उक्त समितियों की संस्तुतियों के आधार पर वेतनमान पुनरीक्षण के आदेश दिये जा चुके हैं। फिर भी यदि ऐसा कोई मामला आता है तो उस पर आवश्यकता अनुसार विचार किया जायेगा ।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में इसका प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, इटावा में कथित घोटाले की टेक्निकल आडिट सेल से जांच

188- श्री धनीराम वर्मा तथा श्री राम आसरे वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड

इटावा में 9.0 लाख के घोटाले की जांच के संबंध में श्री संजय कुमार इटावा का शिकायती पत्र दिनांक 27-12-89, 16-3-91 एवं श्री मुन्ना मिश्रा, इटावा के शिकायती पत्र दिनांक 23-5-90 के क्रम में शासन के आदेशानुसार विभागीय/टी0ए0 सी0/विजिलेन्स जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच की कार्यवाही किस चरण में है ? क्या जांच संबंधी समस्त अभिलेख जांच अधिकारी/टी0ए0सी0 को उपलब्ध करा दिये गये हैं यदि हां तो कब कौन-कौन से अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं एवं कितने अभिलेख अभी अवशेष हैं ? यदि नहीं, तो बिलम्ब के लिये उत्तरदायी कौन है ? जांच की कार्यवाही कब तक पूर्ण करा ली जायेगी ? क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

श्री मुन्ना मिश्रा का शिकायती पत्र दिनांक 23-5-90 टेक्निकल आडिट सेल को जांच हेतु दिनांक 4-8-90 में भेजा गया है। तथा श्री संजय कुमार का पत्र दिनांक 16-3-91, अभी हाल में टी0ए0सी0 को जांच के लिये भेजा गया है । किन्तु दिनांक 27-12-89 का शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अवर अभियन्ताओं की हड़ताल समाप्त होने पर जांच दल द्वारा कार्यस्थल पर जाकर जांच की जायेगी ।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, इटावा द्वारा जांच से संबंधित समस्त अभिलेख जांच अधिकारी टी0ए0सी0 को उपलब्ध करा दिये गये हैं। अतः कोई विलम्ब नहीं हुआ है । जांच की गोपनीयता बनाये रखने के लिये अभिलेखों का विवरण दिया जाना समीचीन नहीं है ।

जांच की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर लेने के लिये निर्देश दे दिये गये हैं तथा जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गोण्डा के ग्राम बढ़या नन्द्रो बाजार में जवाहर रोजगार योजना के तहत कृत कार्यों की जानकारी

189-श्री हाजी मोहम्मद वसीम-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बढ़या नन्द्रो बाजार थाना सादुल्ला नगर जनपद गोण्डा में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कों पर कार्य न कराकर पाइप तथा अन्य सामग्री ग्राम के अन्य व्यक्तियों के घरों में लगा दी गयी है ? यदि हां, तो इस संबंध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इस मामले में जांच करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

ग्राम बढ़या नन्द्रो बाजार थाना सादुल्लानगर जनपद गोण्डा में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत पारित प्रस्ताव के अनुसार गांव सभा द्वारा पांच सम्पर्क मार्ग खड़ंजा मरमम्त, नाली निर्माण के अतिरिक्त 12 हैण्ड पम्प सार्वजनिक स्थल पर उपयोग हेतु बाहर लगाये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार कार्य कराया गया है ।

ग्राम सभा रौली, विकास खण्ड, उझानी, जिला बदायूं को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत आंवटित धनराशि के कथित दुरुपयोग के विरुद्ध कार्यवाही

190-श्री झाऊ लाल यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1990-91 में ग्राम सभा रौली विकास खण्ड उझानी जनपद- बदायूं को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितना धन आवंटित किया गया? उक्त धन किन-किन कार्यों पर खर्च किया गया ? क्या उक्त धन के दुरुपयोग की ग्रामवासियों द्वारा शिकायत माह अगस्त 1991 में जिलाधिकारी बदायूं जिला पंचायत राज अधिकारी तथा परगनाधिकारी बदायूं को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम प्रधान को निलम्बित किया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

वित्तीय वर्ष 90-91 में ग्राम सभा रौली विकास खण्ड उझानी जनपद बदायूं को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रु0 22,353.00 की धनराशि आवंटित की गयी थी ।

उक्त धन मिट्टी कार्य खडंजा कार्य एवं स्कूल मरम्मत तथा खड़ंजा मरम्मत कार्यों में खर्च किया गया ।

जी हां, धन के दुरुपयोग के संबंध में ग्रामवासियों से जिला पंचायत राज अधिकारी को शिकायत प्राप्त हुई है ।

नियमानुसार कार्यवाही विचाराधीन है ।

191-श्री झाऊ लाल यादव-

(3रे सोम0 के लिये स्थगित)

जनपद रायबरेली के तहसील सलोन के ग्रामसभा दोहरी मीनाडीह को जवाहर रोजगार योजना के तहत आवंटित धनराशि एवं व्यय में हुई अनियमितता की जांच

192-सैय्यद कासिम हसन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान दोहरी मीना डीह तहसील सलोन जिला रायबरेली को वर्ष 1990-91 में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कितना धन दिया गया और उसमें से कितना व्यय हुआ क्या उक्त कार्यों की टेक्निकल सेल से जांच करायी गयी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त योजना में रददी ईंटों का प्रयोग करके 'ए' श्रेणी की ईंटों का भुगतान कराया गया है तथा मजदूरों को निर्धारित दर से कम मज़दूरी दी गयी है तथा अन्य अनियमिततायें भी की गई हैं ? यदि हां तो इसकी जांच कराकर दोषी ग्राम प्रधान को दंडित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

ग्राम सभा दोहरी थाना डीह तहसील सलोन जिला रायबरेली को वर्ष 1990-91 में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रुपये 37590.00 उपलब्ध कराया गया था और उसमें से रु0 37589.55 की धनराशि का व्यय किया गयां है ।

उक्त कार्यों की विकास खण्ड में कार्यरत अवर अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा जांच करायी गयी । कार्य मानक के अनुसार पाया गया है। टेक्निकल सेल से इसकी जांच नहीं करायी गई है । विभागीय सत्यापन में ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आयी है । कम दर पर मजदूरी दिये जाने के तथ्य भी प्रकाश में नहीं आया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान से उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से शराब की तस्करी एवं अपराधों को संरक्षण देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

193-श्री किशन गोपाल-

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की जितनी शराब उत्तर प्रदेश में नहीं खरीदी जाती उससे ज्यादा शराब पुलिस के माध्यम से राजस्थान से खरीद कर उ0प्र0 में लायी जाती है जिससे प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपया राजस्व की हानि होती है ? यदि हां, तो क्या राजस्थान से उ0प्र0 की सीमा में शराब को लाने वाले तस्करों को रा0सु0का0 के अंतर्गत बन्द करने की शासन की कोई योजना है ? क्या इन तस्करों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

यह नहीं है कि पुलिस के माध्यम से राजस्थान से शराब खरीद कर उत्तर प्रदेश में लायी जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रयोग हेतु शराब प्रदेश में स्थित थोक विक्रताओं से ही खरीदी जाती है। अतः उक्त कारण से राजस्व हानि का प्रश्न नहीं उठता राजस्थान से तस्करी द्वारा उत्तर प्रदेश में लायी जाने वाली शराब को पकड़ने का कार्य पुलिस, आबकारी अधिकारियों/निरीक्षकों एवं स्टाफ द्वारा सघन रोड-चेकिंग तथा प्राप्त विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर किया जाता है और पकड़े गये अपराधियों तथा अपराधियों को संरक्षण देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

194- श्री बच्चा पाठक-

(।ले मंगल में अता0प्र0सं0 25 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

जनपद फैजाबाद के ग्राम सिधौना में ईंटों की अधूरे सोलिंग के कार्य को पूरा करने की मांग

195-श्री राम औतार शाक्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सिधौना, जिला फैजाबाद में ईंटों की सोलिंग आधे ग्राम में ही लगाई गई है ? यदि हां, तो अवशेष सोलिंग का कार्य कब तक होगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

196-श्री ओम प्रकाश दिवाकर-

(।ले मंगल में अता0 प्रश्न संख्या 78 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

जनपद गोरखपुर में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत जिला योजना द्वारा स्वीकृत कार्यों को करने वाले मजदूरों की मजदूरी भुगतान कराने की मांग

197-कुंवर रेवती रमण सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 90-91 के लिये जिला योजना द्वारा स्वीकृत जवाहर रोजगार योजना से संबंधित सभी कार्य गोरखपुर जनपद में करा लिये गये और कार्य करने वाले भूमिहीन मजदूरों को उनकी मजदूरी के भुगतान कर दिये गये ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसी जनपद के तीन

विधान सभा क्षेत्र पिपराइच, सहजनवां, व बांसगांव में कार्यवाही विभाग द्वारा कार्य कराये जाने के बाद कार्य करने वाले भूमिहीन मजदूरों की मजदूरी का भुगतान छः माह बीतने के बाद भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने तत्काल भुगतान हेतु कौन सी कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम गंगानगर में सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण

198-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक विकास केन्द्र, न्याय पंचायत मुख्यालय पर ही बनाना शासनादेशों के अनुरूप है ? यदि हां, तो क्या इसे किसी पृथक गांव में भी बनाया जा सकता है, जिसमें न्याय पंचायत मुख्यालय नहीं है ? यदि नहीं, तो क्या शाहजहांपुर के (कुर्रियाढ़ोडा) गंगानगर में उक्त सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त विकास केन्द्र वहां बनवाने से रोका जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

शासनादेश संख्या 1549/38-4-2553 एन0आर0/86, दिनांक 22-4-87 के अनुसार सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण सामान्यतः न्याय पंचायत मुख्यालय पर ही होना चाहिये परन्तु यदि न्याय पंचायत मुख्यालय के गांव में भूमि उपलब्ध न हो तो न्याय पंचायत के किसी अन्य गांव में जहां उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो निर्माण कराया जा सकता है ।

जी हां, विकास क्षेत्र कांट के अन्तर्गत न्याय पंचायत औदापुर के ग्राम गंगानगर में सामुदायिक विकास खण्ड का निर्माण जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी की बैठक दिनांक 19-4-86 में हुई स्वीकृति के उपरान्त कराया जा रहा था । सरपंच, न्याय पंचायत औदापुर द्वारा दायर रिट याचिका पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश दे दिये जाने के कारण उक्त निर्माण कार्य रुका हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के स्थगन की घोषणा

श्री अध्यक्ष-

मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि मैंने दिनांक 24 फरवरी, 1992 को उपाध्यक्ष विधान सभा के पद हेतु निर्वाचन की तिथि निर्धारित की थी तदनुसार आज की कार्यसूची में मद संख्या 3 से 5 तक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है परन्तु आज विभिन्न दलों के नेताओं ने मुझसे निवेदन किया कि निर्वाचन आज निरस्त कर दिया जाय । अतः नेताओं के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मै उक्त निर्वाचन स्थगित करता हूं । अगली तिथि बाद में घोषित की जायेगी ।

प्रश्न के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर मेरी एक लिखित सूचना है ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

यह पूरे प्रदेश से संबंधित है । मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

व्यवधान

श्री अध्यक्ष-

नहीं आज अभी आकृष्ट न करायें । मैंने श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी को अनुमति दी है ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न वित्त विभाग से संबंधित था। आपके सचिवालय से स्वीकार भी हो गया था परन्तु फरवरी, में मुझे सूचना मिली कि वह दो विभागों से संबंधित था इसलिये निरस्त कर दिया गया है। श्रीमन् मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट और केवल वित्त विभाग से था लेकिन प्रश्न इस तरह का था कि उसमें राजस्व विभाग को सूचना देनी पड़ी थी। यह प्रश्न बहुत स्पष्ट वित्त विभाग से था। लेकिन प्रश्न इस तरह का था कि उसमें राजस्व विभाग को सूचना देनी पड़ी थी यह प्रश्न बहुत स्पष्ट वित्त विभाग से था। फेगमेन्ट होल्डिंग का रजिस्ट्रेशन न हो यह राजस्व परिषद् का बहुत स्पष्ट आदेश है। वित्त विभाग में उक्त आदेश न होने के कारण आये दिन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और म्यूटेशन उनके नाम नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रार आफिस में अनियमितता बरती जा रही है। मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह एक व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है पूरे प्रदेश की जनता से संबंधित प्रश्न है और श्रीमन् इसे निरस्त कर दिया गया है। श्रीमन् राजस्व विभाग का हवाला इसलिये देना पड़ा क्यों कि जमींदारी अधिनियम से वह वाकिफ है ।

नियम 168 के अंतर्गत सेल नहीं होगा। हस्तान्तरित नहीं होगा । अगर इस तरह से वांछित है तो क्या रजिस्ट्री विभाग में यह नियम लागू करने पर माननीय मंत्री जी निर्णय लेंगे कि इस तरह का कोई रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्री विभाग द्वारा न किया जाये यह मेरा स्पष्ट प्रश्न है । रजिस्ट्री विभाग द्वारा घोर अनियमिततायें बरती जा रही हैं इसलिये इसको स्थगित कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष-

आपका जो प्रश्न है इसमें मध्य में यह है कि "क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि रजिस्ट्री विभाग द्वारा भूमि के फैगमेन्ट की बिक्री तथा पंजीयन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है जिसके कारण आये दिन भूमि के फैगमेन्ट के क्रय-विक्रय का पंजीयन किया जा रहा है लेकिन उनके नामान्तरण में अब अत्यन्त समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी भूमि के फ्रेगमेन्ट की बिक्री एवं पंजीयन पर भी उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 168 के अनुरूप नियम बनाने एवं लागू करने का कष्ट करेंगे ? यह राजस्व विभाग से संबंधित हो गया और यह संबंधित विभाग उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम है ।

दिवाकर जी आप इसके संबंध में मेरे कक्ष में आ जायें और मुझसे बात कर लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मेरा प्रश्न अस्वीकार कर दिया गया है यह क्यों स्थगित कर दिया गया है यह मेरी समझ में नहीं आया । प्रश्नों को स्थगित करने का मामला आपसे संबंधित है। 13-8-91 को उत्तरित हो गया इसलिये यह लैप्स हो गया ।

श्री अध्यक्ष-

आप भी मेरे कक्ष में आकर मुझसे वार्ता कर लें ।
मैं पूरी पत्रावली देखकर बात कर लूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा-

अगर कोई सवाल पहले पूछ लिया गया है उसको अगर फिर पूछा जाता है तो उसमें निरस्तीकरण की तो कोई बात नहीं आती है। जो पहले सत्र में प्रश्न पूछा गया है उसको फिर दुबारा नहीं पूछा जायगा तो कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपसे विचार विमर्श कर लूंगा ।

विधान सभा उपाध्यक्ष का चुनाव कराये जाने का सुझाव

*डा0 दिनेश जौहरी-

मान्यवर, उपाध्यक्ष का चुनाव बार-बार स्थगित हो रहा है। आज रेवतीरमण जी भी हैं, यादव जी भी हैं और मुलायम सिंह जी भी हैं तथा प्रमोद तिवारी जी भी हैं, तो आज चुनाव कर लेना चाहिये था । वरना यह चुनाव स्थगित होते-होते एक दिन ऐसा आ जायेगा कि उपाध्यक्ष का पद ही खत्म कर दिया जायेगा, तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग करके चुनाव करा लें ।

श्री अध्यक्ष-

इसमें प्रयास किया जा रहा है सर्वसम्मति से इसमें किसी का नाम आ जायेगा। आज 24 फरवरी, 1992 को मुझे कुछ सूचनायें प्राप्त हुई हैं..

(व्यवधान)

प्रदेश में डीजल एवं पेट्रोल की अनुपलब्धता की र

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर उत्तर प्रदेश में भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। डीजल और पेट्रोल उपलब्ध नहीं है चोरबाजारी हो रही है। स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी है।

(समय 12 बजकर 30 मिनट)

आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस भीषण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राम आसरे वर्मा जी ने जिस समस्या का उल्लेख किया है उस ओर मैं शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

माननीय वर्मा जी ने जिस समस्या के बारे में आपका ध्यान आकर्षित किया यह बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रोल तथा डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं इस प्रत्याशा में पिछले 4 दिनांक से डीजल और पेट्रोल आज पूरे प्रदेश में उपलब्ध नहीं हो पा रहा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है शासन को इसके बारे में जानकारी होगी। मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि कृपया निर्देशित कर दें कि शासन इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करें । आज फसलों को पानी की आवश्यकता है। डीजल और पेट्रोल न मिलने के कारण किसानों के पम्प सेट नहीं चल पा रहे हैं जिससे कि सिंचाई नहीं हो पा रही है। इसलिये शासन को तत्काल निर्देशित करने की कृपा करें कि डीजल व पेट्रोल उपलब्ध कराया जाय ।

* श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि कल से डीजल क्राइसेस उत्तर प्रदेश में बना दी गयी है। डीजल और मिट्टी के तेल की कमी से वाहन प्रभावित हो रहे हैं बोर्ड की परीक्षायें शुरू होने वाली हैं, मिट्टी का तेल न मिलने के कारण छात्र परीक्षा की तैयारी नही कर पा रहे हैं । वैसे यह सरकार चोर बाजारियों और कालाबाजारियों की सरकार है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि होल्डिंग चोर बाजारी तब तक के लिये रोक दें जब तक परीक्षायें नहीं हो जातीं ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डीजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। डीजल की आपूर्ति न होने के कारण किसान परेशान हैं और उनके सामने सिंचाई की समस्या आ गयी है। जब भी बजट आता है कि उसके पहले से ही कुछ चीजें बाजार से गायब हो जाती हैं इस प्रत्याशा में कि कीमतें बढ़ेंगी तो मुनाफा होगा। मैं चाहता हूं कि डीजल की समस्या को दूर किया जाय और किरासिन आयल उपलब्ध कराया जाय। छात्रों की 22 मार्च से फाइनल परीक्षायें हो रही हैं इस समय प्रेक्टिकल हो रहे हैं इसलिये विद्यार्थियों को किरासिन आयल उपलब्ध कराया जाय। यह दोनों समस्यायें जनहित की हैं, इस पर शासन की ओर से आज्ञा दें कि डीजल और किरासिन आयल तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, समस्या बहुत गंभीर है ।

श्री अध्यक्ष-

वही बातें दोहराने से क्या लाभ, आपका नाम भी इसमें जोड़ दिया जायगा ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता)-

मान्यवर, मैंने सभी माननीय सदस्यों के विचारों को सुना । माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी जो कहना चाहते हैं उसका अनुमान किया। कीमत बढ़ेगी या नहीं मैं नहीं कह सकता, अच्छा होता कीमत न बढ़ती हमारी सरकार की ओर से इस बात की पूरी व्यवस्था की जा रही है कि किसी तरह की होल्डिंग या कालाबाजारी न होने पाये। इसके बारे में कड़े निर्देश जिलाधिकारियों को दिये गये हैं। मिट्टी का तेल, डीजल किसानों और विद्यार्थियों, उपभोक्ताओं को मिले इस बात को सुनिश्चित किया गया है । जहां कहीं से शिकायतें मिलती हैं कड़ी कार्यवाही की जाती है। माननीय सदस्य किसी जिले विशेष की जानकारी देंगे तो कड़ी कार्यवाही की जायगी ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मेरे साथ चलें । यहीं प्रदेश की राजधानी में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ज्यादा पेट्रोल पम्प बंद हैं । डीजल के लिए लम्बी-लम्बी लाइनें लगी हैं आप जिले की बात कर रहे हैं मैं लखनऊ की बात आपको बता रहा हूं आप मेरे साथ चलें और पेट्रोल पम्पों को देखें यह जो चोरबाजारी और कालाबाजारी कर रहे हैं यह आपके ही आदमी हैं जब तक छात्रों की परीक्षायें न हो जायं तब तक इसको रोकवा दीजिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं । हमको इस सरकार में आये 6-7 महीने हुए हैं, कल तक सरकार तो इनकी बनी रही है उन्होंने हमारे लोगों को लाइसेंस और परमिट दिये, इसलिए बधाई देना चाहता हूं लेकिन मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने लखनऊ के बारे में जानकारी दी तो मान्यवर, यह हल्की बात होगी कि हम दोनों इन्क्वाइरी करने जायं उन्होंने जो जानकारी दे दी, मैं विश्वास करता हूं और समस्या का समाधान होना चाहिए । इन्होंने चाहे जिसको लाइसेंस दिया हो, हम इसके खिलाफ कार्यवाही जरूर करेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसमें उचित होगा कि सरकार की ओर से तो निर्देश दिये ही जायं संगठन की ओर से भी निर्देश दिलवा दें कि इनके कार्यकर्ता चोरबाजारी न करें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस गम्भीर पेट्रोल और डीजल की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि विभिन्न जनपदों के बारे में सूचना मिलने पर कार्यवाही करेंगे कल रविवार को मैं अपने क्षेत्र में था हैदरगढ़ में ठीक तहसील के सामने ए0डी0एम0 के दफ्तर के सामने एक पेट्रोल पम्प है वहां से मैंने अपने निजी वाहन जीप के लिए डीजल मंगवाया तो यह कहकर कि डीजल उपलब्ध नहीं है और आप एस0डी0एम0 से परमिट लावें डीजल नहीं दिया गया एस0डी0एम0 के यहां पता करवाया तो पता लगा कि रविवार के कारण उपस्थित नहीं हैं । वहां पांच हजार लोगों की लाइन लगी थी और मान्यवर, मुझे उसी पेट्रोल पम्प से किसी अन्य से वार्ता कराने के बाद आठ रुपये लीटर डीजल प्राप्त हुआ और उसके बाद मैं लखनऊ आया क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि तत्काल उस पेट्रोल पम्प के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप उसका नाम बात दें तो मंत्री जी कार्यवाही कर सकेंगे ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, बृजमोहन अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल उसके स्वत्वाधिकारी हैं यह इण्डियन आयल का एक मात्र पेट्रोल पम्प है और सौभाग्य से वे भारतीय जनता पार्टी के ब्लाक उपाध्यक्ष हैं । मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । इसका निश्चित उत्तर दिला दें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर दिया है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से आश्वासन दिलाने की कृपा करें ।

श्री छत्रपाल वर्मा-

मान्यवर, बांदा की हालत यह है कि बढ़ती महंगाई को देखकर और यह सोचकर कि लाभ होगा लोग डीजल दे ही नहीं रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी समस्या सदन के संज्ञान में आ गई ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर यह मेरा परसनल मामला है मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इसे देख लें । मैंने अपने पैड पर लिख कर, उस दिन गृह राज्य मंत्री का हमारे यहां दौरे पर थे मैंने पैड पर लिख कर दिया तो एस0डी0एम0 देवरिया को 20 लीटर डीजल दिया । माननीय मंत्री जी उपस्थित थे।सारी गाड़ियां उनके साथ चल रही वह बता दें कि वहां पेट्रोल डीजल और मिट्टी के तेल की क्या स्थिति है। माननीय मंत्री स्वयं बता दें । आज हालत यह है कि किसी विधायक को पेट्रोल या डीजल नहीं मिल रहा है इस पर आश्वासन दिलवा दें किसान डीजल के अभाव में परेशान है खेती सूख रही है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में स्थान और नाम ला दिया है और मैंने स्वयं अपने साथ हुई घटना का जिक्र किया है इसमें माननीय मंत्री जी सदन में स्पष्ट आश्वासन देने की कृपा करें ।

क्या माननीय मंत्री जी इस पर आश्वासन देने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय सदस्य बाराबंकी ने एक बात कही, मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि वह लिख कर दे दें । अगर आप कोई चीज लिख कर दे दें, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, मैंने आपकी आज्ञा से इस सदन में स्थान बता दिया, नाम भी बता दिया है, अब इसके अतिरिक्त कोई चीज़ लिखकर देने की आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, जो सदन में कोई बात कही जाती है वह बात सरकार के संज्ञान में आने पर उस पर कार्यवाही तो की ही जायेगी लेकिन अगर माननीय सदस्य लिख कर नहीं देंगे. तो इसका बरडेन आफ प्रूफ किस पर आयेगा । जो हमारे संज्ञान में है, उस पर जरूर से जरूर कार्यवाही की जायगी ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, नाम मांगा गया, स्थान मांगा गया, तिथि मांगी गयी, माननीय सदस्य ने सब कुछ उपलब्ध करा दिया । मान्यवर, सरकार क्या चाहती है, मुझे मान्यवर, बता दें । मान्यवर, जब माननीय सदन में कोई सूचना मिल जाती है तो उस पर कार्यवाही की जाती है ।

(व्यवधान)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24 फरवरी, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में शलाका के आधार

पर अग्राह्यता को छोड़ते निम्नलिखित सात सूचनाएं स्वीकार की गईं:-

पहली सूचना श्री सुरेन्द्र नाथ की जल निगम द्वारा "इंडिया मार्क-2" के हैण्डपम्प लगाये जाने के संबंध में नीति निर्धारण के लिए है । दूसरी सूचना श्री भारत सिंह रावत की गढ़वाल जनपद में सस्ते गल्ले की दूकानों पर खाद्यान्न, चीनी तथा मिट्टी के तेल न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री अकबर की जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में मुंसिफ न्यायालय स्थापित कराने के संबंध में है । चौथी सूचना श्री लालजी वर्मा की नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में एम0एस सी0 प्रथम वर्ष में मेरिट के आधार पर चयनित मेधावी छात्रों को प्रवेश न मिलने के संबंध में है । पांचवीं सूचना श्री अगरेश चन्द्र पाण्डेय की जनपद मऊ के बिल्थरा रोड पर सोनाडीह और अहिरपुर के मध्य हाहानाले पर पुल बनवाने के संबंध में है । छठीं सूचना श्री गिरधारी लाल की जनपद गाजीपुर में विकास खण्ड बाराचौर, मांटा जहूरीबाद मार्ग को पक्का बनबाने के संबंध में हे । सातवीं सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप की देवरिया क्लेक्ट्रेट में रिक्त पदों पर जनगणना लिपिकों को समायोजित करने के सम्बन्ध में हे ।

ये सभी सूचनायें शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी हैं उनके नाम इस प्रकार हैं:

(1) श्री शिव दर्शन (2) श्री दलबीर सिंह (3) श्री नन्द राम (4) श्री सुरेन्द्र सिंह (5) श्री राम लखन (6) श्री मातबर सिंह कण्डारी (7) डा0 बृजभान यादव (8) श्री हरिवंश सहाय एवं श्री स्वामी नाथ यादव (9) श्री निर्वेन्द्र कुमार (10) श्री हृदय नारायण दीक्षित (11) श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी (12) श्री छोटे लाल (13) श्री विशम्भर प्रसाद निषाद ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं, पढ़ी हुई मान ली गईं ।

जल निगम द्वारा इण्डिया मार्का-2 के हैण्ड पम्प लगाये जाने के संबंध में नीति निर्धारण विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र नाथ-

(मान्यवर, शासन के नये नियमों के अनुसार जल निगम द्वारा पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए जो इण्डिया मार्का के हैण्ड पाइप लगाये जायेंगे उसमें ग्राम सभा का चयन करने का अधिकार शासन ने माननीय विधायक को दिया है । लेकिन ग्राम सभा में स्थल का चयन का अधिकार ग्राम प्रधान को दे दिया ।

इस आदेश से बहुत जगह प्रजातंत्र की प्रथम इकाई ग्राम सभा व तृतीय इकाई विधान सभा के सदस्यों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है । जो कि उचित भी है, और इसमें प्रजातंत्र कमजोर होगा ।

कृपया शासन की स्थिति स्पष्ट करवा देवें तथा शासन को आदेशित कर देवें कि यह दोनों इकाई में किसी एक इकाई को अधिकार देने के आदेश पारित कर देवें ।)

गढ़वाल जनपद में सस्ते गल्ले की दुकानों पर खाद्यान्न, चीनी तथा मिट्टी के तेल के अभाव से उत्पन्न संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भारत सिंह रावत-

(मान्यवर, मैं नियम 301 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचना सदन के संज्ञान में

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लाना चाहता हूं:-

पर्वतीय क्षेत्र के सभी जिलों में विगत छः माह से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर खाद्यान्न, चीनी तथा मिट्टी का तेल नहीं भेजा गया है । यदि कहीं भेजा गया है तो यह निर्धारित स्केल से बहुत कम हैं जो स्थानीय जनता की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं है । सरकारी दुकानों पर खाद्यान्न उपलब्ध न होने से खुले बाजार में आटा, चावल तथा दाल जैसी वस्तुओं के दाम कई गुना बढ़ गये हैं और वहां की गरीब जनता खुले बाजार से खरीदने में पूर्णतयः असमर्थ है । फलतः उसी से असहायक जैसी स्थिति हो गयी है ।

अस्तु उपर्युक्त विषय शासन के संज्ञान में लाते हुए मेरी मांग है कि पर्वतीय क्षेत्र के सभी जनपदों में सरकारी दुकान पर निर्धारित स्केल के अनुसार आवश्यक वस्तुयें तत्काल उपलब्ध करायी जायें ताकि वहां की जनता भुखमरी से बच सके ।)

जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में मुन्सिफ न्यायालय स्थापित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर-

(मान्यवर, शासन की नीति जनता को सुलभ न्याय दिलाने हेतु तहसील मुख्यालय पर ही मुन्सिफ न्यायालय स्थापित करने की है परन्तु तहसील बिलारी में बार-बार शासन का ध्यान आकर्षित करने पर भी अभी तक मुन्सिफ न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है ? जिससे गरीब जनता को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिसके कारण शासन के प्रति जनता में रोष व्याप्त है ।

अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं ।)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद में छात्रों के प्रवेश में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री लालजी वर्मा-

(मान्यवर, नरेन्द्र सिंह देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद में एम0एससी0 (कृषि), प्रथम वर्ष में मेरिट के आधार पर चयनित मेधावी छात्रों को पिछड़ी जाति के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रवेश लेने से रोका जा रहा है जिसके कारण छात्रों में आक्रोश व्याप्त है ।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।)

जनपद मऊ से बिल्थरा रोड पर सोनाडीह और अहिरपुर के मध्य हाहा नाले पर पुल बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

(मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान जनपद मऊ एवं बलिया को जोड़ने वाली सड़क जो मधुवन से सोनाडीह होते हुए बिल्थरा रोड की तरफ जाती है की तरफ आकृष्ट कराते हुए ज्ञात कराना चाहता हूं कि इस सड़क के प्रभावित सैकड़ों गांवों की मुख्य बाजार एवं निकटवर्ती रेलवे स्टेशन बिल्थरा रोड है परन्तु इस मार्ग पर सोनाडीह और अहिरपुर के मध्य एक हाहा नाला है जो दोनों जनपदों की सीमायें निर्धारित करता है, पर पुल नहीं है । इस पुल के नहोने से 30 किमी0 क्षेत्र के लोगों का आवागमन पूर्णतः अवरुद्ध है एवं रेलवे स्टेशन जाने में अधिक दूरी तय करने के साथ-साथ अतिरिक्त व्यय भार भी क्षेत्रीय जनता को सहना पड़ता है ।

अतः अनुरोध करता हूं कि अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण मामले पर सदन में चर्चा कराने की कृपा करें ।)

नोट.- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गाजीपुर जिलान्तर्गत विकास खण्ड बाराचौर, मांटा एवं जहूराबाद मार्ग को पक्का बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गिरधारी लाल-

(मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद गाजीपर में मार्ग विकास खण्ड बाराचौर, मांटा, जहूराबाद, लम्बाई लगभग 7 किमी0 ग्राम विकास ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा मिट्टी पुलिया खड़न्जे स्तर तक निर्मित की गई है, इसका निर्माण कार्य लगभग 7 वर्ष पूर्व किया गया था इस समय य सड़क टूट गई है, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग में धन अभाव के कारण इसको विशेष मरम्मत योजना के तहत नहीं लिया जा सकता । इस मार्ग के न बनने से स्थानीय जनता में रोष व्याप्त है । हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया । इसलिए इस मार्ग का निर्माण पक्के स्तर पर राज्य सेक्टर से धन आवंटित कराकर किया जाये ।

अत: आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उपरोक्त मार्ग का निर्माण कार्य जल्द से जल्द कराया जाये, जिससे लोगों को आने-जाने में सुवि मिल सके ।)

देवरिया कलेक्ट्रेट में रिक्त पदों पर जनगणना लिपिकों को समायोजि करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र प्रताप-

(मान्यवर, शासन के निर्देशानुसार जनगणना वर्ष 1991 के अन्तर्गत वर्ष 1990 में विभिन्न जनपदों में कलेक्ट्रेट एवं तहसील स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा जनगणना लिपिकों की नियुक्ति की गई थी । जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा भी कलेक्ट्रेट एवं तहसील स्तर पर जनगणना लिपिकों की नियुक्ति की गई । जिनकी सेवायें जनगणना कार्य समाप्त होने पर 31 मई, 1991 को समाप्त कर दी गई, जबकि कलेक्ट्रेट एवं तहसील स्तर पर भारी संख्या में लिपिकों के पद रिक्त थे, एवं वे पद अब रिक्त हैं । परन्तु जिलाधिकारी, देवरिया ने रिक्त स्थानों पर जनगणना लिपिकों का समायोजन न करके सेवा से छटनी कर दिया, जबकि जनपद के समस्त जनगणना लिपिक चयनित थे, और अपने समायोजन के लिए जिलाधिकारी, देवरिया को कई प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत किये थे ।

ऐसी दशा में जिलाधिकारी, देवरिया ने रिक्त पदों पर जनगणना लिपिकों का समायोजन क्यों नहीं किया ?इनके प्रार्थना पत्रों पर जिलाधिकारी, देवरिया ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है क्यों ? शासनादेश संख्या 41/2/87-कार्मिक-2/1991 लखनऊ दिनांक 12 नवम्बर, 1991 के प्रस्तर-3 में उल्लेख किया गया है कि "सेवायोजन में कोई वरीयता न दी जाय ।" इसका क्या अभिप्राय है एवं किन परिस्थितियों में उल्लेख किया गया है ।

आपसे सादर अनुरोध है कि इन्हें सेवा का अवसर प्रदान करने की सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।
नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत मैंने एक सूचना दी थी ।

22 अक्टूबर, को .....

श्री अध्यक्ष-

मैं पहले नियम 300 की सूचना ले लूं ।

श्री लालजी वर्मा-

मैं इसीलिए नियमों को निलम्बित करने की बात कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष-

जो भी सदस्य मेरी अनुमति के बिना बोलेंगे, तो उनकी बात को नहीं लिखा जायेगा । माननीय सदस्य मेरा निवेदन स्वीकार कर लें । मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । पहले नियम 300 की सूचनायें ली जाती हैं और उसके बाद नियम 311 की सूचनायें ली जाती हैं आज नियम 300 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं पहली सूचना श्री अतीक अहमद की उनका गनर व शैडो वापस ले लिये जाने एवं उन्हें जान से मारने की तैयारी आदि के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री स्वामी नाथ यादव की विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर गलत होने के संबंध में है, तीसरी सूचना सर्वश्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, विशम्भर प्रसाद निषाद और गया चरण दिनकर की सभा करने पर विधायकों पर पुलिस द्वारा पथराव व मारपीट किये जाने के संबंध में है, चौथी सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में वर्णित राज्य सूची के बाहर के विषयों पर कार्य करने के संबंध में है, 5वीं सूचना सर्वश्री बरखूराम वर्मा, विशम्भर प्रसाद निषाद की दिनांक 20 फरवरी, 1992 को दलित शिक्षा आन्दोलनकारियों को जेल में बन्द किये जाने के संबंध में है, छठीं सूचना श्री नरेश अग्रवाल की राज्य शिक्षा मंत्री द्वारा सदन के अधिवेशन काल में बेसिक शिक्षा से संबंधित नीतिगत घोषणा सदन से बाहर करने के संबंध में है और सातवीं सूचना श्री दिनेश चन्द्र सोनकर की दिनांक 13 अगस्त, 1991 को नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर न दिये जाने के संबंध में है ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर 300 से पहले 311 की सूचनायें ली जाती रही हैं ।

श्री अध्यक्ष

मैंने तो यही प्रक्रिया अपनायी है ।

श्री विजय सिंह राणा-

311 का अर्थ नियमों को निलम्बित करके ।

श्री अध्यक्ष-

वह तो अतिविशिष्ट और अपवाद स्वरूप मामलों में मूव किया जाता है ।

श्री अतीक अहमद, सदस्य, विधान सभा से गनर एवं शैडो वापस लेने से खतरा उत्पन्न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री अतीक अहमद-

मान्यवर, मेरा सबसे पहला निवेदन यह है कि इस सदन में उपस्थित सभी सदस्य चाहे वह मंत्री हों, सत्ता पक्ष की ओर बैठने वाले हों और चाहे विपक्ष की ओर बैठने वाले हों, सबसे पहले वह विधायक हैं और तब पक्ष और विपक्ष की बात आती है । मान्यवर, आप सर्वोच्च आसन पर विराजमान हैं और मैं निर्दलीय विधायक हूं । इसलिए मेरा मामला किसी भी नेता द्वारा इस सदन में नहीं उठाया जाता है । मान्यवर, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा चलाया गया है, मुझको बन्द किया गया है, परन्तु किसी भी नेता ने मेरा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मामला यहां पर नहीं उठाया, इसका कारण यह है कि मैं निर्दलीय विधायक हूं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ टेलीग्राम के माध्यम से मुकदमा दर्ज किया गया, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया । टेलीग्राम का बेस बनाकर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और जेल भेजा गया, तब मैंने न्यायालय की शरण ली, पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया है और मुझे गिरफ्तार किया गया ।

मान्यवर, इलाहाबाद से मैं अपनी जान बचाकर यहां पहुंचा हूं । मेरे पास जो शैडो था और जो गनर था उसको वापस ले लिया गया है । जो राइफल है वह बेकार पड़ी है, उसके कार्टिजेज नहीं दिये जा रहे हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सुरक्षा की गुहार कर रहा हूं । मेरे ऊपर बम फेंका गया । मान्यवर, क्या जब मेरी हत्या हो जायेगी, तभी मेरी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जायेगा, पहले नहीं किया जायेगा, मान्यवर, किसी भी स्तर से मेरी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा रही है ...

मान्यवर, मेरे ऊपर गैंगस्टर लगाया गया है । मैं चाहता हूं कि सरकार गैंगस्टर की व्यवस्था कर दे, सरकार बता दे कि गैंगस्टर क्यों लगाया जाता है ? मान्यवर, इसके अलावा मेरे ऊपर रासुका लगाया गया, रासुका की फाइल बन कर तैयार हो गयी और वह ए0डी0एम0 (सिटी) के कार्यालय में रखी है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं जेल जाने से नहीं डरता लेकिन रासुका जैसा घिनौना आरोप उसके ऊपर लगना चाहिए जिससे देश को खतरा हो तो क्या अब मुझसे इस देश को खतरा पैदा हो गया है ? मैं मुसलमान हूं मेरा धर्म कहता है कि अपने देश के प्रति वफादार रहो ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरे ऊपर गैंगस्टर ऐक्ट लगा दिया और अब उधर के एक सदस्य आपके सामने कह रहे हैं कि बी0जे0पी0 में चले आइये । मान्यवर, मैं तो पहली दफा निर्दलीय विधायक जीता हूं ।

(× × ×)

(व्यवधान के मध्य)

(× × ×

श्री अतीक अहमद द्वारा आपत्तिजनक शब्द कहे जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह कार्यवाही में नहीं आयेगा ।

श्री राम कुमार शुक्ल-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, इसे कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने उसे कार्यवाही से निकाल दिया ।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री रवीन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक व्यवस्था चाहता हूं कि पिछली बार जब सदन चला था तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री को ऐसे ही शब्द पर माफी मांगनी पड़ी थी तो यह क्षमा मांगे और इसे कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय रवीन्द्र जी, मैंने इसे कार्यवाही से निकाल दिया है ।

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रवीन्द्र प्रताप-

मान्यवर मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये पहले क्षमा मांगें फिर कार्यवाही आगे चलेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, इस समय कुछ भी सुनायी नही दे रहा हे। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय रवीन्द्र प्रताप ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उसमें उन्होंने कहा कि माननीय अतीक अहमद साहब ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जिन शब्दों के प्रयोग पर पिछले सत्र में माननीय संसदीय कार्य मंत्री को क्षमा मांगनी पड़ी थी, में अतीक अहमद जी से कहूंगा कि जो शब्द प्रयोग किया हे, (xxx) उसके लिये पहले आप क्षमा मांगिये ।

श्री अतीक अहमद-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे किस शब्द पर आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष-

जो मैंने निर्देश दिये हैं उसका पालन करें ।

श्री अतीक अहमद-

मान्यवर, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा लेकिन पता तो चले ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, वह शब्द क्या आया हम लोग सुन नहीं पाये थे, कौन सा ऐसा शब्द जो असंसदीय था इसके बारे में बता दें ।

श्री अध्यक्ष-

अभी माननीय सदस्य ने अपनी बात पूरी नहीं की, जब वह अपनी बात समाप्त करेंगे तभी तो आप अपनी बात कहेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

अभी आपने मान्यवर, माननीय अतीक अहमद जी को क्षमा मांगने के लिये निर्देश दिये, हम लोग सुन नहीं पाये कि क्या शब्द था ।

मान्यवर, निर्णय उसी समय हो पायेगा जब सदन को जानकारी हो जाय, हम लोग सुन भी नहीं पाये हैं कि संसदीय हे या असंसदीय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

वह खेद प्रकट करें उसके बाद आगे बढ़ें ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल उठा रहा हूं आपने अभी निर्देशित किया माननीय अतीक अहमद को, किस शब्द के ऊपर निर्देशित किया कम से कम वह शब्द सदन की जानकारी में आ जाय, बहुत से माननीय सदस्य उसे नहीं सुन पाये हैं जब तक यह पता न लग जाय कि कौन सा शब्द कहा तब तक यह निर्णय नहीं लिया जा सकता कि वह असंसदीय है या संसदीय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अभी माननीय सदस्य ने अपनी बात समाप्त नहीं की हे, उन्हें अपनी बात कहने दें ।

श्री अतीक अहमद-

मान्यवर, कोई शब्द निकाला जाय तो मुझे बताया जाय मेरा एक-एक शब्द कार्यवाही में नोट है ।

नोट:-(xxx)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया शांत रहें ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, पहले सुन लें आपने एक निर्देश दिया . . .

श्री अध्यक्ष-

पिछले सत्र में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने (× × ×) इसी शब्द का प्रयोग किया था . . .

वह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया गया था और बाद में माननीय विपक्ष के नेताओं के आग्रह पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने खेद प्रकट किया था । उसी शब्द को आज आपने प्रयोग किया है तो मैंने आपसे इतना कहा है कि उस शब्द के प्रयोग के लिए आप क्षमा मांग लें और तब अपनी बात रखें ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि "मुंह काला" शब्द एक कहावत है, लोकोक्ति है, यह असंसदीय नहीं है । इसलिए आप . . .

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

पहले यह क्षमा मांगे, तब कहें ।

(घोर व्यवधान)

(अनेक माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे जिसके कारण सुनायी नहीं पड़ा)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया शान्त रहें । पहले माननीय सदस्य को सुन लें ।

श्री अतीक अहमद-

मान्यवर, मैं मान रहा हूं कि मेरे मुंह से मुंह काला शब्द निकल गया होगा । मान्यवर, मेरी जान को खतरा है, भावनाओं को आप सुन लीजिये । मान्यवर, अगर आपको उस शब्द पर आपत्ति है या सत्ता पक्ष को आपत्ति है तो मैं यह चाहूंगा कि उस शब्द को कार्यवाही में आने से रोक दिया जाये । पहले मेरी बात सुन लें उसके बाद आपके जो आदेश होंगे उसका मैं पालन करूंगा ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने उस पर निर्णय दे दिया है । वह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अतीक अहमद-

मान्यवर, मेरी भावनाओं को आप सुन लीजिए । मेरी जान को खतरा पैदा हो गया . . .

मान्यवर, आप इस सदन के सर्वोच्च आसन पर बैठे हैं और आप जो आदेश देंगे वह मुझे मान्य होगा । जहां तक मुंह काला शब्द मेरे मुंह से निकलने की बात है . . .

श्री अध्यक्ष-

मैंने उस शब्द को कार्यवाही से निकालने के लिए आदेश दे दिया । चूंकि पहले इस तरह का एक प्रकरण हो चुका है, जिसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने क्षमा मांगी थी । मैंने आपसे यही कहा कि इस शब्द के प्रयोग के लिए आप क्षमा मांगें और उसके बाद अपनी बात कहते जायें, इसके लिए मैं आपको मौका दे रहा हूं ।

श्री अतीक अहमद-

मान्यवर, मैं इस शब्द के लिए खेद प्रकट करता हूं और इस अल्फाज को वापस लेता हूं, लेकिन यह सदन मेरी भावनाओं को भी देख ले ।

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अतीक अहमद, सदस्य, विधान सभा से गनर एवं शैडो वापस लेने से खतरा उत्पन्न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अतीक अहमद-

मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं । मान्यवर, मैं इलाहाबाद से निर्दलीय विधायक चुना गया, उसके बाद मेरे ऊपर हमला होता है, मेरा गनर वापस ले लिया जाता है, जब मैं मुख्य मंत्री से एनेक्सी में मिला और मैंने कहा कि मेरे ऊपर हमला किया गया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर हमला कौन कर सकता है । मेरा सुरक्षा गार्ड वापस ले लिया गया, उसके लिए भी मैंने उनसे कहा उन्होंने कहा कि एक ही रहेगा, तो मैंने कहा कि एक ही दे दें, लेकिन आज तक मेरे पास एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं है । उसके बाद फर्जी केस बनाकर पुलिस मेरे यहां पहुंची । मेरी रायफल जो लाइसेंसी है, वह रायफल उठा लिया और कहा कि यह लोडेड रायफल है । तो मैं जानना चाहता हूं कि रायफल इलाहाबाद में रहेगी और कारतूत मुख्य मंत्री के पास रहेंगे ।

(सत्ता पक्ष के तथा विरोध पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों को इस प्रकार हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

श्री अतीक अहमद-

मान्यवर, मुझे आपका संरक्षण चाहिए । यहां एक लिस्ट दिखाई जा रही है । मैं बड़े साफ शब्दों में सदन के सामने कह देना चाहता हूं कि इस सरकार के बनने के बाद मेरे ऊपर दो फर्जी केस लगाये गये इसके अलावा मेरे ऊपर कोई केस नहीं है और न्यायालय में विचाराधीन है, फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है और अदालत मामला खत्म कर चुकी है । मान्यवर, मैं आपके द्वारा गैंगस्टर की परिभाषा जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात समाप्त हो गई, आप बैठें ।

(श्री प्रमोद तिवारी, गृह राज्य मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही तथा अन्य कई सदस्यों के एक साथ पुनः खड़े होने पर)

मैं पहले प्रमोद तिवारी और उसके बाद केवल गृह राज्य मंत्री को सुनूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को चले हुए अभी 4-5 दिन ही हुए हैं यह तीसरा प्रकरण है, जब माननीय विधायकों के ऊपर सुनियोजित ढंग से हमले का मामला सदन में आया है । मान्यवर, इन लोगों को नेस्तानाबूत करने की साजिश की जा रही है । पहले भोला शंकर मौर्य पर हमला हुआ, उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वह अनुसूचित जाति के थे । उसके बाद राणा किंकर सिंह के ऊपर अब बारी है अतीक अहमद की ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग शान्त रहें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

भाटी जी के साथ यही बात हुई और आज श्री अतीक अहमद जी चौथे विधायक हैं । श्री अतीक अहमद जी इलाहाबाद के रहने वाले हैं इनका दोष इतना है कि एक साम्प्रदायिक सरकार के जमाने में वह एक अल्पसंख्यक हैं । इसके अलावा उनका कोई दूसरा दोष नहीं है । श्री अतीक अहमद जी ने कहा है वह

सही कहा है । सत्तारूढ़ दल के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उसी जनपद के रहने वाले हैं और उसी शहर के रहने वाले हैं। श्री अतीक अहमद जी चुनाव न जीत पायें, इसकी उन्होंने भरसक कोशिश की परन्तु वह अपने प्रयास में असफल हो गये। इसलिये बदले की भावना से आज श्री अतीक अहमद जी को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। मान्यवर, मैं दो बातें कहना चाहता हूं । पहला यह कि प्रत्येक विधायक को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। उन्हें जो अंगरक्षक मिला था, आप पता लगायें कि वह अंग रक्षक वापस क्यों किया गया। दूसरा, श्री अतीक अहमद जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि उनके विरुद्ध जो दो मुकदमें दर्ज किये गये हैं वे सब झूठे मुकदमें चलाये जा रहे हैं । मेरा आपसे आग्रह है कि अगर सरकार निष्पक्ष बात करना चाहती है तो विधान मण्डल में जितने भी दल यहां हैं प्रत्येक दल में से एक-एक सदस्य को ले लिया जाय और उसमें भी बहुमत भारतीय जनता पार्टी का ले लिया जाय और सभी दल के लोग इलाहाबाद चले जायं और इसका पता लगायें । (xxx)

(सत्तारूढ़ दल के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह आरोप कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा। मैं इस आरोप को कार्यवाही से निकालता हूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी ने जानबूझक एक राष्ट्रीय नेता ...

(श्री प्रमोद तिवारी व उनके साथ कई विपक्षी सदस्य एक साथ खड़े हो गये और साथ ही सत्तारूढ़ दल की ओर से भी कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर सदन में शोर और व्यवधान होने लगा ।)

श्री अध्यक्ष-

श्री तिवारी जी आप अपनी बात कहें । आरोप न लगायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर आपने मुझे इजाजत दी है या श्री तिवारी जी को ।

(श्री प्रमोद तिवारी खड़े रहे)

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।...

(x x x)

(शोर)

श्री कल्पनाथ-

मान्यवर, इनकी बात न सुनी जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप आसन ग्रहण करें ।

श्री राम कुमार शुक्ला-

मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोगों को भी सुना जाय जब हम बोलते हैं तो हमारा माइक बन्द रहता है। ऐसे व्यक्ति की बात न सुनी जाय तो स्वयं अपराधी है जब तक वह माफी न मांगे उनकी बात न सुनी जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप स्थान ग्रहण करें ।

नोट:-(xxx)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद तिवारी-

अभी तो मैंने बोलना शुरू नहीं किया बिना मेरे बोले ये हालत है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग स्थान ग्रहण करें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

माo संसदीय कार्य मंत्री अपने दल के लोगों को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं ।

श्री राम कुमार शुक्ला-

मान्यवर, हमारी बात भी सुनें ।

श्री कल्पनाथ-

अपराधी जो रहे हैं उनकी बात न सुनी जाय जिन पर मुकदमें चल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

में कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री अपने दल पर नियंत्रण रखें वर्ना नेता विरोधी दल को माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने नहीं देंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित करें कि वह अपने दल को नियंत्रित करें ।

(घोर व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष-

में सदन को 1.30 बजे तक स्थगित करता हूं ।

(इस समय [illegible] । बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही । बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । । बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है। तदोपरान्त 2 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(समय 2 बजे)

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, में अपनी बात कह रहा था ..

श्री अध्यक्ष-

में केवल इतना चाहता हूं कि जो सदस्य बोलें अपनी भाषा और संसदीय परिपाटी का ध्यान रखें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसमें दो तथ्य हैं। श्री अतीक अहमद जो दूसरी बार इलाहाबाद से निर्वाचित हुए हैं, उनकी जान को खतरा है । उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके पास कोई अंगरक्षक भी नहीं है। उन्हें अंगरक्षक दिये जाने के लिये में शासन से आग्रह करूंगा । दूसरा मान्यवर, यह तो नैसर्गिक न्याय है कि जब तक किसी के ऊपर कोई अभियोग साबित न हो जाय वह अभियोगी नहीं होगा । शासन की ओर से जब उत्तर आये तो में यह दो बातों के उत्तर चाहूंगा। किसी भी अपराध में,

किसी भी दफा में किसी भी मुकदमें में जो अपराध उनके खिलाफ सिद्ध हुआ वह कौन सा अपराध कौन सी दफा है। जहां तक श्री अतीक अहमद का प्रश्न है, वह मुझसे स्वयं मिले थे, तीन-तीन प्रेस कान्फ्रेन्स करा चुके हैं । उन्हें अपनी जान का खतरा है। उनके प्राणों की रक्षा की जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पहले श्री कैलाश नाथ जी बोल लें उसके बाद नेता विरोधी दल ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, यह प्रकरण वर्तमान विधायकों से संबंधित है। ऐसी ही एक समस्या श्री किंकर जी की है । अभी तक चुनाव आयोग ने कोई प्रक्रिया नहीं बनायी है। लोग जेल से भी चुनाव जीतकर आये हैं बाहर भी जानते हैं किसका किस अपराध में मुकदमा है, किस पर क्या दफा है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिये। यहां पर जो बातें अभी आयी हैं उनके आधार पर मुकदमें चलाने की बात कही गयी। मान्यवर, हम आप और कई मंत्री भी जेल में रहे हैं क्या क्या इमरजेंसी में अपराध लगाये गये दिन में टेलीफोन का तार काट रहे थे । कोई चनकर आता हो । किसी जिले से आता हो मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह रहा हूं लेकिन क्या यह सभी धारायें सही थी जो आप पर भी लगाई गई थी और हम पर भी लगाई गई थीं एक भी केस पहली बार इनके विधायक होने पर नहीं था दूसरी बार विधायक होने पर लगा उनका केस हुआ वह पेंडिंग है। ब्लाक प्रमुख और ग्राम प्रधान को सुरक्षा दी जाती है और शैडो दिया जाता है। वह तो वर्तमान सदस्य हैं उनको शैडो से वंचित नहीं किया जाना चाहिये । किंकर जी और अतीक अहमद जी को शैडो मिलना चाहिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सत्तारूढ़ दल के विधायक बहुसंख्यक हो और हम में से एक-एक रख लें और एक सर्वदलीय कमेटी बना लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा अगर आपके लोग बहुमत से निर्णय ले लें तो हम लोग उस निर्णय को स्वीकार कर लेंगे अन्यथा उनकी सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाय ।

श्री छब्बू-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

इसमें किस बात की व्यवस्था हो गई ।

श्री छब्बू-

इन्होंने कहा है कि सारे नेताओं पर क्रिमिनल ऐक्ट लगा है तो यह नाम बता दें ।

(व्यवधान)

* इम्तियाज मोहम्मद-

मान्यवर, अतीक अहमद जी के बारे में प्रश्न आया है कि यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। जहां तक मेरी जानकारी है पिछले समय में जो मुकदमें दर्ज किये गये उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है और कोई पेंडिंग मामला अदालत में नहीं है । सत्ता में आने के बाद मुकदमें लगाये गये एक गंभीर प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आई0पी0सी0 जो है उसमें कोई दफा ऐसी नहीं है कि राजनीतिक लोगों पर यह दफा न लगाई जाती हो । जनता की आवाज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनप्रतिनिधि लाते हैं यह ब्रिटिश काल में हुआ था और आज भी कुछ दफायें ऐसी हैं, जो आप लोगों को दबाने के लिये उस जमाने में बनायी गई थीं और आज भी बनायी जा रही हैं उनका इस्तेमाल होता है। पुलिस विवेचना के बाद मामले सामने आते हैं तो पहले के मामलों में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। अगर माननीय सदस्य सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं और अगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती है, तो वह दिन ऐसा होगा कि उनकी गर्दन शर्म से झुक जायेगी । सरकार की जिम्मेदारी है कि तमाम नागरिकों और माननीय विधायकों की जान की सुरक्षा करें। माननीय मंत्री जी गंभीरता से इस मामले को लें सारे तथ्यों को सामने लाने के लिये एक समिति सदन की बननी चाहिये ।

श्री निवेन्द्र कुमार-

मान्यवर, नियम 300 के अंतर्गत मामला उठाया गया। प्रश्न के संबंध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि निर्दलीय सदस्य चूंकि किसी राजनीतिक दल से नहीं होते हैं इसलिये उनको सुरक्षा के सहारे की आवश्यकता होती है। उनके साथ न्याय संगठन नहीं होता है, जो निर्दलीय सदस्य दो बार जीत कर आ जाते हैं जैसा कि दूसरी बार अतीक अहमद जी जीतकर आये हैं श्री कृष्ण किंकर जी दूसरी बार जीतकर आये हैं तो इन दोनो लोगों पर इस प्रकार आई0पी0सी0 के अंतर्गत कोई न कोई अपराध लगा दिया गया है। मैं भी एक सदस्य हूं जो दूसरी बार सदन में आया हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह का व्यवहार जल्दी ही मेरे साथ होने वाला है।मैं निर्दलीय सदस्य हूं । आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं वर्तमान सरकार से कि चूंकि हम लोगों का सहारा केवल कर्म है हमारा सहारा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। न हमारा सहारा "राम" है और न हमारा सहारा रामायण है हम तो केवल गीता को पढ़कर कर्म करने के सहारे यहां आते हैं । कर्म करने में हमें खून भी बहाना पड़ता है और पसीना भी बहाना पड़ता है। जब जनता का झुकाव हमारी तरफ होता है तब सभी पार्टी के लोग एकजुट होकर गलत ढंग से अपराधों में हमको सदस्यों को फंसा देते हैं। आप स्वयं देख लेंगे 2-3 लोग गलत मुकदमों में जेल भेजे गये लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने राजनीतिक हाउस में आपके समक्ष एक शब्द भी निवेदन नहीं कहा । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, सभी नेताओं की बात इस विषय पर आ गयी है । सरकार ने उत्तर प्रदेश में तमाम अपराधियों को गनर दे रखे हैं तो माननीय विधायक को गनर देने के लिये सरकार को निर्देशित कर दें कि उनको गनर दे दिया जाय जब अपराधियों को गनर दे रखें हैं तो माननीय विधायक के बारे में क्यों जांच करवा रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन मर्यादाओं और परम्पराओं के आधार पर चलता है। माननीय प्रमोद तिवारी बहुत पुराने सदस्य हैं मैं तो उनके सामने बहुत जूनियर हूं। बहुत कुछ उनसे सीखता हूं । मान्यवर, बहुत दिनों से देखने में आता है कि प्रमोद तिवारी जी इस सदन में मर्यादा के विरुद्ध जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनके संबंध में बार-बार कहते हैं ।

श्री अध्यक्ष-

मैने उसको निकलवा दिया है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

इस सदन में बराबर इस तरह का प्रयास वह करते हैं तो हम जूनियर सदस्य जो यहां बाद में चुनकर आये हैं उनसे क्या प्रेरणा लेंगे । मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि जो यहां पर इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनका नाम यहां नहीं लेना चाहिये । माननीय तिवारी ने उनका नाम लिया और जब आपने निकलवा दिया और जब वह दोबारा बोलने के लिये खड़े हुए तो फिर नाम लिया ।

श्री नरेश अग्रवाल-

क्या नाम लिया यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, क्या नाम लिया गया है मुझे स्पष्टीकरण का अवसर दे दें । मान्यवर, मैंने मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं लिया है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

माननीय प्रमोद तिवारी यदि माननीय अतीक अहमद के लिये आप इतना चिंतित हैं ... तो उस समय 1987 में जब ये थे तो सबसे ज्यादा केस इन्होंने किस पर लगाये हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह नियम और व्यवस्था रही है कि सत्ता पक्ष की ओर से जब कोई जवाब दिया जाता है तो माननीय मंत्रीगण उत्तर देते हैं । मान्ययवर (× × ×)

(घोर व्यवधान)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो अतीक अहमद सम्मानित विधायक के संबंध में जो चर्चा यहां पर हुई थी । यह एक दुख का विषय है कि इस सदन में रोज-रोज विधायकों का प्रकरण यहां पर आता है और उसका विश्लेषण किया जाता है तो आप देखेंगे कि पिछड़ी जाति के महेन्द्र सिंह भाटी, दलित मौर्य जी और दलित राधा कृष्ण किंकर सिंह के मामले आये और आज तक अकलियत के विधायक के साथ यही हो रहा है । मान्यवर, कल्पनाओं के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सवाल इस बात का है कि आज तक किसी विधायक का चाहे विरोध पक्ष का हो या सत्ता पक्ष का उसको संरक्षण देने का काम सरकार का है । मान्यवर, ये कहते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमें रहे हैं, मैं इस सदन को चुनौती देना चाहता हूं, इस सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं, मेरी चुनौती देना स्वीकार कर लें, आप जांच करवा लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जांच की क्या बात है, आपका आदेश मान लेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

आप जांच करवा लें और उसके बाद चुनौती से इस सदन में बयान दे दें, मैं मान लूंगा कि आपके विधायक के ऊपर कितने लोगों पर संगीन अपराधों के मुकदमें चल रहे हैं और कितने कार्यकर्ताओं पर चल रहे हैं । यहां पर गनर और शैडो देने में आप कहते हैं कि गनर और शैडो की कमी है, लेकिन मेरी चुनौती है कि प्रदेश में ऐसे तमाम माफिया गिरोह हैं जिनको आपने गनर और शैडो दे रखे हैं मेरी चुनौती स्वीकार कर लें तो समझता हूं कि इसके बाद आप अतीक साहब को शैडो और गनर न दें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा ।

नोट-(× × ×)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-
स्वीकार कर रहा हूं ।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह-
मैं सदन की गरिमा के मुताबिक विधायकों के नाम नहीं बताता लेकिन में बता रहा हूं कि उन्नाव के सरगना कृष्ण दत्त शुक्ला, भगोले महाराज, जिन पर एक दर्जन हत्या और लूट के मुकदमें चल रहे हैं, उनको गनर दे रखा है । मुझे मालूम नहीं कि यह कैसी सरकार है । ऐसे अनेक जिलों में इस तरह का काम किया गया ।

मै आपसे कहना चाहता हूं कि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए । आज आप सरकार में हैं, आप इस तरह का उत्पीड़न न करें कि विरोधी दल के लिए दूसरा और आपके दल के लिए कोई दूसरा । अगर अपराधिक चरित्र की बात है, तो आपके लिए भी लागू है, उसके लिए आप कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं, तो मैं कहूंगा कि माननीय अतीक अहमद को मत दो, मैं जानता हूं कि उनकी जान खतरे में है, उनके लिए गनर की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए । यही मैं आपसे आशा करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-
मान्यवर, माननीय सदस्य अतीक अहमद के सम्बन्ध में चर्चा हुई । इसको मैं दो हिस्सों में बांटता हूं । उनकी एक तो सुरक्षा की बात है, लेकिन इस सदन में और भी बिन्दु हैं, मेरा कर्तव्य हो जाता है कि उसके सम्बन्ध में में शासन की तरफ से कुछ पक्ष उपस्थित कर दूंगा । माननीय केलाश नाथ यादव, जिनके विचार बड़े ध्यान से मैंने सुने लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, उनका जो चरित्र है, उनकी जो सेवायें हैं, उनका जो उज्जवल विचार है, उसकी पृष्ठ-भूमि में गंगा के जल और गटर के गंदे पानी में अन्तर होना चाहिए । चन्द्रशेखर आज हमारे हीरो हैं, काकोरी काण्ड तो उन्होंने किया ही था । अगर कोई डाइनामाइट काण्ड करता है, तो मीसा लग गया, लेकिन मान्यवर, अगर कोई रेल रोककर कुछ करेगा, तो मैं उसको दूसरी दृष्टि से देखूंगा । अभी यह कहा गया कि इस साम्प्रदायिक सरकार ने आरोप लगा दिया यह जो अन्तिम, मैं अन्तिम इसलिए कह रहा हूं कि भगवान न करें कि कोई एफ0आई0आर0 इनके खिलाफ फिर हो जाय, मैं इसकी जानकारी सदन को देना चाहता हूं । यह अल्पसंख्यक नवयुवक की रिपोर्ट पर ही ऐसा किया गया था, नाम बताना आवश्यक नहीं है, शायद महमूद हसन हैं, नहीं अच्छन पुत्र मोहम्मद है, कुछ भी हो नाम बताना आवश्यक नहीं है । यह तो अल्पसंख्यक व्यक्ति की एफ0आई0आर0 पर हुआ । यह तो एफ0आई0आर0 का आरोप हमारी साम्प्रदायिक सरकार पर है, लेकिन जब धर्म निरपेक्ष सरकारें थी, तो उन्होंने बीसो एफ0आई0आर0 लिखा दी थीं । अब सवाल यह है कि आरोप साबित नहीं हुआ । जरा व्यवहारिक बात देख लें, कल तक आपके श्रीमुख से सुना करता था, रासुका का आविष्कार ही क्यों हुआ, कोई जो उनके खिलाफ गवाही दे दें । भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि अत्याचार करने वाला तो दोषी है ही, लेकिन उसको सहन करने वाला भी दोषी है । आज लोग अपराधियों के खिलाफ गवाही नहीं देते हैं । आपने जब रासुका लगाया, तो आप ही की ओर से हमें उत्तर दिया गया था, मान्यवर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लिया गया, और यह कहा गया । (व्यवधान)

मान्यवर, नाम नहीं लिया, तो पद का नाम लिया गया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-
अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सम्मानित संसदीय कार्यमंत्री जी से कहना

चाहता हूं कि जब प्रमोद तिवारी जी, माननीय नेता कांग्रेस दल ने यह बात कही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, वह तो कार्यवाही से निकाल दिया गया, मुझे जिज्ञासा है कि कौन से पार्टी अध्यक्ष की बात प्रमोद तिवारी जी ने कही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

बी0जे0पी0 का नाम लेकर कहा गया है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

नाम के लिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, आरोप लगाया गया कि चुनाव हार गये और यह चुनाव नहीं जीत पाये, तो चुनाव तो हम बहुत जगह हारे हैं । आप देखें, नेता विरोधी दल ने शिकायत नहीं की, शिकायत जानबूझकर कीचड़ उछालने के लिए की गयी है और मैं इसका प्रतिवाद करता हूं और उसका खंडन करता हूं ।

अब अतीक साहब की सुरक्षा की बात पर आता हूं । मेरी जानकरी है और इनके विधायक ने स्वीकार भी किया है कि इनके पास शैडो था, उसका नाम सत्य प्रकाश था । मान्यवर, वह भी हत्या के आरोप में फंस गया और दफ 389, 302 आदि में गिरफ्तार हुआ और वह जमानत पर छूटा तो उसे निलम्बित कर दिया गया और उसके बाद एक शैडो दिया गया । माननीय सदस्य ने बताया कि वह शराब पीता था, लेकिन इनकी मांग थी कि उसी को दिया जाये । मैंने कहा कि वह अपराधी किस्म का है और 302 का अपराधी है, उसे दुबारा देने का सवाल नहीं है

(व्यवधान)

अब यह विवाद चला कि यह शैडो जायेगा या वह शैडो जायेगा । शैडो देने का जहां तक ताल्लुक है, मैंने घोषणा की है । इस आदरणीय सदन में कि अगर किसी भी सदस्य द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए शैडो की मांग की जायेगी तो जरूर देंगे जरूर देंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि अतीक साहब को शैडो देने के लिए फैसला हो चुका है । मैं जिम्मेदारी लेता हूं, जिस समय वह इलाहाबाद लौटकर जायेंगे, वहां के एस0पी0 द्वारा इनको शैडो मिल जायेगा या यहीं पर मिल जायेगा । ए रहे या बी रहे या सी रहे, यह बात आप शासन पर छोड़ दीजिए । अगर आप उसके आचरण से संतुष्ट न हों, तो शिकायत करें और अगर वह कोई गलत काम करता है, तो उसे दण्ड दिया जायेगा । अब दूसरी बात जो गनर देने की बात है, जहां तक सुरक्षा की बात है, मैं सहमत हूं । मैं उनसे अलग बात कर लूंगा लेकिन दो में से एक मिलेगा, चाहे वह शैडो ले लें और चाहें गनर ले लें, उसको देने की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

(व्यवधान)

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 सोमनाथ शुक्ल पीठासीन हुए)

श्री शयाद अली-

मान्यवर, अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं । उनकी कोई सुरक्षा नहीं है । यह सरकार सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं कर रही है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठता-

माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण कर लें ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री आश्वासन के उपरान्त अब किसी बहस की आवश्यकता मैं नहीं मानता, माननीय सदस्य कृपा पूर्वक बैठ जायं । सदन को व्यवस्थित करना आवश्यक है, आप लोग बैठ जायं, मैं इस पर निर्णय कर रहा हूं ।

"नियम 300 के अन्तर्गत यह नहीं आता परन्तु यह एक विधायक की सुरक्षा से सम्बन्धित मामला है अतः इस पर शासन को समुचित निदेश दिया जाता है ।

श्री श्याद अली-

मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा ।

(श्री श्याद अली एवं कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठता-

आप लोग उत्तेजित न हों, कृपया अपने स्थान पर बैठ जायं ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्यमंत्री के आश्वासन के उपरान्त अब आप लोग क्या चाहते हैं । आप लोग उत्तेजित न हों, उत्तेजित होने का कोई प्रश्न नहीं है, आप लोग अपने स्थान पर जाकर अपनी बात कहें ।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने बड़े ही आशाजनक ढंग से विधायकों की गौरव और गरिमा को देखते हुए शेडो और गनर देने की बात कही मैं धन्यवाद देता हूं मैं यह मांग कर रहा हूं कि जो वास्तव में वर्तमान विधायक हैं, अगर ऐसी कोई बात नहीं है जो कानून के खिलाफ जाती हो तो उनको जरूर शेडो और गनर दे दिया जाय । मेरे संज्ञान में इससे ज्यादा केसेज नहीं है, 2-3 केसेज ही होंगे ।

(व्यवधान)

मान्यवर, आपको धन्यवाद दिया जाय तो भी शाही जी सुनना पसंद नहीं करते हैं । मान्यवर, इनकी जो राइफल लाइसेंसी है, उसको वापस करवा दीजिए । दूसरी बात यह है कि गुप्ता जी ने अभी जो बात कही, यहां इमरजेंसी की याद दिला दी । हमने वह बात कही थी जब साथ-साथ थे तो वहां पर न कत्ल का सवाल था और न कोई और सवाल था, कोई नये विधायक आये हैं वह समझे नहीं और मेरी बात को काट दी । तो मान्यवर, सुरक्षा सभी विधायकों को दे दें ।

मान्यवर, उधम सिंह ने पार्लियामेंट में बम फेंका, काकोरी काण्ड करने वाले स्वतंत्रता सेनानी हो गये, वह बात नहीं है, इस बात की जांच करवा लें और अगर इस तरह का कोई केस नहीं, तो उसे शैडो दे दें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठता-

दूसरा श्री स्वामी नाथ यादव जी का विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर गलत होने के संबंध में है।

(श्री स्वामी नाथ यादव द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री अतीक अहमद के खिलाफ तो केसेज हैं । लेकिन मेरा गनर हटा दिया, मेरे खिलाफ कितने केसेज हैं ?

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरा गनर हटाने के आदेश दिये दिये गये हैं, मैं अल्पसंख्यक हूं इसलिए ।

मंत्री जी बता दें कि मेरे खिलाफ कितने केसेज हैं ?

एक सदस्य-

मान्यवर, एक मिनट पर सदन का 5 हजार रूपये का खर्च होता है इस तरह से कितना समय बरबाद किया जाता रहा है ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, यह सदन एक पवित्र सदन है, यह कहा जाता है कि इस सदन के अंदर जो भी माननीय सदस्य या माननीय मंत्री का वक्तव्य हो वह बिल्कुल सत्य हो बिल्कुल उसके अंदर कोई कमी न हो । माननीय अधिष्ठता जी आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि प्रथम सत्र 1992 के मेरे प्रश्न संख्या . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया पहले बैठ जायं ।

श्री अतीक अहमद-

मान्यवर, मुझे अवसर दिया जाय ।

श्री श्याद अली-

मान्यवर, माननीय अतीक अहमद की राइफल दिलायी जाय उनकी हत्या करने की एक साजिश रची गयी है पूरे प्रदेश में मान्यवर अक्लियत के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है चाहे रामपुर का मामला हो ।

(व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ला-

मान्यवर, यह किस नियम के तहत बुलवा रहे हैं ?

श्री श्याद अली-

अल्पसंख्यक विरोधी यह सरकार फर्जी मुकदमें बनाकर विधायकों की हत्या करना चाहती है, यह इनकी साजिश है ।

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी-

मेरे मामले में मंत्री जी को निर्देशित करें कि बतायें कि मेरे खिलाफ कितने केसेस हैं, मेरा गनर क्यों हटाया गया ?

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, आप सदन को व्यवस्थित करिये ।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया बेठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव-

नेहरू रोजगार योजना के तहत जो जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर की मझौली खुज टाउन एरिया है, उन्होंने रोजगार योजना के अन्तर्गत किस-किस मद में खर्च किया है । मान्यवर, उसमें बात आयी थी कि अवर अभियन्ता की निगरानी में और उसके निर्देशानुसार उसकी एम0बी0 के अनुसार हुआ । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वह पूरा प्रकरण मंगाकर देख लें माननीय नगर विकास मंत्री जी, वहां अवर अभियन्ता ने कोई एम0बी0 नहीं बनायी, कोई निर्देशन नहीं किया । बिना निर्देशन के, उनके सचिव ने सारा धन निकालकर अपव्यय कर लिया। यह मेरा आरोप है । पूरा का पूरा नेहरू रोजगार का धन सचिव, टाउन एरिया और अध्यक्ष के हस्ताक्षर से खर्च किया गया है । अवर अभियन्ता के निर्देश पर नहीं ।

(घोर व्यवधान)

अधिष्ठता महोदय, माननीय नगर विकास मंत्री जी से निवेदन है कि जो भी टाउन एरिया हैं .....

(अनेक माननीय सदस्य के एक साथ खड़े होने तथा बोलते रहने के कारण घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठता-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का आश्वासन मिल चुका है इसलिए आपका प्रकरण समाप्त हुआ अब आप कृपया बैठ जायें । यह दूसरा विषय चल रहा है तथा इस पर माननीय श्री स्वामी नाथ यादव जी बोल रहे हैं आप उन्हें बोलने दें । एक बार में एक ही व्यक्ति तो बोलेगा । (व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो गनर माननीय सदस्य का ले लिया गया है उसे वापस दिलाया जाये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मेंने इससे पहले भी आश्वासन दिया था इस सदन में । उनको एक शेडो दिया गया था लेकिन उसके नाम पर विवाद खड़ा हो गया .....

श्री नरेश अग्रवाल-

यहां पर दूसरे सदस्य की बात हो रही है। उनका कहना है कि उनका गनर वापस ले लिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

अभी माननीय सदस्य ने किसी सदस्य के गनर के विषय में बात की । मान्यवर, यह इस सदन में बहस का प्रश्न नहीं है । वह माननीय सदस्य मुझसे बाद में मिल लें, हम उनकी बात को शान्तिपूर्ण ढंग से सुन लेंगे और तदनुसार व्यवस्था करा दी जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, क्या आप यहां अनत्याक्षरी करायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया शान्त रहें (अत्याधिक शोर होने पर)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, वह शोर में कुछ सुनायी नहीं पड़ रहा है । केवल दो लाइन की बात है उसका जवाब एक लाइन में दे दें तो मामला सुलझ जायेगा ।

मान्यवर, यह इस माननीय सदस्य का गनर हटा लिया गया और श्री अतीक अहमद की लाइसेंसी रायफल थी, उसको वापस दिलाने की बात है, इस पर जवाब दिलवा दीजिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय यादव जी ने मंत्री के नाते इधर भी काम किया है और नेता दल भी हैं । गनर के संबंध में दो बातें हैं, इसको हमने कहा कि देख लेंगे, यह सदन उठने के बाद मुझसे मिल लें, हम देख लेंगे कि शिकायत के आधार पर हटाया गया है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिनअन्य कोई बात होगी, तो देख लेंगे, मान्यवर, यह जिम्मेदारी शासन की है । अब दूसरा आपके पास जायेगा, यदि शिकायत होगी, तो उसे भी देख लेंगे । इस प्रकार मैंने बड़ी नम्रता के साथ स्थिति स्पष्ट कर दी ।

मान्यवर, सदन की कार्यवाही बहुत महत्वपूर्ण है और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है । अभी तो नेता विरोधी दल और नेता कांग्रेस दल का भाषण सुना है, हम और भी माननीय सदस्यों के मूल्यवान विचार इस संबंध में सुनना चाहते हैं । मैं चाहता हूं कि अन्य जो विषय हैं, वह जल्दी-जल्दी चलें । लेकिन एक विषय लिया जाता है और पहले वाला मामला फिर रिओपेन कर दिया जाय, यह सही नहीं है, इसलिए कृपया करके आगे का विषय ले लें । मान्यवर, माननीय सदस्य, इलाहाबाद का मामला चल रहा था, उस पर अध्यक्ष की व्यवस्था हो गयी, अब आगे वाला विषय ले लें ।

(विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर-घोर व्यवधान)

श्री अतीक अहमद-

मान्यवर, हमारी बात का संसदीय कार्य मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैंने एक बात और कही है कि 5 सदस्यों की एक समिति बना दी जाय, जो मामले की जांच कर ले । केस जो लगाये गये हैं, वह फर्जी हैं या सही हैं, इसकी वह जांच कर लें तथा मेरी जो लाइसेंसी रायफल जब्त कर ली गयी है, उसको वापस दिलवा दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपने स्थान पर बैठ जायें । संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दे दिया है, मैं इस प्रकरण को समाप्त करता हूं ।

श्री अतीक अहमद-

मान्यवर, आपकी आवाज नहीं आ रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय सदस्य की जिज्ञासा का उत्तर देना चाहता हूं । इनके पास कोई निजी रायफल थी, सम्भवत उसको ले लिया गया है । एक केस दायर हुआ है, वह सही है या गलत है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता .....

(सत्ता पक्ष तथा विरोध पक्ष के लोगों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर-व्यवधान

डा0 जी0एस0 विनोद-

मान्यवर, इन लोगों ने गुण्डागर्दी मचा रखी है । इस तरह सदन नहीं चलेगा

डा0 जी0एस0 विनोदसहित विरोध पक्ष के अनेक सदस्य नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

(श्री अतीक अहमद जी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठता-

श्री अतीक अहमद जी आप कृपा करके बैठ जायं । सदन की मर्यादा रखना, आपकी भी जिम्मेदारी है । मैं दूसरे विषयों को भी ले रहा हूं । आपका प्रकरण समाप्त हो गया है ।

माननीय श्री स्वामी नाथ यादव जी, अब आप अपनी सूचना पर संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री केलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते थे, इसलिए मैं चाहूंगा कि वह अपनी बात कहें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय सदस्य मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए मुझे कोई जबरदस्ती अपनी बात नहीं सुनानी है ।

श्री केलाश नाथ सिंह यादव-

माननीय मंत्री जी आप अपनी बात कहें । मैं माननीय सदस्य को बैठा रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, हम विधायकों के सम्मान को अक्षुण रखना चाहते हैं । मान्यवर मैं यह बताने के लिए खड़ा हुआ था कि एक केस हुआ और एफ0आई0आर0 लिखी गई । वह सही है या गलत, उसका निर्णय तो बाद में होगा । यह सब जानते हैं कि हम तत्काल हाऊस में राइफल के बारे में कोई घोषणा नहीं कर सकते और कदाचित यह हमारे लिए उचित भी नहीं होगा । हमें यह भी देखना होगा कि कहीं वह असलहा केस प्रापार्टी तो नहीं है । सारी चीजें हम देखेंगे । कोई आश्वासन हम नहीं दे सकते हैं ।

प्रथम सत्र, 1992 के दूसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-10 का उत्तर गलत दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, मैंने नियम-300 के अंतर्गत औचित्य का प्रश्न उठाया है । सवाल इस बात का है कि यह सदन एक ऐसा स्थान हे, जिसकी अपनी एक मान्यता है । प्रदेश की जनता, जो हम लोग यहां पर बैठे हैं हमारे कार्यों का आंकलन करती है। वह विश्वास करती है कि जो भी सदस्य यहां पर बोलता है या मंत्री उत्तर देता है, वह सत्य होता है । परन्तु मान्यवर, अब हमें लग रहा है कि जो हमारी यह संसदीय प्रणाली है तथा सदन में माननीय मंत्रियों द्वारा जो उत्तर दिये जा रहे हैं, वह उत्तर बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी के कहने पर यहां पर दिये जायेंगे तो निश्चित है कि वह उत्तर सही नहीं होंगे । मैंने एक प्रश्न उठाया कि नेहरू रोजगार योजना के अन्दर जो पैसा नगर विकास के लिए दिया जा रहा है, उस पर आपकी नजर होनी चाहिए । किस मद में वह पैसा दिया गया है, किस तरह से वह खर्च होगा ओर किस अवर अभियंता के निर्देश पर वह खर्च होगा ? यह भी देखना चाहिए कि क्या वह पैसा अवर अभियंता के निर्देश पर खर्च हो रहा हे या नहीं ?

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जनपद देवरिया के सलेमपुर तहसील में एक टाउन एरिया मझौलीराज है, जहां पर नेहरू रोजगार का पैसा बिना अवर अभियन्ता के निर्देश के ही सारा का सारा खर्च कर दिया गया है । जब यहां पर सवाल पूछा गया तो ब्यूरोक्रेसी के कथनानुसार उत्तर दे दिया जाता है । यदि इसी प्रकार उत्तर दिये जाते रहे तो सरकार कैसे चलेगी । वहां पर सचिव के निर्देशन में पैसा खर्च किया जा रहा है । सचिव और अध्यक्ष के हस्ताक्षर से सम्पूर्ण धनराशि खर्च किया गया है । अवर अभियन्ता द्वारा कोई एम0बी0 नहीं बनाया गया है । न कोई आंकलन कराने की आवश्यकता समझी गयी है । सबके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है इस सरकार की वजह से । मैं माननीय नगर विकास मंत्री से कहना चाहता हूं इस पर आप निर्देश दें किजो भी उत्तर दिये जायं वह सोच समझ कर दिये जायं और जांच पड़ताल करने के बाद ही दिये जायं । यह मेरी चुनौती है इसकी जांच करा ली जाय । यह अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न है यह औचित्य का प्रश्न बनता है ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मैं बहुत विनम्रता के साथ स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है और भारत के संविधान के तहत माननीय सदन की कार्यवाही चलती है । किस समय क्या प्रश्न उठाया जाय उसके लिए नियमावली है वैसे समय हमारा है आप जिस रूप में जब चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं । लेकिन एक प्रश्न किया जायेगा और उसका उत्तर दिया जायेगा लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जो उत्तर आप चाहते हैं वह उत्तर हम दें । आपके प्रश्न का समाधान होना आवश्यक है । अगर समाधान नहीं होता हैं तो उसके लिए नियम 49 में आप चर्चा मांग सकते हैं । लेकिन औचित्य के रूप में नियम 300 में प्रश्न उठाना कहीं से उचित नहीं है । मैं प्रश्न के मैरिट में नहीं जाता हूं कि उत्तर सही या गलत था । अगर आप समझते हैं कि गलत है तो उसके लिए आप पूरक प्रश्न कर सकते हैं । आप पूर्व दृष्टांत भी माननीय अध्यक्षों ने जो रूलिंग दी है उनको देख लें उसमें स्पष्ट है कि प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है । उसके लिए आप पूरक प्रश्न कर सकते हैं और नियम 49 में चर्चा मांग सकते हैं लेकिन नियम 300 में चर्चा नहीं होगी ।

श्री अधिष्ठाता-

मेरा निर्णय सुन लें यह मामला नियम 300 के अंतर्गत नहीं आता है । प्रक्रिया संबंधी निर्देश के पैरा 166 के अंतर्गत सूचना दी जा सकती है । इसे अस्वीकार किया जाता है ।

ग्राम बबेरू थाना बरमारी कला की जनसभा में विधायकों पर पथराव व मारपीट होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री नसीमउद्दीन-

माननीय विधायक विशम्भर प्रसाद निषाद और माननीय गया चरण दिनकर के ऊपर पुलिस की साजिश से 30 तारीख को एक सभा में जानलेवा हमला किया गया । मान्यवर, 15 जनवरी को बबेरू क्षेत्र के ग्राम बरमारी कला के अंतर्गत एक राम किशोर साहू को बदमाश पकड़ कर ले गये और उसी गांव के राम प्रताप कुशवाहा को दूसरे दिन पुलिस पकड़ ले गयी । राम प्रताप के पकड़े जाने पर दूसरे दिन साहू को छोड़ दिया गया । छूटने पर साहू कहते हैं कि कुशवाहा निर्दोश है उनका कोई हाथ इसमें नहीं है उसका कोई अपराधिक चरित्र भी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

आप संक्षेप में कहें ।

श्री नसीमउद्दीन-

16 तारीख को कुशवाहा को गिरफ्तार करने के बाद वहां लोगों में रोष उत्पन्न हुआ । लोगों ने प्रदर्शन किया और माननीय विधायक बबेरू एस0पी0 के पास भी गये जिस पर वह कहते हैं कि कुशवाहा को इसलिए पकड़ा गया है कि अपराधी धोखे में रहे ताकि उनको पुलिस पकड़ सके । जब इतने दिनों तक कोई कार्यवाही नहीं हुई तो 29 तारीख को उपनिरीक्षक कुशवाहा जी को इतना मारते हैं कि वह खड़े नहीं हो पाते हैं । इसके विरोध में माननीय विधायक बबेरू डी0एम0 के पास भी गये लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गयी । इस घटना के विरोध में 30 तारीख को बबेरू में एक मीटिंग डी0एम0 को सूचना के बाद हुई । इस मीटिंग में पुलिस उपनिरीक्षक हरिश्चन्द्र त्रिपाठी ने अपने गुन्डों के द्वारा वहां आतंक मचाया और उनके गुन्डों के द्वारा माननीय विधायकों को जान से मारने की कोशिश की जाती है । इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 30 तारीख की रात को को राम प्रताप कुशवाहा को पुलिस लाकअप से गायब कर दिया गया है । वह आज तक नहीं मिला है । उसको इतना मारा गया कि वह खड़ा नहीं हो पा रहा है था । जनसभा करते हुए पुलिस की साजिश से

(समय 3 बजे)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद और श्री गया चरण दिनकर पर जानलेवा हमला कराया गया । इसलिए इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जायं इतना पर्याप्त है ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, जनपद बांदा में एक गांव है बरियारीकला जहां एक किलो ज्वार देकर लोगों से सारे दिन काम करांया जाता है । इसी शोषण के खिलाफ दिनांक 30-12-91 को बरियारीकला ग्राम में एक जनसभा कर रहे थे कि पुलिस वालों की साजिश से हमारे ऊपर जानलेवा हमला कराया गया । बैनर और झंडे तोड़ दिये गये । वहां से भागकर थाने आने पर हम रिपोर्ट लिखाना चाहते थे लेकिन थानाध्यक्ष गिरिजाशंकर ने रिपोर्ट पहले तो नहीं लिखी किन्तु जब बार-बार कहा तो उन्होंने रिपोर्ट लिखाई किनतु धमकी दिया कि इसमें मैं फाइनल रिपोर्ट लगवा दूंगा । उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के तमाम विधायकों को हमने देखा हैं । मान्यवर, एफ0आई0आर0 लिखाने के बाद उसी दिन 30-12-91 को हमने विधान सभा अध्यक्ष जी को विशेषाधिकार हनन की सूचना दिया किन्तु हमारे खिलाफ भी दिनांक 1-1-92 को मुल्जिमों द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी । दिनांक 30-1-92 को हम सभी लोग डी0एम0 के यहां गये तो उन्होंने कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है । हमारे कहने से पुलिस इंस्पेक्टर का ट्रान्सफर नहीं होता । ट्रान्सफर के बाद उनकी तो हमें सूचना भेजी जाती है । उन्होंने कहा कि जितने भी इस समय इंस्पेक्टर हैं जिनके पीछे टर लगा हुआ है जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर आदि वे सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं । जब मैंने कहा कि क्या डाक्टर, मास्टर, कलेक्टर आदि इसमें आते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अपनेको भी शामिल करता हूं । भाजपा सरकार में ऐसे कलेक्टर भेजे गये हैं जो एक इंस्पेक्टर का ट्रान्सफर तक नहीं करा सकते हैं । इसलिए मंदिर की बैशाखी पर भाई भतीजावाद एवं ब्राह्मणवादी सरकार को बरखास्त किया जाये जिसके कंट्रोल में कलेक्टर नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता-

पर्याप्त हो गया है, इसलिए आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

*श्री गया चरन दिनकर-

मान्यवर, जिस प्रकरण की चर्चा अभी हुई वह प्रकरण हमारे विधान सभा क्षेत्र के संबंध में है । मान्यवर, दिनांक 30-12-91 को पुलिस की साजिश से तिंदवारी विधायक, माननीय श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनसभा में उन पर जानलेवा हमला कराया गया और उसी की पुनरावृत्ति मेरे साथ हुई । दिनांक 30-1-92 को पुलिस उत्पीड़न के विरुद्ध की गयी जनसभा में पुलिस उप निरीक्षक श्री हरिश्चन्द्र त्रिपाठी द्वारा प्राणघातक हमला किया गया जिसमें दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए । इस संबंध में एस0पी0 को तथा जिलाधिकारी को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि जनसभा की जायेगी । मान्यवर, श्री हरिश्चन्द्र त्रिपाठी के खिलाफ सैकड़ों उत्पीड़न संबंधी अपराध हैं । जहां कहीं भी यह रहे हैं वहां की जनता का शोषण, दमन और उत्पीड़न किया गया है । पुलिस के उत्पीड़न के खिलाफ एक जिहाद छेड़ी । 13 जनवरी, 1992 को राम किशोर कुशवाहा नाम व्यक्ति का अपहरण होता है बदमाशों द्वारा किया जाता है । जिस राम किशोर कुशवाहा की चर्चा हम करने जा रहे हैं, उसके अपहरण की सूचना देने जब उसके परिवारजन जाते हैं एक व्यक्ति को कस्टोडी में ले लिया जाता है । उसे उस अपहरण में शामिल करने की और गलत ढंग से फंसाने की धमकी दी जाती है । परिवार-जन दर्जनों टेलीग्राम करते हैं ।

श्री अधिष्ठता-

आप संक्षेप में कहें ।

श्री गया चरन दिनकर-

बिल्कुल शार्ट में कह रहा हूं । इस संबंध में परिवारजनों द्वारा मुझे भी जानकारी दी जाती है क्योंकि मैं उस क्षेत्र का जन प्रतिनिधि हूं । जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं । जिलाधिकारी कहते हैं कि इस सरकार में एक पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्यवाही करके अपने खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहता । श्री हरिश चन्द्र त्रिपाठी के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता है । पुलिस अधीक्षक के पास जाते हैं, तो वह भी हमारी बात नहीं सुनते हैं पंद्रह दिन तक लगातार उसे कस्टोडी में रखा जाता है 29 तारीख को उसे बुरी तरह से पीटा जाता है । पुलिस उत्पीड़न के विरुद्ध जब यह जिहाद छेड़ी जाती है तो हरिश चन्द्र त्रिपाठी अपने गुण्डों से सभा पर पथराव करवाते हैं, लाठी-डण्डे चलवाये जाते हैं । इसमें एक दो नहीं दर्जनों लोग घायल होते हैं । सूचना कोतवाली में दी जाती हे । एस0पी0 महोदय आना-कानी करते हैं । रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है । काफी हद तक जनता वहां पर आ जाती है और तब जाकर रिपोर्ट दर्ज होती है । पुलिस अधीक्षक ने हरिश चन्द्र त्रिपाठी के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया । उन्होंने सूचना दी है कि हरिश चन्द्र त्रिपाठी को लाइन हाजिर कर दिया गया है । जबकि ऐसा नहीं है उसे लाइन हाजिर न करके मेडिकल दिलवा दिया गया है । आज भी वह वहां घूम रहा है और अपनी मनमानी कर रहा है ।

श्री अधिष्ठता-

आप संक्षेप में कहें ।

श्री गया चरन दिनकर-

मान्यवर, वह जिसके इशारे पर कार्य कर रहा हे उसका स्थानान्तरण होना चाहिए । मान्यवर, यह गम्भीरता का विषय है । किसी एक का ही नहीं पूरी जनता की सुरक्षा का विषय है । इसलिए इसे चर्चा का विषय बनाया जाना चाहिए और इस पर सी0आई0डी0 जांच कराई जानी चाहिए ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी सारी बातें आ गयीं । आप बैठ जायं ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, तथ्य यह है कि श्री राम प्रकाश कुशवाहा को दिनांक 29-1-92 को 3.55 पर थाने पर लाया गया था और 5.58 पर उन्हें छोड़ दिया गया था । माननीय सदस्य ने कहा कि एक व्यक्ति का अपहरण हुआ था और उसमें यह आरोपित हो रहा था कि राम प्रताप कुशवाहा भी उस घटना के अभियुक्त हैं । मान्यवर, राम प्रताप कुशवाहा को जांच पड़ताल के लिए, उनके बयान के लिए दोबारा 31 तारीख को बुलाया गया था और उन्हें छोड़ भी दिया गया था । मान्यवर यह कहना गलत है कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया । बात यह है कि राम प्रताप कुशवाहा के जिलाध्यक्ष जो हैं बासपा । वह उनके संबंधी हैं । वहां पर बासपा के लोग भी थे । उन बासपा के लोगों में और वहां उपस्थित जन समूह में भी एक विवाद खड़ा हो गया । दोनों पक्षों की सी0आई0एस0 से तफ्तीश कराई जा रही है । मान्यवर, यह 300 के अन्तर्गत कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है ।

श्री नसीमउद्दीन-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब श्री राम प्रताप कुशवाहा को थाने ले गये थे तो उनके परिवारजनों ने 16 तारीख से लेकर आज तक 32 टेलीग्राम किये थे । 16 तारीख की जो टेलीग्राम किया था उसमें भी लिखा है कि पुलिस ने कुशवाहा को पकड़ लिया । मेरे पास टेलीग्राम उपलब्ध हैं । आप हुक्म दें तो मैं आपके पास भेज दूं ।

श्री अधिष्ठाता-

नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसको अस्वीकार करता हूं ।

विदेशी राजदूत से शिष्टाचार वार्ता के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता-

चौथे नम्बर पर हृदय नारायण जी की सूचना है हृदय नारायण जी आप बोलें ।

*श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जो विषय मैं उठाना चाहता हूं यह नियम-300 में उठाना चाहता हूं । यह सरकार बात-बात पर केन्द्र सरकार की निन्दा करती है । मैं जो विषय उठा रहा हूं यह इस सरकार से संबंधित है इस मामले में इस सरकार ने केन्द्रीय सरकार की निन्दा करके अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में संसद किन-किन विषयों पर विधि बना सकती है इसमें यह है । और किन-किन विषयों से सदन कार्य कर सकता है । यह लिखा है । संविधान की सातवीं सूची में केन्द्रीय सरकार के क्रियाकलापों का विभाजन है । संसद जिन-जिन विषयों पर विधि बना सकती है उसमें कार्यपालिका के रूप में यह सदन कार्य करता है ।

श्री अधिष्ठाता-

आपका विषय आ गया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय मुख्य मंत्री जी रूस के राजदूत से मिले, बात की । राज्य की दूसरी सूची है इसमें 66 विषयों में से कहीं भी विदेशों से सम्बन्ध और विधान मण्डल को विदेशी व्यापार विदेशी राजनैतिक सम्बन्ध आदि के सम्बन्ध में विधि बनाने हेतु कोई विषय आवंटित नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो रूस के राजदूत श्री अनातें एम0 दुक्रोव से वार्ता की उसमें जिज्ञासा है, उसी पर यह औचित्य का प्रश्न उठाया है । इस सरकार ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

हृदय नारायण दीक्षित जी का मैं सम्मान करता हूं संविधान के उन सभी परिशिष्टों को मैंने इनकी सूचना मिलने पर पढ़ा, मुझे कहीं नहीं मिला किसी विदेशी राजदूत से शिष्टाचार वार्ता करना राजनयिक नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता-

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए अस्वीकार हुआ ।

दलित शिक्षा आंदोलनकारियों को जेल में बंद किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री बरखू राम वर्मा-

मान्यवर, यह मामला मैंने पहले भी उठाया था । इसमें उस समय भी चर्चा हुई थी । दलित शिक्षा के छात्र बन्द हैं । छात्रों के गम्भीर चोटें आई हैं उन्हें बुरी तरह से पीटकर जेलों में बन्द कर दिया गया है । उनको अस्पताल में भी नहीं रखा गया । उनके इलाज की व्यवस्था नहीं की जा रही है । छात्र चाहे उन्नाव के जेल में बन्द हों चाहे लखनऊ की जेल में बन्द हों उनको दवा नहीं दी जा रही है । उनका संवैधानिक अधिकार है कि वह प्रदर्शन करें । उनको दूसरा टेंट भी नहीं दिया जा रहा है ।

(व्यवधान)

कोई नेतागण उनसे बात करने नहीं पहुंचा उन्हें अछूत समझा जाता है । 20 तारीख को यह घटना हुई । उससे पूरा प्रदेश जल सकता है । जो स्थिति पंजाब की हुई है उसी तरह की स्थिति प्रदेश में भी हो सकती है । यह एक गम्भीर मामला है । इसलिए यह गम्भीर मामला है । आप छात्रों से वार्ता करें । जो वह आन्दोलन कर रहे हैं वह उनका संवैधानिक अधिकार है । उनके अधिकार का हनन हो रहा है इसलिए यह औचित्य का प्रश्न बनता है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, हमारी सरकार सभी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना चाहती है । मुझे अफसोस इस बात का है कि सदन में वाक स्वातंत्र्य का लाभ उठाकर ऐसी बातें माननीय सदस्य कह जाते हैं जो इस देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा बन सकती हैं । इसी संबंध में पंजाब आन्दोलन की बात कही गयी जो उचित नहीं है । यह बात उठायी गयी कि जेल में उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है । जेल मैनुअल बना हुआ है जो जेल जायेगा उसके अन्तर्गत सुविधायें मिलेंगी अगर उनको जो सुविधायें अनुमन्य हैं वह नहीं मिल रही हैं तो मैं उसको दिखवा लूंगा कि जेल मैनुअल के अनुसार उनको सुविधायें मिल रही हैं या नहीं । जहां तक उन लोगों से बात करने का प्रश्न है, मेरी उनसे बात हुई है, समाज कल्याण मंत्री जी से बात हुई है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जितनी बातें कही जायं वह सब स्वीकार की जायं । जो बातें विकास के हित में होगी, प्रदेश की जनता के हक में होंगी वह की जायेंगी । हमने कहा है कि दलित वर्ग की मांगों से हमारी पूरी सहानुभूति है । लेकिन आज जो स्थिति बन गयी है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं । पिछले 40 वर्षों का इतिहास है उनके ऊपर अत्याचार किया गया है, हम उनको न्याय देना चाहते हैं । यहां पर यह बताना आवश्यक नहीं है कि हम क्या-क्या करना चाहते हैं । मान्यवर, जो आरोप लगाये गये हैं वह बेबुनियाद हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि नियम 300 के अन्तर्गत इस पर विचार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता-

नियम 300 के अन्तर्गत यह नहीं आता इसलिए अस्वीकार किया जाता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा सत्रकाल में नीतिगत मामलों की सदन से बाहर घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री नरेश अग्रवाल-

श्रीमन् आपकी पीठ से इस सदन में कई बार निर्देश दिये गये हैं कि सत्र चलते कोई मंत्री . नीतिगत निर्णय को बाहर नहीं घोषित करेगा । श्रीमान् चूंकि आपके निर्णय इस सबंध में हैं इसलिए इनको इस सदन का नियम समझा जायेगा । दिनांक 21-2-92 के "दैनिक जागरण" में उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ल ने एक बयान दिया इस सरकार के बेसिक शिक्षा में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के पुनर्लिखन एवं पुनर्मुद्रण का फैसला लिया है । कारण यह बताया है यह समझ रहे हैं के पूर्वज रजिया बेगम हैं और रजिया बेगम के चरित्र का उन्होंने उल्लेख किया है । मान्यवर, अल्पसंख्यक समाज की मशहूर शासक के ऊपर मंत्री जी आरोप लगा सकते हैं, उनको अधिकार है । मैं समझता हूं कि शायद मंत्री जी चाहते हैं कि आगे जो पाठ्य पुस्तकें छपें उसमें गोडसे, उसमें हेडगेवार, उसमें श्री गोलवर्कर का इतिहास पढ़ाया जाय । इस देश के बच्चों में साम्प्रदायिक महौल पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से करने जा रहे हैं । श्रीमान्, औचित्य का प्रश्न मेरा इसलिए बनता है कि आपकी व्यवस्था होने के बाद कोई मंत्री अखबार में बयान दे और नीतिगत प्रश्नों के माध्यम से साम्प्रदायिकता फैलाने और एक सम्प्रदाय को समाज में नीचा दिखाने का प्रयत्न करे, यह आपके द्वारा दी गयी व्यवस्था के खिलाफ है, नियमों के विरुद्ध है । मैं चाहूंगा कि आप इस पर व्यवस्था दें और मंत्री जी से क्षमा मंगवायें ताकि आपकी व्यवस्था बनी रहे ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, खुशी की बात है कि माननीय नरेश अग्रवाल जी काफी कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं । लेकिन दुख इसका है कि योग्य गुरू उन्हें नहीं मिला है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मेरे गुरू आप ही हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, अगर उनको नियमों की जानकारी है तो यह पता होना चाहिए कि अखबारों में प्रकाशित किसी मामले को यहां उठाने का या बहस का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है । अगर किसी अखबार में छपी बात को मुद्दा बनाया जायगा तो अखबार की पूरी की पूरी प्रति अध्यक्ष पीठ को दी जायगी और सूचना के साथ भी संलगन की जायगी। तो अध्यक्ष पीठ के बारे में तो मैं जानता नहीं, लेकिन मेरे पास उसकी कापी नहीं आयी, अतः तकनीकी दृष्टि से ऐसा प्रस्ताव अग्राह्य हो गया । दूसरे आप विषय वस्तु को देखें, पाठ्यक्रम में संशोधन किया जायगा, यह तो शासन की सतत प्रक्रिया है । इसमें एक कमेटी बनी हुई है, यह तो शिक्षा के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है। एक बात आपने कही महापुरुष रजिया बेगम की बात कही, हमने बात की नहीं है, लेकिन ये ज्यादा सोच जाते हैं कि मंत्री जी ने कहा कि अब गोडसे का नाम आने वाला है । यह हल्की सोच है । भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा में विचार करती है और महात्मा गांधी की हत्या करने वाले का समर्थन नहीं करती, लेकिन मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी की हत्या क्षमा कीजियेगा, कोई कड़ी बात कहूं तो बुरा न मानियेगा, एक दुर्भाग्य है, लेकिन कुछ लोगों के लिये सौभाग्य भी बन गयी थी । हमसे क्यों कहलाते हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सूचना किसी तरह ग्राह्य नहीं है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, जिन मंत्री के लिए कहा गया है, वे कह दें कि उन्होंने यह बयान दिया कि नहीं । वे बैठे ह, खड़े होकर कह दें ।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शान्त रहें । इसमें कथन की पुष्टि में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है और न ही सूचना में उल्लिखित 21 फरवरी, 1992 दैनिक जागरण की प्रति लगायी गयी है, अतः साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार करता हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, यदि वह आरोप निराधार है तो मंत्री जी बैठे हैं खण्डन कर दें ।

श्री अधिष्ठाता-

जो संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं वही उत्तर माना जायगा ।

नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचना का उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

मान्यवर, इस सदन की परिपाटी रही है कि जो प्रक्रिया नियमावली हम लोगों के सामने पेश की गयी है, उसके तहत यह व्यवस्था है कि नियम 301 के अन्तर्गत अगर कोई सूचना किसी माननीय सदस्य ने विधान सभा के समक्ष, सदन के समक्ष पेश की है और वह स्वीकार की गयी है तो उस पर यह व्यवस्था है कि उस सूचना का उत्तर शासन की ओर से एक माह में प्राप्त हो जाय । मान्यवर, मैं आपका ध्यान वर्तमान विधान सभा के प्रथम सत्र के अन्तिम उपवेशन के दिन 13 अगस्त, 1991 को अपनी ओर से 301 के अन्तर्गत दी गयी नोटिस की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका हमने जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में व्याप्त घोर अव्यवस्था और अनियमितताओं के सम्बन्ध में शासन को दिया था । उसको माननीय सदन और माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया था और उसकी सूचना आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है । मैं आपके संज्ञान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि 6 दिसम्बर, 1991 को सचिव, विधान सभा को एक पत्र लिखकर मैंने यह पूछा था कि हमने नियम 301 के तहत जो सूचना दी थी उसका उत्तर प्राप्त हो और उसके आधार पर जो विलम्ब हुआ और एक माह में जवाब नहीं दिया गया, उसका कारण क्या है और उसके लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय । मान्यवर, मुझे ज्ञात हुआ है कि जिस सूचना में जो जानकारी मांगी गयी थी, उस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में लीपा-पोती की गयी और अभी 3 फरवरी को उसका उत्तर भेजा गया लेकिन उस उत्तर की प्रति मुझे नहीं दी गयी । पटल कार्यालय से ज्ञात हुआ है कि पटल कार्यालय में उत्तर आ गया है, लेकिन मुझे अभी तक प्रापत नहीं हुआ है ।

मान्यवर, मैं आपसे यह चाहूंगा कि आप इस पर व्यवस्था दें कि आखिर एक महीने के अन्दर जो जवाब हमें मिलना चाहिए, वह हमें नहीं प्राप्त हुआ, उसका क्या कारण है और जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? मैं चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, श्री सोनकर जी को बहुत-बहुत धन्यवाद । आपने एक अच्छे विषय की ओर ध्यान दिलाया । मान्यवर, यह बात सही है कि सूचना यथा-समय आपको मिलनी चाहिए, उसके लिए हम खेद प्रकाश करते हैं । लेकिन यह भी हम बता दें कि बहुत दिन से मैं इस आदरणीय सदन की सेवा कर रहा हूं, शायद यह पहला मौका था जबकि शतप्रतिशत सूचनाओं के उत्तर दिये गये, लेकिन यह कोई तारीख की बात नहीं है, इस मामले में जो उत्तर आया, उस उत्तर से समाज कल्याण विभाग संतुष्ट नहीं हुआ, फिर हमने क्वेरी की, लेकिन 3 फरवरी को आपको उत्तर दे दिया गया, उत्तर से आप संतुष्ट हों, यह कोई जरूरी बात नहीं है, सूचना आपकी गम्भीर थी, आप इसके बारे में फिर से सूचना मांग लें । उसमें जो दोषी थे, उनको बख्शा नहीं जायगा ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा विगत सत्र के नियम 301 की सूचना का जो विवरण सदन के पटल पर 20 फरवरी, 1992 को रखा गया है, उसके पृष्ठ 7 पर माननीय सदस्य की सूचना का उत्तर दिनांक 3 फरवरी, 1992 को दिये जाने का उल्लेख है । फिर भी संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया इसे दिखवा लें ।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री स्वामी नाथ यादव-

माननीय अधिष्ठता महोदय, आज पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों में एक भीषण समस्या उत्पन्न हो गयी है । . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठता-

माननीय प्रमोद तिवारी जी, पहले आप बोलें । आपका नम्बर पहले है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इन्होंने शुरू कर दिया है, तो इनको बोल लेने दीजिए । इनके बाद में बोल लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता-

स्वामी नाथ जी आप बैठ जाइये । आपको बोलने का अवसर मिल जायगा ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

श्रीमान् नियम 311 नहीं लिया जायगा .....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव प नये माननीय सदस्यों को बोलना था और नियम 311 को नहीं लिया जाना थ इसीलिए में चुप बैठा हुआ था ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, गन्ना किसानों के प्रति अगर सरकार की यही नीति रही . . .

श्री अधिष्ठाता-

माननीय स्वामी नाथ जी, इस पर आज वक्तव्य है । उसमें सारी चीजें आ जायेंगी ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

वक्तव्य के समय सारी चीजें आ जायेंगी । उसमे आप प्रश्न भी कर लेंगे ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

नहीं, मान्यवर, वक्तव्य से काम नहीं चलेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

वक्तव्य मे सवाल-जबाव भी होंगे मान्यवर ।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय स्वामी नाथ को मान्यवर सुन लें । अगर आज नियम 311 को नह लिया जायेगा, तो आज जो हैं, उन्हें निरस्त माना जाय । लेकिन यह प्रतिबन्ध रहे कि अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी को देना चाहे तो वह दे सकें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जो सुझाव माननीय नेता कांग्रेस पार्टी ने रखा है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का 22 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1987-88 ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का 22 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1987-88 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

दि उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, 1987-88 एवं 1988-89 ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं दि उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एवं मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 1987-88 एवं 1988-89 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 1989-90 ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 1989-90 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी की प्रशासनिक आख्या वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88 एवं 1988-89 ।।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी की प्रशासनिक आख्या वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88 एवं 1988-89 को उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 की धारा 37 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1983-84, 1984-85, 1986-87 ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1983-84, 1984-85, 1986-87 को ज्ञापन एवं शुद्धि पत्र सहित संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन, 1985-86 ।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री पृथ्वी सिंह)-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन 1985-86 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

।छापे नहीं गए ।

।।छापा नहीं गया ।

शासन द्वारा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति

श्री भगवती सिंह विशारद-

मैं मान्यवर एक आपत्ति प्रकट करता हूं । जो नलकूप निगम का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, वह वर्ष 1985-86 का है । आप उसको धारा 619-ए के अन्तर्गत सदन के पटल पर रख रहे हैं, उसमें कितने दिनों के बाद रखने का प्राविधान है । उसमें यह है कि 18 महीने के अन्दर ही निगम को अपनी बैलेंस शीट शासन को भेज देनी चाहिए और शासन जैसे ही वह आये, सदन में प्रस्तुत करे ।

श्री अधिष्ठता-

आप लिखकर दे दें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं ससदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

जिस बात का इशारा माननीय विशारद जी ने किया है, उसको मैं बड़ी गम्भीरता के साथ देख रहा हूं । निगमों में आडिट का काम बड़ी बिलम्ब से हो रहा है और काफी पिछड़ गया है । हमने प्रयास किया है कि वह अपटुडेट हो जाये । यह बड़ा पुराना मामला है, जब आडिट होकर आया है, तो रखा गया है । यह तो प्रोसीजरल प्रतिबन्ध था, उसके अनुसार तो रखना ही था । हम प्रयास में हैं जो भी प्रतिवेदन हैं वह समय से सदन में आ जायें ।

श्री रमाकान्त यादव, सदस्य,विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अधिष्ठता-

मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूं ।

अधीक्षक, कारागार जालौन एवं अधीक्षक जिला करागार, आजमगढ़ से दिनांक 22 फवरी, 1992 को प्राप्त सूचनाओं के अनुसार श्री रमाकान्त यादव,सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़) को जिला कारागार, जालौन स्थित उरई से दिनांक 21-2-92 को जिला कारागार, आजमगढ़ स्थानान्तरित किया गया और उन्हें थाना सरायमीर में पंजीकृत केस नं0 404/92 अपराध संख्या 108/91 भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/452/303/202/109 के अन्तगेत दिनांक 22 फरवरी, 1992 को जिला कारागार आजमगढ़ में दाखिल किया गया है ।

उक्त माननीय सदस्य की जिला कारागार जालौन स्थित उरई में निरूद्धि की सूचना दिनांक 13 फरवरी, 1992 को सदन में दी जा चुकी है ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण), विधेयक, 1992 ++

माध्यमिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सावेजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1992 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

++ देखिये परिशिष्ट के असाधारण गजट दिनांक 27 फरवरी, 92

श्री राजनाथ सिंह -

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)+

श्री अधिष्ठाता -

इसमें 2 नाम मेरे पास आये हैं, श्री शयाद अली जी बोलें ।

श्री प्रमोद तिवारी -

मान्यवर, इनके नेता बोलना चाहते हैं, उन्हें आप अनुमति दे दें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव -

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में श्री बंसत लाल गुप्ता द्वारा प्रस्तुत और श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा समर्थित धन्यवाद के प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जहां तक इस सरकार का संबंध है, शुरू में ही हम लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया था । सरकार को आये 8 महीने हो गये हैं, प्रारम्भ में लोगों ने यह कहा था कि इस सरकार को जनादेश राम के नाम पर मिला है, इस सरकार ने कहा था कि मंदिर हम बनायेंगे और मंदिर क लिए हमें जनादेश मिला है लेकिन 8 महीना बीतने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिस बात को लेकर पूरा मंत्रिमण्डल अयोध्या गया और अयोध्या जाने के बाद इन्होंने जिस बात का नारा लगाया था, ये उस वायदे से मुकर रहे हैं । जनता की यह अभिलाषा थी, मांग थी और हम सब की अभिलाषा थी कि कोइ भी सरकार जो सत्ता में आये पहले वह अपने वायदे को पूरा करें और दूसरी बात यह है कि सरकार जो बनती है उस सरकार का पहला काम होता है कि वह सरकार गरीबी को मिटाये, भ्रष्टाचार को मिटाये और जनहित का काम करे लेकिन इस 8 महीने के दौरान कोई परिवर्तन ऐसा नहीं आया और अब तो मैं समझता हूं जिस तरह से लोग बोलते रहे हैं कि रामलला हम आयेंगें, मंदिर वहीं बनायेंगे उसमें अब नया नारा दिया है कि तिथि भी नहीं बतायेंगे ।

मैं समझता हूं कि तिथि बताने की आवश्यकता अब नहीं है । ये मन्दिर बनवाना नहीं चाहते ।

राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक थी, विकास की चर्चा हो रही थी , वहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो नेता सदन भी हैं, जिन्होंने पहले यह कहा था कि राम मंदिर का निर्माण हम करायेंगे वहां अपने वायदे से मुकर कर कहा कि हम केवल बाधाओं को दूर करेंगे । इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी चर्चा करते ही यहां विरोध शुरू हो जाता है, ने कहा कि हमने कभी मंदिर बनाने के लिये कहां कहा, हमने कहा कि बाधाओं को दूर करेंगे । मान्यवर, मंदिर बनाने का काम बड़ा पुण्य है । इस मंदिर की शुरुआत इन्होंने नहीं की है, बल्कि वहां जो मंदिर खड़े थे, उनको गिराने का काम इन्होंने शुरू किया है । हम लोगों का कहना था कि या तो न्यायालय का आदेश हो जाय या कोई पंचायती फैसला हो जाय और या कोई समझौता हो जाय तो उस समझौते को मानिये । लेकिन मस्जिद को बचाना तो दूर

+ दिनांक 20 फरवरी, 1992 की कार्यवाही से ।

रहा आपने वहां मंदिरों को गिराना शुरू कर दिया है । महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के अंत में कहा:-

सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वो भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत् ।।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं अगर आप सभी सन्तानों को देखना चाहते हैं तो परिवार के मुखिया का यह कर्तव्य होता है कि उसे चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो, किसी सम्प्रदाय का व्यक्ति हो, किसी वर्ग विशेष का हो, चाहे समाज का रहने वाला किसी भी तरह का प्राणी हो, हरेक के साथ न्याय करना पड़ेगा । अगर न्याय नहीं दे सकते हैं तो जो आपका भयमुक्त समाज का नारा है वह खोखला साबित होगा ।

माननीय मुख्य मंत्री जी से हम लोगों ने इस बारे में कहा था, प्रदेश में आतंकवाद बढ़ा, कहा गया कि सर्वदलीय बैठक बुलाइये, सर्वदलीय कमेटी बनाइये लेकिन बार-बार आपकी ओर से यह कहा जाता रहा कि दिल्ली के लोगों ने काम नहीं किया । दिल्ली के लोगों ने तो मीटिंग बुलाई जो योजना आयोग में कटौती की बात आयी, तब आपने उसे सदन में रखा । मैं बताना चाह रहा हूं कि सरकार के लोगों ने क्या हम विपक्षी दलों के नेताओं को कभी इस संबंध में कान्फीडेंस में लिया या कभी इस बात को हमारे सामने रखा कि योजना व्यय में कटौती की जा रही है । केन्द्र सरकार से पैसा कम हो रहा है, अब इस बात का रोना क्यों रो रहे हैं । केन्द्र से सम्बन्ध अच्छा बनाना है यह हर सरकार का कर्तव्य है अगर केन्द्र से सम्बन्ध अच्छे नहीं होंगे तो आपके विकास की योजना नहीं चल पायेगी । आज पूरे प्रदेश के विकास काम ठप्प हैं ।

जब इस बात का सवाल उठाया गया तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पिछली सरकारों ने जो वायदा किया है हम उसका पुनरीक्षण करा रहे हैं, हम पुनरीक्षण के आधार पर कार्य करायेंगे । मान्यवर, आज यहां माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, कम से कम जब नेतागण बोलें तो उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी को सदन में रहना चाहिए । पहली बार हादसा हुआ जब मैं पिछली बार यहां नेता विरोधी दल की हैसियत से बोला तीन घंटे भाषण जारी रखा, माननीय प्रमोद जी माननीय बेनी प्रसाद जी नहीं बोल पाये थे, आज इसके बाद 5 बजे से अनुपूरक अनुदान की मांगों पर विचार होगा, हम लोग बोल रहे हैं माननीय मुख्य मंत्री जी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं, मुख्यमंत्री जी को और संसदीय कार्य मंत्री को हम लोगों की बात यहां बैठकर सुननी चाहिए । इसका अर्थ यह हुआ कि इन बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं । अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो इसका जवाब क्या देंगे । पिछली बार मुख्यमंत्री जी खड़े ही नहीं हुए थे, मुखार बिन्दु से कोई शब्द नहीं बोले यहां से धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया । मैं अपेक्षा करूंगा कि इस परम्परा का निर्वहन इस बार नहीं करेंगे माननीय मुख्य मंत्री जी हम लोगों की बात का जवाब देंगे, जवाब पर स्पष्टीकरण होगा, विपक्ष के नेताओं को वह मान्य होना चाहिए, उसके बाद धन्यवाद के प्रस्ताव पर यहां वोटिंग हो । माननीय मुख्य मंत्री जी की कार्य प्रणाली के बारे में कहना चाहूंगा । बहुत सी समस्याएं सामने हैं । पहले भी कहा था कि "मुखिया मुख सो चाहिये, खान-पान में एक, पाले-पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक " ।

यहां नेता हों या विधायक, हम सारे लोगों की बातें सुनें हम समस्याओं को बताना चाहते हैं ।

लेकिन उन्हें तो विधायकों से बात करने की फुर्सत भी नहीं है । नेताओं का टेलीफोन का मामला देख लीजिए । यदि किसी नेता का टेलीफोन जाता है तो वह चार-पांच दिन से पहले बात नहीं कर पाता है, उसका जवाब तक नहीं आता है । मान्यवर, हमारे दलवीर जी एक विधायक हैं उन्होंने सवाल किया कि चौधरी चरण सिंह जी की जो प्रतिमा है उनका मुख उनसे नहीं मिलता है । तो आपने यह कहा कि बड़ा संवेदनशील मैटर है इसलिए जवाब नहीं दिया जायेगा और आपने प्रश्न को अस्वीकार कर दिया । चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के बारे में यह सरकार जवाब दे । बड़ा संवेदनशील मैटर है, इसके तहत अस्वीकार कर आपने भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, किसानों के नेता के साथ अन्याय किया है । यह सरकार किसान विरोधी सरकार है और इस सवाल का जवाब संवेदनशील कहकर प्रश्न को अस्वीकार कर देने से यह बात बलवती हुई है कि यह सरकार किसानों का काम नहीं कर रही है उनके हितों की रक्षा नहीं कर रही है । मान्यवर, मण्डल आयोग के बारे में, जब दिल्ली में शासन में थे, इसकी चर्चा हुई ।

माननीय वी0पी0 सिंह जी और अनेक नेतागण ने इस सम्बन्ध में एक फार्मूला बनाया था । अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो उन्होंने आरक्षण के लिए कोटा निर्धारित किया था पिछड़े वर्गों के लिए उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं । दलित शिक्षा के नाम का आप नगाड़ा बजा रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को आप नहीं सुन रहे हैं आज स्थिति यह हो गयी है कि न केवल दलित बल्कि हरिजनों और अल्पसंख्यकों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है । मैं आपसे मांग करूंगा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर डा0 भीमराव अम्बडेकर की चर्चा हुई थी, जिनकी जन्म शताब्दी आप मनाने जा रहे हैं, जो दलितों के नेता थे, लेकिन आज उन्हीं दलितों पर आप अत्याचार कर रहे हैं । आज हजारों की संख्या में दलित लोग अपनी मांग के लिए धरना दे रहे हैं । मान्यवर, यहां विधान सभा का सत्र आहूत हुआ । यह परम्परा रही है कि आदेश नहीं जारी किये जाते हैं । लेकिन यहां पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 24 अध्यादेश जारी किये गये । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे अध्यादेश की सरकार मत बनाइये। मान्यवर, जनप्रतिनिधियों की आज आप बात करते हैं लेकिन आज आप कोआपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से पचासों हजार लोग बजरंग दल के आर0एस0एस0 के या विश्व हिन्दू परिषद् के भर रहे हैं । सारी कमेटी भंग करके उनमें अपना अध्यक्ष और सदस्य रखना चाहते हैं । मान्यवर, यह संवैधानिक सवाल है । अगर संविधान में यह व्यवस्था न होती, अगर कानून का दायरा न होता तो यह सत्र भी आहूत न होता । 12 फरवरी, को अन्तिम दिन था 10 फरवरी को यह सत्र बुलाया गया है तो अगर जनादेश आपको मिला है तो पूरी बात सुनना चाहिए था, उसका जवाब देना चाहिए था । आज कानून और व्यवस्था की स्थिति में इतनी गिरावट आ गयी है, जैसा कि तिवारी जी ने सवेरे कहा कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, थानों में महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, लखनऊ थाने का उन्होंने हवाला दिया लेकिन अभी तक आपने उसमें कोई कार्यवाही नहीं की है ।

होना यह चाहिए था कि आप उस थानेदार को हटाकर निलम्बित करते । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, जो यहां पर नहीं हैं, उनसे कहना चाहता हूं । वह जिस क्षेत्र से आये हैं वहां के लोधी राजपूतों की स्थिति बड़ी खराब है । वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक शामिल हैं । मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं । तीन गांव के अन्दर पुलिस की दरिंदगी हुई । महिलाओं को बेइज्जत किया गया, ग्रामीणों को लूटा गया और वहां पर चार लोगों का अपहरण कर लिया गया और आपने आज तक इसकी जांच नहीं की न ही किसी को दण्डित किया गया...

इस देश के लोधी राजपूतों के साथ काण्ड हुआ, उन्हें आपके पास जाना चाहिए था, लेकिन वह हम लोगों के पास आये और अहियापुर, प्रहलादपुर, बरहापुर में जो कांड हुआ है, उस पर उन्होंने जांच की मांग की । मैं जानता हूं कि आज तक उस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जा सका है ।

मान्यवर, एकता यात्रा निकाली गयी, देश की एकता के लिए यात्रा निकाली जाय, एक अच्छी चीज है लेकिन .....

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मेरा समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता-

5 मिनट का समय और ले लें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

5 मिनट में तो भूमिका भी नहीं हो पायेगी ।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि राष्ट्रीय एकता के लिये यात्रा की जाय, बहुत अच्छी बात है । मान्यवर, राम का नाम लिया गया, राम ने तो कोल, भील, संथालों की सेना बनाई थी और अयोध्या से लंका तक की यात्रा की और वह मर्यादा पुरुषोत्तम बन गये, इसी तरह कृष्ण जी ने गोकुल से द्वारिका तक की यात्रा की और वह श्याम बन गये । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो एकता यात्रा निकाली गयी, उसका विरोध हुआ, निश्चय ही साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा होगा । मेरी मान्यता है कि जो धर्म तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, वह धर्म मर जाता है और जो धर्म लाजिक और साइंस पर आधारित होगा, वह धर्म सदा सर्वदा के लिए चला करता है, इसलिए डाक्टर लोहिया ने कहा था कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है । इस यात्रा में कितना खर्च हुआ है, इसका पूरा हिसाब यहां आना चाहिए । आज बजट में कटौती की जा रही है, टेलीफोन घटाने की बात की जा रही है, लेकिन इतने सारे लोगों को वहां इकट्ठे होकर जाने की क्या जरूरत थी, इसकी जांच होनी चाहिए और पूरा बजट यहां आना चाहिए ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भूकम्प पीड़ितों का यहां मामला उठाया गया, आपने एक किताब भी छापी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग वहां पर हैं, जिनके लिए अभी तक कोई साधन मुहैया नहीं हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बार फिर से वहां निरीक्षण करवाइये । बहुत से लोग आ रहे हैं, उनका कहना है कि हम लोगों को वहां कोई सुख सुविधा नहीं मिली है और वह लोग जाड़े के दिनों में कंपकंपा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई साधन मुहैया नहीं हुआ है ।

मानयवर, मेरे पास अखबार की कटिंग है, एक सांसद की मौजूदगी में पुलिस चौकी को पीलीभीत में गिराने का काम हुआ था, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए । मान्यवर, इसी तरह परसपुर गोलीकांड हुआ, कई छात्र मारे गये । यह नौजवान, देश का तरुण जो देश की आजादी के लिए लड़ा था जैसे चन्द्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां । एक इन्टर कालेज के कुछ छात्र अन्दर से बाहर आ गये, उन पर गोलियों की बौछार हुयी और आज तक पीड़ित छात्रों को मुआवजा भी नहीं मिला, आज तक उनके घरों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुयी । इसी तरह मऊ का कांड हुआ, लेकिन अभी तक वहां के डी0एम0 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुयी ।

मान्यवर, आयुर्वेद के तमाम छात्र आज सड़कों पर घूम रहे हैं, धामपुर, खेता सराय (जौनपुर), भाटपाररानी (देवरिया), बड़ागांव के । एक कालेज के प्राचार्य हैं, यहां विधायक भी हैं भाजपा के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता । लेकिन मैं यह

कहना चाहता हूं कि पैसा लेकर एडमीशन हुआ है, लेकिन अब उनका पांच साल का भविष्य बरबाद मत कीजिये और उनको मान्यता प्रदान कीजिये, उनकी परीक्षायें लीजिए, ताकि उनका डाक्टर बनने का सपना पूरा हो सके । आज कई महीने हो गये हैं, फार्मेसिस्ट के छात्रों का 18 अगस्त को कोर्स भी पूरा हो गया, लेकिन उनकी परीक्षायें नहीं हुयीं । मैं कहना चाहता हूं कि आप उनकी परीक्षायें करवाइये, ताकि जो छात्र सड़कों पर आये हुए हैं, उनका भविष्य बरबाद न हो । मान्यवर, मैं 5 मिनट और कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

मान्यवर, सारे उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य ठप्प हो गये हैं । विकास के कार्यों के संबंध में उस दिन पूछा गया था, कि यह बताया जाय कि कौन से कार्य ठप्प हो गये हैं । मैं बनारस तथा अन्य जिलों का उदाहरण देना चाहता हूं । जिला योजना का पैसा काट दिया गया । जो पैसा विधायकों द्वारा जिलों में बांटा जाता था, वह सारे उत्तर प्रदेश के जिलों का पैसा काटकर 53 करोड़ रुपये यहां लाकर रख दिया गया । उससे यह आशंका हो रही है कि शायद उस पैसे को ये अपने लोगों, अपने समर्थकों, अपने हितैषियों व अपने शुभचिंतकों के बीच बांटना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि इस 53 करोड़ रुपये की जांच होनी चाहिए ।

मान्यवर, यहां पर पूर्वांचल निधि की बात आई । उसका भी 10 करोड़ रुपये काट दिया गया । अब आपका नया बजट आयेगा । इसलिए आपसे अनुरोध है कि कम से कम जो पैसा काट दिया गया है, उस पैसे को आप दीजिए । मान्यवर, इस समय जो यह सरकार चल रही है, यह सरकार अत्याचार, शोषण और उत्पीड़न की कलम से लिखे हुए भाषण को पढ़ती है । आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं । आज छात्रों के बारे में नकल को संज्ञेय अपराध बताया गया है । माननीय शिक्षा मंत्री जी भी जानते हैं कि जो केन्द्र के व्यवस्थापक हैं, उन्हें यह अधिकार होता है कि वह वहीं पर समरी ट्रायल करें और सजा सुना दें । इस तरह के प्राविधान करने की कोई जरूरत नहीं थी । मैं भी केन्द्रीय व्यवस्थापक के बारे में जानता हूं । आज भी बोर्ड में कोई नियम नहीं बदला है । नकल को रोका जाय, नकल को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए । लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या अपने छात्रों को हम पुलिस के हाथों में सौंप दें । पुलिस के हाथों में छात्र को सौपना एक बहुत बड़ा अपराध होगा और इससे राष्ट्रीय सम्मान गिरेगा । जिस तरुणाई ने देश की आजादी के लिए काम किया उन्हें पुलिस के हाथों में सौंपना बिल्कुल गलत है । मैं तो अपने विरोध पक्ष के भाईयों से भी कहूंगा कि इस विधेयक को आप पास न होने दें । हम इस विधेयक को पास नहीं होने देंगे ।

मान्यवर, मेरा अंत में यह कहना है कि यह सरकार आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक हर मोर्चे पर विफल रही है । धर्मोन्माद, शोषण, और अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है । मेरे जैसा व्यक्ति यह मानता है कि उनकी अच्छी बातों का हमें समर्थन करना चाहिये । बुरी बातों का मैं समर्थन नहीं करता । आज विधायकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, भूतपूर्व विधायक मारे जा रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पीटा जा रहा है, अध्यापक आन्दोलित हैं, छात्र सड़क पर हैं और दलितों को सताया जा रहा है, इसलिए सदन के अन्दर अपनी भावनाओं और उद्गारों को व्यक्त करना स्वभाविक है । जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके उत्पीड़न के प्रयास को रोकने के लिए सरकार को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं ।

आज मान्यवर, नौकरशाही बिल्कुल हावी हो गई है । जो नौकरशाही के लोग कहते हैं, वही सरकार करती है । श्री भोला शंकर मौर्या जी का मामला आया

धारा-307 की बातें आई । आपने कह दिया कि दफा-307 का उल्लेख नहीं है । माननीय गृह राज्यमंत्री जी पूछते हैं कि शैडो है । विधायक ने खड़े होकर कहा कि शैडो नहीं । माननीय श्री गुप्ता जी ने इसकी जांच कराई होगी । इसलिए जो भ्रष्टाचार को यह बढ़ावा मिल रहा है, उसे रोका जाना चाहिए ।

आज आतंकवाद लखनऊ तक में आ गया है । मैं मांग करता हूं कि आप हम सभी लोगों को बुलायें और बातचीत करें । यह एक [redacted]ीय समस्या है । आज जो साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, उनको रोका जाना चाहिए । यह हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात है कि मुख्य मंत्री जी की कार के ऊपर हापुड़ में बम फेंके जांय और उन पर पथराव हो । इसके क्या कारण हैं । ऐसे असामाजिक तत्वों का सफाया किया जाना चाहिए । सरकार अपने रवैये में परिवर्तन लाये । अपने लोगों को भरने का जो कार्य सरकार कर रही है, मेरा कहना है कि कम से कम सारे दल के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ।

माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं । एक पुरानी लड़ाई चल रही थी कि आर्य यहीं के थे या बाहर से आये उन्होंने आर्यों को भारत का मूल निवासी बताया । जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है, आप इतिहास को दिखा लीजिए और उसको पुनर्जीवित करें देख लीजिए, अगर किसी ने अपना योगदान दिया है, उनके योगदान को भी आप सामने लायें । चूंकि लाल बत्ती जल गई है । इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं ।

(समय 4 बजे)

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उनको कम से कम 2-3 मिनट का समय आप अवश्य दें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कम से कम एक दिन और चर्चा हो जिससे काफी लोगों को बोलने का मौका मिल जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता-

मैं माननीय सदस्यों को 5-5 मिनट का समय दे रहा हूं ।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)-

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर श्री बसंत लाल गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव के तथा श्रीमती श्रीवास्तव द्वारा रखे गये समर्थन के प्रस्ताव के संबंध में मैं कुछ बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं । मान्यवर, प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है । इन चालीस सालों में इस प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जिन भगीरथ प्रयासों को करने की आवश्यकता थी, पूर्व सरकारों द्वारा उन भगीरथ प्रयासों को करने के बजाय इस प्रदेश के पिछड़ेपन को और पिछड़ा बनाने का प्रयास किया। हर बात को राजनैतिक दृष्टिकोण से सोचा गया और हर निर्णय को राजनैतिक दृष्टि से लिया गया जिस कारण इस प्रदेश का 80 प्रतिशत हिस्सा, जो ग्रामीण क्षेत्र का है, उसकी उपेक्षा हो गई । ग्रामीण जनता का पिछड़ापन और बढ़ता गया । ग्रामीण विकास के लिए जो कार्य, जिस जन इच्छा शक्ति व दृढ संकल्प शक्ति के द्वारा सरकारों को पूरा करना चाहिए था, वह उन्होंने नहीं किया । भाईयों .....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप कोई सड़क पर भाषण नहीं दे रहे हो ।

श्री रबिकान्त गर्ग-

मान्यवर, इस सरकार ने जो कुछ भी किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विगत सरकारों ने अपने पूरे कार्यकाल में जितना कार्य नहीं किया, उतना इस सरकार ने अपने केवल आठ महीने के कार्यकाल में पूरा करके दिखाया है ।

मान्यवर, हमारी सरकार ने इस आठ महीनों में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनायें स्वीकृत की हैं । हम ग्रामीण जनता का इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि स्वतंत्रता के 45 साल के पश्चात भी इस प्रदेश का 70 प्रतिशत हिस्सा सिंचाई से बंचित है । हमने सिंचाई के लिये प्राथमिकता तय की है कि कम से कम 10 प्रतिशत सिंचाई के साधनों को इसी वित्तीय वर्ष में बढ़ायेंगे और एक वर्ष में 22 प्रतिशत अधिक क्षेत्र में सिंचाई करेंगे । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप शांत रहें ।

श्री रविकान्त गर्ग-

जनपद का कम से कम एक गांव जो अनुसूचित जाति बाहुल्य है और पूर प्रदेश में 100 अनुसूचित बाहुल्य गांवों को पानी पहुचायेंगे यह काम सरकार करेगी तथा जनपद से कम से कम एक एवं कुल सौ ब्लाकों के प्रत्येक गांव में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी । इसके अलावा बेसहारा महिला को जिसके घर में कोई करने वाला नहीं है उसके खेत तक पानी सरकार पहुंचायेगी और जो गूल आदि का निर्माण होगा वह भी करेगी । (व्यवधान)

आज बिजली की हड़ताल के बावजूद कहीं अंधकार नहीं है यह सबसे बड़ी उपलब्धि है । इस अल्पकाल में जितनी कठिनाईयां इस सरकार को झेलनी पड़ीं, जितनी दैवी आपदाएं इस सरकार के सामने आईं उतनी पिछले वर्षों में कभी नहीं आईं । पहले सूखा और उसके बाद अतिवृष्टि फिर उसके पश्चात् भूकंप आये जिनका सामना हमने किया है । इसी के साथ आतंकवाद की काली छाया का सामना सरकार कर रही है । यह सरकार इन सबके बावजूद अपना कदम आगे निरतंर बढ़ा रही है । किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर कृषि विकास केन्द्रों की स्थापना की गयी है उनके माध्यम से किसानों की जो समस्यायें हैं उनका निराकरण किया जायेगा । उनके लिये जो भी आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता होगी उसकी जानकारी दी जायेगी और उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा । विद्युत विभाग में पूर्व सरकारों ने चाहे कितनी ही विद्युत आपूर्ति की कोरी घोषणाएं कीं वह गांवों को उतनी विद्युत आपूर्ति नहीं कर पाई और केवल 5, 6 घंटे ही विद्युत आपूर्ति कर सके । लेकिन हमने जो 12 और 14 घंटे विद्युत आपूर्ति की बात कही उसकी आपूर्ति हमने सुनिश्चित की वह ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई है । सिंचाई सुविधा के लिए हमने एक ऐतिहासिक कार्य किया है और 20 हजार निजी नलकूप ऊर्जीकृत किये हैं । यह 20 हजार नलकूपों की संख्या सिंचाई के साधनों के लिये बहुत बड़ी उपलब्धता है ।

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सभी को 8 माह पूर्व की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं । चुनाव के पूर्व दृष्टि डालें तो देखें कि इस प्रदेश की स्थिति क्या थी ? मान्यवर, चारों ओर घोर अराजकता, साम्प्रदायिकता और दंगों की श्रंखला थी । शासकों के घरों में बैठकर, उनके वर्चस्व में चौथ वसूलयाबियां, अपहरण, डकैती, बलात्कार आदि की योजनायें बनती थीं और हिंसोन्माद के कारण 63 जनपदों में से 49 में कर्फ्यू लगा था ।

जबकि बुनियादी मांगों के लिये छात्रों को अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर जलने के लिये मजबूर होना पड़ रहा था । प्रदेश में चारों ओर कानून की स्थिति पंगु हो गयी थी लेकिन सरकार के आने के बाद उन सारी स्थितियों को चुनौती के रूप में इस सरकार ने स्वीकार किया है और उसी के परिणामस्वरूप आज कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुधारने हेतु सरकार ने जो कुछ किया है वह किसी से छिपा नहीं है । आज मान्यवर एक इज्जतदार आदमी आम नागरिक स्वतंत्र रूप से अपना कार्य निष्पादित कर रहा है, व्यापारी अपना स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रहा है और किसी प्रकार की आज चौथ वसूली का उसको सामना नहीं करना पड़ रहा है और न किसी प्रकार की अन्य कठिनाई का ही सामना उसे करना पड़ रहा है ।

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां एक ओर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है वहीं दूसरी ओर उन कार्यों का नियोजन और अनुश्रवण ठीक ढंग से हो उसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित की है ।

मान्यवर, इस प्रदेश के 1/6 भाग वाले हिस्से उत्तर प्रदेश के लिए केन्द्र सरकार को जितनी चिंता करनी चाहिए थी, यहां की समस्याओं के निराकरण के लिये जिस तरह का सहयोग केन्द्र सरकार को देना चाहिए था, अफशोस है कि केन्द्र सरकार उस तरह का सहयोग न करके प्रदेश के सामने एक आर्थिक संकट उत्पन्न करना चाहती है । (व्यवधान)

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जहां एक ओर जनता की भावना के अनुसार अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण तो होगा ही वहीं साथ ही भारत माता का मंदिर, जो विखंडित हो रहा है कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थों के कारण, का भी हम निर्माण करेंगे जिससे देश और प्रदेश की एकता और अखंडता बनी रहे और इसके लिए हम हर कदम उठायेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं ।

(शोर होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग शान्त हो जाइये । एक-एक करके क्रम से बोलिये ।

श्री श्याद अली-

मान्यवर, किसी जनप्रतिनिधि के मरने पर इस सदन में शोक सम्वेदनाएं व्यक्त...

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग शान्त हो जाइये । सोमांश प्रकाश जी को बोलने दीजिए ।

श्री सोमांश प्रकाश-

मान्यवर, मैं बोलूं तो जब शान्ति हो, मुझे बोलने का मोका तो मिले ।

(व्यवधान)

श्री श्याद अली-

मान्यवर, जब चुनाव हुए थे तो इस सरकार ने वायदा किया था कि हम भयमुक्त समाज बनायेंगे ।.....

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य आप शान्त हो जायें । इस तरह से सदन नहीं चल पायेगा । आप लोग क्रमवार बोलिए । श्री सोमांश प्रकाश जी को बोलने दें ।

(कई लोगों के एक साथ बोलने तथा शोर होने पर)

श्री सोमांश प्रकाश-

मान्यवर, आप व्यवस्था करवा लें । वह बोल रहे हैं । आप इनकी कार्यवाही केसे लिखवायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य आप शान्त हो जायं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । आप सदन में व्यवस्था बनायें ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कृपया शान्ति बनाए रखें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आप बैठें । आपकी बात सुन ली जाएगी । आप लोग शान्त हो जाएं जिसका नाम अध्यक्ष पीठ से बोला गया है वही बोलें । सब लोग क्रम से बोलेंगे ।

(घोर व्यवधान)

आप अपने दायित्व का निर्वाह करें । आपका भी दायित्व सदन को चलाने का है ।

(घोर व्यवधान)

सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ में आयेगा ।

डा0 जी0एस0 विनोद-

मेरा भी नाम लिस्ट में है ।

(व्यवधान)

श्री सोमांश प्रकाश-

मान्यवर, यह बिना बुलाए बोल रहे है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अनुशासन बनाए रखें । कोई सदस्य उत्तेजित न हों ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, हम लोगों की बातों को भी सुनें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित सदन के वेल में आ गये)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

आप मेरा व्यवस्था प्रश्न नहीं सुन रहे हैं ।

(श्री निर्वेन्द्र कुमार सदन के वेल में आ गये)

श्री निर्वेन्द्र कुमार-

मान्यवर, आप निर्दलीय सदस्यों को बोलने का मौका दें ।

(श्री निर्वेन्द्र कुमार अपने आसन पर लौट गये)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय दीक्षित जी, अपने स्थान को ग्रहण करें । आप उत्तेजित न हों, उत्तेजित होने का कोई कारण नहीं है । आपको मैं समय देने जा रहा हूं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

आप मेरे प्वाइंट आफ आर्डर को सुन लें । मैं आपका सम्मान करता हूं आप मेरा प्वाइंट आफ आर्डर नहीं सुनते हैं ।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

(माननीय हृदय नारायण दीक्षित सदन के वेल में बैठ गये)

श्री अरुण प्रताप सिंह-

मान्यवर, सदन में यह लोग अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं ।

श्री घनश्याम शुक्ल-

मान्यवर, इधर के सदस्यों की बातों पर भी ध्यान दें । मैं आपके समक्ष व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । (शोर)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया बैठें ।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित अपने आसन पर चले गये ।)

डा0 जी0एस0 विनोद-

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

आप जो कह रहे हैं उसका कार्यवाही में उल्लेख नहीं होगा ।

(शोर)

आप लोग शांत तथा अनुशासित रहें । एक समय में एक ही माननीय सदस्य बोलेगा । आप लोग एक साथ बोल रहे हैं । माननीय सोमांश प्रकाश जी बैठ गये, माननीय दीक्षित जी को अपनी बात कह लेने दीजिए ।

डा0 जी0एस0 विनोद-

(× × ×)

(शोर)

श्री सोमांश प्रकाश-

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, क्या यह कार्यवाही लिखी जा रही है ?

श्री अधिष्ठाता-

(घोर व्यवधान के मध्य) सभी माननीय सदस्य बैठ जायं । सोमांश प्रकाश जी बैठ जायं । दीक्षित जी का अधिक आग्रह है उनको पांच मिनट बोल लेने दें । पांच मिनट धैर्य रखें । दीक्षित जी अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं । सदन में गतिरोध कैसे दूर हो ।

(श्री जागेश्वर प्रसाद आदि कई सदस्य एक साथ बोलते रहने से घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

उत्तेजित होने से कोई फायदा नहीं है । आप सब बैठ जायं । में व्यवस्था दूंगा । आप माननीय दीक्षित जी को नहीं बोलने देना चाहते हैं । सब एक साथ बोलेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा । माननीय दीक्षित जी का अधिक आग्रह है उनको पांच मिनट बोल लेने दें । उनकी बात तो सदन में आ जाय । इस तरह से कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही है ।

श्री सोमांश प्रकाश-

मान्यवर, बिना अनुमति के कार्यवाही लिखी जा रही है । आप बिना अनुमति के कार्यवाही लिखने का आर्डर कैसे दे रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता-

कुछ समझ में नहीं आ रहा है । कोई बात एक साथ कहने पर समझ में नहीं आती है । एक-एक व्यक्ति बोले तो बात कुछ समझ में आए । इस प्रकार कोई निर्णय कैसे हो सकता है । आप स्वयं अनुशासित होंगे तभी सदन चलेगा । सभी माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लें । एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर दूसरे को नहीं खड़े होना चाहिए । कार्यवाही में यह सब कुछ नहीं लिखा जा रहा है जो आप कह रहे हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

(× × ×)

(श्री जागेश्वर प्रसाद के बोलते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता-

यह जो कह रहे हैं कार्यवाही में कुछ नहीं लिखा जाना चाहिए । आप अध्यक्ष पीठ की गरिमा रखें । आप सब बैठें । जागेश्वर जी आप जो बोल रहे हैं

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कुछ भी सुन नहीं पा रहा हूं । आप इसी तरह बोलते रहे तो कुछ नहीं हो पाएगा सभी माननीय सदस्य बैठ जाय । कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं पूरे अदब के साथ और विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । (शोर होने पर)

श्री अधिष्ठता -

कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है ।

(इस समय 4 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

(श्री जागेश्वर प्रसाद आदि कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं करीब आधे घंटे से व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति मांग रहा हूं, मान्यवर, मैं भाषण नहीं करूंगा । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, परम्परा यह थी कि प्रत्येक दल के नेता को बोलने का अवसर दिया जाय, हमारी पार्टी से अगर एक व्यक्ति का भाषण हो जाय, तो हमारी पार्टी का आशय आ जाता, दृष्टिकोण आ जाता ।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी चिन्ता समझ रहा हूं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी गयी ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी समस्या का समाधान हो जायगा, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा अभी एक दिन और होगी । मैंने एक दिन और बढ़ा दिया है, तो आपको भाषण का समय मिल जायगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, आपके पहले माननीयें अधिष्ठाता जी बैठे हुए थे, उस समय एक-एक साथ में 3-3, 4-4 माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे थे ।

(व्यवधान)

अगर उधर का कोई माननीय सदस्य अपने को ज्यादा पढ़ा-लिखा मानता हो, तो वह मुझसे बहस कर लें । अगर कोई उधर का माननीय सदस्य नियमावली ज्यादा जानता है, तो मुझसे बहस कर लें । ....(व्यवधान)

लेकिन मुझको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है ।

(श्री जागेश्वर प्रसाद के निरन्तर बोलते रहने से व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अभी विपक्ष की ओर माननीय जागेश्वर जी ने अपनी बात कह दी है, अब मैं सत्ता पक्ष को बुला रहा हूं ।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सोमांश प्रकाश जी का नाम बोलने के लिए पुकारा गया था, माननीय जागेश्वर जी खड़े होकर बोलने लगे और माननीय सोमांश प्रकाश जी नहीं बोल सके ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय जागेश्वर जी अपना भाषण दे चुके हैं, अब इधर के माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया जायगा ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री बसंत लाल गुप्ता जी ने रखा है और माननीय श्रीमती ज्योत्सना जी ने जिसका समर्थन किया है, उससे मैं अपने को पूरी निष्ठा के साथ जोड़ रहा हूं । मैंने बड़े ध्यान से माननीय नेता विरोधी दल का भाषण सुना और तमाम अन्य नेताओं की भी बातें सुनीं । उनको सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि 42 वर्षों में जो पूरे प्रदेश के अन्दर आतंकवाद का साम्रराज्य, जातिवाद का साम्रराज्य और तमाम तरह के क्षेत्रीयवाद को फैलाया है और जब हम आज सत्ता में आये हैं, वह अपने गिरेवान को नहीं झांकते हैं और हमारे ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया है । मैं बड़ी निष्ठा के साथ कहना चाहता हूं कि हमने इन सभी को समाप्त करने का संकल्प लिया है। यह लोग हमें साम्प्रदायिक कहते हैं । यह लोग धर्म की परिभाषा को नहीं जानते हैं । अगर वह धर्म की परिभाषा को जानते होते तो इस प्रकार की बात न करते । धर्म की परिभाषा में कहा गया है :-

"धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौत्यं इन्द्रिय निग्रहः
धीर विद्या सत्यडक्रोधो, दशकं धर्म लक्षणम् ।

मान्यवर, मैं उधर के बैठे हुए माननीय सदस्यों को चुनौती देता हूं कि जो धर्म के यह दस आधार, स्तम्भ हैं, उनकी आलोचना करके बता दें, तो मैं उनकी बात मान जाऊंगा । धर्म के जो 10 आधार हैं, उन्हीं पर धर्म का भवन खड़ा है । धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है । अगर धर्म कोई पूजा पद्धति होती तो हिन्दू धर्म ने 33 करोड़ देवताओं को मान्यता दी है । इन्हें मानने वाले भी हिन्दू हैं । अर्थात् आस्तिक भी हिन्दू हैं और नास्तिक भी हिन्दू हैं हमने अल्लोपनिषद को भी मान्यता दी है ।

मैं कहना चाहता हूं आपके मुख्य मन्त्रियों ने तो जातिवाद के आधार पर लोगों में विष बो दिया था । तो हमने इस विष बेल को समाप्त करने के लिए बीड़ा उठाया और इसे जड़ मूल समाप्त करने के लिए उठा लिए अपने संकल्प के हथियार हमारे मुख्य मंत्री जी सिरों की कोई कीमत जाति के आधार पर नहीं लगाते हैं । दंगाइयों की कोई जाति नहीं होती है । दंगाई को दंगाई कहना होगा । आपके मुख्य मंत्री जब कानपुर गये थे, तो लोगों को पी0ए0सी0 के द्वारा दंगाई कहकर मारा गया था । उनको एक-एक लाख रुपये इनाम बांट आये । यह क्या दंगा करने का इनाम था ? अगर दंगायी नहीं थे, तो अगर पी0ए0सी0 ने गलत मारा तो उन्होंने पी0ए0सी0 के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की । तमाम लोग मारे गये । उनके यहां मुख्य मंत्री जी नहीं गये, जो लोग दंगाई थे, उन्हीं के यहां आपके मुख्य मंत्री गये और उनको दंगा करने का इनाम दिया और अगर ऐसा न किया होता तो आज यह दिन उनको न देखने पड़ते । आप लोगों ने जातियों में घृणा पैदा की है और जातिवाद का बीजारोपण किया है और इसके लिए आगे आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी ।

आपने शिक्षा का क्या स्तर बना दिया है । हर विद्यालय में नकल की पराकाष्ठा हो गयी है और जब हमने इस चुनोती को स्वीकार किया है और इसको रोकने के लिए कानून बनाया तो आपके नेता नकलची छात्रों के साथ बैठकर हमारे खिलाफ षडयंत्र कर रहे हैं ।

मान्यवर, उनकी फोटो अखबार में उन नकल की मांग करने वाले छात्रों के साथ छपती है, वह कहते हैं कि नकल नहीं तो परीक्षा नहीं और आपके नेता भी उसको समर्थन देते हैं, मान्यवर, यह बड़े शर्म की बात है । (शोर)

मान्यवर, नैतिक मूल्यों का जो ह्रास हुआ है 42 वर्षों में वह अवमूल्यन शायद आने वाले इतिहास में जब लिखा जायेगा तो आप सब की बात उसमें निश्चित रूप से लिखी जायेगी और इतिहास इस सारे दोष के लिए आप सबको जिम्मेदार ठहरायेगा । मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं केवल 2 मिनट लूंगा । मान्यवर, भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो गयीं हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हम तो अभी आठ महीने से आये हैं । आप जब भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करते थे और कहते थे कि भ्रष्टाचार नीचे है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार पानी की तरह है और पानी कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं बहता है बल्कि ऊपर से नीचे की ओर बहता है । इसलिए भ्रष्टाचार समापन की बात ऊपर से नीचे की ओर होनी चाहिए थी किन्तु ऐसा आपने नहीं किया । मान्यवर, हम रामराज्य की स्थापना का संकल्प लेकर आये हैं । हमने अपने मंत्री को केवल इस आधार पर बरखास्त किया कि राम ने अपनी प्राण प्रिया सीता का परित्याग किया था । हमारे मंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं था लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों ने उंगली उठाई और हमने राम की मर्यादा का पालन करते हुए अपने प्रिय साथी को हटाया । हमारी लोकतंत्र में अटूट आस्था इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष-

आप समाप्त करें ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, एक मिनट दे दें । मान्यवर, हम लोकतंत्र में अटूट आस्था के साथ नैतिक मूल्यों की पुर्नस्थापना करेंगे और उसके लिए कटिबद्ध हैं । और इसके लिए हमारी इकाई का एक-एक व्यक्ति दायित्व बोध के साथ जिम्मेदार है, हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी अपने गिरहबान में झांककर देखिये और एक नये समाज की स्थापना के लिए आप दलगत राजनीति के ऊपर उठकर, छुद्र स्वार्थों को त्यागकर आगे आयें और हमारे सहभागी बनें । अगर कोई मरता है तो उसको यह न कहा जाय कि अल्पसंख्यक मरा है, हरिजन मरा है, खून की कोई जाति नहीं होती वह मानव का खून होता है । अंत में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप विद्वेष फैला रहे हैं उसको फैलाना बंद करें और एक बार समरस होकर प्रदेश के विकास के लिए खड़े हो जायं, हम आपका अभिनन्दन करेंगे, बन्दन करेंगे ।

*श्री सोमांश प्रकाश-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है । मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विरोध में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं । श्रीमान् इस प्रदेश की कानून व्यवस्था बिलकुल समाप्त हो गयी है, चोरी, डकैती, अपहरण, कत्ल के आप आंकड़े देखें तो संख्या बढ़ती चली जा रही है । असमाजिक तत्वों पर किसी तरह का अंकुश नहीं रह गया है, पुलिस निरकुंश हो गयी है । साम्प्रदायिक ताकतें बढ़ती चली जा रही हैं । आपके बजरंग दल, आर0एस0एस, शिवसेना के कार्यकर्ता अल्पसंख्यकों पर एक तरीके से अत्याचार कर रहे हैं और आपका प्रशासन मूक होकर देख रहा है और उनको किसी तरह का न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(शोर)

मान्यवर, आप सच्चाई को सुनने की कोशिश करें । माननीय मुख्य मंत्री जी, इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों की, गरीबों की पिछड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है जो आज खत्म होती जा रही है । इसके साथ-साथ प्रदेश में महंगाई भी बढ़ती जा रही है आपका कोई अंकुश जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर नहीं है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में देखने को मिला कि आपने अपनी गलतियों को केन्द्र सरकार पर थोप दिया कि धन नहीं दिया, इस नीति को चलने नहीं दिया, यह एक अजीब तमाशा है ।

यह एक मिली जुली कुश्ती का नमूना है । एक तरफ केन्द्र सरकार हवाई जहाज और हेली काप्टर में बिठाकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को श्रीनगर ले जाकर झंडा फहरवाती है और दूसरी तरफ आप केन्द्र सरकार की बुराई, अपनी कमियों को छिपाने के लिये करते हैं । इसी तरह से प्रदेश में इस समय किसान की जितनी बड़ी लूट हो रही है, शायद इस प्रेदश के इतिहास में ऐसी कभी नहीं हुई होगी । आपने गन्ने का भाव 45 और 48 रुपये जरूर किया लेकिन 2 रुपये ढुलाई का बढ़ा दिया, वह मिल वालों को दे दिया । मिल वालों ने आपसे मिलकर के स्टे ले लिया । क्या पूंजीपतियों की ताकत थी कि आपके आदेश के विरोध में हाईकोर्ट में स्टे ले लें ? दिसम्बर, जनवरी महीने में चीनी मिल सही ढंग से नहीं चल पायी, अभी तक बिक्री केन्द्र नहीं खुल पाये । मेरे जनपद में 10-12 केन्द्र ऐसे है जहां गन्ने की खरीद नहीं हो पायी । फरवरी का महीना आ गया है गन्ने की स्थिति वैसे की वैसे है उन किसान लोगों का जिनका गन्ना मिलों को नहीं जा रहा है, उनकी क्या स्थिति होगी ? 20 हजार टन गन्ना हमारे पूरे भारत में होता है , अकेले 9 हजार करोड़ टन गन्ना हमारे प्रदेश में होता है, उसमें अकेले । करोड़ टन गन्ना हमारे मुजफ्फर नगर में होता है आपकी क्षमता प्रदेश में पेराई की 33 प्रतिशत है ।

आन्ध्र, महाराष्ट्र में यह 85 प्रतिशत तक गन्ना मिलों में जाता है । आप भाव बढ़ाते हैं लेकिन गन्ना 33 प्रतिशत ही जाता है । हमारे यहां एक करोड़ टन गन्ने में से केवल 20 फीसदी गन्ना ही चीनी मिलों को जाता है । आपने केन्द्र सरकार से 50 चीनी मिलों के लाइसेंस की संस्तुति की है । मेरा सुझाव है कि केन ड्रावल के आधार पर मांगे, 8 वीं योजना का आर्थिक आधार मानते हुए आपको 50 चीनी मिलें नहीं मिल पायेंगी । केन ड्रावल पर चलें, केन ड्रावल को आधार मानकर चलें, पश्चिम भाग में सबसे ज्यादा गन्ना होता है पूरे प्रदेश के 9 हजार करोड़ टन में से, हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में एक करोड़ टन गन्ना पैदा होता है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसके आधार पर, केन ड्रावल को आधार मानकर पश्चिमी प्रदेश में पश्चिमी भाग में ज्यादा चीनी मिलों की मांग करिये । कम से कम मेरे जनपद में 2 चीनी मिल मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो बहुत पिछड़ा हुआ है अवश्य लगा दें । श्रीमान् हमारे प्रदेश में व्यापारियों ने बड़ा खुश होकर आपको वोट दिया था क्योंकि आपने सेल्स टैक्स समाप्ति का नारा दिया था । लेकिन वह नारा आपका थोथा हो गया । बिजली की दर को आपने और बढ़ा दिया । पूरे प्रदेश में उद्योगों की आज स्थिति यह आ गयी है कि चाहे मध्यम उद्योग हों, लघु उद्योग हों, या वृहद हों उन्हें सबसे ज्यादा टैरिफ भुगतना पड़ेगा । इससे उनका कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। उनका जब माल दूसरे प्रदेशों में जायेगा तो वहां वह कम्पीटेटिव प्राइस में कैसे मुकाबला करेंगे । बहुत से उद्योग बंद होने के कगार पर आ गये हैं । स्टेट मिनिस्टर बिजली के बैठें, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि बिजली की चोरी को रोकें । 33 हजार के0वी0 के पावर स्टेशन पर जो मीटर है उसमें

बिजली के इंजीनियर को 5-10 प्रतिशत लाइन लासेस की छूट दे दें, लेकिन उसके अलावा जो है वह सीधे चोरी है । पश्चिम में गाजियाबाद में, नोयडा में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, हजारों-हजार रुपये देकर इंजीनियर इसलिए जाते हैं कि वे वहां चोरी कराते हैं और पैसा खाते हैं । इसके ऊपर निश्चित रूप से अंकुश लगाना पड़ेगा । कीमत बढ़ जाने से कोई लाभ नहीं होगा । आप बाहर के उद्योगपतियों को बुला रहे हैं लेकिन इन स्थितियों मे कौन आयेगा । मौजूदा उद्योग ही बंद होने के कगार पर है ।

आज प्रदेश में विकास के काम ठप्प हैं प्रदेश में न सड़के बन रही हैं न अस्पताल न कोई विकास कार्य इस समय प्रदेश में नहीं हो पा रहा है आज किसी प्रकार से कोई धन न स्टेट सेक्टर से और न जिला सेक्टर से मिल रहा है । मेरी प्रार्थना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का जो पिछड़ा हिस्सा जमुना के खादर में मिला हुआ है, वह बैकवर्ड ऐरिया है । मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेरे उस क्षेत्र के अन्दर कम से कम 20-20 किलोमीटर की सड़के, क्योंकि वहां पर तहसील मुख्यालय से सम्पर्क रास्ता नहीं है, मंजूर करा दें और उसका निर्माण करा दें, 8 जच्चा-बचचा अस्पताल, 6 प्राइमरी स्कूल तथा 8 जूनियर हाई स्कूल मेरे क्षेत्र के लिए स्वीकृत करा दें ।

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों को सूचना के लिए है कि ठीक 5.00 बजे माननीय वित्त मंत्री जी कार्य सूची के अनुसार अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करेंगे । इससे पहले जो कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश हैं इसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा अभी समय है यदि कोई माननीय सदस्य इतने कुशल हैं कि वह अपनी बात दो मिनट में कह सकते हैं तो वह अपनी बात रख सकते हैं ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं । मैं इस समय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो चीज जोड़ने से छूट गयी है वह आपके माध्यम से राज्यपाल के अभिभाषण में [illegible] चाहता हूं । सबसे पहले श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूं और न ही किसी का समर्थक । मैं सच्चाई कह रहा हूं । मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्य मंत्री से, जो किसान के बेटे है, ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी सूझ-बूझ से इसे रखा है और मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं । इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र लखीमपुर खीरी से निघासन बिल्कुल बिहार बन कर रह गया है । वहां पर लोग पांच-पांच हजार एकड़ जमीन जोतते हैं लेकिन बीसों हजार लोग ऐसे हैं, जो लोग रोटी को तरस रहे हैं, दवाई को तरस रहे हैं । श्रीमन् वहां पर वन विभाग की पांच हजार एकड़ जमीन जोतते हैं लेकिन अगर भूमिहर खेतिहर भजदूर दो एकड़ पर हल चला देता है तो उसे जेल जाना पड़ता है । सीलिंग ऐक्ट 45 साल हो गये हैं बिल्कुल फेल हो गया है, जिस सिलिंग पटटी की जमीन जो हरिजन जाति के लोगों को मिली थी उन पर उनको कब्जा नहीं मिल पाया है । श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है अमीरी और गरीबी को समान नहीं किया जा सकता है लेकिन उसे बराबर नहीं किया जा सकता है लेकिन गरीबों और अमीरों का सम्मान तो समान किया जा सकता है । श्रीमन् आज स्थिति यह है कि मध्यम वर्ग और निर्बल वर्ग को अमीर लोग दबाये चले जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं और प्रशासन को अपने कब्जे में लेकर मध्यम वर्ग के एक निर्बल वर्ग की आत्मा दबा दी गयी हैं । ऐसे लोगों की आत्मा इतनी दब गयी है कि अमीरों के बराबर चारपाई एवं कुर्सियों पर बैठने का साहस नहीं रह गया है । इन्हें समाज में समान सम्मान दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जो दिन निर्धारित किया गया है उसमें वह जारी रहेगी ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-19 के पहले मैं माननीय सदन को सूचना देना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 फरवरी 1992 की बैठक में सदन के दिनांक 25 फरवरी, 1992 से 28 फरवरी, 1992 तक के उपवेशनों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

1 दिनांक 25 फरवरी, 1992 को सदन की बैठक न हो ।

2 श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए एक दिन और बढ़ा दिया जाय और उसे दिनांक 27 फरवरी, 1992 को रखा जाय ।

3 संगत नियमों को शिथिल करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 1992 को नियम 56, नियम 300 तथा नियम 311 की सूचनाएं न ली जायं ।

4 सदन का दिनांक 25 फरवरी, 1992 से 28 फरवरी, 1992 तक का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय:-

फरवरी, 1992

25	मंगलवार	बैठक नहीं होगी ।
26	बुधवार	1. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण: (क) उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, 1992 -आधा घंटा । (ख) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 -आधा घंटा । (ग) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1992 -आधा घंटा । 2. वित्तीय वर्ष 1991-92 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार तथा मतदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
27	गुरुवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)।
28	शुक्रवार	1. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण (क) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1992-आधा घंटा। (ख) उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबंधन) विधेयक, 1991 -आधा घंटा । 2. असरकारी कार्य -(आधा दिन)

(समय 5 बजे)

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा आज इस सदन में दी गयी है, से सहमत हैं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के सम्बन्ध में, जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1991-92 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की अनुमति और आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 1991-92 की द्वितीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित कर दी जायें ।

(प्रतियां वितरित की गईं)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24 फरवरी, 1992 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुईं । इसमें पहली सूचना श्री स्वामी नाथ यादव की मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय, भाटपार रानी, जनपद देवरिया के छात्रों के विधान भवन के समक्ष धरना व आमरण अनशन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, दूसरी श्री विजय सिंह राणा की आगरा मंडी समिति में की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, तीसरी श्री देवेन्द्र पाल सिंह, श्री भोला शंकर मौर्या, श्री शिव दर्शन की जनपद शाहजहांपुर की पुलिस द्वारा वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अपमानित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, चौथी श्री दिनेश चन्द्र सोनकर की जनपद इलाहाबाद के चायल निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण बाधक होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में पांचवी श्री बरखूराम वर्मा की प्रदेश में डी0जी0सी0 राजस्व की तरह पेनल लायरों को भी मासिक वेतन दिये जाने के संबंध में, छठी श्री हृदय नारायण दीक्षित की उन्नाव जिले में विद्युत वितरण की अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, सातवीं श्री अमेश चन्द्र पाण्डेय की जनपद मऊ में नीलगायों से फसलों को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, आठवीं श्री मुन्ना चौहान की जनपद देहरादून में भूकम्प राहत सम्यक् रूप से न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एवं नवीं श्री श्रीराम की श्री धर्म सिंह यादव, नगर अध्यक्ष, समाजवादी जनता पार्टी, कालपी, जालौन पर किये गये जानलेवा हमले से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

इसमें श्री स्वामी नाथ यादव की सूचना वक्तव्य के लिये तथा विजय सिंह राणा की सूचना केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की गई ।

प्रदेश में पी0सी0एस0 की भर्ती में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट न दिये जाने तथा यू0पी0 स्टेट हार्टिको के कर्मचारियों को छटनी के उपरान्त उनका समायोजन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकृत वक्तव्यों का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-21 तथा मद संख्या-22 को स्थगित किया जाता है।

प्रदेश के गन्ना किसानों का चीनी मिलों द्वारा किये जा रहे शोषण एवं अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, जो यह पिराई सत्र चल रहा है

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य को बंट जाने दीजिए और मंत्री जी उसे पढ़ लें ।

(श्री हनुमंत सिंह द्वारा वक्तव्य पढ़े जाने के लिए खड़े होने पर)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गन्ना विकास मंत्री (श्री हनुमंत सिंह)-

मान्यवर, वर्तमान सत्र में प्रदेश की लगभग सभी चीनी मिलें अपनी पूरी क्षमता से पेराई का कार्य कर रही हैं । वर्तमान पेराई सत्र में दिनांक 15-2-1992 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 177-43 लाख टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है तथा 16-48 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है । चीनी परता भी 9-29 प्रतिशत रहा है जबकि उपरोक्त अवधि में विगत वर्ष 1990-91 में 160-35 लाख टन गन्ने की पेराई हुई थी और 14-70 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था तथा चीनी परता 9-17 प्रतिशत था । इस तरह से उपरोक्त अवधि में वर्तमान पेराई सत्र में 17-09 लाख टन गन्ने की अधिक पेराई हुई है, 1-77 लाख टन अधिक चीनी का उत्पादन हुआ है तथा 0-12 प्रतिशत चीनी परता भी अधिक रहा है । इससे स्पष्ट है कि मिलों द्वारा समुचित इन्डेन्ट किया जा रहा है तदनुसार उन्हें गन्ना आपूर्ति भी हो रहा है ।

पेराई सत्र 1990-91 में प्रदेश की समस्त चीनी मिलों पर देय गन्ना मूल्य की धनराशि 1319-50 करोड़ रुपये थी जिसके विरुद्ध कुल 1317-44 करोड़ रुपया का भुगतान सुनिश्चित किया जा चुका है इस तरह से मिलों द्वारा देय गन्ना मूल्य की धनराशि का 99-84 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है ।

वर्तमान पेराई सत्र में सामान्य जातियों के लिये 45 रुपया प्रति क्वेंटल तथा शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के लिए 43 रुपया प्रति क्वेंटल राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया है ।

वाह्य क्रय केन्द्रों पर यातायात व्यय की आपूर्ति के लिए यह मूल्य मिल गेट की अपेक्षा 3 रुपया प्रति क्वेंटल कम है । शासन द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य विगत वर्ष की अपेक्षा चीनी मिलों के गेट पर 4 रुपया प्रति क्वेंटल तथा बाह्य क्रय केन्द्रों पर 3 रुपया प्रति क्वेंटल अधिक है । उक्त गन्ना मूल्य बढ़ोत्तरी से कृषकों को गन्ना मूल्य लगभग 150 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त होंगे । वर्तमान पेराई सत्र में 31-1-92 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की सभी चीनी मिलों द्वारा 620-10 करोड़ रुपये देय गन्ना मूल्य में से 366-96 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा 253-14 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य अवशेष भुगतान की प्रक्रिया में है । इस तरह से लगभग 60 प्रतिशत देय गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है स्पष्ट है कि वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना कृषकों को बढ़े हुए गन्ने मूल्य के अनुरूप भुगतान किया जा रहा है ।

नोट-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वर्तमान पेराई सत्र में घोषित सट्टा नीति के अनुसार समय से सट्टा बनाने की कार्यवाही की गयी है। गन्ना आपूर्ति तथा पेराई कार्य को सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है। सट्टे में हेरा-फेरी तथा परचियों के वितरण आदि संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही की जाती है इसके लिये मुख्यालय पर गठित उड़न दस्ते को भेजकर तथा जिलों के संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच कराई जाती है और समस्याओं का समाधान किया जाता है। कुल मामलों में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ थाने में एफ0आई0आर0 भी दर्ज कराई गई तथा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जा रही है। इस तरह से गन्ना कृषकों के हितों की रक्षा हेतु शासन पूर्ण रूप से सक्रिय एवं सतर्क है।]

प्रदेश के गन्ना किसानों का चीनी मिलों द्वारा किये जा रहे शोषण एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा कराये जाने की मांग

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें आधे घंटे की

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, मेरी भी मांग है कि इस पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा के लिये आप संगत नियमों के अन्तर्गत लिखकर सूचना दे दें तो विचार कर लिया जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है, लिखकर हम दे देंगे।

विशेषाधिकार हनन की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों में मैंने निर्णय ले लिया है:-

1-श्री लालजी वर्मा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 6-8-91,

2-श्री भोला शंकर मौर्य, श्री बनवारी सिंह, श्री राम खिलाड़ी सिंह, श्री ओमकार सिंह तथा श्री कृष्ण वीर सिंह द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 21-9-91,

3-श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 7-11-91,

4-श्री गामा राम शास्त्री द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 10-10-91 को प्राप्त हुई।

उपर्युक्त सभी मामलों में विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना की सूचनायें अग्राह्य कर दी गई हैं। उक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा दिये गये निर्णयों को सदन की आज की कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

(निर्णय पढ़े हुये मान लिये जायें)

(सदन की सहमति से निर्णय पढ़े हुये मान लिये गये)

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा राजस्व मंत्री श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

[श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने माननीय राजस्व मंत्री, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दिनांक 6-8-91 को अभिसूचित की है। माननीय सदस्य का कथन है कि सदन में दिनांक 2-8-91 को प्रदेश में पड़े सूखे की स्थिति पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बोलते हुये माननीय राजस्व मंत्री श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने कहा था कि कृषि देयों की वसूली की उत्पीड़क कार्यवाही कहीं नहीं की जा रही है। माननीय सदस्य की शिकायत है कि दिनांक 2-8-91 को जनपद फैजाबाद की तहसील टाण्डा के हवालात में वसूली के संबंध में 12 लोग बन्द थे और उक्त तिथि को श्री चन्द्रभान पुत्र श्री अलगू तथा श्री राम दत्त पाण्डेय पुत्र श्री बृन्दावन बन्द थे।

नोट:-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रश्नगत मामले में माननीय राजस्व मंत्री के अनुमोदनोपरान्त शासन के राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 20-12-91 में यह बतलाया गया है कि जिला अधिकारी फैजाबाद द्वारा यह अवगत कराया गया है कि तहसील टाण्डा में तहसील के हवालात में दिनांक 2-8-91 को कुल 9 बाकीदार बंद किये गये थे । इन बाकीदारों पर प्रकीर्ण देयों से संबंधित बकाया था तथा कृषि से संबंधित बकाया नहीं था । शासन ने यह भी कहा है कि श्री चन्द्रभान बैंक देय के बकाये के कारण तथा श्री राम दत्त पाण्डेय वित्तीय निगम के लम्बित बकाये के कारण तहसील हवालात में नियमानुसार बंद किये गये थे । उक्त दोनों व्यक्ति कृषि देयों से संबंधित मदों के बाकीदार नहीं थे । इन व्यक्तियों को दिनांक 16-8-91 को तहसील हवालात से छोड़ा गया था ।

माननीय सदस्य की सूचना तथा इस संबंध में शासन से प्राप्त सूचना पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि माननीय राजस्व मंत्री ने सदन में उक्त बयान देकर जानबूझकर सदन को गुमराह किया है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने सूचना के समर्थन में कोई प्रमाण अथवा लेख्य भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनके कथन की पुष्टि हो सके ।

वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत मामले में माननीय राजस्व मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला नहीं बनता है । अतः मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री भोला शंकर मौर्य, सदस्य विधान सभा तथा अन्य सदस्यगण द्वारा जिलाधिकारी बदायूं के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

[श्री भोला शंकर मौर्य, श्री बनवारी सिंह, श्री राम खिलाड़ी सिंह श्री ओमकार सिंह तथा श्री कृष्णवीर सिंह, सदस्यगण, विधान सभा ने जिलाधिकारी बदायूं के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है कि जो मुझे दिनांक 21-9-91 को प्राप्त हुई । माननीय सदस्यों की शिकायत है कि दिनांक 14 सितम्बर, 1991 को माननीय कृषि मंत्री तथा प्रभारी मंत्री, बरेली मण्डल की अध्यक्षता में जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया जबकि वे उसके पदेन सदस्य हैं । माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जिलाधिकारी द्वारा उन्हें उक्त बैठक में आमंत्रित न करना उनके विशेषाधिकार का हनन है ।

प्रश्नगत मामले में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई । इस संबंध में शासन के नियुक्ति विभाग के पत्र दिनांक 15-11-91 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी बदायूं से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय कृषि मंत्री के निजी सचिव द्वारा दिनांक 8 सितम्बर, 1991 को यह निर्देश दिये गये थे कि दिनांक 14 सितम्बर, 1991 को माननीय मंत्री जी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण की बैठक करेंगे । तदनुसार दिनांक 11-9-91 को संबंधित विधायकों को माननीय मंत्री जी द्वारा आयोजित बैठक की सूचना दे दी गई । शासन द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि चूंकि विकास कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण की बैठक के समय केवल अधिकारियों को ही बुलाने के निर्देश प्राप्त हुए थे, अतः उसकी सूचना अलग से माननीय सदस्यों को नहीं दी गई थी । उक्त बैठक केवल जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बुलाई गई थी। शासन ने आगे यह भी कहा है कि प्रश्नगत विषय पर माननीय सदस्यों के पत्र दिनांक 17-9-91 द्वारा जिलाधिकारी, बदायूं से उक्त प्रसंग में जानकारी भी मांगी गयी थी। इस पर जिलाधिकारी, बदायूं द्वारा अपने पत्र दिनांक 19-9-91 में माननीय सदस्यों को यह अवगत कराया गया कि प्रश्नगत बैठक जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति की बैठक नहीं थी ।

माननीय सदस्यों द्वारा अभिसूचित सूचना तथा इस संबंध में शासन द्वारा स्पष्ट की गयी स्थिति पर सम्यक् रूप से विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत बैठक जिला एवं अनुश्रवण समिति की बैठक न होकर जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा के लिये माननीय कृषि मंत्री जी की अधिकारियों के साथ एक बैठक थी। उसकी सूचना जिलाधिकारी द्वारा माननीय सदस्यों को भी दी गयी थी। अतः वर्णित स्थिति में प्रश्नगत मामला प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की परिधि में नहीं आता है। अतएव मैं इसे अस्वीकार करता हूं।)

श्री रामस्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा की भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री माता प्रसाद पाण्डेय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

(श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री माता प्रसाद पाण्डेय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दिनांक 7 अक्टूबर, 1991 को दी है। माननीय सदस्य का कथन है कि प्रथम सत्र 1991 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 164 का उत्तर माननीय मंत्री ने जानबूझकर सदन को गुमराह कहने वाला दिया है। माननीय सदस्य ने कहा है कि तीन फार्मेसिस्ट जिनके नाम श्री एच0एन0सिंह, श्री श्रीराम यादव एवं श्री डी0पी0 राही हैं, जिला अस्पताल, गाजीपुर में कार्यरत थे और उन्हें 27 माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया था। प्रश्नोत्तर में तत्कालीन माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक माह से 27 माह तक के वेतन का भुगतान न किया गया हो, ऐसा कोई फार्मेसिस्ट नहीं है। माननीय सदस्य ने सूचना के साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या 11589 सन् 1989 में दिये गये निर्णय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, वाराणसी मण्डल के पत्र दिनांक 30-4-91 तथा अपर निदेशक चिकित्सा, वाराणसी के पत्र दिनांक 5-6-91 की फोटो स्टेट प्रति संलग्न की है।

माननीय सदस्य की सूचना का मैंने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 65 (1) (क) की अपेक्षानुसार विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न हाल ही के घटित निश्चित विषय तक निबद्ध होना चाहिये। इसके अतिरिक्त कौल एवं शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ 266 पर भी यह उल्लेख किया गया है कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न हाल ही में किसी विशिष्ट मामले पर सीमित रखा जायगा एवं विशेषाधिकार का प्रश्न सदस्य द्वारा सबसे पहले उपलब्ध अवसर पर उठाया जाना चाहिये। यदि विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाये जाने वाला विषय किसी समय विशेष पर अविलम्बनीय महत्व का हो तो उसकी पूर्व सूचना देने में एक दिन की देरी भी घातक हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी विशेषाधिकार की सूचना के संबंध में अनेक दृष्टान्त उपलब्ध हैं जिसमें विलम्बित सूचना को अग्राह्य किया गया है। माननीय सदस्य ने दिनांक 24 जनवरी, 1991 को उत्तरित प्रश्न के संबंध में विशेषाधिकार के अवहेलना की सूचना दिनांक 7-10-91 को अर्थात् लगभग 8 माह से अधिक अवधि बाद दी है। इस प्रकार यह विलम्बित है।

नोट:-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इसके अतिरिक्त सूचना के संबंध में संलग्न किये गये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय एवं अपर निदेशक के पत्र दिनांक 5-6-91 से यह स्पष्ट नहीं होता है कि कतिपय फार्मेसिस्टों को एक से 27 माह तक के वेतन का भुगतान नहीं किया गया था । यह अवश्य है कि संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, वाराणसी के पत्र दिनांक 30-4-91 के प्रस्तर 14 में इस बात का उल्लेख है कि श्री एच0एन0 सिंह फार्मेसिस्ट का वेतन मार्च, 1988 से फरवरी, 1989 तक निकाला गया परन्तु उन्हें जानबूझकर नहीं दिया गया और अन्त में ट्रेजरी में वापस जमा करा दिया गया । परन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि उत्तर देने की तिथि तक भी श्री सिंह को भुगतान नहीं किया गया था । अतः उपर्युक्त से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि तत्कालीन माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जानबूझकर सदन को गुमराह करने के इरादे से उत्तर नहीं दिया गया है । कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 261 पर यह भी कहा गया है कि यदि कोई सदस्य या मंत्री सभा में कोई ऐसा वक्तव्य देता है जो किसी अन्य सदस्य के विचार में असत्य, अपूर्ण या गलत है तो यह विशेषाधिकार का भंग नहीं है । यदि कोई गलत वक्तव्य दिया जाता है तो उस मामले का निपटारा करने के दूसरे रास्ते हैं । विशेषाधिकार भंग तभी होता है जबकि कोई सदस्य या मंत्री कोई गलत या असत्य वक्तव्य जानबूझकर, सोच समझकर और यह जानते हुए देता है कि वह गलत या असत्य है ।

उपर्युक्त कारणों से प्राग्दर्शन में प्रश्नगत मामला विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाये जाने योग्य नहीं प्रतीत होता है, अतः मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।)

श्री गामा राम शास्त्री, सदस्य विधान सभा की श्री सुरेन्द्र राय, थानाध्यक्ष, थाना खानपुर, जनपद गाजीपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

(श्री गामा राम शास्त्री, सदस्य, विधान सभा, गाजीपुर ने श्री सुरेन्द्र राय, थानाध्यक्ष, थाना खानपुर, जनपद गाजीपुर के विरुद्ध नियम-63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दिनांक 10 अक्तूबर, 1991 को दी है ।

माननीय सदस्य का कथन है कि वे दिनांक 8 अक्तूबर,1991 को उक्त थाने में थानाध्यक्ष से क्षेत्र की कानून-व्यवस्था तथा माननीय श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, भूतपूर्व गृह मंत्री, भारत सरकार के भ्रमण कार्यक्रम आदि के संबंध में बात करने गये थे परन्तु एक घंटे तक इन्तजार करने पर भी थानाध्यक्ष उनसे बात करने नहीं आये ।

माननीय सदस्य की सूचना का मैंने अवलोकन किया है । सूचना से विदित होता है कि दिनांक 8 अक्टूबर, 1991 को जब श्री शास्त्री थानाध्यक्ष से बात करने गये तो उनका उक्त कार्य सदन अथवा उसकी किसी समिति के कृत्यों से संबंधित नहीं था । प्राग्दर्शन में यह मामला विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की परिधि में आता हुआ प्रतीत नहीं होता है, अतएव मैं इसे अग्राह्य करता हूं ।)

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं और दिनांक 26 फरवरी को 11 बजे (पूर्वाह्न) फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन सायंकाल 5 बजकर 10 मिनट पर बुधवार दिनांक 26-2-92 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊः
24 फरवरी, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये अ0सू0ता0प्र0सं0-2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 10 पर)

संख्या 2163/दस-सं0वि0-3(1)-91

प्रेषक,

श्री भोला नाथ तिवारी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समास्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः दिनांक 18 दिसम्बर, 1991।

विषय--प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता ।

महोदय,

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग

विकास कार्यों के लिये संसाधन जुटाने एवं अनुत्पादक व्यय को रोकने के प्रयोजन से राजकीय व्यय में मितव्ययिता के विभिन्न उपाय करने के लिये विगत में समय-समय पर आदेश निर्गत किये गये हैं परन्तु इनमें निहित निदेशों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है। अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय व्यय में हर सम्भव मितव्ययिता की जाय तथा इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों को सम्मिलित करते हुये निम्न निर्णयों को दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित किया जायः-

(1) आयोजनेत्तर पक्ष के सीधी भर्ती वाले तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) एवं चतुर्थ श्रेणी के गैर-तकनीकी पद, जो रिक्त हैं या भविष्य में रिक्त होंगे, वे तब तक न भरे जायं, जब तक कि उन संवर्गों में 5 प्रतिशत के बराबर पद कम न कर दिये जायं। श्रेणी 1 व 2 के सीधी भर्ती के, प्राविधिक कोटि के पदों को छोड़कर, अन्य पदों के सम्बन्ध में भी यही प्रतिबन्ध लागू होगा। श्रेणी 1 व 2 के पर्यवेक्षक कोटि के पदों को भरने का मामला (5 प्रतिशत पदों को रिक्त रखकर) सम्बन्धित विभाग के सचिव एवं विभागाध्यक्ष के विवेक पर रहेगा। पर यह प्रतिबन्ध उस दशा में लागू नहीं होगा जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिये भर्ती आवश्यक हो।

(2) जीरो बेस बजटिंग प्रणाली के आधार पर आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष के कार्यक्रम/ कार्यकलापों की समीक्षा पूर्व में निर्गत विस्तृत निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विभागों द्वारा अनिवार्य रूप से अगले 2 माहों में पूरी कर ली जाय और इसके फलस्वरूप जो बचत सम्भावित हो वह चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व वित्त विभाग को समर्पित कर दी जाय। इन निर्देशों के अनुपालन के लिये सम्बन्धित विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।

(3) नई गाड़ियां (रोगी वाहनों को छोड़कर)क्रय न की जायं और पुरानी निष्प्रयोज्य गाड़ियों के प्रतिस्थापन चरणों में वित्त विभाग की सहमति से ही किया जाय। यह प्रतिबन्ध उन परियोजनाओं से सम्बन्धित मोटर गाड़ियों के क्रय पर लागू न होगा जिनका पूरा व्यय भारत सरकार वहन करेगी ।

(4) आवासीय टेलीफोन नये वेतनमान रु0 3700-5000 से कम के अधिकारियों को अत्यन्त ही विशेष परिस्थिति में स्वीकृत किये जायं । वर्तमान में आवासीय टेलीफोन के लिए जो फ्री कालस शासन द्वारा निर्धारित है, उसी सीमा तक ही व्यय शासन द्वारा वहन किया जायगा ।

(5) वायुयान/वातानुकूलित/प्रथम श्रेणी से यात्रा करने के लिए वर्तमान में जो अनुमन्यता निर्धारित है उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) सार्वजनिक उपकमों/निगमों में वाह्य सेवा से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारियों को उनके पैतृक विभाग में अनुमन्य सुविधाओं की अपेक्षा अधिक सुविधा उपलब्ध न कराई जाय ।

(7) केवल उन प्रशिक्षणों को छोड़कर जो अनिवार्य हैं अन्य प्रशिक्षणों एवं सेमिनारों आदि में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नामित न किया जाय।

(8) शासकीय विभागों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला सजावटी विज्ञापन एवं प्रचार, यदि वह व्यावसायिक प्रोत्साहन के लिए नहीं है, तात्कालिक प्रभाव से निषिद्ध किया जाता है । अन्य विज्ञापन जो अति आवश्यक समझे जायं विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकृत किये जायेंगे और यदि कोई विशेष प्रचार/विज्ञापन अभियान चलाना हो, तो वह मुख्य मंत्री जी के पूर्वानुमोदन से किया जाये । पर यह प्रतिबन्ध ऐसे विज्ञापनों पर लागू न होगा, जो सेवा संबंधी प्रकरणों और नियुक्तियों आदि से संबंधित है और जो विधिक रूप से आवश्यक हैं ।

(9) भारत सरकार में लंबित मामलों के अनुश्रवण एवं अन्य प्रयोजनों हेतु अधिकारी/कर्मचारी बार-बार दिल्ली न जायं और न ही प्रदेश के अन्य जनपदों से बार-बार लखनऊ मुख्यालय पर आयें । दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों के दौरे अधिकारी, कर्मचारी संबंधित विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से ही करें । इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों/नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जाय ।

(10) सरकारी वाहनों में पेट्रोल व डीजल की खपत वर्ष 1991-92 में वर्ष 1989-90 की अपेक्षा 20 प्रतिशत कम की जाय ।

(11) पेट्रोल तथा डीजल की खपत में उपरोक्त कमी को सुनिश्चित करने के लिए इस मद हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि न तो अनुपूरक अनुदान के माध्यम से और न ही पुनर्विनियोग द्वारा अन्य किसी मद से उपलब्ध कराई जाय । इस प्रयोजन हेतु पुनर्विनियोग के, जो भी अधिकार वर्तमान में विभागाध्यक्षों तथा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त हैं वे तात्कालिक प्रभाव से वापस लिये जाते हैं ।

(12) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग के शासनादेश संख्या 350/44-2-26, दिनांक 15 अप्रैल, 1991 में यह व्यवस्था है कि शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव केवल एक ही शासकीय वाहन का प्रयोग करेंगे । जहां राज्य सम्पत्ति विभाग या सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा स्टाफ कार उपलब्ध कराई गई है उन विभागों के सचिवों द्वारा निगमों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों की गाड़ियों का प्रयोग किसी भी दशा में न किया जाय, भले ही वे अपने नियंत्रणाधीन एक या उससे अधिक उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों में अध्यक्ष अथवा निदेशक मण्डल के सदस्य का कार्यभार संभाले हों ।

(13) नव वर्ष अथवा अन्य उत्सवों पर शासकीय खर्चे पर बधाई संदेशों को भेजने, कलैंडर, डायरी शुभकामना संदेशों तथा पर्सनल लेटर आदि के मुद्रण, वितरण एवं अन्य किसी सामग्री आदि के वितरण को तात्कालिक प्रभाव से निषिद्ध किया जाता है । यह निर्देश शासकीय विभागों, सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं प्राधिकरणों पर समान रूप से लागू होंगे ।

(14) सरकारी विभागों एवं कार्यालयों द्वारा शासकीय व्यय पर सभी प्रकार के मनोरंजनों को प्रतिबंधित किया जाता है । पर अनिवार्य परिस्थितियों में शासन के अनुमोदन के पश्चात् ही उसे किया जाय ।

(15) केवल इस कारण कि पदधारक बदल गया है, नया फर्नीचर व साज-सज्जा की व्यवस्था न की जाय तथा इस संबंध में निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन किया जाय । फर्नीचर व अन्य साज-सज्जा इत्यादि के क्रय की स्वीकृति धन के पुनर्विनियोग द्वारा (आयोजनेत्तर/आयोजनागत) उपलब्ध कराने हेतु जो प्रतिनिधायन/अधिकार इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त हैं उन्हें तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है ।

(16) यात्रा व्यय में अधिकाधिक मितव्ययिता बरती जाय । शासकीय कार्य के लिए की जाने वाली यात्राओं को आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्य की पूर्ति हेतु न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही सीमित रखा जाय और जहां तक संभव हो केवल अत्यन्त ही आवश्यक व्यक्तियों को ही अखिल भारतीय सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों और बैठकों आदि में भाग लेने के लिए भेजा जाय । सरकारी दौरों में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अधिकारी अपना पर्सनल स्टाफ साथ न ले जायं । यह प्रतिबन्ध दिल्ली यात्रा के संबंध में भी लागू होगा ।

(17) सार्वजनिक उपक्रमों, प्राधिकरणों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि द्वारा नये अतिथि गृह न खोले जायं और वर्तमान में चल रहे अतिथिगृहों को भविष्य में चलाये जाने के संबंध में अतिशीघ्र मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाये । नये अतिथि गृहों को, यदि वे अत्यन्त आवश्यक हैं, मुख्य मंत्री जी के पूर्वानुमोदन के पश्चात् ही स्थापित किया जाय।

(18) यात्रा व्यय आदि में बचत के उद्देश्य से मण्डलीय स्तर पर बैठकों की संख्या युक्तिसंगत रखी जाय ।

(19) शासन के उच्च स्तर जहां कार्यहित में आवश्यक हो जिलाधिकारी एवं जिला पुलिस प्रमुख (पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) के अलावा अन्य अधिकारियों के आवास पर एक से अधिक फोन की सुविधा उपलब्ध न कराई जाय और एक स्रोत से एक फोन की सुविधा आवास पर उपलब्ध है, तो किसी अन्य स्रोत से अतिरिक्त फोन-सुविधा उपलब्ध न कराई जाये । वर्तमान में जहां आवास पर अतिरिक्त फोन-सुविधा उपलब्ध है उसे तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है ।

2- उपर्युक्त समस्त निर्देश सरकारी विभागों/कार्यालयों के साथ-साथ समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/स्थानीय निकायों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/प्राधिकरणों तथा राज्य विश्वविद्यालयों पर समान रूप से लागू होंगे ।

3-पूर्व में उपर्युक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों आदि को इस सीमा तक यथा संशोधित समझा जाय ।

भवदीय,
भोला नाथ तिवारी
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या 2163(1)/दस-सं0वि0-3(1)/91, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि शासन के समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों/विशेष सचिवों को (दस अतिरिक्त प्रतियों सहित) इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीन विभिन्न विभागों और अपने विभाग से संबंधित स्थानीय निकायों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों एवं राज्य विश्वविद्यालयों को इस शासनादेश की प्रतिलिपि भेज कर सुनिश्चित कर लें कि उनमें भी इसका कड़ाई से पालन किया जाय ।

आज्ञा से,
इन्दु कुमार पाण्डे,
सचिव, वित्त आयोग।

संख्या 2163(2)/दस-सं0वि0-3(1)/91, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-सचिवालय, के समस्त अनुभाग ।
2-समस्त कोषाधिकारी ।
3-महालेखाकार-1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4-समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं प्राधिकरणों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक ।
5-समस्त कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
इन्दु कुमार पाण्डे,
सचिव, वित्त आयोग।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

जनपद-सिद्धार्थनगर वर्ष 90-91

क्रमांक	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये)	डी.आर.डी.ए. द्वारा अवमुक्त धनराशि (लाख रुपये)
	विकास खण्ड-नौगढ़		
1	सरौता में तालाबा खुदाई का कार्य	1.60	1.30
2	खलीलपुर में तालाब खुदाई का कार्य	0.90	0.45
3	कोडराग्रान्ट से जमुआर नाला निर्माण कार्य	3.00	2.00
4	नौगढ़ वांसों मार्ग से बसडिलिया ग्राम तक ड्रेन	2.52	1.36
5	मधुकरपुर में नाला निर्माण	0.40	0.30
6	नगवा में सिंचाई तालाब निर्माण	0.455	0.33
7	कुसमौना में सिंचाई तालाब का निर्माण	0.798	0.50
8	पलियानिधि तालाब से बकुरहवा तक ड्रेन	1.50	1.25
9	गोहनियां में सिंचाई तालाब का निर्माण	1.78	0.89
10	सेमिरियाव में ड्रेन निर्माण	1.756	1.00
11	वडर्गो में पक्की कूप का निर्माण	0.21	—
12	अहिरौली से धन्सा तक ड्रेन का निर्माण	0.213	—
13	पटनी जंगल में बांध का निर्माण	0.93	—
14	औवा से कोडराग्रान्ट तक नाला निर्माण	1.86	—
15	रोमापर में कूप निर्माण	0.21	—
	योग :	18.132	9.38
	विकास खण्ड-बर्डपुर		
1	गायघाट में समतलीकरण एवं तालाब की खुदाई का कार्य ।	1.585	0.79
2	बर्डपुर 13 में समतलीकरण का कार्य (भदवल, मोतीपुर) ।	0.106	0.05
3	वर्डपुर 13 (जोतपुर) में समतलीकरण का कार्य	0.252	0.13
4	वर्डपुर 11 (हसनापार) में समतलीकरण	0.252	0.13
5	वर्डपुर 9 (मरिपटिया) में समतलीकरण	0.289	0.14
6	वर्डपुर 9 में सिंचाई तालाब	1.15	0.50
7	सपड़ी में समतलीकरण एवं नाला निर्माण का कार्य ।	0.789	0.39
8	बर्डपुर नं 11 में (हसनापार) में सिंचाई तालाब ।	1.297	0.50
9	हरिवंशपुर में समतलीकरण एवं तालाब निर्माण ।	0.826	0.41
10	रसियावल कला में तालाब एवं नाला निर्माण	0.48	—

क्रमांक	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये)	डी0आर0डी0ए0 द्वारा अवमुक्त धनराशि (लाख रुपये)
11	डाडरी में समतलीकरण का कार्य	0.20	—
12	पनेरा टोला एवं जाफरजोत में तालाब एवं नाला निर्माण ।	0.43	—
13	रसियावल खुर्द बांध एवं समतलीकरण का कार्य ।	0.62	—
14	वर्डपुर बारा में (मारीपुर) में समतलीकरण का कार्य ।	0.60	—
15	ठोठरी में तालाब निर्माण	0.50	—
	योग:	9.373	3.04
	विकास खण्ड-कप्तानगंज		
1	ग्राम सभा खजुरिया में सिंचाई तालाब का निर्माण ।	0.50	0.35
2	मनिकौरा में सिंचाई तालाब का निर्माण	0.50	0.35
3	अहिरौला में " " "	0.50	0.35
4	भाटियार उर्फ भुतहवा में बन्धी का निर्माण	0.3135	0.26
5	देवरुआ में सिंचाई तालाब का निर्माण	0.59	0.40
6	परसा-सोहरतगढ़ मार्ग से सातेवा नाला तक ड्रेन एवं पुलिया ।	0.769	0.38
7	मनेशपुर में बन्धी का निर्माण	0.597	0.40
8	अकहरा में सिंचाई तालाब का निर्माण	0.50	0.35
9	भुतहरवा से झुगहवा तक ड्रेन का निर्माण	0.50	0.35
10	मदरहिया ताल से धौरही नाले तक ड्रेन	0.388	—
11	मनिकौरा मोहन कोला तक ड्रेन निर्माण	2.20	—
12	पडरिया से सेतवा नाला ड्रेन निर्माण	0.43	0.30
13	मटियार से भुतहिया तक ड्रेन निर्माण	0.313	0.20
	योग :	8.1005	3.59
	विकास खण्ड-उरुवा बाजार		
1	विनैका में सिंचाई तालाब	0.89142	—
2	पोखरभिटवा में सिंचाई तालाब	0.91	—
3	विनैका से पकड़ी तक ड्रेन का निर्माण	1.83	—
	योग:	3.63142	—
	विकास खण्ड-जोगिया		
1	जोशीबारी से बानगंगा तक जल निकास	0.996	0.50
2	जूडीकुइंया से जोगोबारी तक ड्रेन	1.72	0.50
3	जखैलिया से मधवापुर तक ड्रेन	1.44	—
4	मधवापुर में ड्रेन का निर्माण	0.50	—
	योग:	4.456	1.00

नत्थी "ब"

(दिखिये अता0 प्र0 सं0 124 का उत्तर पीछे पृष्ठ 78 पर)

माननीय श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा के पत्र संख्या 268, दिनांक 23-5-87 में इंगित बिन्दु एवं उन पर सूचनाएं

1-फर्म इण्डस्ट्रियल पैकिंग प्रोडेक्ट ऐश-बाग रोड पर विक्रीकर का कितना बकाया किन-किन सालों का था ? रिकवरी प्रमाण पत्र डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) को किस-किस तारीख को मिले ? उस दिन से तारीख 5-5-85 तक वसूली की क्या प्रगति रही ?

माननीय विधायक द्वारा पत्र लिखे जाने की तिथि इस वर्ष पर वर्षवार बकाया/जारी वसूली की स्थिति परिशिष्ट-1 पर है ।

2-क्या यह सही है कि नीलामी की तिथि 6-5-85 को लगी थी ? यदि हां, तो किस-किस पत्र में इसका विज्ञापन निकलवाया गया है ?

जी हां ।
नीलामी की तिथि के लिये किसी समाचार पत्र में विज्ञापन नहीं निकाला गया था किन्तु नीलामी की सूचना जारी की गयी थी ।

3-सबसे बड़ी बोली किस व्यक्ति और कितने रुपयों की थी नीलामी स्थगित होने का क्या कारण था ? कितनी बोलियां लगीं ?

अधिकतम बोली 50.000 रुपये की गोपाल कृष्ण आई । कम बोली आने के कारण उस दिन बोली स्वीकार नहीं की गई तथा दिनांक 31-5-85 के लिये पुनः हेतु घोषणा स्थल पर की गयी ।

4-बकायादार की सम्पत्ति का सरकारी मूल्यांकन क्या था ? वह मूल्यांकन किस आधार पर किसने किया ?

कुर्क शुदा चल सम्पत्ति का अनुमानित मूल्यांकन रु0 1,12,795.00 संग्रह अमीन द्वारा किया गया था ।

5-अगली नीलामी की तिथि कौन सी थी इस नीलामी का विज्ञापन किस समाचार पत्र में निकलवाया था ?

अगली नीलामी का दिनांक 31-5-85 था जिसके लिये घोषणा 6-5-85 को नीलामी स्थल पर ही कर दी गई थी। नीलामी का विज्ञापन किसी समाचार पत्र में नहीं निकलवाया गया ।

6-इस स्थगित नीलामी की तिथि पर सबसे ऊंची बोली किसकी और कितने रुपयों की थी ? सम्पत्ति को कितने रुपयों में बेंचा गया, कितनी बोलियां आईं ?

दिनांक 31-5-85 को अधिकतम बोली श्री गोपाल कृष्ण द्वारा रु0 52,000.00 की बोली गयी तथा कुर्कशुदा सम्पत्ति को 52,000 रु0 में बेचा गया ।

7-क्या नीलामी बोली सरकारी मूल्यांकन से कम थी यदि हां, तब नीलामी कम मूल्य पर सम्पत्ति की नीलामी क्यों और कैसे

नीलामी की बोली सरकारी मूल्यांकन से कम थी । इस सम्बन्ध में नायब तहसील-दार व संग्रह अमीन ने डिप्टी कलेक्टर

की गयी ? कम मूल्य पर सम्पत्ति की नीलामी क्यों और कैसे की गई ? कम मूल्य पर सम्पत्ति की नीलामी करने का निर्णय किस अधिकारी ने किस आधार पर किया ?

(संग्रह) को लिखित रूप में सूचित किया गया कि मशीनों में जंग लग जाने के कारण बोली कम आ रही है। और इस आधार पर सरकारी मूल्यांकन से कम मूल्य पर आई अधिकतम बोली को स्वीकृत करने का निर्णय डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) लखनऊ द्वारा लिया गया।

8-बकायादार से शेष बकाया को किस तरह से वसूला गया ?

शेष बकाया की वसूली हेतु ये सूचना मिलनेपर कि बकायादार कलकत्ता में निवास कर रहे हैं, वसूली प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, कलकत्ता को भेजा गया।

9-क्या सारे मामले में भ्रष्टाचार की बू नहीं आती है ? यदि हां, तब इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

किसी सरकारी सेवक द्वारा भ्रष्टाचार करने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। इस कारण किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

परिशिष्ट-1

फर्म इन्डस्ट्रियल पैकिंग प्रोडेक्ट, ऐशबाग रोड लखनऊ पर वर्षवार बिक्रीकर बकाया तथा रिकवरी प्रमाण-पत्र डिप्टी कलेक्टर, (संग्रह) को जारी किये जाने का विवरण

वर्ष	बकाया धनराशि	वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने का दिनांक	वसूली का विवरण
1974-75	30,620.28	25-6-80	5-5-85 तक प्राप्त सूचना के अनुसार बकाया-दार की चल सम्पत्ति की नीलामी कर के 14,300 रुपये वसूल किया जा चुका था ।
1973-74	8,552.75	23-7-79	
1974-75	7,655.00	13-12-83	
1975-76	17,660.48	25-3-80	
1975-76	44,185.84	25-3-80	
1976-77	67,721.82	25-3-80	
1976-77	77,899.56	25-3-80	
1977-78	14,845.25	27-7-81	
1977-78	1,52,332.00	27-7-81	
1980-81	1,100.00	26-6-82	
1978-79	1,24,436.07	17-1-83	
1978-79	30,000.00	17-1-83	
1975-76	4,500.00	12-12-83	
1976-77	17,500.00	13-12-83	
1977-78	7,000.00	13-12-83	
1976-77	38,000.00	13-12-83	
1979-80	1,53,538.00	25-7-84	
1979-80	30,000.00	25-7-80	
1980-81	1,49,507.00	19-12-84	
1980-81	20,000.00	19-12-84	
1981-82	40,300.00	19-8-87	
1982-83	40,000.00	19-8-87	
1982-83	50,000.00	19-8-87	

पी0एस0यू0पी0-एल0 13। विधान सभा (211)-1993-572 (इले0)।